खण्ड-419, अंक-10
गुरुवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1919
(31 जुलाई, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
प्रश्नोत्तर	3—91
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने हेतु माननीय सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध	91—101
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	101—107
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	107—108
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी नौआबाद में निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य की जांच कराने के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
प्रतापगढ़ से मान्धाता ब्लाक की नहरों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108—109
बुलन्दशहर के शिकारपुर निर्वाचन क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
फिरोजाबाद नगर परिषद पालिका में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109—110
जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के खराब मार्गों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110—111
जनपद कौशाम्बी में ग्राम पहाड़पुर होकर धोन जा रहे मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111—112
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	112
बजट सत्र में नियम 56 के अन्तर्गत ली जा रही सूचनाओं के कारण बजट पर चर्चा का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	113—118
वर्तमान आय–व्ययक सत्र में सदन के उपवेशनों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118—119
लखनऊ के ओ0सी0आर0बी0 ब्लाक में लिफ्ट की खराबी के कारण विधायकों को हो रही असुविधा एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119—120
जन प्रतिनिधियों द्वारा देवरिया जनपद में सम्पर्क मार्गों के उद्घाटन पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आपत्ति किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	120—122

विधान पुस्तकालय कार्यवाही अनुभाग,
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ संख्या
दिनांक 30-7-97 को सदन की कार्यवाही रात्रि में लगभग 11.55 बजे तक चलने के कारण गेट बन्द होने तथा सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	122-123
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा को टेलीफोन पर धमकी दिए जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न	123-125
--दिनांक 23 जुलाई, 1997 की कार्य सूची में नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . . .	125-128
--दिनांक 30 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या-27 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	128
--राज्य समन्वय समिति में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	129
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं . . .	129-157
--वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम-कल्याण) तथा अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	157-186
--वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-92 सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	186-209
--वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	209-236
--नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं . . .	236-237
जनपद फिरोजाबाद में कांच उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याणार्थ एक सौ शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	237-239
दिनांक 21 जुलाई, 1997 के ता0 प्र0 सं0-1 नत्थी ख से सम्बन्धित आलू किसानों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा . . .	239-250
प्रदेश में भूमि के क्रय-विक्रय हेतु स्टाम्प दरों एवं अन्य दरों मे बढ़ोत्तरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य . . .	250-251
जनपद पीलीभीत में शारदा नदी से हो रहे कटान से प्रभावित गांवों को बाढ़ की विभीषिका से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य . . .	251-253
--24 जुलाई, 1997 को ता0 प्र0 सं0-3 नत्थी-ख से सम्बन्धित भूमिहीन दलितों आदि को जीविकोपार्जन उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि सुधार एवं कृषि योग्य भूमि मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा . . .	254-257
नत्थियां . . .	258-260

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरूवार, दिनांक 31 जुलाई, 1997 ई0

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अखिलेश कुमार सिंह, (रायबरेली)
अजय राय, श्री (वाराणसी)
अफजाल अंसारी, श्री (गाजीपुर)
अब्दुल खालिक, श्री (अलीगढ़)
अम्मार रिजवी, डा0 (सीतापुर)
अरविन्द गिरि, श्री (खीरी)
अशोक यादव, श्री (फिरोजाबाद)
आर0 के0 चौधरी, श्री (लखनऊ)
*आलमबदी, श्री (आजमगढ़)
उर्मिला देवी, श्रीमती (मैनपुरी)
ओइम्वेश, स्वामी (बिजनौर)
ओमवती देवी, श्रीमती, (बिजनौर)
कमला प्रसाद रावत, श्री (बाराबंकी)
कुंवर पाल सिंह मास्टर, श्री (सहारनपुर)
चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री (झांसी)
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री (फर्रुखाबाद)
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया (गोरखपुर)
तौफीक अहमद, श्री (सिद्धार्थनगर)
धर्मपाल सिंह, श्री (बरेली)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
पूरन सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
प्रेम प्रकाश, श्री (देवरिया)
बंशीधर भगत, श्री (नैनीताल)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0 (वाराणसी)
मातवर सिंह कण्डारी, श्री (टिहरी गढ़वाल)
मायावती, सुश्री (सहारनपुर)
रणधीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर (पडरौना)
रमापति शास्त्री, श्री (गोण्डा)
रवीन्द्र शुक्ला, श्री (झांसी)
राकेश धर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राज राय सिंह, श्रीमती (पीलीभीत)
राधेश्याम, श्री (कानपुर देहात)
राम चन्द्र मौर्य, श्री (मिर्जापुर)
रामपाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शंकर पाल, श्री (उन्नाव)
राम स्वरूप शर्मा, श्री (मथुरा)
लालजी टण्डन, श्री (लखनऊ)
लालजी वर्मा, श्री (अम्बेडकर नगर)
*वसीम अहमद, श्री (आजमगढ़)
विजय सिंह, श्री (सोनभद्र)
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री (गोण्डा)

*मा0 सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है ।

विरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विशम्भर सिंह, श्री (मथुर B
शरदवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
शिव पूजन राम, श्री (वाराणसी)
संदीप अग्रवाल, श्री (मुरादाबाद)
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री (उधम सिंह नगर)
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती (मुजफ्फरनगर)
हरदेव सिंह, श्री (बाराबंकी)
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री (सोनभद्र)
हरी किशन, श्री (कानपुर देहात)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सभी वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

**1--क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सभी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को रुपये 200·00 प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन देने पर विचार कर रही है । यदि हां, तो कब से और उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए दर बढ़ाना संभव नहीं है ।

श्रीअध्यक्ष—

प्रश्नकर्ता श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के अनुरोध पर श्री जगदम्बिका पाल को अनुमति दी जा रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, जो इस समय पेंशन अनुमन्य है, उसकी पिछले कई महीनों से धनराशि जनपदों में नहीं गई है जिसके कारण पेंशन का नियमित रूप से वितरण नहीं हो सका है । इसी तरह से, जिस तरह से अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया, उसी प्रकार कोई समिति बनाकर संसाधनों के लिए उपाय करेंगे जिससे कि वृद्धावस्था पेंशन की अनुमन्य धनराशि की बढ़ोत्तरी पर विचार भी कर सकेंगे ?

श्री श्रीराम पाल—

मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन, जो शहरी क्षेत्र में 100 रुपया थी, 14 मई, 1997 को उसको 125 रुपये कर दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में वह 125 रुपये पेंशन थी ।

मान्यवर, प्रथम छमाही की किश्त हम दे चुके हैं, सितम्बर के पहले अगर धन की व्यवस्था हो जाती है तो जो अगली छमाही है उसका पूरा का पूरा पैसा दे देंगे । जितने पेंशनर्स हैं, संसाधनों के अनुरूप उतनी ही संख्या पेंशनर्स की है । मान्यवर, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मात्र 75 रुपये अनुमन्य है, राज्य सरकार द्वारा सवा सौ रुपया की जा रही है ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं और शासन द्वारा जो अनुमन्य धनराशि है उसमें प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत कराकर कब तक वितरित करा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं यह मूल प्रश्न में नहीं आता है । दूसरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री श्रीराम पाल—

मान्यवर, जहां तक लम्बित प्रार्थना-पत्रों का सवाल है इसमें जो पेंशन स्वीकृत करने का नियम है वह यह है कि लाभार्थी की 225 रुपये से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए और ढाई एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है उसके अनुरूप ही हम उतने ही लोगों को पेंशन दे सकते हैं । ज्यादा फार्म अगर आ जायें तो अभी हम जितना लक्ष्य होगा उतना ही देंगे ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई कार्यक्रम चलाकर पेंशन स्वीकृत करा दी है और दूसरा हमारे जनपद बहराइच में कितने ऐसे लोग होंगे जो पात्रता सूची में नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है । वह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के लिए सिस्टम है वह तमाम टेबिलों से होकर गुजरता है । जैसे लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक फिर डाक्टर फिर बैंक के बी0 डी0 ओ0 तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरलीकरण करते हुए एक टेबिल से पास करने की पद्धति अपनाई जायेगी ?

श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि हमारे जितने भी विधान सभा के प्रतिनिधि या सांसद होते हैं वे जिलाधिकारी को इस तरह की सूचना देते है कि फलां जगह कैम्प लाना चाहिए। वहां पर लेखपाल, तहसीलदार, डाक्टर, कानूनगो वगैरह सब रहते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें। माननीय दलबहादुर कोरी जी आप तो तीन-चार बार इस विधान सभा के सदस्य रहें हैं। आप बैठ जायें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर; सवाल पूछने की एक प्रक्रिया है और वह आपके निर्देशों से चलती है तो क्या यह निर्देश सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों पर लागू होता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसीलिए मैंने दलबहादुर कोरी जी को अनुमति नहीं दी और उनसे निवेदन किया है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विधवा पेंशन देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, विकलांग पेंशन देते हैं लेकिन अगर इक्वालिटी की स्थिति हैं और पुरुष और महिलाएं बराबर हैं तो कोई असहाय विधुर है, उसको भी पेंशन देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए अलग से प्रश्न करें।

श्री रामजग--

मान्यवर, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए पैसे की क्रय क्षमता काफी कम हैं। उसको देखते हुए क्या उसकी धनराशि 200 रुपये करने पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ गया है ;

श्री धर्मज्ञ मिश्र--

मान्यवर, जो फार्म भरे भी जाते हैं, उसमें एक कालम है कि कितने लड़के हैं, अगर उसके 4-5 लड़के होते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता है ।

श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न को दोहरा दें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र--

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो वृद्धावस्था फार्म बनाये हैं, उसमें कितने लड़के हैं, अगर 4-5 लड़के होते हैं तो उसका नाम काट दिया जाता है । मान्यवर ऐसा देखा गया है कि वृद्धावस्था में लड़के बाप को अलग कर देते है और वह वृद्ध भूखों मरने लगता है, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो वृद्ध, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है और ढाई एकड़ से कम जमीन है और अगर उनके पुत्र बालिग हो गये हैं और उनकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो अपने पिता का भरण पोषण कर सकें और उसके पुत्र की आय 225 रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसे वृद्ध को पेंशन दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल--

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जो कदाचित् सभी सदस्यों की चिन्ता है । जो भी अनुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं उससे जाहिर है सभी अपने क्षेत्र के लोगों के इस पेन्शन की स्वीकृति में जो दिक्कतें हैं उससे चिन्तित हैं । जब कोई वृद्ध या वृद्धा पेंशन फार्म भरते हैं उसमें 225 रुपये की आय जिसकी होती है और ढाई एकड़ से कम जमीन होती है वही पात्र होता है । तो इस फार्म को भरने के लिए 100 रुपये लेखपाल को देने होते हैं, और फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए सी0 एम0 ओ0 को 100 रुपये देने पड़ते हैं । इस तरह से कई प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं । तो क्या इसके सरलीकरण की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

दूसरा जो निर्धारित काम है वह हजारों हजार की संख्या में भरे हुए पड़े हैं। इस प्रकार समाज कल्याण कार्यालय में उनका निस्तारण करने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पेन्शन स्वीकृत करना या न करना अलग बात है लेकिन जो लम्बित काम हैं, उन पर कब तक विचार कर लेंगे? इसी के साथ सरलीकरण के सम्बन्ध में भी बता दें।

श्री श्रीराम पाल--

पेंशन स्वीकृत करने में सरलीकरण की जो बात है वास्तविकता यह है कि समाज के अकिंचन व्यक्ति जो नितान्त गरीब हैं वह इसके पात्र हैं। लेखपाल को जो घूस देने की बात चली है वही लोग देते हैं जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो नितान्त गरीब हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है इसके विरोध में मैं दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए)

पर्वतीय क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति

**2-श्री भारत सिंह रावत--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा में माह अप्रैल, 1997 से भारी कमी कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कमी से उक्त क्षेत्र में मुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो उक्त कटौती का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त समस्या के तुरन्त निराकरण हेतु पूर्व के निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्यान्न दिए जाने के आदेश देगी ; यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज़ रिजवी)--

जी नहीं :

प्रश्न नहीं उठता।

2--विधान सभा-11

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम खाद्यान्न प्राप्त होने तथा उनके दिशा निर्देशानुसार खाद्यान्न आवंटित करने से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी आई है। पर्वतीय क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न दिए जाने के सम्बन्ध मे भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न दिए जाने की मांग की गई है। फिलहाल पर्वतीय क्षेत्र की खाद्यान्न समस्या को देखते हुये मैदानी क्षेत्र से 14, 989 मी0 टन गेहूं व 6,142 मी0 टन चावल कुल 21,131 मी0 टन अतिरिक्त खाद्यान्न पर्वतीय क्षेत्र को डाईवर्ट कर दिया गया है जिससे वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है।

श्री भारत सिंह रावत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया कि खाद्यान्न की कमी नहीं है, फिर मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि खाद्यान्न की कमी इसलिए आयी कि केन्द्र सरकार से कम खाद्यान्न मिला तो मंत्री जी का यह जवाब सेल्फ कांट्राडिक्टरी है। जो जबाब, रिपोर्ट विभाग से आयी उसको मंत्री जी ने पढ़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल से पहले प्रति यूनिट कितना खाद्यान्न दिया जाता था और उसके बाद कितना खाद्यान्न दिया जाता है ?

श्री ऐजाज़ रिजवी--

मान्यवर, पूर्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नवीनीकृत वितरण प्रणाली के माध्यम से 5 और साढ़े 5 के अनुपात में खाद्यान्न का वितरण किया जाता था और 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बी0 पी0 एल0 और ए0 पी0 एल0 का नाम दिया गया है उसके आधार पर परिवार के आधार पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और एक परिवार को 10 कि0 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री भारत सिंह रावत--

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने जवाब दिया पहले प्रति यूनिट के हिसाब से मिलता था तो ज्यादा खाद्यान्न मिलता था अब कार्ड के हिसाब से मिलता है तो कम खाद्यान्न मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न पैदा नहीं होता है वहां पर खाद्यान्न की कमी से विषम स्थिति पैदा हो गयी है। आपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र को अधिक खाद्यान्न दिया जाय तो यह जो व्यवस्था आप कर रहे हैं इसके मध्य में उत्तर प्रदेश के कोटे से पर्वतीय क्षेत्र को खाद्यान्न आबंटित किया जायगा ?

श्री ऐजाज रिजवी—

मैंने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में नयी योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गयी है । इसके साथ ही साथ मैंने यह भी माननीय सदन को अवगत कराया है कि जिस आधार पर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा ह उसमें कमी अवश्य आयी थी । वहां की हालत को दृष्टिगत रखते हुए मैदानी क्षेत्र से 21131 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न मैदानी क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र में डाइवर्ट कर दिया गया है और वह ए0 पी0 एल0 के आधार पर वितरित किया जा रहा है । यह जो अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है उसका उठान 30 प्रतिशत ही हो रहा है । वहां पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है ।

श्री इकबाल महमूद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के साथ-साथ मैदानी क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में ....

श्री अध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न से बाहर है । इसके लिए अलग से स्वतंत्र प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री इकबाल महमूद—

पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सी जगहों पर नगरपालिका के क्षेत्र बढ़ा दिये गये हैं जिसमें ग्रामीण अंचलों के क्षेत्र आये हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं मैं, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या तुरन्त उनके राशन कार्ड बनवाये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न नीति के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा । मान्यवर, वहां पर यह स्थिति ह कि लोग चांवल पीसकर रोटियां बना रहे हैं । हम लोगों का घेराव कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे, यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ? मान्यवर, एक सन्देश गया है कि बी0 जे0 पी0 और ब0 स0 पा0 के गठबन्धन को सरकार ने पूरे उत्तरांचल में खाद्यान्न की कमी कर दी है ।

श्री ऐजाज रिजवी—

श्रीमान्, वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में किसी प्रकार के खाद्यान्न की कमी नहीं है। सरकार पूरी तौर पर वहां खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। ए0 पी0 एल0 में 30 प्रतिशत की उठान दिखाई गई है जिससे लगता है कि वहां पर खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अनुपूरक प्रश्न अनिश्चित काल तक नहीं चलेंगे।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, यह ज्वलन्त मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 49 के लिए लिखकर दीजिये;

(व्यवधान)

तीन चार अनुपूरक से अधिक नहीं। मैं अगली मद ले रहा हूं। उत्तर आ रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नदियों के किनारे बसने वाले मल्लाह एवं केवट जाति के लोगों को बालू तथा घाट का ठेका दिये जाने की मांग

श्री रंगनाथ मिश्र तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

*1—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में नदियों के किनारे बसने वाले केवल मल्लाह, केवट जाति के लोगों को बालू तथा घाट का ठेका दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है? उस पर कब तक अमल किया जायेगा?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालेश्वर त्यागी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रंक नाथ मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नदी के उत्पादों पर जीविका के लिये आश्रित जो व्यक्ति हैं, क्या उनको नदी के किनारों पर जो उत्पाद होता है उनका पट्टा देने में सरकार उनको प्राथमिकता देगी, देगी तो कौन सी प्राथमिकता देगी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह नदी के किनारे नदी के उत्पादों पर अपनी जीविका अर्जित करने वाले लोगों के लिये पहली सरकार ने क्या नीति बनाई थी ? बीच में सरकार ने उसमें क्या परिवर्तन किया यदि हां तो क्यों किया ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न दो विभागों से संबंधित है । जो नदी से बालू और खनन के सम्बन्ध में है उसका उद्योग विकास विभाग से कार्य संचालन होता है । दूसरा जो नौका घाटों का ठेका दिये जाने से सम्बन्धित प्रश्न है वह पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है । बालू खनन के सम्बन्ध में 27 अगस्त, 1994 को एक शासनादेश निर्गत हुआ था जिसके अनुसार इस व्यवसाय से जुड़ी कई जातियों के लोगों का, उनकी सोसाइटी और उनको व्यक्तिगत रूप से बालू खनन करने के लिये पट्टा प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने का प्रावधान किया गया ।

श्री गोरख नाथ पाण्डेय—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां एक तरफ से यह कहा जाता है कि दलित और पिछड़े लोग या नदियों के किनारे बसे लोग हैं उनमें केवट और मल्लाह हैं जो वास्तव में नदी उत्पाद पर जीवन यापन करते हैं उनको ठेका नहीं दिया जाता है । केवल दबंग और माफिया लोगों को ही बालू और खनन का पट्टा दिया जाता है जो असली हकदार लोग हैं, उनको नहीं दिया जाता है ।

श्री बालेश्वर त्यागी—

शासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है इस व्यवसाय से जुड़े तमाम जातियों के लोगों और उनकी रजिस्टर्ड सोसाइटी अनरजिस्टर्ड सोसाइटी दोनों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे माननीय सदस्य के संज्ञान में अगर ऐसा आया है कि ऐसे किसी पात्र को पट्टे नहीं दिए गए हैं तो वह बता दें उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निषाद, केवट, मल्लाह जिनका पेशा नदियों में नाव चलाना, बालू खनन, मौरंग निकालना रहा

है इसके लिए 1981 में उस समय जब पूर्व प्रधानमंत्री वी0 पी0 सिंह की सरकार प्रदेश में थी उनकी सरकार में सन् 1981 में नादर्न इंण्डिया फेरीज ऐक्ट के तहत नाव चलाने के ठेके जो नीलाम होते थे उसको समाप्त कर मछुआ समुदाय को पिछले तीन वर्ष की औसत आय पर 15 प्रतिशत बढ़ोतरी पर ठेके देने की व्यवस्था की गई ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर पूर्व मुख्य मंत्री श्री वी0 पी0 सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली की धारा 9 में संशोधन करके उपधारा (3) जोड़कर निषाद समाज को बालू मौरंग खनिज का पट्टा देने का प्राविधान कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री का प्रेस वक्तव्य आया था कि यह सरकार उसको खत्म करने जा रही है । निषाद, केवट, मल्लाह लोगों को मछली पालन, बालू मोरंग खनन और नाव चलाने के पट्टे जो दिए गए, सरकार ने उसको खत्म करने का फैसला लिया है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उन पुराने आदेशों को खत्म कर दिया है या खत्म करने पर विचार कर रही है, या उसे यथावत् लागू रखेगी ? माफिया लोग बालू खनन के पट्टे मिर्जापुर, कानपुर, जालौन, हमीरपुर इलाहाबाद, सोनभद्र आदि जगहों पर ले रहे हैं तो क्या सरकार उसको रोकने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या पूर्व सरकार के द्वारा जारी किये गये जो शासनादेश हैं उनको निरस्त करने पर सरकार विचार कर रही है । तथाकथित माफियाओं को समाप्त करने की बात कही गई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जो पहले की नीति है उसमें परिवर्तन पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

श्री पारस नाथ यादव—

माफिया लोगों को कैसे हटाएंगे यह जबाब नहीं दिया । आपके निर्देशों का पालन नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

माफिया लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, क्या ?

श्री पारस नाथ यादव--

मान्यवर, नदियों और घाट के किनारे रहने वाले गरीबों को ठेका देने का मामला इन्होंने अपने उत्तर में बताया । लीज पर तीन-तीन महीने के पट्टे दिये जाते हैं उन गरीबों को तीन महीने में घाट की बालू को भी निकालना होता है अगर वह बालू नहीं निकालेंगे तो दूसरे लोगों को पट्टे दे दिये जायेंगे । गरीब है उसके पास और साधन नहीं है ।

वास्तव में हकीकत है कि दबंग माफिया लोग किसी गरीब के नाम से ठेके ले लेते हैं खनन अधिकारी से मिलकर वह काम करते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मंशा है मूल प्रश्न की कि नदियों के किनारे बसे हुए गरीब मल्लाहों, निषादों, केवटों धोबियों को पट्टा देने की बात कही गई है । क्या स्थाई रूप से उनको पट्टा दो या तीन साल के लिए दिये जाने की कोई योजना माननीय मन्त्री जी के पास है ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

माननीय सदस्य ने तीन-तीन माह की बात कही है तीन-तीन माह के लिए कोई प्राविधान नहीं है । वर्ष भर के लिए प्राविधान है । जो मुल रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको पट्टा दिये जाने को प्राथमिकता है । माफियाओं के बारे में जो बात कही गई है आप उसकी जानकारी हमें दे दें हम उसकी जांच करवा लेगें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)--

जहां तक मेरी जानकारी है कि सरकार की यह नीति है कि जो व्यक्ति पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करता है उसी के नाम से बालू मौरंग के खनन का पट्टा हो जाता है । ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जिससे निष्पक्ष तरह से इसका निस्तारण हो सके । ऐसे में दबंग व्यक्ति किसी संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन पहले प्रस्तुत कर देते हैं जबकि वास्तविक व्यक्ति स्थानीय नाविक, निषाद धीवर अपना आवेदन-पत्र नहीं दे पाते हैं । तो क्या सरकार पहले आओ और पहले पाओं की नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रावि-धान करेगी जिससे कोई सम्यक् नीति निर्धारित कर वास्तविक व्यक्ति को पट्टे मिल सकें ।

श्री बालेश्वर त्यागी--

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग अनुभाग-12 से 27 अगस्त, 1994 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके

अनुसार बालू मोरंग के खनन के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जैसे मल्लाह, कीवट, केवट, निषाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। उस परिस्थिति में जब उसी समुदाय के दो व्यक्ति या दो सोसाइटियों ने एक साथ अभ्वेदन दिये हैं। तब व्यवस्था है कि जो पहले आवेदन किया है उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह नदियों का मामला है जो जिस गांव में बसा हुआ है और नदी उस गांव के पास से होकर गुजरती है तो बालू, मौरंग खनन घाट का ठेका उसी गांव के इस व्यवसाय से जुड़े बिरादरियों को देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ताकि बाहर के लोगों को जो बड़ी-बड़ी सोसाइटी बनाकर इसमें घुस जाते हैं उनको रोका जा सके ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की है यह पहले से ही व्यवस्था है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जब स्थानीय लोग उपलब्ध नहीं होते हैं तो बाहर के लोगों को पट्टे दिये जाते हैं। पहले प्राथमिकता स्थानीय लोगों को ही है।

श्री लल्लू पटेल—

माध्यक्ष, वाराणसी जनपद में डामरी के रामेश्वर प्रसाद निषाद का 27 एकड़ का पट्टा लल्लू मांझी के नाम वहां के कमिश्नर ने कर दिया है जबकि अभी माननीय मन्त्री जी ने यह कहा था कि पट्टा स्थानीय लोगों को ही दिये जाने की प्राथमिकता सरकार देती है। रामेश्वर प्रसाद उसी गांव के हैं जिस गांव में यह 27 एकड़ का पट्टा दिया गया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी रामेश्वर प्रसाद को पट्टा पुनः दिलाने की व्यवस्था करेंगे तथा जिन्होंने यह कार्य किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

पटेल जी बैठ जाएं माननीय मन्त्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पर्वतीय क्षेत्र में भूमि का बन्दोबस्त कराये जाने की प्रगति—

*1—श्री भारत सिंह रावत—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में केवल पर्वतीय क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है, जहां कि भूमि का बन्दोबस्त अभी हो सका है।

यदि हां, तो क्या इस हेतु अब तक कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और उक्त क्षेत्र की भूमि का बन्दोबस्त कब तक करा लिया जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)—

जी नहीं ।

जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र की तहसील चकराता के समस्त 358 ग्रामों में बन्दोबस्त क्रियाएं 1990 में सम्पन्न की जा चुकी हैं । वर्तमान में जनपद की मैदानी तहसील देहरादून के अन्तर्गत 269 ग्रामों में बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 101 ग्रामों में बन्दोबस्त क्रियाएं गतिमान हैं । इसके अतिरिक्त जनपद टिहरी गढ़वाल के 5 ग्राम व जनपद नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के 122 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं कराने हेतु विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं ।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं की प्रक्रिया एक दीर्घावधिक एवं सतत् प्रक्रिया है तथा मानक के अनुसार जैसे-जैसे पर्वतीय क्षेत्र उपलब्ध होते जायेंगे, सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं कराई जाती रहेंगी ।

श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है कि कुछ जिलों के कुछ गांवों में बन्दोबस्त हो गया है, मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि, जो जिले छूट गये हैं, जैसे पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा इन जिलों में कब तक बन्दोबस्त का काम आरम्भ कर दिया जायेगा । दूसरे भूमि अभिलेखों को ठीक करने के लिए बन्दोबस्त का काम किया जाता है और इसके ऐक्ट में प्राविधान है कि यह काम 20-20 साल में होना चाहिये लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 40 साल से यह काम नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक इन जिलों में भूमि बन्दोबस्त का कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न किया है, तो यह बात सही है कि पहाड़ में बन्दोबस्त की जो क्रियाएं हैं वह होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैंने देहरादून व अन्य जनपदों का दौरा भी किया है । इस समस्या की तरफ सरकार गम्भीर है और सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि एक बैठक बुलाकर जहां-जहां का रिकार्ड आपरेशन होना है, उसको यथाशीघ्र पूरा करा लिया जाए । सरकार इसके प्रति सचेत है ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो जनपद देहरादून के 370 ग्राम, टिहरी-गढ़वाल के 5 ग्राम व जनपद नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के 122 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं कराने हेतु विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं और इनको पूरा कराने के लिए माननीय मन्त्री जी ने बात कही है इसमें कई जिले चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी-गढ़वाल आदि रह गये हैं जिनमें आप कराने जा रहे हैं, उनके मानक का आधार क्या है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने यह कहा है कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं की प्रक्रिया एक अनवरत एवं सतत् प्रक्रिया है तथा मानक के अनुसार जैसे-जैसे पर्वतीय क्षेत्र उपलब्ध होते जायेंगे, सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं कराई जाती रहेंगी, यह पर्वतीय क्षेत्र उपलब्ध होने का क्या मतलब है ? यह पर्वतीय क्षेत्र उपलब्ध होने का अभिप्राय क्या है, क्या इसमें सर्वेक्षण कराया जा रहा है, साथ ही क्या इसको समयबद्ध किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूंछा है, वह रिकार्ड आपरेशन की प्रक्रिया है, जो 40 साल बाद पुनः की जाती है । जो क्षेत्र उपलब्ध होगा, जहां रिकार्ड आपरेशन की आवश्यकता है, जहां 40 साल पूरा हो गया है, 10 जिले ऐसे हैं, जहां पूरे हो चुके हैं तो ऐसे क्षेत्रों में पुनः प्रक्रिया शुरू करने के बारे में जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं । बैठक भी बुलाई गई थी, उसमें जो क्षेत्र उपलब्ध है, वहां होना है । लेकिन शासन को दिक्कत है, केवल 8 यूनिट है, 2 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और यदि एक यूनिट में 50 गांव भी किए जांय तो उसमें काफी समय लगता है, उसे पूरा कराने में 1 स्टाफ की कमी है, इसलिए दिक्कत आती है । पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बन्दोबस्त कराया जाय इसके लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी । जितना हमारे पास साधन है, उसके हिसाब से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जहां होना आवश्यक है, उसके बारे में सूचना दें, हम उस पर तत्काल कार्यवाही करेंगे ।

श्री मंगत राम—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनपद बरेली में गंगा किनारे के नीचे के क्षेत्र में नगरिया तालाब . . .

श्री अध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । आप कृपया बैठें ।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, आप कानून के ज्ञाता हैं । जब चकबन्दी प्रारम्भ होती है तो धारा 4 का प्रकाशन होता है और जब चकबन्दी समाप्त होती है तो धारा 52 का प्रकाशन होता है । उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से जनपद हैं और उन जनपदों में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहां चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 का प्रकाशन हुआ है और 20-20 साल हो गये, उनकी चकबन्दी हो चुकी है लेकिन धारा 52 का प्रकाशन न होने के कारण वहां पर रहने वाले काश्तकारों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता । मैं कहना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी कोई निश्चित योजना, समयबद्ध योजना बनायेंगे कि इतने समय में यह बन्दोबस्त पूरा हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । यहां बात रिकार्ड आपरेशन की हो रही है प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र के बारे में था । माननीय सदस्य ने अपनी कुछ शंका जाहिर की है, यह इस प्रश्न के बाहर की बात है ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है अलग-अलग जिलों में उसका मतलब पहाड़ी जिलों में रिकार्ड आपरेशन नहीं है । चकबन्दी प्रक्रिया का मतलब है जो कृषि योग्य भूमि है उसका कम्पेक्ट एरिया बनाने का है । रिकार्ड आपरेशन का मतलब यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में है उसको चिन्हित किया जाता है लेकिन फिर भी जो पूरे प्रदेश में चकबन्दी की आशंका जाहिर की है उसमें बताना चाहता हूं कि जब से सरकार का गठन हुआ तब से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि 6 माह के अन्दर कोई भी गांव चकबन्दी प्रक्रिया के अन्दर 5 वर्ष से ज्यादा न रहे ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

मान्यवर, यह भाषण दे रहे हैं ।

श्री दल बहादुर कोरी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर चकबन्दी के 20 वर्ष पूरे हो गये वहां पर बन्दोबस्त की प्रक्रिया को चालू करेंगे, यदि हां तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

मान्यवर, फिर चकबन्दी का प्रश्न आ गया है आज के प्रश्न का चकबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री दल बहादुर कोरी--

मान्यवर, जहां पर चकबन्दी को 22 साल पूरे हो गये हैं वहां पर बन्दोबस्त न होने के कारण समाज में टकराव हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न केवल पर्वतीय क्षेत्र के बन्दोबस्त के बारे में है इसके अतिरिक्त यदि आप किसी और के बारे में प्रश्न करना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न करें ।

श्री सुधाकर सिंह--

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद मऊ में 1974 से ग्राम दुबारी में चकबन्दी हो रही है अब तक कोई काश्तकार अपने खेतों पर दाखिल नहीं हो पाया है, क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, दल बहादुर जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो यह मऊ जनपद कब से पहाड़ में है ?

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें तो उत्तर भी सुन लेंगे ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम नक्षत्र--

[× × × *]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । पहले आप नियमावली पढ़कर आइये तब नियमावली के अनुसार खड़े होइये । आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

श्री नारायण दास--

मान्यवर, पहाड़ का मामला है मुझे एक प्रश्न पूंछ लेने दें ।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, यह कितने लोग बोल रहे हैं, सदन व्यवस्थित कराइये ।

नोट--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम नक्षत्र—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा, पहले आप नियमावली पढ़कर आइये तब नियमावली के अनुसार इसको उठाइये कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या–3, श्री छोटेलाल । (सदस्य के न खड़े होने पर) प्रश्न संख्या–5 ।

श्री दल बहादुर कोरी—

(व्यवधान के मध्य)

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिये आपका [कुछ नहीं लिखा जाएगा । आप लोग शांति बनाये रखें । आप लोग बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी—

क्या मंत्री जी जहां 20 साल हो गये हैं वहा बंदोबस्त की प्रक्रिया कब तक लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग व्यवधान पेदा कर रहे हैं, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी

तत्पश्चात् 12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है ।)

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3, संवर्ग–2 में प्रोन्नति तथा विनियमित किये जाने की मांग

*3––श्री छोटे लाल––

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3, संवर्ग–2 में नियमित रूप से प्रोन्नति तथा अपर कृषि निदेशक (प्रशा0) उ0 प्र0 के आदेशांक ए0 वी0 (1) 4317/दिनांक 16–12–89 द्वारा 30–6–77 से वर्ग–1 (विकास) में तदर्थ रूप से प्रोन्नत अनुसूचित जाति के सदस्य वर्ग–1 में विनियमित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नही, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को वर्ग–1 में विनियमित करकर उन्हें देय प्रोन्नति/प्रोन्नति वेतनमान दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)––

जी हां । कुल 18 सदस्यों में से 16 सदस्यों का विनियमितीकरण किया गया है ।

दिनांक 16–2–90, 13–3–91, 4–11–91 तथा 29–7–97

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 के विकास शाखा में कार्यरत अनुसूचित जाति के दो सदस्यों को विभागीय चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये जाने के कारण विनियमित नहीं किया गया है ।

वर्ग–1 में विनियमित 5 कर्मियों की प्रोन्नति श्रेणी–2 में की जा चुकी है । 3 कर्मी 16 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं । इस प्रकार शेष 8 कर्मियों को नियमानुसार प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही क्रमित है ।

उक्त पदों के नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी हैं और उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी द्वारा पुनः चयन समिति का गठन कर लिया गया है और पात्र उम्मीदवारों के चयनोपरान्त शीघ्र नियुक्तियां की जायेगी ।

जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही

*4––राम औतार शाक्य––

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी/कलेक्टर कार्यालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या यह सच है कि वर्ष 1996 में इन रिक्त पदों को

भरने के लिये अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे और साक्षात्कार की तिथियां भी निश्चित हो गई थीं? यदि हां, तो क्या उन रिक्तियों पर नियुक्तियां की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मैनपुरी में उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये कोई निर्देश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जिलाधिकारी कार्यालय तथा तहसील मैनपुरी, भोगांव व करहल में चतुर्थ श्रेणी के 21 पद रिक्त हैं । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत नियुक्तियों हेतु विधिवत् चयन प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण साक्षात्कार की तिथि 29 नवम्बर, 1996 स्थगित कर दी गई । उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकीं ।

उक्त पदों के नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी हैं और उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी द्वारा पुनः चयन समिति का गठन कर लिया गया है और पात्र उम्मीदवारों के चयनोपरान्त शीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी ।

शासन द्वारा गठित अरविन्द वर्मा समिति की संस्तुतियों बाबत जानकारी करने की मांग

*5--डाक्टर अम्मार रिजवी तथा श्री छोटे लाल गंगवार--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा अक्तूबर, 2003 में गठित अरविन्द बर्मा समिति की कितनी संस्तुतियां, जनवरी, 1994 में तत्कालीन राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकृत समिति ने अप्रैल, 1994 में अपनी बैठक में पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली थी ? उनमें से कितनी संस्तुतियों का क्रियान्वयन कर दिया गया है और कितनी स्वीकृत संस्तुतियों का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि लगभग 3 वर्ष के पश्चात् भी उक्त संस्तुतियों के क्रियान्वयन में विलम्ब क्यों हो रहा है ? अवशेष संस्तुतियों का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

संस्तुतियां स्वीकार की गयी थीं ।

6 संस्तुतियों का क्रियान्वयन किया जा चुका है । शेष 15 संस्तुतियां विचाराधीन हैं । सेवा नियमावलियों में आवश्यक संशोधन व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने की प्रक्रिया में समय लग रहा है ।

शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

[गुरुवार दिनांक 31 जुलाई, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[9वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में मछुवा आवास योजना का शासन द्वारा क्रियान्वयन

*2--श्री सीताराम निषाद--

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मछुआ आवास योजना लागू है ? यदि हां, तो अब तक उत्तर प्रदेश में कितने मछुवा आवास बन चुके हैं ? क्या सरकार ने मछुआ समुदाय की जनसंख्या को देखते हुए वृहद् आवास निर्माण की पंचवर्षीय योजना बनाई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)--

(श्री सुन्दर सिंह बघेल)--

जी हां ।

प्रदेश में अब तक 1391 मछुवा आवास बन चुके हैं ।

जी हां ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में दो हजार मछुवा आवास निर्मित कराया जाना प्रस्तावित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि कार्यक्रम की जानकारी

*3--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य कार्यक्रम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

जी हां ।

भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के 60 जनपदों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आधारीय बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण, बीज मिनी किट वितरण, खण्ड प्रदर्शनों के आयोजन, स्प्रिंकलर सिंचाई सेट, कृषि यंत्र वितरण, बीज शोधन, आई0 पी0 एम0 प्रदर्शन, सफेद गिडार नियंत्रण, फैरोमैन ट्रैप्स, कृषि रक्षा उपकरण, राइजोवियम कल्चर, कृषक प्रशिक्षण एवं बीज ग्राम योजना आदि मदों पर भारत सरकार की नीति एवं दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थाओं/कृषकों को अनुदान सुविधा अनुमन्य है ।

प्रदेश के नवसृजित जनपदों के लिए शासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार से मांग

*4— श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के नवसृजित जनपदों के लिए शासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त मानक क्या है ? जनपद भदोही के लिए उक्त मानक के अनुसार कौन-कौन सी सुविधाएं दी जानी शेष हैं ? क्या शेष सुविधाओं के लिए सरकार धन अवमुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

चूंकि ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*5—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

[दिनांक 17 जुलाई, 1997 को अता0 प्र0 सं0 51 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार दिलाए जाने की मांग

*6— श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या 340/एफ-1-10-2 (13)/1994, दिनांक 15 मार्च, 1995 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया था कि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार दे दिये जायें ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जिलाधिकारी उन्नाव ने लागू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त आगरा मण्डल द्वारा मथुरा वृन्दावन स्थित सरकारी भूमि के आवंटन में की गई धांधली की जांच

*7— श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र सिंह यादव पूर्व आयुक्त, आगरा मण्डल ने अपने कार्यकाल में मथुरा वृन्दावन के मध्य स्थित सैकड़ों

एकड़ कीमती सरकारी भूमि के आवंटन में हुई अनियमितताओं एवं अपात्र व्यक्तियों/संस्थाओं के आवंटन के सन्दर्भ में अपर आयुक्त (प्रशासन) श्री जायसवाल से जांच कराई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इस बहुमूल्य सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में अथवा पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने में करेगा ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

विवादित भूमि हासानन्द गोचर, भूमि ट्रस्ट मथुरा को दिनांक 6 अप्रैल, 1962 को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी । शासन की शर्तों के अनुसार भूमि प्रयोग न करने के कारण पट्टा निरस्त करते हुए दिनांक 24 सितम्बर, 1973 को भूमि वापस लेने के आदेश हुए । शासन के उक्त निर्णय के विरुद्ध ट्रस्ट ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1981 को आंशिक रूप से स्वीकार हुई । इस आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा दायर एस0 एल0 पी0 21 अगस्त, 1984 को निरस्त हुई । ट्रस्ट के विरुद्ध विवादित भूमि के सम्बन्ध में बेदखली की विधिक कार्यवाही की गई । इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है । प्रशासनिक स्तर पर बादों के निस्तारण में लगने वाले अधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए हासानन्द गोचर ट्रस्ट से समझौते की पेशकश भी की गयी जो अभी अन्तिम नहीं हो सका है । चूंकि पूर्व जांच में पूरे तथ्य नहीं आये थे, इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच पुनः कराई जा रही है ।

मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों की गरीबी को देखते हुए उन्हें खाद, बीज पानी, निःशुल्क देने की घोषणा की मांग

*8—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों की गरीबी को देखते हुए उन्हें खाद, बीज, पानी निःशुल्क देने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि निवेशों पर अनुदान दिया जा रहा है ।

जनपद मैनपुरी में मूंगफली एवं ईख की गिरती पैदावार का सर्वेक्षण कराये जाने की मांग

*9—राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में मूंगफली एवं ईख की पैदावार विगत 10 वर्षों से बराबर गिर रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि मिट्टी में से ऐसे तत्व कैद हो गये हैं जिसे इन फसलों की कीटाणु बरबाद कर देते है ? यदि हां, तो सरकार इसका कोई सर्वेक्षण करवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्तमान सरकार द्वारा कुछ नये जिलों का निर्माण एवं धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में

*10—श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा कुछ नये जिलों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जिलों के लिए आवश्यक भवन आदि एवं विकास हेतु कोई धन की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति एवं गुणवत्ता की वृद्धि हेतु शासन की नीति

*11—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न श्रेणी की पशुधन सम्पत्ति कितनी है? पशुधन की संख्या एवं गुणवत्ता के वृद्धि हेतु शासन की क्या नीति है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल--

वर्ष 1993 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या 2,56,31,297 है तथा कुल महिषवंशीय पशुओं की संख्या 2,00,85,724 है कुल भेड़ों की संख्या 24,03,919 तथा बकरियों की संख्या 1,31.09,826 है। घोड़े एवं टट्टू 2,49,117 खच्चर, 1,02,086 गर्दभ, 2,76,769 ऊंट, 34,710 सूकर, 29,04,537 तथा कुत्ते 53,53,988 थे। इस प्रकार कुल पशुधन में कुत्तों की संख्या को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल 7,01,52,054 पशुधन हैं।

पशुधन की वृद्धि एवं गुणवत्ता की वृद्धि हेतु निम्न नीति अपनायी गयी है :

गायों के नस्ल सुधार कार्यक्रम में विदेशी प्रजातियों के दुधारू नस्ल होल-स्ट्रियन, फीजियन तथा जर्सी नस्ल के सांड़ों एवं वीर्य स्ट्रा का प्रयोग शंकर प्रजनन में किया जा रहा है। नर पशुओं के वधियाकरण का कार्यक्रम व्यापक रूप से किया जा रहा है ताकि नस्ल सुधार में बाधक छुट्टा एवं अन्य पशुओं पर नियंत्रण किया जा सके। देशी नस्ल के पशुओं की सुरक्षा एवं विकास के लिए चुने हुये देशी नस्ल के सांड़ों के वीर्य का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार भैंस विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भैंसा साड़ों का प्रयोग करके भैंसों में दूध बढ़ाने का कार्यक्रम की नीति अपनायी जा रही है।

पशुओं में संक्रामक बीमारियों के बचाव तथा अन्य बीमारियों के बचाव के लिए चिकित्सा सम्बन्धी इन्फास्ट्रक्चर के विकास की नीति है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु हरे चारे एवं चारा दानों का अधिक प्रयोग के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। अन्य पशुधन के विकास के लिए प्रजनन नीति निर्धारित की गयी है तथा कई प्रकार की योजनाएं स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कृषक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने की नीति अपनाकर पशुधन की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजनाओं से कृषि के बजट पर निरन्तर कम पूंजी निवेश किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों की जानकारी की मांग

*12--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पांचवीं पांचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश बजट का 40 प्रतिशत बजट कृषि को प्रदान किया गया और यह प्रतिशत छठी योजना में घटकर 30 प्रतिशत पर पहुंचा तथा सातवीं और आठवीं योजना

में यह बजट घटते–घटते 21 प्रतिशत रह गया? यदि हां, तो कृषि पर पूंजी निवेश को निरन्तर कम करने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश की 72 प्रतिशत जनता गरीबी की ओर उन्मुख हुई? इस विषय में सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भदोही तथा पडरौना नवसृजित जिले के भवन निर्माण तथा जमीन आदि खरीदने हेतु वित्तीय स्वीकृति

*13––रंगनाथ मिश्र––

क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1994–95 में भदोही तथा पडरौना जिले के भवन निर्माण तथा जमीन आदि खरीदने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था ? क्या भदोही तथा पडरौना जिले को उक्त धन दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1994–95 के आय–व्ययक में नवसृजित जनपद पडरौना एवं भदोही के मुख्यालय पर आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माणार्थ भूमि अधिग्रहण प्रतिकर भुगतान हेतु 2.00 करोड़ रुपये तथा आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 3.00 करोड़ रुपये कुल 5.00 करोड़ रुपये का प्राविधान था किन्तु भूमि अर्जन तथा भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न होनें के कारण धनराशि का सदुपयोग उस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका ।

वित्तीय वर्ष 1996–97 में जिलों के संचालन हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी की मांग

14––श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा) तथा श्री विवेक कुमार सिंह––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में बने जिलों संचालन हेतु कितना–कितना धन आवंटित किया गया ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतरांकित प्रश्न

नवसृजित जनपद पडरौना में भवनों के निर्माण पूर्ण कराए जाने की जानकारी की मांग

1—श्री राधेश्याम सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद पडरौना के भवनों के निर्माण के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? अब तक कितने भवनों का निर्माण उक्त जिले के लिये कराया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त जिले को व्यवस्थित करने के लिये कब तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थ नगर में नौनढ़ तहसील के राजस्व ग्राम देउरा जंगल की चकबन्दी कराने की मांग

2—श्री घनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में नौनढ़ तहसील के राजस्व ग्राम देउरा जंगल की चकबन्दी कराने हेतु प्रश्नकर्ता के सुझाव पर बन्दोबस्त अधिकारी सिद्धार्थनगर ने दिनांक 7 जून, 1996 के द्वारा चकबन्दी आयुक्त को अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रेषित किया है ? यदि हां, तो देउरा जंगल की चकबन्दी कराने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करके कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां,

प्रश्नगत ग्राम की जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रकाशन करने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है । गजट में प्रकाशन होने के उपरान्त ग्राम में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जनपद लखनऊ के वार्ड बरौरा हुसैनबाड़ी के कतिपय अनुसूचित जाति की कृषि भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन

3—श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री महेन्द्र कुमार (बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि कालीचरण, हेमनाथ, राजाराम, बेचालाल, निवासी बरौरा हुसैनबाड़ी वार्ड बरौरा, हूसैनबाड़ी तहसील व जिला

लखनऊ अशिक्षित एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जिनकी कृषि भूमि श्री शेख अब्दुल्ला, सचिव, गुलस्ता सहकारी आवास समिति लि0, लखनऊ ने खरीद कर दिनांक 6-8-93, 31-7-91 को बैनामें करा लिए हैं और बैनामों में विक्रेता अनुसूचित जाति का होना छिपाया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

3—श्री अशोक यादव—

जी हां।

जी हां।

इस सम्बन्ध में पूर्व की जांचोपरान्त जेड, ए0 एल0 आर0 ऐक्ट की धारा 166, 167 के अन्तर्गत विक्रीत भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने हेतु वाद संख्या 169, सरकार बनाम हेमनाथ व वाद संख्या संख्या 184, सरकार बनाम कालीचरन न्यायालय परगनाधिकारी सदर, लखनऊ में विचाराधीन है।

4—श्री जय प्रकाश निषाद—

[तीसरे मंगल में अता0 प्र0 सं0 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वालय, कुमारगंज की भूमि पर सड़क निर्माण पर रोक

5—श्री मो0 मुकीम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज की भूमि सं0 187, 188, 265 व 270 स्थित ग्राम जिगाही पूरावली में लोक निर्माण विभाग फैजाबाद द्वारा अनाधिकृत रूप से सड़क का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

अनधिकृत रूप से कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रोकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपजिलाधिकारी, फैजाबाद से पत्र दिनांक 23-12-95 एवं 1-1-96 द्वारा अनुरोध किया गया तथा उसकी प्रतियां क्षेत्राधिकारी (पुलिस) मिल्कीपुर, खण्ड विकास अधिकारी, अमानीगंज एवं थानाध्यक्ष, खण्डासा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण रोक दिया गया है तथा उक्त भूमि अभी भी विश्वविद्यालय के कब्जे में है।

6—श्री हरपाल सिंह—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

फैजाबाद मण्डल में राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण

7--श्री राम नक्षत्र--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु फैजाबाद मण्डल को संग्रह अमीन कोटे की सूची राजस्व परिषद् को प्राप्त हो गई है । यदि हां, तो प्रशिक्षण कब तक प्रारम्भ किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा नियमावली, 1977 में संग्रह अमीनों से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का कोई प्राविधान नहीं है । इस हेतु सेवा नियमावली में संशोधन विचाराधीन है । सेवा नियमावली में संशोधन के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8--श्री राम नक्षत्र--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फतेहपुर में बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चल रही चकबन्दी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल--

9 क्या राजस्व मंत्री कृपा जानकारी है कि जनपद फतेहपुर में बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चकबन्दी का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उन गांवों के नाम क्या हैं ? क्या उन गांवों के चकदारों को चकों का कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी में ग्राम ककोरा, चक नौरोज अली, बिन्दौर रिठया, डाडा, अमौली, नरैचा, मड़रांव, मंसूरपुर, रेबरी, जफराबाद, डीघ अमवपुर, गगचोली बुजुर्ग, बहरौली, महरहा, शादीपुर, डिघरूवा, देवरी बुजुर्ग, कोठा बखरिया, गोहरारी, गोरादरियापुर छेदिया, नौनारा, वबई बुढ़या, मउदेव, मेढ़ापाटी असौली कुल 28 ग्राम वर्तमान समय में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है ।

उक्त ग्रामों में से 14 ग्रामों में कृषकों को नये चकों पर कब्जा दिला दिया गया है । अवशेष ग्रामों में दलबन्दी होने, कृषकों द्वारा सहयोग न करने, मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने तथा ग्रामों में वादों के होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत को जनपद घोषित करने के सम्बन्ध में परीक्षण

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

10--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत को जनपद घोषित किये जाने की मांग पर सरकार विचार कर रही है ?यदि हां, तो उक्त तहसील को कब तक जनपद घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव, अन्यत्र, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को संदर्भित किये गये हैं । विशेषज्ञ समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन स्तर पर परीक्षण कर निर्णय लिया जा सकेगा ।

11--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

[चौथे बुध में अता प्र0 सं0 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम पैरल में पूर्व प्रधान द्वारा फर्जी भू-अभिलेख किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

12 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम पैरल में क्या पूर्व प्रधान ने गैर कानूनी तौर पर फर्जी रजिस्टर भू-अभिलेख तैयार कर सैकड़ों एकड़ ग्राम समाज की भूमि को लाखों रुपया प्राप्त कर अपात्र व्यक्ति और ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर के लोगों को आवंटन कर के ग्राम भू-सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाई है ? यदि हां, तो निर्वाचित प्रधान की आपत्ति पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) फिरोजाबाद के आदेश 4-12-96 में निर्दिष्ट बिन्दुओं पर पूर्व प्रधान व अन्य पर अपराधिक मुकदमा क्यों नहीं कायम कराया गया ? क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम विजयपुर नगला भावसिंह के आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु कथित रूप से फर्जी आलेख तैयार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

13—क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद की तहसील सदर, फिरोजाबाद के ग्राम विजयपुर नगला भाव सिंह के खसरा नं0 236-237 तथा खसरा नं0 110-111 मौजा दौरैली की खोरी की तीन फसली भूमि पर क्या आवासीय कालोनी के निर्माण की अनुमति नियमों के अन्तर्गत दी गई ? यदि हा, तो क्या यह सच है कि भूमि की नौइयत परिवर्तन पत्रावली फर्जी एवं गलत ह ? यदि हां, तो ऐसे फर्जी आलेख तैयार करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? जिन अधिकारियों ने आवास कालोनी के आदेश इस फर्जी अभिलेख पर दिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भगौती सिंह द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को कथित प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री तेजभान सिंह—

14—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रेषित दिनांक 19 अप्रैल, 1996 रजि0 पत्र भगौती सिंह पुत्र शिव नारायण सिंह, समद खां, राम नरेश आदि ग्राम-मूरे औसान सिंह लालपुर परगना-जामों, सुल्तान-पुर का पत्र जो गाटा संख्या-139/क, (दस विस्वा) 170/क दस (बिस्वा २ विस्वांसी) तथा 133 (एक बीघा एक विस्वा) पर होली माता का मन्दिर आदि देव स्थान पर भूदान का पट्टा तदनुसार दाखिल खारिज वर्ग विशेष को दिये जाने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव—

जी नही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

15—श्री राम विशुन आजाद—

[चौथे सोम में अता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरि

जनपद फैजाबाद के श्री मुलई पुत्र राम आसरे, निवासी जिखड़ी की निजी खाते की भूमि को वन विभाग को कथित आवंटन

16— श्री मित्रसेन यादव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूमि गाटा संख्या–284 रकबा दो बीघा एक विस्वा पांच धूर स्थित ग्राम सेमरा मुहाकि के जिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित या जिसे वर्तमान में किसी निजी खाते में अंकित करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या निजी खाते में दर्ज करायी गई सार्वजनिक भूमि को बचाने के सम्बन्ध में सरकार कोई कारगर कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

(क) जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भूमि श्री मुलई उर्फ [illegible] पुत्र राम आसरे व श्री रामनेवाज पुत्र गरीब, निवासी जिखड़ी के निजी खाते की भूमि है। इस भूमि को वन विभाग को कभी आवंटित नहीं किया गया था और न हो इसे किसी व्यक्ति के निजी खाते में अंकित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

17—श्री मित्रसेन यादव—

[चौथे सोम0 में अता0 प्र0 सं0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विभाग द्वारा बनाये गये कृषि गोदाम को जनहित में चालू कराने की मांग

18— श्री दलवीर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विभाग द्वारा बनाये गये कृषि गोदाम समाप्त कर दिये गये हैं ? क्या सरकार उन्हें पुनः जनहित में चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

प्रदेश के पर्वतीय और बुन्देलखंड क्षेत्र में स्थित बीज गोदामों तथा अन्य जनपदों में विकास खंड स्तर और जनपद स्तर पर स्थित बीज भण्डारों को छोड़ कर अन्य गोदाम बन्द कर दिए गये हैं।

जी नहीं।

अन्य विभागों द्वारा कृषि निवेश की बिक्री/वितरण का कार्य किया जा रहा है। अतः बन्द कृषि गोदामों को चालू करने का औचित्य नहीं रह गया है।

जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव मैनपुरी एवं करहल में सीजनल अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्तियां

19—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बताएंगे कि तहसीलों में राजस्व वसूली हेतु लगाये गये सीजनल अमीनों एवं चपरासियों की नियुक्ति की नीति एवं प्रक्रिया क्या है ? जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव, मैनपुरी एवं करहल में किन लोगों की वर्ष 1996 तथा 1997 में नियुक्तियां की गयी ? क्या यह सच है कि इन नियुक्तियों में जनपद के बाहरी लोगों की नियुक्तियां की गई ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही—

संग्रह मैनुअल के प्रस्तर-19 की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक फसल में मुख्य व विविध देयों का मांग का सापेक्ष सीजनल अमीन, सीजनल संग्रह चपरासियों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव परगनाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा मंडलायुक्त को भेजा जाता है और मण्डलायुक्त की स्वीकृति के उपरान्त नियुक्तियां उप जिलाधिकारियों के द्वारा की जाती है । जिन वरिष्ठ, योग्य तथा अनुभवी अमीनों की वसूली पूर्व फसल में मानक के अनुसार संतोषजनक पायी जाती है उनको मण्डलायुक्त से स्वीकृति प्राप्त होने पर पुनः नियुक्त किया जाता है परन्तु वसूली असंतोषजनक होने पर उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है ।

वर्ष 1996 में तहसील मैनपुरी में 30 सीजनल अमीन व 30 संग्रह चपरासी व तहसील भोगांव में 33 सीजनल संग्रह अमीन व 33 सीजनल संग्रह चपरासी तथा तहसील करहल में 24 सीजनल संग्रह अमीन एवं 24 सीजनल संग्रह चपरासी की नियुक्तियां की गई । वर्ष 1997 में तहसील मैनपुरी में 40 सीजनल संग्रह अमीन एवं 40 सीजनल संग्रह चपरासी, तहसील भोगांव में 35 सीजनल संग्रह अमीन व 35 सीजनल संग्रह चपरासी तथा तहसील करहल में 15 सीजनल संग्रह अमीन व 15 सीजनल संग्रह चपरासी की नियुक्तियां की गई । (उक्त सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे किसी भी कार्य-दिवस में देखा जा सकता है ।)

जी हां । तहसील भोगांव में अस्थायी रूप से जनपद में निवास कर रहे अन्य जनपद के मूल निवासी दो व्यक्ति सीजनल संग्रह अमीन पद पर तथा एक व्यक्ति सीजनल संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किये गये हैं । उक्त सीजनल

संग्रह अमीनों व चपरासी को मानक के अनुरूप वसूली मे सक्षम पाए जाने के कारण नियुक्त किया गया है ।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम मुकेरीपुर की बंजर भूमि खा0 सं0 78 (ख) पूर्वी भाग 2/2 का मामला न्यायालय के विचाराधीन

20—श्री विश्वनाथ तथा श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके द्वारा शा0 देश सं0—वी0 आई0 पी0'875,रा0 मन्त्री/97, दिनांक 2 जून, 1997 द्वारा ग्राम मुकेरीपुर की बंजर भूमि खा0 सं0—78 (ख) पूर्वी भाग 2/2 को पूर्ववत् यथा—स्थान व यथादिशा में बने रहने के लिए उप जिलाधिकारी, अकबरपुर के अवैधानिक आदेश दिनांक 6 मई, 1994 को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

(क) श्री राम सिंगार तिवारी, सदस्य ग्राम सभा मुकेरीपुर के प्रार्थना—पत्र दिनांक 25 मई, 1991 के साथ संलग्न श्री राम ललित चौधरी, विधायक का पत्र, जो मा0 राजस्व मन्त्री को सम्बोधित है, मा0 राजस्व मन्त्री के पृष्ठांकन दिनांक 2 जून, 1997 के साथ प्राप्त हुआ है, जिसमें उप जिलाधिकारी, अकबरपुर के आदेश दिनांक 6 मई, 1994 के सन्दर्भ में शीघ्र कार्यवाही कर अवगत कराने की अपेक्षा की गई है ।

(ख) प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में परगनाधिकारी, अकबरपुर के न्यायालय में हौसिला प्रसाद बनाम गांव सभा अन्तर्गत धारा 176 ज0 उ0 स0 बावत भूमि संख्या 78 (क) बाद संख्या 37/41 वर्ष 1993 से विचाराधीन है, यह उक्त गांव की भूमि गाटा संख्या 78 (क), 78 (ख) के बंटवारे का मामला है, जिसमें परगनाधिकारी द्वारा 6 मई, 1994 में बंटवारे की डिग्री पारित की गई थी । उक्त डिग्री को परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 1997 का अन्तरिम आदेश पारित करते हुए दिनांक 6 मई, 1994 को आदेश का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है । वर्तमान में वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री दयाशंकर पाण्डेय, चकबन्दी लेखपाल की सेवामुक्ति के कारणों की जानकारी

21—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री दया शंकर पाण्डेय, चकबन्दी लेखपाल आत्मज श्री छोटे लाल पाण्डेय, जनपद बलिया को मा0 उच्च

न्यायालय के आदेशानुसार सेवामुक्ति के पश्चात् 12-10-93 को कार्यभार देने के पश्चात् पुनः 31-3-94 को बिना किसी सूचना के कार्य से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मा0 उच्च न्यायालय ने प्रकरण के निस्तारण तक श्री पाण्डेय को न हटाने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही--

प्राप्त सूचनानुसार मा0 उच्च न्यायालय के सशर्त अंतरिम आदेश दिनांक 19-5-93 के अनुसार श्री [दवाशंकर पाण्डेय की नियुक्ति अल्पकालिक व्यवस्था में अस्थायी रूप में चकबन्दी लेखपाल के पद पर बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बलिया के आदेश दिनांक 12-10-93 के अन्तर्गत [दिनांक 31-12-93 तथा आदेश दिनांक 3-1-94 के अन्तर्गत 31-3-94 तक की अवधि हेतु की गई। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर दिनांक 31-3-94 को नियुक्ति स्वतः समाप्त हो गई। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रकरण के निस्तारण तक श्री पाण्डेय को न हटाने के आदेश नहीं हैं। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है।

निदेशक पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच कार्यवाही

22--श्री रंग बहादुर पटेल--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में नियुक्त सलाहकार द्वारा दिनांक 1-11-96 को सचिव, पशुधन को जांच कराने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच अधिकारी की नियुक्ति कर जांच करा रही है ? यदि नहीं, तों क्यों ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी जांच प्रचलित है।

जिला मथुरा के ग्राम शकराया में परिवदादेशों के अन्तर्गत हो रहे बन्दोबस्त

23—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला मथुरा के ग्राम शकराया खादर तहसील मथुरा सदर में गत वर्ष से बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में बन्दोबस्त की प्रक्रिया को पूरा करने में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सीमाबन्दी में हेरा-फेरी और अच्छी भूमि को बड़े काश्तकारों को अनियमित रूप से प्रदान करने के सन्दर्भ में तथा किसानों के रकबों में तब्दीली किये जाने के विरुद्ध उन्हें मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1997 में ग्रामीणों के शिकायती-पत्र मिले हैं । यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अशोक यादव—

सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के बन्द किये जाने की विज्ञप्ति जारी किये जाने की अन्तिम प्रक्रिया को छोड़कर भू-सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें दिसम्बर 1996 में पूर्ण हो चुकी हैं । सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं में परिवदादेशों के अन्तर्गत ही कार्य किया गया है । सीमाबन्दी में कोई हेरा-फेरी नहीं हुई है और न किसी बड़े कृषक को अच्छी भूमि का हस्तान्तरण ही किया गया है । जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निराकरण किया जा चुका है ।

जनपद मैनपुरी में आने वाले सभी ब्लाकों में मण्डी समिति, बेवर मैनपुरी एवं घिरोर द्वारा लगाये गये इण्डियन मार्का-2 हैण्ड पम्प

24—श्री राम जीतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में आने वाले सभी ब्लाकों में मण्डी समिति बेवर, मैनपुरी एवं घिरोर द्वारा कितने-कितने इण्डिया मार्का-2, हैण्ड पम्प वर्ष 1994, 1995, 1996 एवं 1997 में अब तक लगवाये गये एवं कितने स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाना शेष है ? क्या सरकार क्रमानुसार हैण्ड पम्प लगवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

वर्ष 1994, 1995, 1996 एवं 1997 में अब तक सभी ब्लाकों म मण्डी समिति, बेवर द्वारा क्रमशः 15 नग, 29 नग, 21 नग एवं शून्य नग

(कुल 65 नग) मण्डी समिति, मैनपुरी द्वारा 124 नग, 138 नग, 111 नग एवं 29 नग (कुल 402 नग) तथा मण्डी समिति, घिरोर द्वारा 55 नग, 23 नग, 6 नग एवं शून्य नग (कुल 84 नग) इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये गये।

मण्डी समिति, बेवर, मैनपुरी एवं घिरोर द्वारा क्रमशः 30 नग, 128 नग, एवं 10 नग स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाना शेष हैं।

सम्बन्धित मण्डी समितियों की वित्तीय स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर के ग्राम पुवायां में सन् 1990 से 97 के बीच कृषि पट्टे में हुई कथित अनियमितता के सम्बन्ध में जानकारी

25–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर के ग्राम पुवायां में सन् 1990 से 1997 के बीच कृषि पट्टे हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे पट्टे धारकों के पास पिता पुत्र सहित कितनी–कितनी भूमि पहले से उपलब्ध थी क्या यह सत्य है कि उक्त पट्टा धारकों से कम भूमि वाले अनूसूचित वर्ग के लोग भी मौजूद थे जिन्हें पट्टा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उन्हें उक्त भूमि आवंटन की पात्रता सूची में न लाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार मात्र 10 ऐसे पट्टेदार हैं* जिनका विवरण संलग्न है।

जी हां। केवल श्री अहोरे पुत्र गोबई के थे जिन्हें पट्टा नहीं दिया गया।

श्री अहोरे के पुत्र गोबई ने पट्टा अपने नाम से न लेकर अपने बहू और सगे भाई को पट्टा देने की बात भूमि प्रबन्धक समिति के समक्ष की थी। बहू व भाई के नाम पट्टे हुए हैं। सभी संयुक्त परिवार के हैं।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ·····पर)

जनपद इटावा के भरथना तहसील में तैनात छोटेलाल लेखपाल के विरुद्ध शिकायत की जांच

26—श्रीमती उर्मिला देवी यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के भरथना तहसील में तैनात छोटे लाल लेखपाल की भ्रष्टाचार की शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने इटावा के जिलाधिकारी से लिखित रूप से फरवरी, 1997 में की थी ? यदि हां, तो उक्त लेखपाल के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां :

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत शिकायत जांच करायी गयी । तहसीलदार भरथना की जांच में लेखपाल श्री छोटे लाल के विरुद्ध की गयी शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी । तथापि लेखपाल का स्थानान्तरण उस क्षेत्र से कर दिया गया है ।

उक्त लेखपाल के विरुद्ध किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

सैफई जनपद इटावा में निर्माणाधीन स्टेडियम एवं तरणताल को पूर्ण कराये जाने की मांग

27—श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैफई, जनपद इटावा में निर्माणाधीन स्टेडियम एवं तरणताल की सुविधाओं का विस्तार कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु स्वीकृत की गई धनराशि को अवमुक्त कराकर कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

संस्कृति एवं खेलकूद मन्त्री श्री मारकण्डे चन्द—

जी हां ।

सैफई जनपद इटावा में निर्माणाधीन स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । तरणताल निर्माण कार्य माह मार्च, 1998 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

कृषि निदेशक के पत्र द्वारा शासन को लेखा सेवा नियमावली में संशोधन हेतु प्रस्ताव

28--श्री राम बिशुन आजाद--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक के पत्र सं0-मु0 प्र0-5447/बी/दस-अ-(12), दिनांक 7-12-91 द्वारा क्या शासन को लेखा सेवा नियमावली, 1982 में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान बलीपुर खुदेवा द्वारा अवैध कब्जा हटाने की मांग

29--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान बलीपुर खुदेवा तह0-गौरीगंज, जिला-सुल्तानपुर का उप जिलाधिकारी, गौरीगंज को दिया गया दिनांक 4-5-97 तथा 7-6-97 का प्रार्थना पत्र जिसमें गाटा संख्या 82 सुरक्षित भूमि पर कब्जा करने की शिकायत है और जिस पर उप जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष गौरीगंज को अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम पोछवा ब्रह्मस्थान के मुकदमें बेचन बनाम सरजू में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा कार्यवाही

30--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम पोछवा ब्रम्हस्थान के मुकदमें बेचन बनाम सरजू में बन्दोबस्त अधिकारी के माह जुलाई, 1996 के फैसले के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही न करने के

लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार अभिलेखों में दिनांक 3–8–96 को अमल दरामद कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अग्नि कांड में नष्ट जिला पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

31—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"

क्या पंचायती राज विकास मंत्री कों जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में जनवरी माह 1997 में भीषण अग्निकांड से जिला पंचायत भवन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है ? यदि हां, तों कब तक सरकार जिला पंचायत भवन का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जी हां ।

जिला पंचायत भवन का निर्माण जिला पंचायत द्वारा ही कराया जाता है । इस हेतु रु0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है इस सम्बन्ध में जिला पंचायत पौड़ी से पूर्ण प्रस्ताव मांगा जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड में कृषकों हेतु उन्नतशील बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की समुचित व्यवस्था

32—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पहाड़ में कृषकों हेतु उन्नतशील बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की समुचित व्यवस्था की गई हैं ? यदि हां, तो पहाड़ में ग्रामीण कृषकों को कितने प्रतिशत छूट पर यह सुविधा उपलब्ध है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां ।

उत्तराखण्ड के 16 जनजाति विकास खंडों में अधिक उपजदाई प्रजाति के बीजों पर 50 प्रतिशत राज सहायता अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त निम्नवत् रसायनों पर भी अनुदान देय है—

1—कुरमुला कीट नियंत्रण हेतु रसायन	कीमत का 75 प्रतिशत
2—अन्य कृषि रक्षा रसायनों पर	कीमत का 50 प्रतिशत

मदोही जनपद के मुख्यालय बनाने के लिए कोई स्थान कलेक्ट्रेट तथा विकास भवन निर्माण की जानकारी

33—श्री रंगनाथ मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदोही जनपद के मुख्यालय के लिए कोई स्थान तय हुआ है यदि हां, तो कौन सा ? कलेक्ट्रेट तथा विकास भवन बनाने के लिए क्या जमीन अधिग्रहीत हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हुई है, तो किस ग्राम में तथा किस गाटा संख्या में ? भवन निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ? किस विभाग की बिल्डिग किस ग्राम में किस गाटा संख्या में बनेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां।

जनपद मदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर निर्धारित किया गया है, इस नवसृजित जनपद मदोही की स्थापना व मुख्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम–ददरहा, परगना–मदोही की 7.541 हे0, ग्राम–भिदिउरा, परगना–मदोही की 11.337 हे0, ग्राम–वेदपुर, परगना–मदोही की 10.095 हे0, ग्राम–कंसापुर, परगना–मदोही की 40.814 हे0 सहित कुल 69.787 हे0 भूमि प्रस्तावित की गई है।

जी नहीं।

जनपद मदोही के मुख्यालय निर्माण हेतु 69.787 हे0 भूमि के अर्जन के प्रस्ताव पर भूमि उपयोग परिषद् की सहमति मांगी गई है। प्राप्त सूचनानुसार विकास भवन हेतु ग्राम–भिदिउरा में ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 27 क्षेत्रफल 8 बीघा, गाटा संख्या 29–अ क्षेत्रफल 17 बीघा एक बिस्वां कुल 25 बीघा एक बिस्वां ग्राम सभा की भूमि अधिग्रहीत करके निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। प्लिन्थ स्तर तक कार्य पूरा हो चुका है। सड़क तथा चहारदीवारी बन चुकी है। विकास भवन के निर्माण कार्य हेतु अब तक रु0 20.08 लाख अवमुक्त की गई है।

भूमि अर्जन की कार्यवाही पूरी होने पर मुख्यालय के अवशेष भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में गाटा संख्या आदि निर्धारित हो सकेगी ।

जनपद आगरा में दैवी आपदा के राहत कोष मे हुई कथित अनियमितता

34—श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि दैवी आपदा के राहत कोष में आगरा में अनियमिततायें बरती गई हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 1996–97 का जमा दैवी आपदा राहत कोष किसी अन्य मद में चूना पुताई का कार्य दिखाकर 9 लाख 50 हजार खर्च किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिए दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद आगरा में दैवी आपदा राहत कोष में किसी प्रकार की अनियमितायें नहीं बरती गई । वर्ष 1996–97 का जमा दैवी आपदा राहत कोष से किसी अन्य मद में चूना पुताई का कार्य दिखाकर रु0 9 लाख 50 हजार की धनराशि खर्च किए जाने की बात सही नहीं है । शासन द्वारा राजस्व परिषद् को क्षतिग्रस्त जनपदीय राजस्व भवनों के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु वर्ष 1995–96 में अलग से धनराशि भी आवंटित की गई थी, जिसमें से राजस्व परिषद् द्वारा जनपद आगरा को रु0 9 लाख 25 हजार की धनराशि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त राजस्व भवनों के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु आवंटित की गई थी । इस उपयोग जनपद, आगरा के कलेक्ट्रेट व तहसीलों मे राजस्व भवनों के मरम्मत/पुनर्निर्माण पर खर्च किया गया । नियमित व्यय किए जाने के कारण किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर में रसीद पुत्र चम्पी निवासी नपला की डूबने से हुई मृत्यु पर जिलाधिकारी से आर्थिक सहायता की मांग

35—श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में 24–25 जून, 1996 को तहसील एत्मादपुर में एक बालक रसीद पुत्र चम्पी निवासी नगला देवजीत की जमुनाब्रिज में पानी के अधिक बहाव से मृत्यु हुई थी ? क्या उसकी सूचना जिलाधिकारी उप ,जिलाधिकारी एत्मादपुर को दी गयी थी ? यदि हो तो क्या

दैवी आपदा राहत कोष से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के नगला देवजीत में दिनांक 25 जून, 1996 को श्री रसोद पुत्र चम्पी की मृत्यु बरसाती मौसम के मखमली लाल रंग के छोटे कीड़े पकड़ने के प्रयास में आबादी के पीछे श्री महराज सिंह के खेत में बने पानी के गड्ढे में गिर जाने से हो गयी । तुरन्त घटना की सूचना जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एत्मादपुर को दी गयी । प्रश्नगत घटना दैवी आपदा की श्रेणी में न आने के कारण मृतक के परिवार को दैवी आपदा राहत कोष से नियमानुसार कोई राहत सहायता प्रदान नहीं की गयी, अतएव किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां की ग्राम पंचायत द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की मांग

36—श्री भारत सिंह रावत—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद के ग्राम अजबपुर कलां की ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 1997 को जिलाधिकारी, देहरादून को दिया है ? यदि हां, तो शिकायत पर बिन्दुवार कार्यवाही कब-कब कराई गई और कौन-कौन दोषी पाये गये ? दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

[सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कला मे निर्वाचित प्रधान को अभिलेख चार्ज दिये जाने की मांग

37—श्री भारत सिंह रावत—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कला में निर्वाचित प्रधान को उक्त ग्राम से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो 6 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं और अभिलेख कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

नव निर्वाचित प्रधान को आंशिक पुराने अभिलेखों के साथ चार्ज हस्तान्तिरण, दिनांक 11-1-1997 को कराया गया है ।

पूर्व प्रधान द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति के अभिलेखों को न दिये जाने के कारण उसके विरुद्ध तहसीलदार, देहरादून द्वारा थाना डालनवाला में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 158/97 अन्तर्गत धारा 409/406 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज करा दी गयी है । गुमशुदा "अभिलेखों के स्थान पर पुनः नये" अभिलेख बनाकर नव निर्वाचित प्रधान को देने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला मैनपुरी मे गांव सभा नौनेर में ऊसर सुधार योजना में वांछित लक्ष्य की पूर्ति

38—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गांव सभा नौनेर, परगना व तहसील व जिला मैनपुरी में अब तक ऊसर सुधार योजना में कितना और किस मद में धन खर्च हो चुका है ? क्या यह सच है कि उक्त योजना, में वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

वर्ष 1984-85 में जनपद मैनपुरी के उप जल समेट क्षेत्र, नौनेर की परियोजना स्वीकृत हुई थी, परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सभा, नौनेर के साथ-साथ ग्राम सभा, रतिमानपुर एवं ग्राम सभा, मोहम्मदपुर घिरौर क्षेत्र में कराये गये कार्यों में मदवार व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है—

मद का नाम	व्यय (लाख रु0 में)
(क) प्रक्षेत्र विकास कार्य जैसे मेड़बंदी, सिंचाई एवं जल निकास, नाली व चक-रोड का निर्माण	23.57
(ख) मृदा सुधारक के रूप में 2400 मै0 टन पाइ-राइट का वितरण	13.65
(ग) सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूपों का निर्माण	27.00
योग ..	64.22

जी नहीं । नौनेर ग्राम सभा के लक्ष्य पूर्ण किये जा चुके हैं । प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वर्ष 1995–96 में जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क के सम्बन्ध में कथित शिकायती–पत्र

39––चौ0 रवीन्द्र प्रताप––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995–96 में जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़क में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती–पत्र दिनांक, 21–12–96 प्रश्नकर्ता का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संदर्भित पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये कार्यवाही कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ मण्डी के अन्तर्गत कराए गए कार्य के सम्बन्ध में कथित पत्र कार्यवाही की जानकारी

40––श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ मण्डी के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21–12–96 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि संदर्भगत पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए कार्यवाही कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

41--श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ मण्डी के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग डढ़वल से परसोहिया के निर्माण में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित श्रीमती ऊषा देवी प्रधान ग्राम रकोंटा के पत्र पर जांच कार्यवाही

42--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित श्रीमती ऊषा देवी, प्रधान ग्राम रकोटा, तहसील सदर का दिनांक 18-6-97 का प्रार्थना-पत्र जिस पर गाटा स0 306 सुरक्षित भूमि पर विद्यालय के नाम पर अवैध कब्जा परगनाधिकारी, फैजाबाद द्वारा कराने की शिकायत है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच किस अधिकारी ने की है तथा क्या इस अवैध कब्जे को हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर, फैजाबाद से कराई गई है । गाटा संख्या 306 पर कोई अवैध कब्जा नहीं है और इस पर कोई विद्यालय निर्मित नहीं है । इस भूमि पर श्री खदेरू पुत्र भवानी फेर का नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरदोई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधूरी सड़कों के निर्माण कार्य को पुर्ण कराने की मांग

44--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि राज्य कृषि मण्डी परिषद ने हरदोई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घोसार सथरा फरीदपुर, गंगापुर, जूरासर्रा, अस्थोली

आदि सडकों का निर्माण कराया है ? क्या यह सत्य है कि यह सड़कें अधूरी छोड़ दी गई हैं ? यदि हां तो इनको कब तक पूरा निर्मित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां ।

जी नहीं । कार्य प्रगति पर है ।

मैक्स फाल्ट उपलब्ध होने की दशा में निर्माण कार्य मार्च, 1998 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माधोगंज, मल्लावां तथा बिलग्राम के विभिन्न ग्रामों मे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही

45—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माधोगंज, मल्लावां तथा बिलग्राम के विभिन्न ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने हेतु शासन के पत्र सं० एम-3/58-8/हरदोई/96, दिनांक 23-12-1996 में निहित निदेशों के अनुक्रम सचिव, पशुधन विभाग ने कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल—

माधोगंज, मल्लावां तथा बिलग्राम के विभिन्न ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है :

1—मल्लावां	1—मल्लावां—अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली प्रारम्भ की गयी ।
	2—तेंदुला—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना (96-97)
	3—ईश्वरपुर सांई (न्याय पंचायत)—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।
	4—बांसा—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।
2—माधोगंज	1—माधोगंज—अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली में परिवर्तित ।
	2—पडरा लखतपुर (न्याय पंचायत)—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।

3—करसठ बुजुर्ग—अम्बेडकर विशेष रोजगार (न्याय पंचायत) योजना से आच्छादित ।

4—ऊंचगांव अम्बेडकर विशेष रोजगार (न्याय पंचायत) योजना से आच्छादित ।

5—राघोपुर अम्बेडकर विशेष रोजगार (न्याय पंचायत) योजना से आच्छादित ।

6—लखनपुर अम्बेडकर विशेष रोजगार (न्याय पंचायत) योजना से आच्छादित ।

3—बिलग्राम 1—बिलग्राम—अतिहिमीकृत वीर्य प्रणाली में परिवर्तित ।

2—मंगेतापुर—अम्बेडकर विशेष रोजगार (न्याय पंचायत) योजना से आच्छादित ।

3—दुर्गागंज—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।

4—चचरामऊ—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।

5—जलालपुर—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।

6—मुगैतापुर—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना से आच्छादित ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी के अन्तर्गत ग्राम सभा पटिहन में मा0 न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में हजारों एकड़ सीलिंग की भूमि, भूमिहीनों को पट्टा दिये जाने एवं कब्जा दिलाये जाने की मांग

46—श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पटिहन, तहसील निघासन-खीरी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय से आदेश के परिपेक्ष्य में हजारों एकड़ सीलिंग भूमि का भूमिहीनों को पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ऐसी भूमि को प्रधान द्वारा भू-माफियाओं के पक्ष में कब्जों की पुष्टि के आधार पर सीलिंग से अवमुक्त करा दिया गया है ? यदि हां, तो

इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त फर्जी खातेदार को निरस्त करने तथा भूमिहीन पट्टेदारों को सीलिंग की भूमि देने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जी नहीं । संबंधित खातेदारों ने सक्षम न्यायालयों में वाद व अपीलें प्रस्तुत करके विधि प्रक्रिया द्वारा 481.83 एकड़ भूमि को सीलिंग से अवमुक्त कराया है ।

यदि कोई खातेदार फर्जी पाया गया तो उसके खाते से भूमि खारिज करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं ऐसी भूमि को भविष्य में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटित कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा के बबेरू कस्बे में मुन्सिफ न्यायालय खोलने एवं आवासीय भवन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

47—श्री शिव शंकर —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बबेरू कस्बें में मुंसिफ न्यायालय खोलने एवं इस हेतु आवासीय भवन उपलब्ध कराने की कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बांदा के पत्रांक 873 (3), दिनांक 2 मई, 1997 एवं पत्रांक 908 (4), 2 जून, 1997 जो आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद अनुभाग–12 को संबोधित है, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार जिलाधिकारी, बांदा का प्रश्नगत पत्र राजस्व परिषद् कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । तथा पत्रांक 908 (4), दिनांक 2 जून, 1997 पर जिलाधिकारी बांदा से सूचनायें/प्रस्ताव प्राप्त किए जाने हेतु जिलाधिकारी, बांदा को निर्देश भेजे गये हैं ।

ग्राम सभा जहदा टोला सेखुई, तहसील जनपद महराजगंज जो ग्राम समाज की भूमि को अनुसूचित परिवारों को आबंटन कराने की मांग

48—श्री दीप लाल भारतीय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा जहदा टोला सेखुई, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज जो ग्राम सभा की भूमि आ0 न0

96.5 एकड़ 4 डिसमिल पर श्रेणी 3 बापू शताब्दी स्कूल दर्ज है तथा जो स्कूल से 3 किमी0 दूरी पर है को अनधिकृत रूप से शर्मा पुत्र मुन्नर जोतकर अवैध लाभ लेते चले आ रहे हैं ? क्या स्कूल का नाम समाप्त करने के लिए ग्राम समाज ने उपजिलाधिकारी के यहां दिनांक 12 अप्रैल, 1995 को दावा दाखिल किया था ? क्या वाद विचाराधीन के होते हुए उक्त उपजिलाधिकारी ने धारा 80 की बिना नोटिस के ही बापू शताब्दी स्कूल की ओर से 229-बी का दावा लेकर एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त मुकदमा ग्राम समाज के होते हुए विधि विरुद्ध भूमिधरी दर्ज करने का आदेश दे दिया है ? क्या उक्त आंराजी को अनुसूचित जातियों में भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव भी तहसीलदार के यहां लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम समाज की भूमि पर बापू शताब्दी स्कूल के नाम भूमिधरी दर्ज करने के आदेश को निरस्त करते हुए पात्र अनुसूचित परिवारों में भूमि आवंटन करने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार इस आराजी से शर्मा पुत्र मुन्नर अवैध लाभ नहीं ले रहे हैं ।

जी हां ।

दावा दिनांक 25 जनवरी, 1995 को दाखिल किया है ।

प्राप्त सूचनानुसार धारा 80 की नोटिस देने के बाद बापू शताब्दी उच्च-तर माध्यमिक विद्यालय की ओर दायर वाद सं0 152 में दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 को स्कूल का नाम दर्ज होने का आदेश हुआ है ।

जी नहीं ।

उक्त आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 को निरस्त करने को कार्यवाही विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव किया जा सकता है ।

जनपद महराजगज की ग्राम सभा जहहा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टे में दी गई भूमि पर पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिलाये जाने का मांग

49—श्री दीपलाल भारतीय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगें कि ग्राम सभा जहदा, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज की आराजी नं0 449, 450 की भूमि पर वृक्षा-

रोपण हेतु दिनांक 20-2-89 को अनुसूचित जातियों को पट्टा दिया गया था ? क्या उक्त भूमि पर आवंटियों द्वारा वृक्षारोपण कराये गये थे ? कब्जा के होते हुए उक्त आराजी को ग्राम प्रधान ने तथ्यों को छिपाते हुये त्रिवेनी यादव की भूमि प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए देकर बदले में पट्टा धारकों को जमीन आराजी नं0 449, 450 को देने का प्रस्ताव करके जिलाधिकारी से त्रिवेनी पुत्र रघुनन्दन के नाम भूमि करा दिया है ? क्या अनुसूचित जातियों द्वारा वृक्षारोपण के पौधों को त्रिवेनी द्वारा कटवाकर फेंक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 20-2-89 के 27 पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जी नहीं ।

आवंटियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 161 के अन्तर्गत त्रिवेणी बनाम गांव सभा वाद संख्या 17 में दिनांक 12-3-96 को त्रिवेणी की भूमिधरी की आराजी नम्बर 7/0.372 हेक्टेयर से इनका नाम निरस्त करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम तथा आराजी नम्बर 449 रकबा 0.170 हे0 व नं0 450 रकबा 0.324 हे0 खारिज करके त्रिवेणी पुत्र रघुनन्दन नाम निर्णीत हो कर दर्ज हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आराजी नम्बर 449 व 450 के पट्टेदारों को छोड़कर शेष 16 आवंटी उक्त भूमि पर काबिज हैं ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थैलीसैंण में स्थित ग्राम सभा बगवाड़ी में पशुपालन केन्द्र का समुचित लाभ दिलाने की मांग

50—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थैलीसैंण में स्थित ग्राम सभा बगवाड़ी में निर्मित पशु प्रजनन केन्द्र का समुचित लाभ क्षेत्रीय जनता को मिल पा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त केन्द्र से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल पायेगा ।

श्री सुन्दर सिंह बघेल—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थैलीसैंण में स्थित पशु प्रजनन केन्द्र पशु पालन विभाग द्वारा नहीं स्थापित किया गया है।

अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ अन्तर्गत श्री छेदा पुत्र श्री खन्ना ग्राम एवं थाना मड़ियांव स्थित भूमि की फर्जी रजिस्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही

51—श्री राम खिलाड़ी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम एवं थाना मड़ियांव की भूमि नं0 453 रकबा डेढ़ बीघा जो छेदा पुत्र स्व0 श्री खन्ना की थी, को बिना श्री छेदा की स्वीकृति के फर्जी रजिस्ट्री दूसरे के नाम किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में थाना मड़ियांव में एक मु0 अ0 सं0 437/96 पंजीकृत हुआ ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अशोक यादव—

जी हां ।

जी हां ।

विवेचना से अभियुक्त श्रीमती रेनू सिंह के विरुद्ध आरोप पुष्ट होने पर आरोप पत्र सं0 12; दिनांक 3-7-97 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना जारी है, श्रीमती रेनू सिंह न्यायालय से जमानत पर रिहा हो चुकी हैं ।

जनपद--गोरखपुर के ग्राम पोखिया में चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी कराये जाने की मांग

52—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील-सदर के ग्राम पोखिया कम्हू स्थान की चकबन्दी किस वर्ष प्रारम्भ की गयी थी और उसे पूरा होने में और कितना समय लगेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी का कार्य दिनांक 28 फरवरी, 1989 से प्रारम्भ किया गया है । उक्त ग्राम का कार्य 2 वर्ष के अन्दर पूर्ण होने की सम्भावना है ।

डा0 धर्म सिंह, अपर निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण, उत्तर खंड द्वारा सूचित पत्र पर कार्यवाही की मांग

53—श्री अजय भट्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० धर्म सिंह, अपर निदेशक, एवं भूमि संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक-437, दिनांक 4-12-1996 के माध्यम से कोई परिवाद पत्र मा0 श्री आर0 सी0 जैन, सलाहकार को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

परिवाद पत्र दिनांक 4-12-1996 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त कृषि निदेशक, श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव द्वारा कतिपय जांच कार्यवाहियों पर पुनः जांच कराने की मांग

श्री अजय भट्ट—

54—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर श्रीवास्तव, संयुक्त कृषि निदेशक (भू0सं0) द्वारा विगत समय में शासनादेशानुसार कतिपय जांच कार्यवाहियां सम्पन्न की गयी हैं ? क्या इसके विरोध में पूर्व राज्य मंत्री (कार्गार) डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा का शिकायती-पत्र दिनांक 14-8-1996 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पूर्व में की गयी जाच कार्यवाहियों पर पुनः टेक्निकल आडिट सेल के माध्यम से जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां ।

जी नहीं ।

विगत समय में शासनादेशानुसार सम्पन्न जांच की कार्यवाही पर टेक्निकल आडिट सेल के माध्यम से जांच कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

55—श्री अजय भट्ट—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा धावा, परगना, तहसील ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा, बेदखली की कार्यवाही की मांग

56—श्रीमती उर्मिला देवी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी हैं कि ग्राम सभा धावा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की ग्राम पंचायत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि जो

चिनहट–देवां रोड पर सड़क के पूरब स्थित है, पर उपर्युक्त ग्रामवासी श्री रज्जन लाल यादव पुत्र श्री रामगुलाम द्वारा निजी भूमि बनाकर अवैध रूप से लगभग 10 दुकानों का निर्माण करा लिया गया है तथा जरूरत से अधिक मात्रा में भूमि पर कब्जा कर रखा है यदि हां, तो अवैध निर्माण क्यों कराया गया ? क्या उसको बेदखली की कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही––

प्राप्त सूचनानुसार श्री रज्जन लाल श्री रामगुलाम द्वारा सार्वजनिक उपयोग की अथवा ग्राम पंचायत की भूमि पर दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया है । श्री रज्जन लाल यादव द्वारा अपने पिता श्री रामगुलाम पुत्र गौरी को पैतृक संक्रमणीय भूमि संख्या 399 व 398 में 10 दुकानों का निर्माण किया गया है । उनका अपने पैतृक भू–खण्डों के क्षेत्रफल पर ही कब्जा है । निर्माण अवैध न होने के कारण बेदखली की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

57––श्री राकेश त्यागी––

[चौथे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ककरहा–पथरहा, ब्लाक नवाबगंज, तहसील हसनगंज द्वारा दलितों को गांव के कतिपय लोगों द्वारा भवन निर्माण भूमि पर बेदखली कार्यवाही किए जाने की मांग

58–डा0 गंगा बक्श सिंह––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ककरहा–पथरहा, ब्लाक नवाबगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के दलितों को गांव के प्रधान, अध्यापकगण व प्रभावशाली लोगों द्वारा विद्यालय भवन निर्माण में की जा रही भूमि से बेदखली को रोके जाने व सुरक्षित एवं बंजर भूमि पर विद्यालय भवन निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र, दिनांक 24–6–97 का शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही––

प्रश्नगत पत्र दिनांक 25–7–97 प्राप्त हुआ है । जिलाधिकारी उन्नाव को जांच कर कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये गए हैं ?

जिला प्रशासन, बलिया द्वारा ग्राम वासियों की मांग पर छानबीन एवं जांच के बाद जनहित में चकबन्दी की उपयोगिता का पुनः परीक्षण

59—डा0 गंगा बक्श सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामवासियों की मांग पर जिला प्रशासन, बलिया के प्रस्ताव व्यापक छानबीन एवं जांच के बाद तथा जनहित में चकबन्दी की अनुपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बलिया के सदर तहसील अन्तर्गत मौजा रुस्तमपुर को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक् किया गया है ? क्या यह सही है कि गांव के ही कतिपय लोगों द्वारा निहित स्वार्थ में चकबन्दी की मांग फर्जी हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र भेजकर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस मामले की जांच करवाकर मौजा रुस्तमपुर, तहसील व जिला बलिया की चकबन्दी प्रक्रिया से पूर्ववत् पृथक रखे जाने का निर्देश चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोंही—

जी हां । ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक् करने हेतु विज्ञप्ति राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु भेजी गई है ।

ग्राम के कतिपय कृषकों द्वारा जिलाधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी, बलिया को ग्राम में पुनः चकबन्दी प्रक्रिया में लेने हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए। प्रार्थना–पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर होने की जांच कराई जा रही है ।

उक्त ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया में लेने हेतु जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक, चकबन्दी, बलिया के प्रस्ताव को पुनः परीक्षण एवं जांच हेतु वापस किया गया है ।

जनपद जौनपुर के मण्डी समिति शाहगंज में मेहरावां–राजेपुर मार्ग के निर्माण की जानकारी

60—श्री अफजल अहमद—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या जौनपुर जनपद के मण्डी समिति, शाहगंज में मेहरावां–राजेपुर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत कथक केन्द्र में बैले सहायक पद का वेतन पुनरीक्षित करने की मांग

61—श्री हरदेव सिंह—

क्या संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं0 3418/चार-13 (12)/77, दिनांक 26-7-77 द्वारा उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत कथक केन्द्र के लिये बैले सहायक सहित चार पद स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जुलाई, 1977 के पश्चात् समय-समय पर वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बैले सहायक का वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किया गया है, जबकि इस पद के साथ सृजित तीन अन्य पदों का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी द्वारा बैले सहायक पद का वेतनमान पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव शासन को समय-समय पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वेतनमान पुनरीक्षित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

प्रश्नगत शासनादेश द्वारा बैले सहायक के एक पद के साथ ही चार अन्य पद भी स्वीकृत किये गये ।

जी हां ।

उपरोक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत पांच पदों में से प्रेक्टिकल व थ्योरी शिक्षक के एक-एक पद का वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है तथा बैले सहायक का वेतनमान एवं नियत वेतन वाले दो कलाकारों को वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ ।

कथक केन्द्र की प्रबन्धक समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बैले सहायक के सृजित पद (वेतनमान रु0 280-460) के विरुद्ध निम्न वेतनमान रु0 200-320 में कथक केन्द्र सहायक के पद पर नियुक्ति की गयी । अतः वेतन आयोग तथा समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर कथक केन्द्र सहायक के वेतनमान को ही पुनरीक्षित किया गया।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी सीतापुर की कथित अनियमितताओं विषयक पर जांच कार्यवाही

62—श्री हरदेव सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी, सीतापुर की अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-6-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां ।

शिकायतों की जांच कृषि निदेशक से कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही एवं जांच के निदेश

63—श्री बाबूराम तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 29-4-97 जो कि मुख्यमंत्री को संबोधित था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122 (ख) एवं 123 (ख) के अन्तर्गत बेदखली, क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कार्यवाही एवं दुबारा कब्जा करने पर अभियोजन की कार्यवाही की जाती है ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, बस्ती से जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही करने को कहा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी की गांव सभा आलीपुर पट्टी में सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अवैध कब्जेदारों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग

64—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा आलीपुर पट्टी, परगना आलीपुर पट्टी, तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी में गाटा संख्या 449, रकबा 15 डि0 खाद के गड्ढों के लिये सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित है ? यदि हां, तो क्या उक्त नम्बर को सार्वजनिक उपयोग में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना और किस प्रयोजन हेतु ? क्या यह सच है कि उसके अधिकांश भाग पर अवनीश पाण्डेय पुत्र सत्यदेव, अवर्णादेवी पत्नी अरविन्द पाण्डेय निवासीगण आलीपुर पट्टी

ने अवैध तामीरात कर अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो कब से और क्यो? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वारेन्द्र सिंह सिरोही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ के भूमिहीन भूतपूर्व सैनिक को उधमसिंह नगर जनपद में भूमि आवंटित किए जाने की जानकारी

65--श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि एवं पट्टे आवंटन के राज्य सरकार के अभियान के तहत दिनांक 30 जून, 1997 तक सैन्य बहुल पिथौरागढ़, जनपद के कितने भूमिहीन पूर्व सैनिकों ने उधमसिंह नगर जनपद के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? उनमें से कितनों को भूमि आवंटित की जा चुकी है ? शेष कितने मामले पर कार्यवाही चल रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

प्राप्त सूचनानुसार पिथौरागढ़ जनपद के किसी भूमिहीन भूतपूर्व सैनिक द्वारा जनपद उधमसिंह नगर मे कृषि भूमि के आवंटन हेतु सन्दर्भित अवधि तक कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम कुनशेरी, उर्फ विशुनपुरा, तहसील नौतनवां मूल खातेदारों की खतौनी में हेर फेर की कार्यवाही

6--श्री अमरमणि--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुनशेरी उर्फ विशुनपुरा, तहसील नौतनवां, जनपद महाराजगंज में 1985 से अब तक कितने मूल खातेदार व्यक्तियों की खतौनी से नाम काटकर दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया गया है ? क्या सरकार नाम परिवर्तन के दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार उक्त नाम परिवर्तन को निरस्त कर मूल खातेदारों के नाम पुनः दर्ज कराने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम कुन्सेरी उर्फ विशुनपुरा, तहसील नौतनवां में 1985 से अब तक 705 खातेदार व्यक्तियों की खतौनी से नाम काटकर दूसरे व्यक्तियों का नाम दर्ज किया गया है ।

जी नहीं । विभिन्न धाराओं में नामान्तरण अमलदरामद सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायिक एवं विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में 122-बी, उ0 प्र0 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के मुकदमों की जानकारी

67—डा0 राम बाबू हरित—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि राजस्व न्यायालयों में धारा 122-बी, उ0 प्र0 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित मुकदमें समाप्त कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो ग्राम अरतौनी, सिकन्दरा, आगरा, में खसरा नम्बर 588 की भूमि पर 227.84 की भूमि प्रबन्धक समिति अरतौनी द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर काबिज श्री नेमीचन्द्र पुत्र श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री लोहरे (जाट समुदाय) द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाल के यहां लगाये केस को समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों । क्या सम्बन्धित दोषियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हा, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम सभा अरतौनी, सिकन्दरा, तहसील आगरा के खसरा सं0 588, रकबा 0-10-0 (दस विस्वा) के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) के न्यायालय में उ0 प्र0 जमी0 वि0 एवं भू0 व्य0 नियमावली के नियम-115-पी के अन्तर्गत वाद "नेमीचन्द बनाम रन्धीर सिंह आदि" विचाराधीन है जिसमें अग्रिम तिथि 5-8-1997 वादी के साक्ष्य हेतु नियत है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता के खिलाफ निलम्बन

68—श्री चित्रसेन यादव—

क्या पंचायती राज्य मन्त्री को जानकारी है कि न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड मिल्कीपुर, फैजाबाद में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी वर्ष 1995-96 में

स्वीकृत निर्बल वर्ग आवास की धनराशि के आहरण एवं वितरण में गम्भीर अनियमितता के कारण निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की अनियमितता प्रकाश में आयी है ? क्या निर्बल वर्ग के आवास के पात्र व्यक्तियों के स्वीकृत निर्बल वर्ग आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया है ? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जी नहीं । वर्ष 95-96 में निर्बल वर्ग आवासों के निर्माण में कोई ग्राम पंचायत अधिकारी निलम्बित नहीं हुआ था । वर्ष 93-94 एवं 94-95 में न्याय पंचायत सेंधा व ग्राम सेंधा व सिधौना के आवासों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अधिकारी निलम्बित हुए थे ।

मु0 17, 250.00 रुपये की अनियमितता स्वयं लाभार्थी द्वारा की गई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी (गोमती), जगदीशपुर द्वारा लाखों रुपये का घोटाला किए जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

69—श्री राम भुआल भाक्य—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-4-97 को भूमि संरक्षण अधिकारी (गोमती), जगदीशपुर, स्थान सुल्तानपुर द्वारा लाखों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या ह ? और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां ।

शिकायती पत्र के मुख्य बिन्दु फर्जी आहरण, बिना मुख्यालय के आदेश के अधीनस्थ कर्मचारियों को योगदान दिलाना, अनियमित कार्यों में कतिपय अन्य कर्मचारियों का अन्तर्ग्रस्त होना आदि हैं ।

कृषि निदेशक को जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में जिला योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार भूमि कटाव रोकने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर जांच

70—श्री हरदेव सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में जिला योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार तथा भूमि कटाव रोकने सम्बन्धी कार्य विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम कुतुलपुर तथा विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम कुर्सी, बहरौली, अमरसंगा में न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां ।

जी हां ।

पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच पुलिस अधीक्षक, अनुसंधान शाखा, कृषि से कराई जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम समाज की भूमि के आवंटन में कथित अनियमितता का आरोप

71—श्री यशपाल चौहान—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में ग्राम सभाओं की कितनी आबंटन योग्य जमीन रिक्त है ? इस आबंटन योग्य जमीन में से मार्च, 1996 से अब तक कितनी जमीन का आबंटन विधिवत् प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को किया गया है ? उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ द्वारा दिनांक 29-3-97 को एक ही दिन में कितने पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ? क्या उप जिलाधिकारी ने यह नियम विरुद्ध कार्य किया है ? यदि हां, तो उप जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के श्री राजाराम पुत्र गंगा, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, तहसील हर्रैया के आवन्टित भूमि पर अवैध भवन निर्माण पर रोक

72—श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजाराम पुत्र गंगा निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, तहसील हर्रैया, जनपद बस्ती की त्रिलोकपुर ग्राम

के गाटा सं0 274 एवं 90 की कुम्हारी कला हेतु पट्टे पर आबंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर अवैध रूप से किये जा रहे भवन निर्माण को सरकार रुकवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार आबन्टी द्वारा आबंटित भूमि के गाटा संख्या 274-मि0/0.7.0 पर प्रारम्भ किये निर्माण कार्य को रोकवा दिया गया है । गाटा संख्या 90-मि0,0.2.0 पर आबंटी द्वारा कुम्हारी कला का कार्य शर्तों के अनुसार किया जा रहा है ।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत तरवा ब्लाक में ग्राम चौकी गंजोर में पंचायत भवन पर अवैध कब्जा शासन द्वारा खाली कराने की मांग

73—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या पंचायती राज्य मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत तरवा ब्लाक में ग्राम चौकी गंजोर में पंचायत भवन पर किसी का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो उसे कब तक खाली कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जी हां ।

पंचायत भवन को खाली कराने हेतु थाना तरवा; जनपद आजमगढ़ में श्री अवध राज यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 448 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 125/96 लगभग एक वर्ष पूर्व दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्रश्नगत प्रकरण में यू0 पी0 पब्लिक प्रीमिसेस (इविक्शन आफ अनाथराइज्ड आकुपैन्ट्स) ऐक्ट, 1972 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकता पर कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ग्राम व थाना मड़ियांव निवासी छेदा पुत्र स्व0 खन्ना की भूमि को फर्जी रजिस्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही

74—श्री राम नक्षत्र—

क्या राजस्व मन्त्री की जानकारी में है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम व थाना मड़ियांव, निवासी छेदा पुत्र स्व0 खन्ना की भूमि नं0 463

रकबा डेढ़ बीघा की धोखाधड़ी करके फर्जी रजिस्ट्री दिनांक 28 मई, 1996 को लोगों द्वारा करा लेने की शिकायत की रिपोर्ट श्री छेदा ने दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 को अपराध संख्या-437/96, धारा-420, 467, 468, 471 के अन्तर्गत उक्त थाने पर दर्ज कराई है ? यदि हां, तो क्या उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जी हां ।

विवेचना से अभियुक्त श्रीमती रेनू सिंह के विरुद्ध आरोप पुष्ट होने पर आरोप पत्र संख्या 12, दिनांक 3 जुलाई, 1997 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना जारी है, श्रीमती रेनू सिंह न्यायालय से जमानत पर रिहा हो चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

75—श्री बनवारी लाल दोहरे—

[दिनांक 24 जुलाई, 1997 को अता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित] ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के सेवानिवृत्त लेखपाल श्री नजीर उद्दीन को जी0 पी0 एफ0 तथा सामूहिक बीमा शुगतान

76—श्री महराज सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में लेखपाल पद से श्री नजीर उद्दीन वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त हुए है ? परन्तु उनके जी0 पी0 एफ0 तथा सामूहिक बीमा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अवशेष का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अशोक यादव—

जी हां । जी0 पी0 एफ0 से मु0 30, 800, दिनांक 7 अक्टूबर, 1995 को भुगतान किया जा चुका है । अवशेष 10 प्रतिशत का भुगतान अभी नहीं किया गया है, क्योंकि प्रपत्र 425 (क) तथा भाग दो एवं नमूना हस्ताक्षर पर श्री नजीरूद्दीन लेखपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है । सामूहिक बीमा के भुगतान के लिए निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, विकास-दीप, लखनऊ को पत्र भेजा गया है ।

भुगतान आदेश प्राप्त होने पर शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील के ग्राम बरगाहपुर में गाटा संख्या 159 का विवादित मामला

77—श्री विनोद मणि—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील के ग्राम बरगाहपुर में उपजिलाधिकारी फरेन्दा द्वारा ग्राम समाज की बीसों लाख की सम्पत्ति 229 बी के तहत गलत कब्जा दिखा कर बिना प्रधान/ग्राम सभा को सूचना दिये स्कूल के मैनेजर के नाम एलाट कर दिया गया ? क्या इसकी जांच सरकार करायेगी कि इसी भूमि को मौके पर जाकर गरीबों में आवंटन करने हेतु उप जिलाधिकारी फरेन्दा ने प्रधान/गांव सभा को लिखित सूचना दी थी कि 13–5–97 को आवंटन की कार्यवाही की जायेगी ? फिर किन परिस्थितियों में 12–5–1997 को ही उक्त भूमि का एलाटमेन्ट कर दिया गया जिससे गांव सभा की बीसों लाख रुपये की क्षति हुई है ? सरकार पुनः इस भूमि के गलत एलाटमेन्ट को निरस्त कर उसका गरीबों में आवंटन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

(क) जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा ग्राम बरगाहपुर स्थित गाटा संख्या–159 मि0/0.498 हे0 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी–5 कृषि योग्य भूमि नवीन परती दर्ज है। इस भूमि का आबंटन नहीं हुआ है, अपितु परगनाधिकारी, फरेन्दा के न्यायालय में वाद संख्या 126/225/95 श्री राम लखन बनाम दूधनाथ आदि में धारा 229 बी, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत दिनांक 12–5–1997 को निम्न आदेश पारित हुआ है :

"गाटा संख्या 159 मि0/0.498 हे0 से गांव का इन्द्राज–नयी परती, खारिज करके प्रबन्धक, किसान लघु माध्यमिक विद्यालय, बरगाहपुर के नाम श्रेणी 6 (2) दर्ज हो।"

उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा परगनाधिकारी के आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है।

(ख) दिनांक 13–5–1997 को भू आवंटन की सूचना ग्राम प्रधान को तहसीलदार द्वारा जारी की गयी थी। दिनांक 12–5–1997 को उक्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया है वरन् न्यायालय द्वारा धारा 229 बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त भूमि गांव सभा के स्वामित्व में घोषित होने पर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज के राम प्रताप सिंह पुत्र श्री राम रतन सिंह, निवासी ग्राम बरोलिया के कथित शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

78--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम सरन सिंह पुत्र महादेव सिंह, राम रतन सिंह पुत्र महावीर सिंह, ग्राम बरोलिया का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के पत्रांक 335 क्रम सं0-4, दिनांक 31-3-97 पर दर्ज है और जिसमें श्याम सुन्दर पुत्र राज बहादुर, निवासीगण सराय, तहसील सलोन, जिला-रायबरेली, ग्राम जोधनपुर, तहसील-गौरीगंज सुल्तानपुर की भूमि श्री भगवान दयाल पुत्र प्रभू दयाल, निवासी सराय, तहसील सलोन, जिला रायबरेली गाटा संख्या 3 की भूमि को श्याम सुंदर पुत्र भगवान दयाल ने ग्राम प्रधान व लेखपाल की साजिश से प-क 11 के आधार पर अपने नाम करा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी नहीं ।

श्री राम प्रताप सिंह पुत्र राम रतन सिंह का पत्र दिनांक 27-3-97 प्रश्नगत शिकायतों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ।

शिकायतों की जांच कराई गई । गलत वरासत को दुरुस्ती हेतु वाद पंजीकृत कर इश्तहार जारी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जोधनपुर, तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर स्थित भूमि पर किये गये अवैध कब्जा हटाने विषयक जांच एवं बेदखली की कार्यवाही

79--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता द्वारा स्वयं दिनांक 7-4-94 को सुनील श्रीवास्तव, ग्राम सराय, रायबरेली का प्रार्थना-पत्र जिसमें जोधनपुर, तह0 गौरीगंज, सुल्तानपुर स्थित भूमि पर सम्प्रदाय विशेष के लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत थी, जिस पर जिलाधिकारी को तुरन्त कार्यवाही के आदेश दिये हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस भूमि का किस अधिकारी द्वारा सीमांकन हुआ ? क्या सीमांकन में

अवैध कब्जा पाया गया ? यदि हां, तो क्या उसे हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

प्रार्थना –पत्र दिनांक 7–4–94 का नहीं वरन् 7–4–97 का प्राप्त हुआ है ।

नायब तहसीलदार, जामों द्वारा सीमांकन कराया गया ।

जी हां ।

गाटा संख्या 4 में राम किशन सुत सीताराम व कमाल सुत मकबूल निवासी ग्राम बरगैलिया द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा था जबकि उक्त गाटा श्री लक्ष्मी नारायण सुत रघुनाथ प्रसाद निवासी सराय रायबरेली के नाम दर्ज है ।

भूमि की नवेयत संक्रमणीय भूमिधर होने के कारण सक्षम न्यायालय से प्रार्थी द्वारा बेदखली करवाने के पश्चात ही अवैध कब्जा हट सकता है ।

परगना मजिस्ट्रेट गौरीगंज के निर्देश पर तत्कालीन

थानाध्यक्ष श्री प्रेम शंकर दुबे द्वारा

कमाल व रामकिशन में

निर्माण कार्य पर रोक

80––श्री तेजभान सिंह––

क्या उपर्युक्त कब्जे की कार्यवाही एवं साम्प्रदायिक संघर्ष की आशंका विषयक श्री सुनील उपरोक्त का प्रार्थना–पत्र सहित थानाध्यक्ष जामो को दिनांक 6–4–97 को प्रश्नकर्ता के साथ दिया गया था ? यदि हां, तो क्या थाना–ध्यक्ष ने मौके पर न जाकर, अवैध निर्माण को नहीं रोका है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं।

परगना मजिस्ट्रेट गौरीगंज के निर्देश पर मौके पर दिनांक 7–4–97 की रात्रि में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रेम शंकर दुबे द्वारा कमाल व राम किशन द्वारा गाटा संख्या–4 में कराये जा रहे निर्माण कार्य को पैमाइश होने तक रुकवाया गया । पुनः दिनांक 8–4–97 को थानाध्यक्ष द्वारा फोर्स के साथ नायब तहसीलदार की उपस्थिति में पैमाइश के पश्चात् निर्माण को रोकवा दिया गया है ।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद के निर्देश पर गाटा संख्या 2544 की पैमाइश

81—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के फैजाबाद शहर के गाटा सं0 2544 की पैमाइश व सीमांकन मण्डलायुक्त, फैजाबाद के निर्देश पर तहसील के कर्मचारियों ने दिनांक 13-1-96 तथा सिटी मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 28-6-1996 को कराया गया है ? यदि हां, तो दोनों पैमाइश रिपोर्टों का विवरण क्या है ? क्या पैमाइश रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर सरहद कायम करायी जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां।

पहली पैमाइश रिपोर्ट में भूखण्ड का आकार मौके के अनुसार 41 फुट 3 इंच×74 फुट पाया गया परन्तु दूसरी पैमाइश में इसका आकार नजरे के अनुसार 45 फुट×74 फुट तथा क्षेत्रफल के अनुसार 41 फुट 6 इंच व 74 फुट निर्धारित किया गया।

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत गाटे पर अंकित पक्षकार श्रेणी 5 (अ) दिला हकीयत काश्तकार हैं, न कि खेवटदार। अतः सरहद कायम कराने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद महराजगंज की फरेन्दा तहसील के ग्राम हरमिन्दर खुर्द में गांव समाज की जमीन आवंटन के प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही

82—श्री विनोद मणि—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील के ग्राम हरमन्दिर खुर्द में गांव समाज की जमीन के आवंटन में पात्रता सूची किस आधार पर बनायी गयी है ? क्या गांव के सबसे दलित एवं गरीबों को आवंटन की भूमि दी गयी है ? क्या ग्राम समाज की भूमि का कृषि व आवास हेतु आवंटन बिना प्रधान/गांव सभा को सूचना दिए बगैर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मनमाने तरीके से किया है ? फरेन्दा तहसील में गत दो माह में कितने गांवों में जमीनों का आवंटन किया गया है ? क्या इन आवंटनों में नियमों का पालन किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी

पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जनपद महराजगंज की फरेन्दा तहसील के ग्राम हरमिन्दर खुर्द में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम; 1950 की धारा 122 ग (3) के अन्तर्गत आवास स्थल के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची बनाये जाने का प्राविधान है किन्तु पात्र व्यक्तियों की सूची नियमानुसार नहीं बनाई गई है। जांच में 13 आवंटी में से 9 आवंटी अपात्र पाये गये हैं।

जी नहीं।

तहसीलदार द्वारा ग्राम प्रधान/अध्यक्ष, भूमि प्रबन्धक समिति को दिनांक 8 अप्रैल, 1997 को उक्त भू आवंटन की सूचना दी गयी थी।

दिनांक 18 अप्रैल, 1997 से 10 जून, 1997 तक कुल दो गांवों में कृषि भूमि, तीन गांवों में आवास एवं सात ग्रामों में मत्स्य पालन हेतु पट्टा दिया गया है, जिनमें नियमों का पालन किया गया है।

गांव हरमन्दिर खुर्द में हुए आवास स्थलों के आवंटन के प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में 13 पिछड़ी जातियों में से 9 व्यक्ति अपात्र पाये गये हैं। इसके लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

जनपद सुल्तानपुर, निवासी ग्राम कचनाव के श्री मंहगू बास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण स्व0 गुरुचरण की उनकी पैतृक भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग

83-- श्री चेतराम--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के द्वितीय गुरुवार दिनांक 27 जुलाई, 1995 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा करायी गई विस्तृत जांच आख्या क्या है और उक्त जांच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संबंधित व्यक्तियों को अपनी पैतृक भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ सामयिक संग्रह अमीन व चपरासी, सेवा नियमावलियों की व्यवस्था के अनुसार स्थायीकरण की मांग

84--श्री राम प्यारे--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सामयिक संग्रह अमीन व चपरासी कितने सूचीबद्ध हैं तथा भविष्य में स्थायीकरण हेतु

सरकार की योजना क्या है ? विगत दो वर्षों या इससे पूर्व से कार्यरत सगड़ी के कर्मचारियों में कितने हटाये गये व कितने नये रखे गये ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जनपद आजमगढ़ में 213 सामयिक संग्रह अमीन तथा 229 सामयिक संग्रह चपरासी सूचीबद्ध किए गये हैं । यथा संशोधित उ0 प्र0 कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 के अनुसार सामयिक संग्रह अमीनों तथा शासन के राजस्व अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–57/1–7–96, दिनांक 8 जनवरी, 1996 के अनुसार सामयिक संग्रह चपरासियों का नियमित चयन किया जाता है । नियमित कार्मिकों का स्थायीकरण संगत सेवा नियमावलियों की व्यवस्था के अनुसार किया जाता है ।

तहसील सगड़ी में दो वर्ष या इससे पूर्व की निम्नलिखित पृथक्–पृथक् अवधियों में मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृत/उपलब्ध पदों पर सामायिक संग्रह अमीनों व सामयिक संग्रह चपरासियों की नियमानुसार नियुक्तियां की गई, जिनमें यथा–स्थिति सम्बन्धित अवधि में उससे पूर्व की अवधि में भी कार्य कर चुके पूर्व सामयिक संग्रह अमीनों व पूर्व सामयिक संग्रह चपरासियों को तथा नए अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया गया । सम्बन्धित अवधि के लिए नियुक्त अभ्यर्थियों को उस पूर्ण अवधि तक कार्यरत रखा गया । किसी विशिष्ट अवधि में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने उस अवधि से पूर्व में भी कार्य किया था, को नियुक्ति का अवसर न मिलने का कारण यह था कि या तो स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे अथवा पूर्व कार्यकाल में उनका कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया था :—

अवधि	कुल नियुक्त अभ्यर्थी		पूर्व में भी कार्य कर चुके अभ्यर्थी		नये अभ्यर्थी	
	सा0सं0 अमीन	सा0सं0 चपरासी	सा0सं0 अमीन	सा0सं0 चपरासी	सा0सं0 अमीन	सा0सं0 चपरासी
4/95 से 6/95	45	45	45	33	—	12
7/95 से 9/95	45	45	45	45	—	—
10/95 से 12/95	15	15	15	15	—	—
1/96 से 3/96	15	15	15	15	—	—
4/96 से 6/96	40	40	30	30	10	10
7/96 से 9/96	35	35	26	25	9	10
10/96 से 12/96	35	35	15	15	20	20
1/97 से 3/97	30	30	20	20	10	10

जनपद महोबा में जिला परिषद् द्वारा रोड बैरियर लगाकर कथित अवैध वसूली

85—श्री अरिमर्दन सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में जिला परिषद् द्वारा रोड बैरियर लगाकर अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तत्काल रोकने हेतु कार्यवाही करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के ग्राम सभा गौरा, विकास खंड बदलापुर के ग्राम भेलूपुर में किसानों की जोतवही शासन द्वारा उपलब्ध

86—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर के ग्राम भेलूपुर में किन-किन किसानों को किसान जोतवही अभी तक नहीं बन पायी है ? उनके नाम क्या है ? उन किसानों को कब तक जोतवही उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम सभा-गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जनपद-जौनपुर के ग्राम भेलूपुर के सभी किसानों की किसान जोतवही बन गयी है तथा उसका वितरण कर दिया गया है । अब किसी भी किसान को किसान जोतवही वितरण हेतु अवशेष नहीं है ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा भटपुरा, विकास खंड भरावन के प्रधान द्वारा दलितों के लिए इन्दिरा आवास सवर्णों के नाम आवंटित

87—श्री बनवारी लाल दोहरे—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भटपुर, विकास खण्ड भरावन, जनपद हरदोई के प्रधान ने दलितों के लिये निर्मित इंदिरा आवास सवर्णों (अपात्र व्यक्तियों) के नाम आवंटित करा दिये हैं जब कि यह ग्राम पंचायत दलित आबादी बाहुल्य और शासन द्वारा अम्बेडकर ग्राम भी घोषित हो चुका है ?

क्या इस अनियमित कार्य के लिये प्रधान को दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आवासों का आवंटन निरस्त करकर उन्हें पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

ग्राम सभा भटपुर, विकास खण्ड भरावन जनपद, हरदोई को वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है । ग्राम भरावन पंचायत भटपुर की खुली बैठक में 30 अनुसूचित जाति के एवं 7 सामान्य जाति के लाभार्थियों के नामों को पात्रता सूची में आने के कारण अनुमोदित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम सभा अम्बरपुर मे 156 एकड़ सीलिंग भूमि के पट्टे की जांच

88--श्री राम विशुन आजाद--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम सभा अम्बरपुर में 156 एकड़ सीलिंग भूमि का पट्टा दिनांक 4-5-95 और 10-10-95 को उपजिलाधिकारी, मनकापुर द्वारा कतिपय व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो क्या सत्य है कि पात्र व्यक्तियों को पट्टा न देकर अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया गया है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या पूर्व विधायक श्री छेदी लाल एवं ग्राम प्रधान द्वारा 17-7-95 को हुये अवैध पट्टों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोण्डा को अवगत कराया गया था और जिलाधिकारी गोण्डा ने अपने पत्रांक सं0 2325/17-7-95/जांच/95 द्वारा जांच करने एवं निरस्त करने और पात्र व्यक्तियों को पट्टा देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार सम्बन्धित लेखपाल, कानूनगो और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

जांच से 194 में से 14 आवंटी अपात्र पाये गये हैं ।

अपात्र व्यक्तियों के पट्टों के निरस्तीकरण का प्रस्ताव आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को भेजा गया है ।

जी हां ।

कार्यवाही की गयी है ।

लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में वर्ष 1996-97 में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

89—श्री राम विशुन आजाद—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसीलदार मनकापुर, जनपद गोण्डा में वर्ष 1996-97 में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में फर्जी तरीके से एक ही राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर कानूनगो क्षेत्र गौरा और मनकापुर के मृतक परिवार के लोगों को सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या पात्र लोगों को ही सहायता उपलब्ध करायी गयी है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? सरकार को यह भी जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर द्वारा इस प्रकरण की जांच आख्या पत्रांक सं0 615/जांच आख्या/96-97, दिनांक 11-7-96 को शासन को दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक सम्बन्धित दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव—

जी नहीं

सभी कानूनगो क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों को सहायता वितरित की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1995-96 में वितरित धनराशि के बारे में खण्ड विकास अधिकारी एवं मनिकापुर एवं तत्पश्चात् परगनाधिकारी, मनिकापुर से ही जांच कराई गई । जांचोपरान्त दोषी श्री रमाकान्त तिवारी तथा श्री कृष्ण कुमार सिंह, लेखपालगण व प्रधान, कस्बा खास के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई और यह कारागार में बन्द हुए । लेखपालों को निलम्बित भी किया गया । इसके अतिरिक्त अनियमितता बरतने के आरोप में श्री रामसागर, देवी प्रसाद, गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, पदमनाथ शुक्ल व काशी प्रसाद उपाध्याय को निलम्बित करके इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित किया गया ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अमिलिया, निवासिनी श्रीमती तुलसा देवी की भूमि को श्री बजरंग सिंह द्वारा कथित रूप से फर्जी अमल दरामद

90—श्री अरूण प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती तुलसादेवी पत्नी स्व0 लोदी सिंह, ग्राम अमिलिया, पोस्ट रवनिया, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर की जमीन खाता नं0 141 को श्री बजरंगी सिंह, पुत्र श्री शूरी सिंह, जनपद सुल्तानपुर ने फर्जी रूप से अपने नाम अमलदरामद करा लिया है ? यदि हां, तो क्या इस फर्जी अमलदरामद के बारे में श्रीमती तुलसा देवी ने कोई प्रार्थना-पत्र उप संचालक, चकबंदी, सुल्तानपुर को माह सितम्बर, 1996 को दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच किसी विशेष सेल से कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के ग्राम मेलूपुर में श्री कृपाशंकर सिंह की भूमि पर कतिपय अवैध कब्जा

91—श्री अरूण प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसीलदार बदलापुर, जनपद जौनपुर के ग्राम मेलूपुर में चक संख्या 22, जो कृपा शंकर सिंह पुत्र गजाधर के नाम था, को वर्ष 88/89 में आराजी नम्बर 136, 135 एवं 55 डिसमिल पर फर्जी शिकमी की नकल बनवाकर किसी अन्य का अवैध कब्जा दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकमी दर्ज करने हेतु किसी सक्षम न्यायालय का आदेश हुआ था ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि फसली सन् 34, 56, 59, 62 में कहीं भी श्री हनीफ का नाम इन्द्राज नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अशोक यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टूण्डला विधान सभा क्षेत्र की हजारों एकड़ बेकार पड़ी भूमि हरिजनों एवं भूमिहीनों में वितरित करने की मांग

92—श्री शिव सिंह चक—

क्या सरकार को जानकारी है कि टूण्डला विधान सभा क्षेत्र यमुना की तलहटी में बसा हुआ है ? क्या उसकी हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऊसर सुधार के अन्तर्गत उक्त भूमि को समतल कराकर उसे हरिजनों एवं भूमिहीनों में वितरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

विधान सभा टूण्डला क्षेत्र का आंशिक भाग यमुना नदी की तलहटी में बसा है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यमुना नदी की तलहटी में ऊसर नहीं है ।

जनपद महाराजगंज में ग्राम पंचायत सभा का पुरवा आदि गावों की खाली जमीनों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कब्जा दिलाये जाने की मांग

93—श्री चन्द्र किशोर—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सभा का पुरवा, बुधियां बरगही, जनपद महाराजगंज में रकबा नं0 2474/क 2476/77ख, जो 5.009 एकड़ जमीन पर वन विभाग निचलौल रेंज, गोरखपुर दर्ज है ? क्या खाली जमीन को उक्त गांव के अनुसूचित एवं दलित भूमिहीन परिवारों द्वारा लगभग 20 वर्षों से कब्जे में लेकर जोतते, बोते चले आ रहे थे ? उक्त भूमि को क्या हलका लेखपाल ने दलितों को धमकाकर सिसवा बाजार के मुसाफिरा को कब्जा दिलाकर वर्ष 1995 में गन्ने की बुआई करवा दी है, जिसकी शिकायत पूर्व विधान सभा सदस्य, शारदा प्रसाद जायसवाल ने 13-4-96, 1-8-96 व 25-10-96 को शासन में दी थी ? यदि हां, तो सरकार शिकायत की प्रति तथा जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री अशोक यादव—

जी हां ।

जी नहीं ।

पूर्व विधान सभा सदस्य श्री शारदा प्रसाद जायवाल द्वारा दिया गया केवल पत्र दिनांक 1-8-96 शासन में प्राप्त हुआ । जांच रिपोर्ट माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

जनपद सुल्तानपुर की ग्राम मिश्रौली में ग्राम समाज की जलमग्न भूमि का फर्जी खाता बनवाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र, कार्यवाही की जानकारी की मांग

94--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कमिश्नर, फैजाबाद व परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को क्रमशः दिनांक 5-8-94 व 8-8-94 को आलम-मोर पुत्र दलमत, ग्राम मिश्रौली, गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र, जिसमें ग्राम मिश्रौली 254-ग 10 नम्बर, ग्राम समाज की जलमग्न भूमि को फर्जी आदेश के तहत खाता बनवा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हा । प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं किन्तु वह दिनांक 4-8-94 एवं 9-8-94 के थे ।

इस सम्बन्ध में मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा जांच की गई और शिकायत सही पायी गयी । तदनुसार जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रश्नगत गाटा संख्या 254 ग'(10-0-0 बीघा) को तालाब के खाते में पुनः अंकित करने के आदेश दिनांक 8 फरवरी, 1995 को दिये गये थे, जिसका अंकन अभिलेखों में किया गया है किन्तु राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 22-9-95 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद के उक्त आदेश दिनांक 8-2-95 को स्थगित कर दिया है । प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु जिला अधिकारी, सुल्तानपुर एवं राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ को निर्देश दे दिये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर में स्थित ग्राम नरिन्दा मांदे के भूमिहीनों को आवास एवं कृषि योजना भूमि के आवंटन की मांग

95--श्री मित्रसेन यादव--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम नरिन्दा मांदे, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है; जिसमें बड़ी

संख्या में लोग भूमिहीन हैं ? क्या ग्राम सभा नरिन्दा भांदे में सीलिंग तथा ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है ? क्या सरकार भूमिहीनों और आवास के पात्र लोगों में आवास हेतु भूमि एवं कृषि योग्य भूमि के आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम नरिन्दा भांदे अनुचित जाति बाहुल्य ग्राम है । जिसमें कोई परिवार भूमिहीन नहीं है ।

इस ग्राम में सीलिंग की 9 बीघा 12 विस्वा, 10 विस्वांशो भूमि उपलब्ध थी, जिसका आवंटन 36 व्यक्तियों में ग्राम नरिन्दा भांदे में हो चुका । ग्राम सभा की नवीन परती, जंगल–झाड़ी व बंजर के खाते में कुल 13 बीघा, 05 विस्वा तथा 17 विस्वांसो भूमि दर्ज है, जिसमें से कुछ भूमि रास्ता, आबादी, गड्ढा तथा पेड़ों से आच्छादित है ।

गांव सभा खाते में दर्ज भूमि में से कृषि योग्य भूमि चिन्हित कर पात्र लोगों में आंवटन की कार्यवाही करने हेतु उप जिलाधिकारी डुमरियागंज को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में श्री अतीबुल पुत्र श्री सुब्बा तथा मो0 हद्दीस पुत्र श्री मुजीबुल्ला, निवासी ग्राम जलालपुर पर कथित अतिक्रमण का आरोप

96—श्री दीपक कुमार—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि श्री अतीबुल पुत्र श्री सुब्बा तथा मो0 हद्दीस पुत्र श्री मुजीबुल्ला, ग्राम जलालपुर, ब्लाक एवं तहसील डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर ने अपने घर के सामने सड़क में बढ़कर छपरा खड़हा रखकर सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है ? क्या इससे गांव वालों तथा आने–जाने वालों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अतिक्रमण को हटाने के आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में अनेक नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर गर्भाधान हेतु पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का विवरण

97—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या पशुपालन मंत्री जी को यह जानकारी है कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल में अनेक ऐसे नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र हैं, जहां पर वर्षों से सांड़ों की कोई व्यवस्था नहीं है और ये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र ठप पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इन केन्द्रों पर कब तक सांड़ तथा भैंसा उपलब्ध करा दिए जाएंगे ? सांड़ों के अभाव में पशु नस्ल सुधार का क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे लाभान्वित पशुपालकों की विकास खंडवार प्रमाणित संख्या क्या है ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल—

जी हां ।

वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण आवश्यकता नहीं है ।

अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ?

विकास खंड	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या
1—पौड़ी	450
2—खिर्सू	150
3—दुगड्डा	650
4—एकेश्वर	250
5—जयहरीखाल	100
6—यमकेश्वर	100
7—कोट	200

प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत कुल कृषि कार्मों की संख्या तथा उन कार्यों पर व्यय धनराशि

98—श्री दुलपाल पाण्डेय—]

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने कृषि कार्य हैं ? उन कार्यों पर मजदूरों की मजदूरी अप्रैल, 1977

तक कितना–कितना वकाया है। मजदूरों की मजदूरी भुगतान न करने का क्या कारण है ? उनकी मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमूद्दीन सिद्दीकी—

कृषि विभाग के अन्तर्गत इस समय 181 फार्म हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 143 कृषि फार्मों पर 31–3–97 तक रु0 92,73,411.00 की मजदूरी बकाया है। अप्रैल, 1997 तक बकाया धनराशि की सूचना प्राप्त की जा रही है।

फार्मों पर निर्धारित मानक से अधिक श्रमिक रखे गये हैं। जिनके लिए परिव्यय/प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

सरप्लस श्रमिकों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् उनके बकाया मजदूरी के भुगतान के संबंध में धनराशि की स्वीकृति पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद के ग्राम सिधौना, तहसील मिलकीपुर, फैजाबाद में ग्राम सभा के खाते में अंकित भूमि अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों में आवंटित कराने की मांग

99—श्री मित्रसेन यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सिधौना, तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद में कुल कितनी भूमि ग्राम समाज के खाते में अंकित है और उक्त गांव में भूमिहीन अनुसूचिन जाति और कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या क्या है ? कृषि योग्य उपलब्ध भूमि के होते हुए उक्त भूमि का अभी तक आवंटन न किये जाने का क्या कारण हे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

ग्राम सिधौना, तहसील मिल्कीपुरपुर, फैजाबाद में जमीन परती, बंजर, पुरानी परती और जंगल झाड़ी के रूप में गांव सभा की कुल 108 बीघा 10; विस्वा, 14 विस्वांसी भूमि दर्ज हैं, इस ग्राम में अनुसूचित जाति के एक तथा अनुसूचित अनजाति के 144 तथा अन्य जाति के 155 व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके पास 3,125 कम भूमि है, प्राप्त सूचनानुसार गांव सभा के खाते में दर्ज कुल भूमि में से केवल 7 बीघा, 19 विस्वा 14 विस्वांसी भूमि ही आवंटन योग्य है। जिसमें प्रयासों पर 1 बीघा० 14 विस्वा एवं 15 विस्वांसी भूमि का आवंटन दिनांक 4–6–1997 को 3 व्यक्ति को और 02 बीघा, 1 विस्वा 08 विस्वांसी भूमि का आवंटन दिनांक 23.6.1997 को 4 व्यक्तियों

की कराया गया है । भूमि प्रबन्धक समिति निहित स्वार्थवश उक्त शेष भूमि का आवंटन नहीं करना चाहती । अत: भूमि प्रबन्धक समिति को अवक्रमित करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

ग्राम सेजरा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की वृक्षारोपण आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा के विरुद्ध जांच

100--श्री मित्रसेन यादव--

क्या राजस्व मंत्री जी को जानकारी है कि ग्राम सभा सेमरा मु0 चिखड़ी, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद के गाटा संख्या 288; खाता सं0 244 ग्राम समाज की भूमि फसली सन् 1396-1401 में उक्त गांव के प्रधान अपने नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज करा लिया है, जबकि उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गयी थी ? क्या उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जा भी कर लिया गया है ? यदि हां, तो इन अवैध कब्जेदारों और निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

ग्राम प्रधान ने अपने नाम नहीं अपितु अपने पुत्र देवेन्द्र मणि के नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में वर्ष 1987 में दर्ज कराया है जबकि उक्त भूमि वर्ष 1986 में वृक्षारोपण हेतु अध्यक्ष, युवक मंगल दल के पक्ष में आवंटित थी ।

जी हां ।

इस अनियमितता की जांच उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर द्वारा कराई जा रही है ।

जनपद उन्नाव के तहसील उन्नाव के सेवानिवृत्त लेखपाल श्री दुर्गा प्रसाद को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

101--श्री कृपा शंकर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के तहसील उन्नाव में कार्यरत अल्प वेतनभोगी लेखपाल श्री दुर्गा प्रसाद, जो दिनांक 31 जुलाई, 1995 को सेवानिवृत्त हुए थे, का जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, बीमा व पेंशन आदि का भुगतान अभी तक क्यो नहीं किया गया है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अशोक यादव--

श्री दुर्गा प्रसाद, लेखपाल, तहसील उन्नाव; दिनांक 31 जुलाई, 1995 को सेवा निवृत्त हुये थे । नकदीकरण का भुगतान दिनांक 14 फरवरी, 1997 को कर

दिया गया है । अनन्तिम पेंशन व ग्रेच्युटी स्वीकृत हो चुकी है । जी० पी० एफ० का 90 प्रतिशत भुगतान भी स्वीकृत हो चुका है । बीमा प्रपत्र तैयार कर लिये गये हैं । सेवानिवृत्त कर्मी द्वारा व्यक्तिगत बैंक खाता नम्बर सूचित करते ही बीमा प्रपत्र भुगतान हेतु बीमा निदेशालय को भेज दिये जायेंगे ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद तहसील का स्थान परिवर्तन

102--श्री विजय पाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की फतेहाबाद तहसील एवं राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों को स्थानान्तरित करके बादशाही बाग में स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो बादशाही भू भूमिका हस्तान्तरण राजस्व विभाग के नाम कब हुआ और यहां कार्यालय स्थापित होने पर जनता और कर्मचारियों कीं सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गयी ? क्या यह सही है कि एक वर्ष के अन्तराल में एक व्यक्ति की हत्या भी हो गयी है ? यदि हां, तो इस असुरक्षा को ध्यान रखते हुए क्या मंत्री जी उक्त कार्यालयों को पूर्व स्थान पर स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

बादशाही बाग की भूमि नजूल भूमि है और उत्तर प्रदेश सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है । अतः हस्तान्तरण की आवश्यकता नहीं है । बादशाहीबाग में स्थानान्तरित राजस्व विभाग व अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों व जनता की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है । प्राप्त सूचनानुसार एक वर्ष के अन्तराल में बादशाहीबाग में कोई हत्या नहीं हुई है । क्योंकि उक्त कार्यालय पूर्व में ही स्थानान्तरित हो गये हैं अतः इन्हे पूर्व स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के परगना गौरीगंज के ग्राम सरमे में कथित अनियमित पट्टा किये जाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

103--श्री तेजभान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को संम्बोधित श्री सीताराम पासी, शिवकुमार मौर्य, ग्राम

सरमें, परगना जामों, तह0 गौरीगंज का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 27 अगस्त, 1994 को प्राप्त कराया गया है, जिसमें ग्राम समाज व अधिकारियों द्वारा कृषि एवं आवासीय पट्टों में कोई पात्रता सूची न बनाने, अपात्रों व गांव सभा के प्रधान व सदस्यों के सम्बन्धियों व मृतकों को पट्टा देने की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) की दिनांक 30 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित प्रस्ताव का विवरण

104--श्री मोहन सिंह रावत गांववासी--

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) की दिनांक 30 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 43 की प्रति पत्रांक 928 कोट/5-पशुपालन/95-96, दिनांक 25 सितम्बर, 1995 के द्वारा तत्कालीन पशुपालन मंत्री और अन्य विभागीय अधिकारियों को भेजी गयी थी और दिनांक 20-11-95, 11-12-95, 30-3-96, 8-8-96, 23-8-96, 28-8-96, 6-9-96 तथा 7-9-96 स्मरण पत्रों के उपरान्त भी प्रस्ताव में उठाये गये विन्दुओं पर अभी तक निराकरणात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल--

जी हां ।

क्षेत्र पंचायत कोट के दिनांक 30 अगस्त, 1995 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 43 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

*(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 259 पर)

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिरखाना में अपात्र व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने की शिकायत

105--श्री तेज भान सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित नसीम, उप प्रधान तथा अन्य सदस्यों के बयानहल्फी सहित दिनांक 15 सितम्बर, 1994 का प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिर-खाना, सुल्तानपुर में अपात्रों को पट्टा देने तथा बगैर किसी बैठक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विपरीत रिपोर्ट के बावजूद पट्टा कर देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के बाद क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

संदर्भित शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा कराई गई । जांचोपरान्त अपात्र पट्टेदारों के विरुद्ध 115 पी जमींदारी विनाश अधि-नियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई, इसके फलस्वरूप एक पट्टेदार का पट्टा दिनांक 10 सितम्बर, 1996 को निरस्त किया गया, जिसमें न्यायालय, अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से निगरानी संख्या 1254 में 30 सितम्बर, 1996 को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है । वाद विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के ग्राम सभा मूंछी के प्रधान श्री कमलेश बहादुर सिंह की शिकायत पर भूमि के फर्जी इन्द्राज खारिज

106--श्री तेजभान सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि खतौनी में जाली इन्द्रांज किसके द्वारा किये गये हैं ? क्या जाली इन्द्राज करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव--

जी हां ।

श्री पित्तरदीन (सेवा निवृत्त), लेखपाल द्वारा जारी किये गये के ।

जी हां ।

लेखपाल श्री पित्तरदीन तथा लाभार्थी श्री तेज बहादुर सिंह व हंस बहादुर सिंह, निवासी ग्राम मूंदी के विरुद्ध थाना जामो में धारा 418, 419 व 420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 1 जुलाई, 1995 को अंकित कराई गई है । वाद न्यायालय में मुख्य दण्डाधिकारी के यहां विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम टण्डवा खण्डसेपुर, मोहम्मदपुर, डूडो, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद की सीलिंग भूमि का आवंटन एवं कब्जा

107--श्री मित्रसेन यादव--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1978/1979 में ही ग्राम टण्डवा, खण्डसेपुर, मोहम्मदपुर, डूडो, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में उपलब्ध सीलिंग भूमि का आवंटन उक्त गांव के अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों में करा दी गई थी । यदि हां, तो क्या 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन लोग दोषी हैं ? आवंटित भूमि पर कब्जा अभी तक न देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार आवंटियों को भौतिक रूप से कब्जा दिलाकर जबरिया जमीन छीनने वालों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही--

जी हां ।

केवल न्यायालयों में विवादित एवं स्थगनादेश से प्रभावित मामलों को छोड़कर शेष आवन्टी काबिज हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम मनौली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित ग्राम समाज सम्पत्ति का आवंटन में की गयी अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

108--श्री मित्रसेन यादव

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मनौली, परगना व तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित ग्राम समाज सम्पत्ति का आवंटन पात्र व्यक्तियों में नहीं किया गया है, क्या यह भी सही है कि उक्त गांव की भू-सम्पत्ति इसौली मार्ग पर स्थित होने के कारण व्यावसायिक दृष्टि से काफी कीमती है ? क्या उसे भी पात्र व्यक्तियों में आवंटित न कर स्थानीय राजस्व कर्मियों द्वारा लाखों रुपये अर्जित कर कुपात्र लोगों को आवास के नाम पर दुकानें बनवा दी गई हैं ? यदि हां, तो इस गम्भीर अनियमितता के लिए कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अशोक यादव--

पात्र व्यक्तियों में भी आवंटन किया गया । जांच में अपात्र पाये गये आवंटियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पट्टा निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है ।

भूमि सड़क के किनारे होने के कारण व्यावसायिक दृष्टि से तुलनात्मक रूप से उपयोगी है ।

इसौली मार्ग पर स्थित भूखण्डों के तीन आवंटियों द्वारा भवन निर्माण किया गया है । किसी भी आवंटी द्वारा दुकान निर्माण नहीं कराया गया है । रुपये लेने की बात जांच में सही नहीं पायी गई । इस सम्बन्ध में कर्मचारियों/अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा रहा है, तदोपरान्त उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती कुसुमा देवी प्रजापति, निवासी ग्राम कैथी नसीरपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेदकर नगर की भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन

109—श्री शेर बहादुर सिंह

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगें कि श्रीमती कुसमा देवी प्रजापति, निवासी ग्राम कैथी, नसीरपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेदकर नगर की भूमि ग्राम के सबल व्यक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती के बल पर कब्जा करने सम्बन्धित शिकायत श्री प्रियदर्शी जेतली पूर्व विधायक दिनांक 24–10–96 को जिला अधिकारी अम्बेदकर नगर से की है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित महिला को कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव—

जी हां ।

जी नहीं।

वाद दीवानी न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर की चौरी–चौरा के तहसील में धोबीघाट की नवैयत बदलकर आवंटन करनें विषयक शिकायत पर कार्यवाही

110—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी चौरा के तहसीलदार ने अपने कार्यालय के पत्रांक मेमो/र0का0, दिनांक 23–8–96 ई0 में ग्राम प्रधान विशुनपुर मटियरा, तहसील चौरी चौरा, गोरखपुर को सम्बोधित पत्र में गाटा संख्या 419/2 धोबीघाट की नवैयत बदलने तथा आवंटन की कार्यवाही करने हेतु लिखा है तथा इसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित लेखपाल को भी प्रेषित की है ? यदि हां, तो प्रस्ताव दिनांक 25–12–96 के अनुमोदनार्थ सम्बन्धित फाइल बनाकर लेखपाल को प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार व उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को जनवरी, 97 से अब तक पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के कितने पत्र प्राप्त हुये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? पट्टा कब तक पुष्ट कर दिया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

पूर्व विधायक एवं सांसद इस सम्बन्ध में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का एक पत्र प्राप्त हुआ है । भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 25–12–1996 अपठित/विवादित तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने के कारण उप–जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 8–7–1997 द्वारा निरस्त कर दिया गया है । कृत कार्यवाही से सम्बन्धित को सूचित कर दिया गया है । प्रस्ताव निरस्त हो जाने के कारण पट्टा पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं पायी जाती ।

ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में अवैध रूप से फर्जी पट्टे दिये जाने सम्बन्धी शिकायती–पत्र पर कार्यवाही

111—श्री तेजभान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री नसीम खां, उप प्रधान, ग्राम सभा तथा 7 सदस्यों के शपथ–पत्र के साथ ग्राम सभा मनौली, तहसील मुसाफिर खाना, जिला सुल्तानपुर में अवैध रूप से फर्जी पट्टे दिये जाने सम्बन्धी शिकायती–पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1994 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? क्या शिकायतकर्ता को भी जांच में साक्ष्य हेतु बुलाया गया ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

जांच क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से कराई गई ।

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार जांचोपरान्त कुल 27 अवैध पट्टेदारों के विरुद्ध नियम 115–पी के अन्तर्गत की कार्यवाही की गई । उनमें से 22 अवैध पट्टेदारों का वाद उपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व) के न्यायालय में तथा 5 अवैध पट्टेदारों का वाद उपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें एक अवैध पट्टेदार श्री जगदीश प्रसाद उर्फ भोलानाथ का आवासीय पट्टा निरस्त कर दिया गया है जिसके विरुद्ध उन्होंने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर अभिलेख में अनियमित इन्द्राज करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही

112—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पांचवें गुरुवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—31 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित तहसील में अभिलेखों के अनुरक्षण एवं उसमें इन्द्राज करने का अधिकार किस व्यक्ति को सौंपा गया था ? अभिलेखों में हेराफेरी होने पर नियमानुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संदर्भित प्रकरण में इस तथ्य की छानबीन की गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा तथा कब ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव—

तहसील में अभिलेखों के अनुरक्षण एवं उसमें इन्द्राज करने का अधिकार रजिस्ट्रार कानूनगो तथा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का होता है । उस समय रजिस्ट्रार कानूनगो श्री गरूशरण प्रजापति थे ।

पूरे प्रकरण की जांच तत्कालीन तहसीलदार द्वारा की गयी, जिसमें तत्कालीन लेखपाल श्री अमर नाथ तिवारी दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी । लेखपाल को बिना वेतन बहाल किया गया । दो वेतन वृद्धि रोकी गयी तथा उसे प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

जी हां ।

तत्कालीन तहसीलदार श्री किफायत अली द्वारा दिनांक 28—2—1994 को तथ्यों की छानबीन की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में भू चित्र गायब होने की शिकायत

113—श्री छब्बू पटेल—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—113 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम—बरही नेवादा परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी के रिकार्ड रूम में फसली सन् 1247 तथा फसली सन् 1291 का नक्शा (भू—चित्र) की प्रतियां राजस्व परिषद् के अभिलेखागार से उपलब्ध करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री अशोक यादव—

ग्राम–बरहो नेवादा, परगना पन्द्रह–तहसील व जिला–वाराणसी का फसली सन् 1291 का नक्शा (भू–चित्र) की प्रति राजस्व परिषद के अभिलेखागार से दिनांक 18–9–95 को जिलाधिकारी, वाराणसी को उपलब्ध करा दी गई किन्तु फसली सन् 1247 का नक्शा (भू–चित्र) परिषद् के मानचित्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी–चौरा के ग्राम बिशुनपुर मटियरा के भू खण्ड संख्या 419/1 हरिजन बस्ती की जमीन के पट्टा का प्रस्ताव निरस्त

114—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी–चौरा के ग्राम बिशुनपुर मटियरा के भूखण्ड संख्या 419/1 हरिजन बस्ती की जमीन का पट्टा नये ढंग से (दुबारा) भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 25–12–96 में चार दलित वर्ग के लोगों के पक्ष में कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस पत्रावली तैयार कर अनुमोदन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है । भूमि प्रबन्धक समिति ने आराजी नम्बर 419/1, जो हरिजन बस्ती हेतु आरक्षित भूमि बताई गयी है का आबंटन प्रस्ताव दिनांक 25–12–1996 को किया था किन्तु उक्त प्रस्ताव अनियमित व विवादित होने के कारण उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 8–7–1997 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जनपद सोनभद्र, विकास खंड म्योरपुर के ग्राम लीलाडेवा के प्रधान पर जाली प्रमाण–पत्र लगाने की शिकायत की जांच

115—श्री बिजय सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र, विकास खंड म्योरपुर के ग्राम लीलाडेवा का प्रधान पद पिछड़ी जाति के

लिए आरक्षित करके गजट किया था, जिस पर राम लखन जायसवाल (कलवार) जाति का प्रधान चुना गया है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उ0 प्र0 पिछड़ी जाति की सूची में जायसवाल या कलवार जाति पिछड़ी जाति में है ? यदि नहीं, तो उक्त प्रधान को बर्खास्त करते हुए जाली प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी को दण्डित करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

जी हां ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक 852/प0-7/97-98, दिनांक 23 जुलाई, 1997 द्वारा मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु परगनाधिकारी, दुद्धी को आदेश निर्गत किये गये हैं ।

सहायक निदेशक, युवा कल्याण के विरुद्ध विभिन्न आरोपों से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

116--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या युवा कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निदेशक, युवा कल्याण के विरूद्ध विभिन्न आरोपों से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र 21 संलग्नकों सहित उन्हें माह अप्रैल, 1997 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द--

जी हां ।

श्री आर0 पी0 यादव, सहायक निदेशक को निलम्बित किया जा चुका है तथा विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से प्राप्त जमाबन्दी के अनुसार बकाये की वसूली

117--श्री ज्ञानेन्द्र सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों से की गई सिंचाई के राजस्व की वसूली एक ही सीजन में दो से तीन वर्ष तक की की जा रही

है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ी हुई राजस्व वसूली को समाप्त करके पूर्ववत् राजस्व वसूली करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

राजस्व विभाग द्वारा सिचाई विभाग के केवल उस राजस्व की वसूली की जाती है, जिसकी जमाबन्दी सिचाई विभाग से प्राप्त होते हैं। सिचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जमाबन्दी के अनुसार राजस्व वसूली की जा रही है।

राजस्व विभाग द्वारा सिचाई विभाग से प्राप्त जमाबन्दी से भिन्न कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जमाबन्दी मांग के अनुसार ही वसूली सम्पादित करता है।

12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत संसदीय परम्पराओं का निवर्हन करने हेतु मा0 सदस्यों से श्री अध्यक्ष का अनुरोध

श्री अध्यक्ष—

अभी सदन स्थगित करने के पहले एक माननीय सदस्य ने सदन की प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सदन के स्थगित होने के पश्चात् उन्होंने हमारे विधान सभा रिपोर्टर्स के टेबल पर आकर कुछ आपत्तिजनक बात की। मैं सदन से इस बात पर मार्ग दर्शन चाहूंगा कि कार्य–सूची में जब कोई प्रश्न हो तो उस पर कितने अनुपूरक प्रश्नों को करने की अनुमति दी जाय। असीमित तो हो नहीं सकता, असंख्य भी नहीं हो सकता, कहीं न कहीं तो हमें सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि कार्यसूची के शेष प्रश्न भी आ सकें। मैं कोशिश करता हूं कि नये माननीय सदस्यों को अवसर दूं परन्तु वहीं पर यह भी करता हूं कि नये माननीय सदस्य को बुलाने से पहले मैं एक पुराने माननीय सदस्य को बुलवाता हूं ताकि नये माननीय सदस्य को यह मालूम हो सके कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं/ संख्या का तो हमें निर्धारण करना ही होगा। अब

आज जैसे एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे । मैंने माननीय श्री रघुवर दयाल वर्मा जी को अनुपूरक पूछने की अनुमति दी, क्योंकि श्री वर्मा जी पुराने व जानकार सदस्य हैं । यह मैंने इस लिए किया, ताकि नये माननीय सदस्य को यह मालूम हो सके कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछे जाय । विभिन्न दलों के माननीय नेतागण मार्ग दर्शन करें कि मैं किसने अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दूं । यह जो अशोभनीय व्यवहार हुआ, इससे मैं बहुत दुखी हूं । विधान सभा, कोई कालेज की यूनियन तो है नहीं, किसी विद्यालय की यूनियन तो है नहीं । यदि चिल्लाने से ही समस्या का समाधान हो जाय तो फिर इस सदन की आवश्यकता ही नहीं होती ।

श्री राम नक्षत्र--

माननीय अध्यक्ष जी, आज की घटना पर, हम आपसे भी बढ़कर दुखी हैं लेकिन खेद व्यक्त इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि आज वैसी कोई घटना नहीं हुई बल्कि जब से यह सदन चल रहा है, हमारे 4-5 सवाल कार्य सूची में आते हैं और आज तो हमारे 6-7 सवाल आये हैं, वे सभी सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका सम्बंध उत्तर प्रदेश की जनता के हित से जुड़े हुए हैं । फिर भी सारे सवालों का जवाब आता है, अभी सूचना एकत्र की जा रही है । गलत हमको जवाब मिलते हैं । यदि इसी प्रकार हम आपके कानून की परिधि के चक्कर लगाते रहे तो हम हाउस से बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जायेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सच्चाई को साबित करने के लिए यदि मुझे लिहाज व रिश्ता तोड़ना पड़े तो मैं उसके लिए सबसे आगे हूं ।

इसलिए आज जो कुछ मैंने किया आपको देखते हुए खेद व्यक्त कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे देखकर खेद नहीं व्यक्त करिये । यदि वास्तव में इसका दुख है तभी करिये ।

श्री राम नक्षत्र—

मान्यवर, अगर गलत सूचनाएं दी जा रही हैं तो उस पर रोक लगायी जाय । 14, 15 दिन से सूचना एकत्र नहीं कर पा रहे हैं । मेरे सवाल को टालने की नियत से मुझे इस सरकार से दुख है । मुख्य मंत्री अपने आपको दलित की बेटी कहती हैं । एक दलित का बेटा हिटलर भी था जिसने डेमोक्रेसी को नष्ट किया था । हम आपसे खेद व्यक्त करते हैं । जितना संरक्षण हमें मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है और यह शासन इस प्रदेश को गुमराह कर रहा है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य पडरौना श्री राम नक्षत्र जी अभी पहली बार चुनकर आये हैं और विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का उन्हें ज्ञान नहीं है, जो सवाल उन्होंने सदन में उठाया, हो सकता है कि महत्वपूर्ण रहा हो लेकिन अगर उसका जवाब नहीं आया तो कदाचित् इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर सूचना नहीं आयी तो "सूचना एकत्र की जा रही है" यही जवाब आता है। यह केवल आपके ही प्रश्नों पर नहीं आता है, औरों के प्रश्न में भी आता है। उसमें प्राविधान है आप फिर से सवाल कर सकते हैं। आप प्रक्रिया नियमावली का अध्ययन कर लें तो आपको पता चल जायेगा। आपको इस तरह से उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। सदन में जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो आप खड़े होकर अपनी बात कहते कि मान्यवर, इस तरह से सवाल का जवाब गलत आया है, गलतबयानी की गयी है। लेकिन इस तरह से उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। अगर सभी इसी तरह से उत्तेजित होंगे तो यह सदन कैसे चलेगा। तो आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। जो बातें आप नहीं जान पाये हैं उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके संरक्षक अध्यक्ष जी हैं आपको अगर अपनी बात कहनी है तो उनसे कहिये लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने किया वह नहीं किया जाना चाहिए यही मेरा आप से आग्रह है। प्रश्न कितने पूछे जायें इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जो अल्प-सूचित तारांकित सवाल हैं उनमें 20 मिनट का समय होता है। तो चार-चार पांच-पांच सवाल पूछे जाते हैं जो तारांकित प्रश्न है, उसमें दो या तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिये। आज की जो घटना घटी है, उसमें खेद व्यक्त करता हूं।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रकरण यहां पर आप के सम्मुख आया है मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। जो यह माननीय सदस्य हैं, यह नये आये हैं उनके मन में कोई ऐसी मंशा नहीं होगी कि वह आपके प्रति अनादर व्यक्त करें और यही उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा। उनका जो गुस्सा है, वह सरकार से रहा होगा। मेरा उनसे यही निवेदन है कि वे अपने आप को, मर्यादित रखें। जो सम्मानित सीट है, उसके प्रति आदर रहना चाहिए यही मेरा उनसे कहना है। प्रश्नों के सम्बन्ध में जो जिज्ञासा प्रकट की गई है उसके सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हैं, उनका समय 20 मिनट के लिए

निर्धारित होता है । जो तारांकित प्रश्न हैं तो 20 तारांकित प्रश्न कार्य सूची में आते हैं । श्रीमान्, मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्य'दा सवाल आयें । इसलिए प्रश्नकर्ता द्वारा 2 प्रश्न और तीन प्रश्न अनुपूरक के रूप में पूछे जायें तो इस तरह से स'स्या का समाध'न हो सकता है और जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं उसका भी समाधान हो सकेगा । मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और पुनः एक बार खेद प्रकट करता हूं । यह सदन ठीक से चले, यही मेरी प्रार्थना है ।

*श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, आक्रोश के सम्बन्ध में उत्तेजना दिखायी दी और जो आक्रोश दिखाई दिया वह वास्तव में आक्रोश आपकी तरफ नहीं था, इसकी दिशा मोड़ दी गयी । यह पूरी तौर से सरकार की ओर था और सम्बन्धित मंत्री की ओर था, पीठ की ओर नहीं था और इनकी मंशा ऐसी नहीं थी । बहुत लम्बा समय आपने इस प्रक्रिया को चलाने के लिए लिया है, क्या किया जाये, जो आपका प्रश्न अनुभ ग है, हमारे साथियों ने हमसे कहा कि इतने गम्भीर और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध रखने वाले सवाल जो दिए जाते हैं वह नहीं आ पाते है । भष्टाचारी लोगों की प्रश्न अनुभाग में सेटिंग है, उन्हीं के सवाल किसी न किसी प्रकार से आ जाते हैं और जो महत्व-पूर्ण सवाल माननीय सदस्यों के होते हैं वह नहीं आ पाते हैं, जिससे माननीय सदस्य पीड़ित हैं । आपका कन्ट्रोल, आपकी क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है । प्रश्न अनुभाग पर कन्ट्रोल होना चाहिए, जो आववयक और गम्भीर सवाल हों उन्हें जरूर आना चाहिए और उनमें किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए । माननीय सदस्य आपका संरक्षण चाहते हैं । माननीय सदस्य की कोई मंशा आपके प्रति आक्रोश व्यक्त करने की नहीं थी, लेकिन गलत दिशा में मोड़ दिया गया है । हम सभी आपकी गरिमा का सम्मान करते रहे हैं और करते रहेंगें ।

श्री दल बहादुर कोरी--

मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं । मुझे समय दे दें ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, जो सम्बन्धित मामला है वह आपसे सम्बन्धित है, प्रश्न अनुभ ग से सम्बन्धित है, सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार तत्परता से उत्तर दे रही है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, जहां तक प्रश्न के उत्तर को लेकर शासन के प्रति आक्रोश है, वह आपके संज्ञान में आ गया है । आपके प्रति माननीय सदस्य के मन किसी तरह

की कोई बात नहीं है आप के लिए बल्कि सभी माननीय सदस्यगण आपके लिए आदर का भाव रखते हैं, आप तो विज्ञ हैं, दक्ष हैं, इस सम्बन्ध में मुझे एक श्लोक याद आता है--

नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते भुवि सज्जना:
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा:

तो मान्यवर जिसका व्यक्तित्व ही महान है, उसके बारे में क्या कहा जाये। आपका व्यक्तित्व महान् है। मान्यवर, कभी-कभी माननीय सदस्य सप्लीमेन्टरी प्रश्न करने के लिए तीन-तीन और चार-चार बार अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, इक्सरसाइज करते रहते हैं, उठक बैठक करते रहते हैं और रात में जब घर जाते हैं तो कार में दर्द हो जाती है, तो मान्यवर ऐसे लोगों को एक-एक सप्लीमेन्टरी करने का अवसर अवश्य दे दिया करें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री दल बहादुर कोरी--

मान्यवर, आपको किसी तरह का कष्ट हुआ, मेरी मन्शा आपको कष्ट देने की नहीं थी। मैं क्षमा मांगता हूं और खेद प्रकट करता हूं कि भविष्य में ऐसा आचरण नहीं करूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय सदस्य दलबहादुर कोरी और माननीय सदस्य रामनग्रेस दोनों ने सदन में स्पष्ट रूप से पीठ के प्रति सम्मान करते हुए इस सदन के समक्ष क्षमा मांग ली है और खेद व्यक्त किया है। अब इस विषय का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। जो आपके मन में पीड़ा हुई होगी उससे सभी माननीय सदस्यों के मन में दुःख है।

अब दो बातें हैं जो प्रश्न प्रहर होता है। किसी भी माननीय सदस्य को को कोई व्यवस्था के प्रश्नों के सम्बन्ध में कहना हो तो प्रश्न प्रहर के तुरन्त ही बाद आपकी अनुमति से प्रश्नों के बारे में व्यवस्था उठा सकते हैं। कदाचित् नये सदस्यों को मालूम न हो क्योंकि उनको भी क्षेत्र में जवाब देही रहती है। लेकिन फिर भी नियमावली में व्यवस्था है प्रश्न प्रहर के तत्काल बाद उठानी चाहिए। एक तकलीफ उनको यह है कि सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब लगातार एक दो बार यही जवाब आता है तो माननीय सदस्य का दुःखी होना स्वाभाविक है। आप पीठ से निर्देशित करें इस तरह के जवाब नहीं आने चाहिए। वर्षों से इस तरह की पीठ से फीलिंग होती आई है। कृपापूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि प्रश्न का उत्तर जब वह स्वीकार कर लिया है उसका उत्तर आना चाहिए। केवल सूचना एकत्रित की जा रही है यह कह कर स्थगित करने के बाद फिर माननीय सदस्य को परेशानी होती है। माननीय रामनक्षत्र जी की बात को दोनों चीजों से मिश्रित कर दिया। पीठ और सरकार के उत्तर से यह दोनों अलग-अलग विषय हैं। आपकी पीठ के प्रति उनका पूरा सम्मान है। जो सूचना एकत्रित की जा रही है कई बार कई प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार के दिये गये हैं। प्रश्नों का उत्तर जब उन्हें नहीं मिला तो उन्हें दिक्कत हुई। सरकार की जवाब देही है, आपके प्रति पूरा सम्मान, श्रद्धा और आदर करते हैं। दोनों सदस्यों ने दुःख और खेद प्रकट किया है।

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री— (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)—

मान्यवर मैं 1974 से लगातार 1993 तक इस सदन का सदस्य रहा हूं। मैंने 1974 में सबसे पहले श्री वासुदेव सिंह जी को देखा था। बहुत सारे पुराने सदस्य यहां पर हैं। गौरीशंकर जी भी हैं जो उधर बैठे हैं तब वह इधर बैठा करते थे तो उन्हें मालुम है किस कदर सब्र, तहमुल, और बर्दाशत किया, मैं देखा उतना दूसरा इस कुर्सी पर बैठ हुए माननीय अध्यक्षों में नहीं पाया।

मान्यवर कई बार एक ही सेशन में ऐसा होता था कोई माननीय सदस्य जो ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे तो वासुदेव सिंह जी या माननीय बनारसीदास जी, चीफ मिनिस्टर भी रहे उनकी कैबिनेट में मैं भी रहा हूं। मार्शल से उठवाकर बाहर फिकवाया करते थे।

आप तो खुद उठकर चले जाते हैं। मुझे याद है कि माननीय बनारसी दास जी इस कुर्सी पर विराजमान थे, मंजूर साहब एम0 एल0 ए0 हुआ करते थे मेरठ वाले, वह उनसे कुछ नाराज हो गये। जब भी मंजूर साहब आते बनारसी दास जी कहते तुम फिर आ गये और संसदीय कार्य मंत्री जी फौरन खड़े होकर प्रस्ताव कर देते कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक सप्ताह के लिए सदन से निकाल दिया जाय। इसी तरह अरुण कुमार सिंह मुन्ना, इन दो लोगों से वह बहुत नाराज थे। आज तक आपने किसी के साथ गुस्से उत्तेजना में इस तरह का व्यवहार नहीं किया। इसके लिए मैं इधर से भी और उधर से इत्तफाक से मैं इधर कम बैठा हूं, मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक अर्ज आपसे करूंगा कि जो पुराने लोग थे वह जरूर देखा करते थे कि बोलने वाला नया है या पुराना। नये लोगों के साथ कुछ ज्यादा रियायत होती थी। जो माननीय सदस्य पहली बार बोलते

थे, जो मैडन स्पीच कहलाती है, तो अगर वह गलत भी बोलते थे तो इग्नोर कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्नों में मंत्री लोग कहते हैं कि विचार करूंगा, गौर करूंगा, जांच करा लूंगा तो माननीय सदस्य समझते हैं कि सवाल को टाल दिया गया है लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहां पर विधान सभा की एक आश्वासन समिति है। उसके लोग आश्वासनों को नोट करते हैं। मुझे खुद भी बहुत दिनों तक नहीं मालूम हुआ। जब मैं आश्वासन समिति का मेम्बर बना तो मुझे पता चला। इसलिए यहां पर यह जो कहा जाता है कि विचार कर लेंगे, जांच करा लेंगे वह आश्वासन बनते हैं। आप लोग माननीय सदस्य ही आश्वासन समिति में बैठते हैं। 5–5 साल की पुरानी बातों को वहां निकाल कर देखा जाता है। एक–एक चीज पर विचार किया जाता है और वह काम आश्वासन समिति पूरा कराने की कोशिश करती है। यह जानकारी धीरे–धीरे आती है इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपकी नीयत पर, इंटेंशन पर कोई शंका नहीं की जाय और न कोई करता है। जहां तक इसका सवाल कि मंत्री सही जवाब नहीं देते हैं, मंत्री बड़ी कोशिश करते हैं, मैं भी इत्तफाक से मंत्री हूं, जो अतारांकित प्रश्न होते हैं मेरे पास जब भी आते हैं चूंकि उन पर डिस्कशन नहीं होता है, सप्लीमेंटरीज नहीं होती हैं लेकिन मैं पूरा फाइल मांगकर पढ़ता हूं और गौर करता हूं कि इसमें कहां–कहां गलती है और घपला हुआ है। माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं उससे हमको मदद मिलती है, उससे हमको हमारे विभाग को जानकारी होती है तो प्रश्न पूंछ कर आप हमारा सहयोग करते हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग सम्मान और अदब आपका करें और आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो नये लोग हैं कृपया दया दृष्टि रखें और उनके नजरिये को ध्यान में रखते हुये उनको क्षमा करें।

श्री हरीशचन्द्र "हरीश जी"—

मान्यवर, इतनी बातें आ चुकी हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि समय ज्यादा लिया जाय लेकिन यह अवसर ऐसा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप जिस स्थिति में इस कुर्सी से हटे उससे सारा सदन स्तब्ध रह गया। आप गुस्से में यहां से नहीं गये लेकिन दुखी होकर गये जिसके दुखने से हम लोगों को भी दुखी बना दिया। आप समझ सकते हैं कि आपके प्रति कितना सम्मान और कितना आदर और कितनी श्रद्धा की भावना सदन के लोगों में है।

मैं देख चुका हूं। पिछले आठ सालों से जो सदन की दुर्दशा होती आ रही है। आज यह 7/8 दिनों से देखकर अनुभव किया है कि क्या अच्छा होता यदि लगातार यह सदन इसी रूप में चलता रहता तो बहुत अच्छा होता। जब

उच्च शिक्षा मंत्री ने एक विधेयक रखा था और माननीय अमर मणि जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा था परन्तु सत्ता और विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर उन्होंने संशोधन पर बल देने के स्थान पर उन्होंने कहा कि मैं इसको वापस ले लेता हूं । मुझे अपनी बात याद आई जब मैं विपक्ष में था और माननीय गौरी शंकर जी इधर राजस्व राज्य मंत्री जी थे । मैंने एक संकल्प रखा था । उस पर तीन दिन बहस कराई थी । 30–35, 50 लोगों ने भाग लिया था । अंत में उन्होंने यही कहा कि अभी तक इस विधान सभा के इतिहास में विपक्ष का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत नहीं किया लेकिन इस चर्चा को सुनकर मैं इसको राजस्व संहिता में शामिल करने का आश्वासन देता हूं । मान्यवर, मैं थोड़ा ही समय ले रहा हूं क्योंकि मुझे जो घटना याद आ गई उसका जिक्र मैंने कर दिया । मान्यवर, जैसा यह सदन चल रहा है आपकी प्रशंसा के दो शब्द मैंने कह दिये इसमें पूरे सदन की भावना व्यक्त कर दी है । माननीय दल बहादुर जी और माननीय राम नक्षत्र जी ने क्षमा याचना की है, खेद प्रकट किया है । मैं समझता हूं कि सदन के मन पर जो बोझ था आपके दुखी होने का उसमें इन्होंने तो दुख को हल्का कर दिया है । मैं इतनी अपेक्षा करता हूं कि आपकी ओर से बिना आपके कुछ कहे ही सब आश्वस्त हैं कि अब आप दुखी नहीं हैं । हमारे मन का जो भी शेष बोझ है उसका निवारण करें । मैं अनुभव कर रहा हूं कि हमारे बहुत से नये सदस्य हैं । मैं अपने कार्यालय में आकर 9–9.30 बजे बैठ जाता हूं । माननीय सदस्यों की कठिनाई निवारण के लिये । माननीय सदस्य कैसे प्रश्न करेंगे । वह प्रश्न करते हैं, उत्तर आता है कि सूचना एकत्र कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं उनको बताता हूं कि आप माननीय अध्यक्ष जी सचिव, विधान सभा को पत्र लिखें कि सूचना के बारे में कि सूचना कब तक एकत्र करवायेंगे । माननीय नये सदस्यों को इस बारे में समस्या का निवारण कराना है । तो मैं सभी माननीय दलों के नेताओं से कहूंगा कि अपने दल के सभी नये माननीय सदस्यों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सदन से एक–दो घंटे पहले आ जायं ताकि उनकी कठिनाइयों का निवारण करना आसान हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह सदन पुनः उत्साह और प्रसन्नता के वातावरण में रहे । चूंकि यह स्थान न तो तनाव के लिए है न रोष के लिए । पर चर्चा, वार्ता, सुनने और समझने का है । यह भरोसा रखकर हम सभी विश्वास रखकर जनहित का काम करेंगे तो हम और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा । अन्त में यही कहना चाहता हूं कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे ।

श्री राम नरेश यादव—

माननीय, आज जिस तरह से आप अपनी पीठ से उठकर कुछ समय तक सदन को सम्बोधित करने की बात कही और वह भी जो हमारे सदन के दो

माननीय सदस्य हैं, उनमें एक तरह का जो रोष व्याप्त था, आक्रोश था, प्रश्न के सम्बन्ध में उसके आधार पर जो व्यवहार यहां पर व्यक्त किया कुछ दुखी होकर। मान्यवर, कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, क्षण आते हैं। जब बहुत दबाव फ हो जाती है। यह सदन तो अभी हीरक जयन्ती मना रहा था तो बहुत सी बातें कही भी गई थीं। यह सदन चलेगा, नियमावली से नियमित होगा, विनियमित होगा यह सही है कि कभी नियमावली को हम समझ नहीं पाते हैं और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भावावेश में कुछ बात कह देते हैं। उस पीठ की रक्षा करने का काम हर सदस्य का है। हर सम्मानित सदस्य को उस पीठ का सम्मान करना चाहिये। जहां तक आपका सवाल है किसी के मन में कोई भी बात नहीं है। एक सप्ताह से जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही थी आप समय-समय पर सरकार को निर्देश देते रहे। सरकार की ओर से कभी आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है उससे सम्मानित सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आप भी उस पीठ से सरकार को निर्देश देते रहे हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये थी। आज जो स्थिति आई वह दुखद है। चाहे इधर बैठे लोग हों चाहे उधर बैठे लोग हों सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये विशेष रूप से सम्मानित सदस्यों को इस पीठ की मर्यादा रखनी चाहिये। यह भी सम्मानित सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसमें माननीय सदस्य ने खेद व्यक्त किया है। आप भी सरकार को निर्देशित करें कि जो नये-नये सदस्य आये हैं जो प्रश्न आते हैं उसमें आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है इसमें भी निर्देश देने की कृपा करें। आप जिस तरह से सदन का संचालन कर रहे हैं सचमुच वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा सदन नहीं चलाया जा सकता। धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मुझसे पहले हमारे भाई राम नक्षत्र जी और दल बहादुर जी बोले। यह दोनों महत्वपूर्ण लोग हैं इन्होंने अपनी भावनाओं को परिलक्षित किया उसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है। आप हमारी तरफ देखते रहते हैं तो प्रेरणा मिलती है। आप मेरी तरफ देखिए आप तो नीचे देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

सुन रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार—

1980 से लगभग 6 बार विधायक चुनकर आया हूं, कई सदस्यों की बातों को सुना है पढ़ा है। मान्यवर, आज अगर आप वैलेट करा लें

सर्वश्रेष्ठ स्पीकर का सर्वश्रेष्ठ स्पीकर यदि कोई होगा तो वह आप होंगे और कोई नहीं होगा। माननीय, हाई कोर्ट बार एसोसियेशन में आप की एक फोटो लगी है उसको देखा था। उसमें आप मुस्करा रहे थे वह बहुत अच्छी लगी, आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे। माननीय, आप जब मुस्कराते हैं तो पूरा सदन मुस्कराता है आप दुखी होते हैं तो पूरा सदन दुखी होता है। आपके दुखी होने पर सत्तापक्ष और विपक्ष सब दुखी हो जाते हैं। अगर माननीय हर गलतियां न करें तो इंसान क्यों कहलाये। फिर नये सदस्यों से गलतियां हो सकती हैं। माननीय, जो सदस्य पहली बार सदस्य चुनकर आए तो जब वह बोल रहे थे तो वह लड़खड़ा रहे थे बदम काप रहे थे। नये सदस्य हैं गल्ती हो गई। राम नक्षत्र जी का गलत इरादा नहीं हो सकता है। हम इनको सुनते रहते हैं। अभी गाड़ी पटरी पर नहीं बैठी है। वह दायें-बायें भागते हैं। उनकी मंशा आपके प्रति ऐसी नहीं थी। माननीय, घर में बच्चा जब नाराज होता है तो वह सबसे ज्यादा गुस्सा, नाराज मां-बाप पर होता है भाई-बहन ने मार दिया तो मां-बाप पर निकालता है तो सदन के मां-बाप तो आप हैं तो आप पर गुस्सा निकलता है। आपको जिस दिन ठेस पहुंचेगी, कोई ठेस पहुंचायेगा तो उससे हम सभी को ठेस पहुंचेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट के बार काउन्सिल में जिस तरह की आपकी मुस्कराते हुए तश्वीर लगी है उसी तरह से जब तक आप मुस्करायेंगे नहीं तब तक मैं बैठूंगा नहीं, भले ही आप मुझे इंगित कर सदन से बाहर निकलवा दें। लेकिन कृपया एक बार मुस्करा दें। मैं तभी बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष---

श्री तिवारी जी कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

कभी कोई चीज ज्यादा लगती है तो फिसलन आ जाती है। फिसल न सकूं, मेरी यही कोशिश है मेरी इस सम्मानित सदन के प्रत्येक सदस्य के प्रति अगर कोई भावना है तो वह सम्मान की भावना है। मैं यह समझता हूं कि माननीय राम नक्षत्र जी ने जो बातें कहीं वह पीठ की तरफ न कहकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह से अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति दिखाई जायेगी तो फिर सदन की कार्यवाही का विनियमन सम्भव नहीं हो पायेगा। मेरा दुख कहिये, मेरी पीड़ा कहिये वह इसी तक सीमित थी कि इस सदन को चलाएं कैसे ? इसीलिए कक्ष में माननीय सदस्य से कहा था कि हमें बताइए कि किस प्रकार सदन को चलाएं ? किस प्रकार सबका सहयोग प्राप्त हो। प्रश्न के उत्तर आते रहते हैं। कभी संतोषजनक आते हैं, कभी-कभी असंतोषजनक आते हैं, लेकिन माननीय सदस्य तो गम्भीर रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आप

सब अगर आक्रोशित हो जायेंगे तो फिर कठिनाई हो जाएगी । मेरी पीड़ा इतनी थी । दूसरी पीड़ा जरूर है कि सदन के जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वह पीठ के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं । अगर असंसदीय भाषा उनके साथ प्रयोग की जाएगी तो स्वाभाविक है उनके परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे तकलीफ होगी और प्रतिक्रिया भी हो सकती है । इतनी मैं जरूर अपेक्षा करता हूं कि सदस्यगण नियमावली पढ़कर आएं । जैसा कि पाल साहब ने कहा कि उसका तरीका है । कार्यसूची की एक मद के समाप्त होने और दूसरी मद के प्रारम्भ होने के बीच सदस्य अपनी बात कह सकते हैं और सुनने के लिए हम यहां बैठे हैं । विपक्ष के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सत्ता पक्ष बैठा हुआ है । सूचना एकत्र की जा रही है इस तरह के जवाब आना कोई असामान्य बात नहीं है । यह अनेक बार हो जाता है । जितने भी प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं वह सभी महत्वपूर्ण होते हैं । मैं समझता हूं कि यह हम सबका दायित्व है कि सदन में गम्भीर वातावरण बनाए रखें । एक बात जरूर है कि अगर कोई सदस्य प्रतिभावान है तो उसके साथ पक्षपात किए बिना उसे ज्यादा अवसर दे देता हूं । कभी उनको बुलाकर कह देता हूं कि थोड़ी अपनी आवाज धीमी करें । उससे राजनीति व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा । सबके पीछे हमारी भावना यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा अपनी एक गरिमा कायम कर सके । सदन को स्थगित करने में निश्चित रूप में प्रसन्नता नहीं होती थी चाहे मैं हूं या अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यगण हों । आप प्रश्नों को बढ़ाने में मेरा सहयोग दें इसी निवेदन के साथ इस प्रकरण को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, आज मेरा एक सवाल आया था । कार्य सूची में तारांकित प्रश्न–10 कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा कुछ नये जिलों का निर्माण किया गया है । यदि हां, तो क्या उक्त जिलों के लिए आवश्यक भवन आदि एवं विकास हेतु कोई धन की व्यवस्था की गई है । यदि नहीं, तो क्यों ? इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्या उक्त जिलों के लिये आवश्यक भवन एवं विकास हेतु कोई धन की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, यह प्रश्न कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी व मेरा था । सरकार की तरफ से इस आदरणीय सदन और माननीय सदस्यों को अंधेरे में रखा जा रहा है । एक सीधा सवाल है । हमें एक जिले का क्या या उत्तर प्रदेश में नये जिलों का सृजन यह सरकार

कर रहीं हैं तो उसके लिए धन की व्यवस्था अवश्य की गयी होगी इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसमें सूचना एकत्र करने की बात कही जाय। मैंने 3 जुलाई को यह सवाल लगाया था क्योंकि नीति विषयक था जिसमें राजस्व मंत्री या मुख्य सचिव द्वारा एक मिनट में उत्तर दिया जा सकता, माननीय मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कितने नये जिले हो गये हैं और कितने होने हैं। इस सरकार के मंत्री अगर इतने अक्षम हैं तो आज ही इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये। इस तरह के सवालों पर उनको सूचना एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है इससे बढ़िया व्यवस्था का सवाल इस आदरणीय सदन में नहीं आ सकता। मैं आपका समर्थन चाहता हूं। इसमें सरकार की सदाशयता संदिग्ध है। यह जिन्दा मक्खी निगलने का काम कर रही है इनके काम करने के तौर-तरीके ठीक नहीं है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज सदन में इसलिए उत्तेजना प्रकट हुई कि शासन से सीधे प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पा रहा है। यह जो प्रश्न पूछा गया है कि जिसमें सीधा-सीधा सवाल है कि जिले बना दिये गये हैं और यह सरकार के संज्ञान में है, यह बात है फिर भी सूचना एकत्र करने की कहां से बात आ गयी और जब यह सरकार इतनी संवेदनशील है तो उसे यही नहीं मालूम है कि कितने जिले बना दिये गये तो इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कृपया सरकार को यह निर्देश दें कि भविष्य में इस तरह का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आना चाहिये। एक बात और कहनी है कि सवाल चूंकि मेरा भी था अभी इसका जवाब नहीं मिल पाया है, कृपया यह करवा दें कि जिन सदस्यों के सवाल हों उसके जवाब आ जाया करें।

*श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)--

आज यह जो घटना हुई यह बहुत दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन एक व्यवस्था आपकी पीठ से जरूर चाहूंगा जो जवाब माननीय मन्त्री का आ रहा है, सूचनायें आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था जिसमें आलरेडी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सरकार का पक्ष निरस्त हो चुका है, उसके बाद भी जो जवाब आया है, मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था, न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जवाब नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि आपने अवधेश प्रसाद जी को सुना और जो हमारे सीनियर सदस्य हैं उनको भी सुना। मान्यवर, जो नये

*वक्ता मंत्री ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक आते हैं वह सोचते हैं कि विधान सभा में कोई सवाल लगा देगें तो उसका जो जबाब आयेगा वह सही आयेगा और उस पर कार्यवाही होगी लेकिन एक-दो बार आने के बाद उनको स्पष्ट हो जाता है और उन्हें धीरे-धीरे सारी प्रक्रिया की जानकारी हो जाती है, मान्यवर, जो गम्भीर सवाल हैं, जनजीवन से जुड़े हुए हैं उनका उत्तर शीघ्र अवश्य आना चाहिए, उत्तर न आने से जो नये विधायक हैं उनको कहीं न कहीं से पीड़ा पहुंचती है और वह विधायक अपना गुस्सा आपसे प्रकट करते हैं । मेरा कहने का आशय यही है कि सरकार को शीघ्र और स्पष्ट उत्तर आवश्यक रूप से दिये जाने का निर्देश दें, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री यशवन्त —

अभी ओम प्रकाश जी ने जो सवाल आपके बीच में किया । उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि हाई कोर्ट से फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में हुआ है जो चयनित होना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में । सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी, उसे खारिज कर दिया गया, उसके बावजूद भी गलत सूचना दी जा रही है, इसमें सावधानी होनी चाहिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, कल भी मेरा तारांकित प्रश्न लगा था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश बजट का 40 प्रतिशत बजट कृषि को प्रदान किया गया और यह प्रतिशत छठीं योजना में घटकर 30 प्रतिशत पर पहुंचा और सातवीं तथा आठवीं योजना में यह बजट घटते-घटते 21 प्रतिशत रह गया । यदि हां तो कृषि पर पूंजी निवेश को निरन्तर कम करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश की 72 प्रतिशत जनता गरीबी की ओर उन्मुख हुई । इस विषय में सरकार क्या उपाय कर रही है ? पहले उत्तर में आया कि इसे सन्दर्भित कर दिया गया है, फिर कहा गया कि कृषि मन्त्री जवाब दे रहे हैं । यह कृषि विभाग में गया, कृषि विभाग ने नियोजन में भेज दिया, नियोजन विभाग ने फिर कृषि विभाग को भेज दिया । मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार कम से कम यह तो तय करें कि सवाल का जवाब समय पर आना चाहिये । मेरा प्रश्न जून के महीने का है और जून के बाद से अभी तक इसका उत्तर नहीं आया । पहले इसका उत्तर नहीं दिया गया और अब कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । अब श्रीमन् सूचना कहां से आयेगी, यह हम जानना चाहते हैं । श्रीमन् मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि प्रश्न 3 विभागों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया और तीन बार वापस कर दिया गया । जब किसी चीज की सूचना आनी है । तो इतना धन बरबाद हुआ, समय बरबाद हुआ, आप सरकार को यह निर्देश दें कि जो भी प्रश्न तारांकित या अतारांकित हो, उसका उत्तर पूर्ति उपलब्ध करा दिया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना अग्रसारित की जा रही है, एकत्रित की जा रही है, इसी आधार पर प्रश्नों को टालने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिये, यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)—

मान्यवर, यह सही है कि सदन के प्रति इस सरकार की जवाबदेही है । जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का समुचित उत्तर सदन में आना चाहिये । सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जितना शीघ्र हो सके, उस उत्तर को आपके कार्यालय तक पहुंचा दिया जाय । कभी-कभी किसी प्रश्न पर सूचना की विशेष आवश्यकता होती है, कभी एकत्र करने में समय लगता है, इसलिये अगर विलम्ब होता है तो उसके बारे में भी अनुरोध किया जाता है, यह जरूरी है कि मैं आगे से यह कोशिश करूंगा कि इस तरह की परिपाटी समाप्त हो और जो जिस समय प्रश्न लगा हो, उसके अनुसार उसका समुचित उत्तर आ जाय ताकि माननीय सदस्य अवगत हो सकें और माननीय सदस्य को जो प्रश्न पूछना हो, वह उत्तरित हो सके । कोशिश में तो ज्यादातर सफलता मिलती है, अगर कहीं कुछ . . .

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, यह सही नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री का तो तीन तिरक्का नौ नहीं तीन तिरक्का चौदह होता है । मैंने पूछा था कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा कुछ नये जिलों का निर्माण किया गया है यदि हां तो क्या उक्त जिलों के लिये आवश्यक भवन आदि एवं विकास हेतु कोई धन की व्यवस्था की गई है, केवल इतना सा प्रश्न था । या तो इनके मंत्री जवाब नहीं देना चाहते या इनके सचिव और मंत्री के बीच सामंजस्य नहीं है । मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिये । मेरा स्पष्ट सवाल था और स्पष्ट जवाब आना चाहिये ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, जो बात माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कही है और माननीय ओम प्रकाश जी ने कही है, उसको मैं जानता हूं इसलिए मैंने एक जनरल बात कही है, एक सवाल के लिए नहीं कहा है, यह सभी सवालों के लिए है और इसके प्रति मैं गम्भीर हूं, इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी इसमें इस तरह की भ्र

परिपाटी न बने कि सूचना एकत्र की जा रही हैं । अगर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा आता है तो आपसे अनुरोध किया जाता है, आप इजाजत देते हैं तो वह स्थगित हो जाता है ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने जिले बने हैं और इन जिलों के लिए कितना धन आवंटित हुआ ह ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । सभी मंत्रियों की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है । तो यह विकास और निर्माण का पैसा जो केन्द्र के द्वारा आया था उसको भ्रष्टाचार में खर्च किया जा रहा है इसलिए माननीय मंत्री जी जानबूझकर मेरे इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर,, मेरी चुनौती है अवधेश प्रसाद जी को कि यह जो चीज कह रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

सदन में चुनौती नहीं दी जाती ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, अगर एक भी साबित कर देंगे भ्रष्टाचार इस सरकार का तो चुनौती है ।

मान्यवर, यह जो भी आरोप लगाना चाहते हैं इसकी एक प्रक्रिया नियमावली में हैं उसमें आपको लिखकर दें, मंत्री को दें । इनके एक एक आरोप का जवाब देने के लिए मैं सक्षम हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें ।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट--

मान्यवर, माननीय अवधेश जी और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने अपने-अपने सवालों पर आपकी व्यवस्था चाही है, मान्यवर, जब माननीय अवधेश जी ने आपके सामने बहुत स्पष्ट व्यवस्था के लिए बात रख दी तो फिर उसमें गुमराह करने की क्या बात है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री बड़ी चुनौती के साथ कहते हैं लेकिन यह सवाल ही साबित करता है कि 10–11 जिले घोषित हुए और आप उसका नाम नहीं बता सकते हैं उसकी जगह नहीं बता सकते हैं, तो इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार आप पर और मंत्री पर क्या लग सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें ।

[श्री बाबू राम के बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्नकाल नहीं है, मुझे व्यवस्था देने दें ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मेरे पास में बैठे माननीय सदस्य के बारे में तो बात करते हैं लेकिन उससे ज्यादा इतने आक्रोश में हमारे माननीय ससंदीय कार्य मंत्री उठे कि मैं समझता हूं कि अगर बीच में जगह न होती तो और कुछ भी करते । मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी कोई [× × ×] नहीं है अवधेश प्रसाद जी के आगे, जनता ने इनको [× ×] कर दिया है । जनता ने इनको [× ×] कर दिया है । इनको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है । [× × × ×] यहां आ गये हैं, इन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाना चाहिए । और जब जनता चुनकर भेजे तभी इनको यहां आना चाहिए । [× × × ×] ।

[घोर व्यवधान]

श्री अध्यक्ष—

व्यक्तिगत बातें हैं यह रिकार्ड में नहीं आयेंगी, मुझे व्यवस्था देने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग शांत रहें । आप लोग बैठ जायें ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायें ।

अभी माननीय सदस्यों ने प्रश्नोत्तर के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की और असंतोष भी प्रकट किया । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी सरकार की

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मंशा बतायी । मेरा एक निवेदन है कि प्रक्रिया नियमावली में कितने दिन पूर्व सम्बन्धित सचिव या मंत्री को प्रश्न भेजा जायेगा उसकी तिथि निर्धारित है । कितने दिन के अन्दर इसका उत्तर आ जायेगा । उसकी अवधि निर्धारित है । सामान्यतया वह अवधि पर्याप्त है चूंकि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उस अवधि में आ जाते है । वह उत्तर संतोषजनक या असंतोषजनक होते हैं इस पर मैं नहीं जाता हूं । यह अपवाद होना चाहिए कि सूचना एकत्र की जा रही है । प्रायः यह होता है कि जो प्रश्न विस्तीर्ण होते हैं, जिसमें अधिक सूचना की आवश्यकता होती है वह निरस्त हो जाते हैं । इसलिए ऐसा किया जाता है कि निर्धारित समय के अन्दर प्रश्न विभाग अथवा यह एक धारणा बना ली जाती है कि सरकार उत्तर नहीं दे पायेगी चूंकि उत्तर लम्बा होगा । इसलिए वह निरस्त हो जाते हैं । जो प्रश्न विस्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हीं को उत्तर के लिए भेजा जाता है अर्थात् प्रथम दृष्टया प्रश्न विभाग समझता है कि निर्धारित समय के अन्दर आ जायेगा । इसलिए सूचना एकत्र की जा रही है, इस प्रकार का उत्तर अपवाद होना चाहिए, यह नियम नहीं होना चाहिए । मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अपने शासन के विभागों को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए जो आवश्यक निर्देश हों वह दें । कोई भी सरकार हो, मंत्री हों यदि नीचे से उत्तर आ जायेगा कि सूचना एकत्र की जा रही है, इससे अधिकारी जवाब से बच जायेंगे, लेकिन इससे विधायिका के प्रति न तो सम्मान बढ़ता है और न उत्तरदायित्व का सही निर्धारण हो पाता है । इसलिए विधायिका को जानने के लिए कि कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य कर रही है उसमें प्रश्नों का उत्तर देना उचित होगा । प्रशासन को भी इस बात पर बल देना उचित होगा । इसलिए मन्त्री जी इस बात के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दें कि यथासंभव सूचना एकत्र करके समय के अन्दर उत्तर भेज दिया करें । यदि सूचना एकत्र नहीं हो पा रही है या एकत्र की जा रही है तो सदन को बतायें या ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम मंत्री को बता दें कि यह कारण है जिससे समय के अन्दर सूचना क्यों नहीं प्राप्त हुई ताकि माननीय सदस्यों के पूछने पर मंत्री जी स्पष्ट करने के लिए यहां तैयार रहें । यही मेरा निर्देश है ।

एक माननीय सदस्य ने अभी यह भी कहा था कि भ्रामक या गलत उत्तर आ जाते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है और निदेश 165-166 का सहारा लें । यदि इसके अन्दर सूचना आयेगी कि सदन को भ्रामक, या गलत सूचना दी गई है तो उसका अनुपालन करते हुए हम कार्यवाही करते हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

आज दिनांक 31 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

(निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी नौआबाद में निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजपाल सिंह--

[मान्यवर, मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम गढ़ी नौआबाद में हरि आवास के द्वारा एक प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है । उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में निर्माण सामग्री बहुत ही घटिया किस्म की लगाई गई है । स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित होने से पहले ही भवन का प्लास्टर गिरना शुरू हो गया तथा छतें टपक रही हैं । फर्श अनेक स्थानों पर धंस चुकी हैं । नीव कहीं के कहीं से खाली, जाली बहुत घटिया किस्म की लगी हैं । दरवाजों की लकड़ी खराब हैं व उस लकड़ी में जोड़ हैं । मारबल में सफाई व घोटाई नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से शिकायत की गई । मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां के सी0 एम0 ओ0 व अधिकारियों ने सांठ-गांठ करके उपरोक्त विभाग स्वारथ्य विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अतः मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन व सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग करता हूं ।]

प्रतापगढ़ के मान्धाता/ब्लाक की नहरों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र नाथ सिंह तथा श्री राजा राम पाण्डेय--

महोदय, इस वर्ष जून एवं जुलाई माह में प्रतापगढ़ में मान्धाता ब्लाक की नहरों तथा सदर ब्लाक की नहरों तथा राजबहा में टेल तक पानी नहीं आ रहा है जिससे किसानों की फसल सूख रही है इस बार धान की फसल नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लगा सके लाखों रुपये की क्षति किसानों को हुई है। नहरों तथा टेल की उचित मात्रा में सफाई नहीं हुई, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीब किसानों को जिनकी फसल नष्ट हुई है उन्हें मुआवजा दिलाया जाये, सिंचाई लगान माफ किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि टेलों तक पानी अवश्य रहे।

बुलन्दशहर के शिकारपुर निर्वाचन क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार---

[मान्यवर, मैं एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।]

मान्यवर, आज आजादी के 50 वर्षों के बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर (बुलन्दशहर) में कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण क्षेत्र की मेधावी कन्यायें उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं तथा मजबूरी में दूर पढ़ने जाती हैं जिससे कई बार अप्रिय घटना भी घटित हुई है।

क्षेत्र में महाविद्यालय न होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया है जो कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है, जबकि मैं महाविद्यालय को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने को भी तत्पर हूं।

अतः मेरी मांग है कि शिकारपुर में कन्या महाविद्यालय अविलम्ब खोलने की कार्यवाही की जाये।]

फिरोजाबाद नगर परिषद् पालिका में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

[माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिला फिरोजाबाद की नगर परिषद्, पालिका फिरोजाबाद आजकल घोर वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलों का भुगतान एवं फर्जी निर्माण कार्य कागजों पर दिखाकर ठेकेदारों को लाखों रुपया भुगतान कर भारी गबन घोटाला का मामला है। जिससे नगर परिषद् पालिका फिरोजाबाद खोखली होती जा रही है। नतीजा है कि परिषद् कर्मचारियों के वेतन

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

नहीं दे पाती है । अभी 6 माह का वेतन बकाया है जिससे कर्मचारियों व नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है ।

अध्यक्ष नगर परिषद् फर्जी बिलों पर और कागजों पर गली, खड़न्जा, नाली निर्माण, सड़क निर्माण दर्शाकर तथा मरम्मत के नाम पर फर्जी बिलों के भुगतान एक लम्बी रकम के कमीशन को प्राप्त करके पालिका के धन दोहन करने में लगे हैं। यह गम्भीर मामला सार्वजनिक धन की लूट का असहनीय है ।

दिनांक 23-7-97 की बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष ने सभासदों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के प्रश्न उपस्थित करने पर कि मरम्मत बिना नाले नालियों की सफाई कराये तथा बिना खड़न्जा बिछवाये कागजों पर कार्य दर्शाकर लाखों का भुगतान करके अध्यक्ष ने कमीशनखोरी की है तो अध्यक्ष ने कहा कि कमीशन लेता हूं, लूंगा कोई कुछ नहीं कर सकता । अध्यक्ष की खुली घोषणा से सच्चाई उजागर हुई अध्यक्ष के इस आचरण पर जनता एवं कर्मचारी आन्दोलन पर उतारू है ।

अस्तु अविलम्ब लखनऊ स्तर से जांच और वित्तीय नियंत्रण आवश्यकता को पूरा करने की जांच पैनल बैठाया जाय । वित्तीय अनुशासन बनाने को प्रभावी कार्यवाही तुरन्त किए जाने की मांग करता हूं ताकि नगर परिषद को वित्तीय संकट से बचाया जा सके ।]

जनपद हरदोई के सल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के खराब मार्गों को डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मेन्द्र मिश्र—

[जनपद हरदोई के 91 सल्लांवा निर्वाचन क्षेत्र की अनेक सड़कों पर बीसों वर्ष पूर्व लगा खड़न्जा उखड़कर ध्वस्त हो गया है तथा उक्त सड़कों की मिट्टी कटकर बह चुकी है । जनहित में उखड़े खड़न्जों को पुनः लगाकर डामरीकरण कराया जाये जिसके कारण वहां की जनता में आक्रोश है । इसके अतिरिक्त तमाम बड़ी आबादी वाले ग्रामों को अभी तक मुख्य सड़कों से जोड़ा नहीं गया है । जिन ग्रामों में सड़कों की व्यवस्था नहीं है उन तमाम ग्रामों की सड़कों का निर्माण तत्काल कराया जाये ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1--मल्लांवा हरदोई रोड से तेजीपुर होते हुये कबीरपुर तक, 2--कटिया भिखारीपुर से नसीरपुर तक, 3--मल्लांवा सण्डीला मार्ग से निर्मल नगर से गांझ-गांव बांसा तक, 4--भगवन्तनगर से तेजीपुर तक, 5--कटिया भिखारीपुर नहर पुल से बखौरा इब्राहीमपुर तक, 6--नयागांव से दारूकुईया तक, 7--मल्लांवा सण्डीला रोड से लल्लिहापुर तथा समुखा तक, 8--ग्राम साहपुर पंवार तक, 10--मल्लांवा सण्डीला रोड से हैरवल तक, 11--गंज जलालाबाद नसीरपुर रोड से तेरिया भवानीपुर तक, 12--कटिया भिखारीपुर कोठी से दारूकुईया तक, 13--बांसा से खेरवा तक, 14--कटिया से भिखारीपुर से फुलई तक, 15--बिलग्राम राजबहा से ग्राम बलेन्दा तक, 16--माधो गंज रोड से ग्राम बरहम होते हुए दलनपुरवा तक, 17--बिलग्राम जरौली से नेवादा रोड से ग्राम सढ़ियापुर तक, 18--माधोगंज उन्नाव रोड से पिपरांवा तक, 19--बिलग्राम राजबहा से जरौली तक, 20--गुजरई से ग्राम बिरौली तक, 21--राघवपुर रोड़ से ग्राम ठठिया तक, 22--राघवपुर रोड से रामगढ़ी बलेरा तक, 23--राघवगंज रोड से ग्राम ठठिया तक, 24--राघवपुर रोड से रामगढ़ी बलेरा तक, 24--माधोगंज बघौली रोड फिरोजपुर तक, 25--माधोगंज उन्नाव रोड से रुकनापुर तक, 26--मल्लांवा गौसगंज रोड से नया गांव, 27--कटया भिखारीपुर नसीरपुर रोड से ग्राम तेरया भिवानीपुर तक, 28--माधोगंज बघौली रोड से फिरोजपुर तक, 29--कटिया भिखारीपुर से ग्राम सरांय सुल्तानपुर तक, 30--मल्लांवा उन्नाव रोड से ग्राम सरांय गौरी तक, 31--बेरिया नजीरपुर रोड से रामपुर महमूद तक, 32--छिबरामऊ परसीला रोड से रामेश्वर टोला तक, 33--बिलग्राम से ग्राम पंचायत दीवाली तक सेमरा चौराहा के सान्डी रोड से ग्राम कुद्दारी तक ।

ज्ञातव्य है कि सम्बन्धित अधिकारियों की उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण जनता आवागमन की गम्भीर समस्या से ग्रस्त हैं। एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है ऐसी दशा में सदन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है । जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।]

जनपद कौशाम्बी में ग्राम पहाड़पुर होकर थोन जा रहे मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अयोध्या प्रसाद पाल तथा श्री किशन लाल बघेल--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अझुआ बाजार, जनपद कौशाम्बी से मण्डी

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परिषद की सड़क ग्राम पहाड़पुर होकर ग्राम थोन को जाती है । उक्त रोड का डामरीकरण लगभग 5 कि0 मी0 ही किया गया है बाकी लगभग 6 कि0 मी0 रोड पर बड़े-बड़े बोल्डर पड़े हुये हैं जिसके कारण उक्त सड़क पर किसी वाहन का चलना तो दूर पैदल चलना भी अत्यन्त मुश्किल है । उक्त रोड के अभाव में न तो जनजीवन ही सामान्य है न ही कृषक अपने फसल को बाजार तक ले जाने में सफल हो पा रहे हैं । इस अस्त-व्यस्त सड़क के कारण विकास की दृष्टि से उक्त क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है और पिछड़ता ही जा रहा है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि अझुआ बाजार से ग्राम पहाड़पुर होकर ग्राम थोन जा रहे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की व्यवस्था अतिशीघ्र की जाये ताकि उक्त क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो सके ।]

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी । श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री कृपाशंकर सिंह, श्री इकबाल अहमूद, श्री मुन्नालाल मौर्य, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री महाराज सिंह यादव, श्रीमती कृष्णाराज, श्री हरि नारायण, श्री हरबंश कपूर, श्री मोहन सिंह रावत गांधवासी, श्री समरपाल सिंह, श्री संग्राम सिंह, डा0 गंगा बख्श सिंह, डा0 सुरजीत सिंह डंग, श्री भारत सिंह रावत, श्री मेजर जगतपाल सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, डा0 रमेश पोखरियाल निशंक, श्री अमरमणि, श्री बाबू लाल, श्री रामकृपाल, श्री कैलाश यादव, श्री दीपालाल भारती, श्री जोखू लाल यादव, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री दलवीर सिंह ।

(1 बजकर 30 मिनट)

औचारिक प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को ले रहा हूं । नियम 300 में कुछ सूचनाएं ऐसी थी, जिन्हें नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है । पहली सूचना डाक्टर लक्ष्मी कान्त वाजपेयी जी की है । मेरा एक निवेदन है । कल सदन बहुत देर तक बैठा था । कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि कुछ नियमों के अन्तर्गत जो सूचनाएं ली जाती हैं, उनमें समय बहुत अधिक लग जाता है । इसलिए डाक्टर लक्ष्मी कान्त वाजपेयी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह ग्राह्यता पर दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बजट सत्र में नियम 56 के अन्तर्गत ली जा रही सूचनाओं के कारण बजट पर चर्चा का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

माननीय सदस्यों के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई, उन्हीं भावनाओं के तहत संरक्षण प्राप्त करते हुए, अपनी बात कहना चाहता हूं । नियम 300 के अन्तर्गत जो मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसका बजट पर चर्चा से सीधा सम्बन्ध है । मान्यवर, बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं और बजट के माध्यम से ही वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को इस आदरणीय सदन में उठाना चाहते हैं । परन्तु कार्य संचालन नियमावली के तहत नियम 56 के अन्तर्गत इतनी लम्बी चर्चा हो जाती है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्यों को अपने विचार रख पाने का अधिकार व अवसर नहीं मिल पाता है । ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य अलग हों और विपक्ष के अलग हों सभी माननीय सदस्य बजट पर बोलना चाहते हैं । कल रात यहां पर ऐसी स्थिति आ गई कि 7 माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे थे और 52 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष में बैठे थे और रात के 12 बजने में मात्र 4 मिनट शेष रह गए थे और चार विभागों के बजट को एक साथ मिला करके चर्चा करा दी गई । मान्यवर, शायद जिस उद्देश्य से हम यहां पर चुनकर आये हैं, उस उद्देश्य के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं । अब मैं दो- तीन उदाहरण देना चाहता हूं, इसी नियम 300 के अन्तर्गत आपकी गरिमामयीपीठ से पूर्व में जो निर्देश दिये गये थे, मैं उसी को उद्घृत कर रहा हूं, दिनांक 17 मई, 1979 को श्री देव बहादुर सिंह व श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाया था । उस समय श्रद्धेय तिवारी जी, माननीय नेता विरोधी दल थें और माननीय श्री बनारसी दास जी नेता सदन थे । तो उस समय आपकी पीठ से जो निर्देश दिये गये वह इस प्रकार हैं, मैं उसको अग्राह्य कर चुका हूं । जब बजट पर चर्चा चल रही हो तो नियम 56 में कोई सूचना स्वीकृत नहीं होती है । इसे मैं पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं । इसी प्रकार 3 मार्च, 1959 को भी इसी प्रकार की व्यवस्था आपकी पीठ से दी गई । खण्ड 202, पृष्ठ 300 को आप देखें "आय-व्ययक पर विवाद के दिनों में केवल उन्हीं विशेष महत्व के कार्य-स्थगन प्रस्तावों को विवाद के लिये स्वीकार किया जा सकता है जिनके बारे में अध्यक्ष को यह आभास हो जाय कि आय-व्ययक के विवाद में उन प्रश्नों को उठाया नहीं जा सकता है अथवा उतनी चर्चा उन पर नहीं हो सकती, जितनी कि होनी चाहिये । इसी प्रकार खण्ड 184 पृष्ठ 79, खण्ड 185

पृष्ठ 192 खण्ड 195 पृष्ठ 35 आदि अनेकों बार इस प्रकार की व्यवस्था पीठ से दी गई है ।

अब मान्यवर, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को महसूस करते हैं कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यदि हम अपने विचार नहीं रख सके, अपने सुझाव नहीं रख सके और अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं रख सके, तो हम सही मायने में जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, उससे विमुख हो जायेंगे । क्योंकि मान्यवर, इसी बजट के माध्यम से हमने अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य कराने हैं । अब कल पास हुए बजटों को ही ले लीजिए । रात के 12 बज गये और कुछ 68 विधायक इस आदरणीय सदन में उपस्थित हों, और 9 विभागों का बजट शेष रह गया हो, तो ऐसे में स्वास्थ्य चर्चा कैसे बजटों पर हो सकती है । जिस समय यहां पर माननीय सदस्य उपस्थित रहते हैं, प्रेस यहां पर रहता है, उस समय तो यहां पर सायं 6 बजे तक नियम 56 ही चलता रहता है और जब रात के 12 व एक बजे बजट प्रस्तुत होता है तो उस समय न यहां विधायक रहते हैं और न प्रेस यहां पर रहता है, जिस कारण माननीय सदस्य बजट के माध्यम से अपने क्षेत्र के बिकास से सम्बन्धित समस्याओं को इस आदरणीय सदन में नहीं रख पाते हैं । इसलिए मेरा इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब बजट चल रहे हों तो उस समय नियम 56 को स्थगित रखा जाय और बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्यों को विस्तार से अपनी बात कहने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अवसर मिल सके । क्योंकि पूर्व में भी पीठ से इस प्रकार के निर्देश हुए हैं । और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । लेकिन मान्यवर, आप दोष तो देखें । दोष इधर बैठे लोगों का नहीं है, दोष तो है सरकार में बैठे लोगों का । क्यों सरकार एक दिन में 6-6 बिभागों के बजटों को ला रही है । एक दिन में एक बजट आये तो सभी माननीय सदस्यों को विस्तार से अपनी बात रखने का अवसर भी मिल जायेगा । मान्यवर, आज तक के इतिहास में इतने कम दिनों में इतने ज्यादा विभागों का बजट पारित नहीं हुआ है । इसलिए मान्यवर, अगर आप कोई निर्देश देना चाहते हों तो सरकार को दें और आज ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलवा लें और यह तय कर लें कि सत्र को 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाता है और एक दिन में एक ही बजट आयेगा । इसी पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*श्री अमरमणि--

इतने बजट पर इतने कम समय में चर्चा हो, मान्यवर, कोई स्वस्थ चर्चा नहीं हो सकती है । मान्यवर, जब रात के 12 बजे या एक बजे बजट आयेगा तो माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं होते हैं । इसलिए आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलवा लें और 15 या 20 दिन का समय और बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

*श्री मुराद लारी--

मान्यवर, जब 1990 में इनके नेता माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तब पूरा का पूरा बजट एक दिन में ही पास करा लिया था ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं एक डिसिप्लिड सदस्य हूं । कल की व्यथा हमारे मन में है । मान्यवर, कल जिस तरह से तीन-तीन चार-चार विभागों का बजट एक साथ आया और वह पास हो गया उसका मुझे बड़ा दुख है । मैं पूरी तैयारी के साथ आया था कि इस पर बोलूंगा लेकिन उतना बोल नहीं पाया । मान्यवर, जिस तरीके से लोग कूद-कूद कर बोलने का प्रयास करते हैं, प्रेस वाले भी बैठते हैं, वे इस बात को नोटिस में लेते हैं और उनका नाम छाप देते हैं तो इस तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगायी जानी चाहिए । जब कोई अच्छी बात होती है तो कदाचित समाचार-पत्रों में संज्ञान नहीं लिया जाता है और जब इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो वह तत्काल प्रेस में आ जाती है । उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सन् 77 में धोखे से मेरे हाथ से माइक टूट गया था और उसे सारे हिन्दुस्तान में अखबारों में इस तरफ छाप दिया था और मुझको हीरो बना दिया था । मान्यवर, अगर गंभीर प्रकरणों का उल्लेख नहीं होगा तो प्रदेश की समस्या की तरफ जो लोग सुझाव देना चाहते हैं उनका उत्साह कम होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो प्रकरण उठा है पहले मुझे उस पर बोल लेने दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन का समय 11.00 बजे से 5.00 बजे तक का है । कल 12.00 बजे तक बजट पास हुआ । अगर इसी तरह से बजट पास होगा तो कौन बैठेगा [××××]

श्री अध्यक्ष—

हम पत्रकारों का संज्ञान नहीं लेते हैं ।

श्री मित्र सेन यादव—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष जो प्रश्न उपस्थित किया है, हम लोगों के मन की बात कही, जिन चीजों का उद्धरण दिया गया है, कभी भी जीरो आवर को समाप्त करने की बात नहीं आयी है इन्हें स्वयं देखना चाहिये कि पहले एक बजट एक दिन में आता था और अब 4–4 बजट एक दिन में आ रहे हैं सरकार अपने कार्य क्रम को नहीं देखती है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । आप कार्य मंत्रणा समिति को बुलाकर एक दिन में एक बजट लाने का प्रस्ताव करायें, जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

काफी विचार आ गये हैं ।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल—

माननीय सदस्य डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी ने नियम 300 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया । कल की स्थिति आपने देखी और आपको कहना पड़ा कि रात के 12 बज गये हैं, कर्मचारियों को कहना पड़ा और कोरम की स्थिति आ गयी । जो सदस्य प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से अपना नाम छपवाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सकारात्मक चर्चा आनी चाहिये वह नहीं आ रही है । मैं मान रहा हूं कुछ न कुछ बजट का भार बढ़ा है । 1990 की स्थिति ऐसी थी कि आधे घन्टे में पूरा बजट पास हो गया था, हम वह नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सकारात्मक चर्चा हो । मान्यवर, कल जब ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी, माननीय मन्त्री ने कहा कि पूरी बात कह लेने दें, लेकिन विपक्ष ने कहा कि शार्ट से शार्ट उत्तर दें, हम लोगों को जाना है । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात का निर्देश दें कि पहले भी नियम 56 को स्थगित किया गया है, अगर नियम 56 को स्थगित कर दें और बजट पर सकारात्मक

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चर्चा हो जाये तो माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि उन्होंने विधान सभा में यह प्रश्न उठाया और उनके क्षेत्र को लाभ हो सकता है। लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, अगर हमें यहां अवसर नहीं मिलेगा उनकी समस्याओं को उठाने का तो उनके साथ अन्याय होगा।

* श्री समर पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि सदस्यों को बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिले लेकिन मान्यवर यह तभी संभव हो सकेगा जब एक दिन में एक बजट लिया जाये; 6-6 विभागों के बजट अगर एक दिन में लिये जायेंगे तो सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री के सामने कौन सी बाध्यता है कि बजट सत्र का समय नहीं बढ़ा सकते हैं। जोरो आवर को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। विधान सभा का सत्र 10-15 दिन बढ़ाने में क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ा दें।

श्री राम नरेश यादव—

अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए, जितने भी सदस्य हैं, चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सभी लोग बजट की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, किन्तु प्रश्न यह है कि यह कैसे सम्भव हो इस पर विचार करना पड़ेगा। कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार कर ले, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि सदन के समय को बढ़ाया जाना चाहिये जब तक समय नहीं बढ़ाया जायेगा सम्मानित सदस्य अपने क्षेत्रों की भावना को नहीं रख सकेंगे और तब तक उनको संतोष नहीं होगा। जनता देखना चाहती है कि उनके द्वारा चुने हुए लोग विधान सभा में क्या करते हैं इसलिए आपसे आग्रह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर इस सदन का जो समय है उसको बढ़ा दें, ताकि विभिन्न विभागों के बजट पर सम्मानित सदस्य चर्चा कर सकें। और प्रदेश के लोग भी जान सकें कि सचमुच यह सदन कितना जीवंत होकर बजट पर चर्चा कर रही है। यह हमारा आग्रह है आप सरकार को भी निर्दिष्ट करें। संसदीय कार्यमन्त्री जी को भी निर्दिष्ट करें। गम्भीरता से इस विषय पर सोचें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूं, उसमें विचार हो जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश--

मान्यवर, शुक्ला जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा जो 1990 की बात को बार-बार कोट किया जाता है। मैं कहूंगा की कार्यमंत्रणा समिति कार्यवाही को दिखवा लें। इतने दिन सदन चला था और वह परिस्थितियां भी क्या थीं। गलत काम कोट करने से सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी। जो बार-बार शुक्ला जी या दूसरों के द्वारा कोट किया जाता है। उस कार्यमंत्रणा समिति सूची बंटवा दें कि कितने दिन सदन चला था और कितने दिनों में बजट पास हुआ था। बार-बार जो कोट किया जा रहा है, उससे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस समय जो प्रश्न है वह यह है कि नियम 56 के प्रश्नों को लेना है या नहीं लेना है। जहां तक कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की बात है वह मैंने बुलाई है, उसमें जैसा निर्णय होगा उसकी संस्तुतियां आपके सामने आयेंगी।

(व्यवधान)

वर्तमान आय-व्ययक सत्र मे सदन के उपवेशनों की संख्या कम होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी की।

श्री अमरमणि--

मान्यवर, 17 जुलाई, 1997 और 21 जुलाई, 1997 को दो बार, एक बार माननीय सतीश अग्रवाल जी ने दूसरी बार माननीय अम्मार रिजवी साहब ने इस सदन के संज्ञान में यह विषय लाया है। जो यह दिवसों का निर्धारण सदन की बैठकों का कार्यमंत्रणा समिति ने किया है वह बहुत कम है। उस पर आपने भी व्यवस्था दी है कि यह सुझाव महत्वपूर्ण है। इसे कार्यमंत्रणा समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। आज तक 10 दिन हो गये इस सदन के चलते हुए अभी तक हम जान नहीं पाये इसकी अवधि बढ़ी या नहीं। जैसा हीरक जयंती में बड़े-बड़े नेतागण यहां एकत्रित थे। उन्होंने जोर दिया कि कम से कम 90 दिन सदन की बैठकों के कार्य दिवस निर्धारित हों ताकि सभी माननीय सदस्यों की बातें खुलकर सामने आ सकें और स्पष्ट लोकतांत्रिक परम्परा बने। जैसा कि आपने देखा बार-बार यह विषय आ रहा है। सभी सदस्यों की भावना है एक दिन में 6-6 बजट यहां आ रहे हैं। कल 12-00 बजे रात तक आप बैठे रहे। इधर के पांच सदस्य और उधर से 15 सदस्य उपस्थित थे।

हमारे ग्राम विकास विभाग के बारे में तमाम सुझाव थे जिन्हें हम नहीं दे पाये । इसलिए मैं आपकी पीठ से व्यवस्था चाहता हूं कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई या नहीं हुई अगर हुई तो क्या तय किया गया । कम से कम 15 दिन की अवधि और बढ़ा दी जाय इस बीच में 4 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन होना है परम्परानुसार इस बीच छुट्टी कर दी जाती है और यहां भी 4 दिन की छुट्टी है । इसको भी आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई । माननीय सदस्य जो अपने क्षेत्र की समस्यायें सदन के सम्मुख मजबूती से रखना चाहते हैं । तभी बजट पर पूरी क्षमता से नए और पुराने सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं ।

अगर इस तरीके से एक दिन 6–8 विभागों के बजट आयेंगे तो कैसे उन पर सही ढंग से विचार हो सकता है । यह अलोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक पद्धति की हत्या है । अतः मैं चाहूंगा कि सदन की बैठक कम से कम 15 दिन और बढ़ायी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 21 जुलाई, 1997 के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुयी थी और उसकी संस्तुति इस सदन में प्रस्तुत हुई थी और सदन ने उसको स्वीकार किया था । जैसे–जैसे संशोधन आते हैं कार्य मंत्रणा समिति विचार करती है और उसके अनुसार कार्यक्रम में परिवर्तन होता है और उसकी सूचना सदन को दी जाती है । इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

लखनऊ के ओ0 सी0 आर0 बी0 ब्लाक में लिफ्ट की खराबी के कारण विधायकों को हो रही असुविधा एवं असुरक्षा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना माननीय रमेश पोखरियाल "निशंक" की है, इसकी ओर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"—

मान्यवर, ओ0 सी0 आर0 के बी ब्लाक में माननीय सदस्यगण और अधिकारीगण रहते हैं । इसके अलावा मंत्री आवास के न्यू ब्लाक डालीबाग में इन दोनों जगहों पर लिफ्टों की हालत खराब है । 1993–94 से मैं ओ0 सी0 आर0 में रहता हूं । 2 बार वह लिफ्ट टूट चुकी है । ओ0 सी0 आर0 की लिफ्ट टूटने से उसमें 5–6 लोग घायल हुए हैं । वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय अमित अग्रवाल जी रहते हैं वह स्वयं गिरकर घायल हो चुके हैं। वहां लिफ्ट संचालित करने वालों के बोर्ड लगे हैं जिसमें उनके नाम लिखे हैं लेकिन 1993–94 से आज तक मैंने किसी को लिफ्ट चलाते नहीं देखा। 2 घटनायें वहां पर हो चुकी हैं। वहां की एक लिफ्ट वर्षों से बन्द पड़ी है और अन्य दो जो हैं वह अक्सर खराब रहती हैं। इस सम्बन्ध में नियम 301 और नियम 51 में सूचना दी गयी है लेकिन आज तक वह ठीक नहीं हैं। जब लिफ्ट फंस जाती है तो अलार्म बजाने पर घंटी को ठीक करने नहीं आता है। लिफ्ट में जो पंखा लगा है वह नहीं चलता। उसमें दो सदस्य पिछली बार बेहोश हो गये थे। इस महत्वपूर्ण सूचना पर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष––

इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं क्योंकि यह नियम 300 में नहीं आती है।

जन प्रतिनिधियों द्वारा देवरिया जनपद म सम्पर्क मार्गों के उद्घाटन पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आपत्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष––

अगली सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की है। यह भी नियम 300 में नहीं आती है। श्री शाही जी आप नियमों का उल्लेख करें जिनका उल्लंघन हो रहा है।

*श्री सूर्य प्रताप शाही––

मान्यवर, विधान सभा सदस्यों, लोक सभा सदस्यों और विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन संविधान के नियमों के अन्तर्गत होता है। निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के नाते उनके कुछ विधायी और प्रशासनिक अधिकार होते हैं। लेकिन कुछ दिनों से यह परम्परा शुरू हो गयी है कि नौकरशाही चुने हुये जन प्रतिनिधियों की घोर अवमानना कर रही है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह चुने हुये जन प्रतिनिधियों का अधिकार है कि वह किसी कार्यक्रम का उद्घाटन या शिलान्यास करें लेकिन नौकरशाही द्वारा उनके इस अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया के सी0 डी0 ओ0 ने अधिकारियों को निर्देश दिया और उसके आधार पर एक पत्र सभी जन प्रतिनिधियों को भेजा गया है । उस पत्र की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं । इसमें है कि "गत कुछ दिनों से यह जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित/निर्माण कराये जा रहे संपर्क मार्गों का उद्घाटन मा0 जन प्रतिनिधि गण कर रहे हैं । यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि उक्त उद्घाटन कार्यदायी संस्थाओं अथवा माननीय जन प्रतिनिधिगण द्वारा किस प्राविधान के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि एक पक्ष के अन्दर उक्त से सम्बन्धित अपने क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराने की कृपा करें" ।

माननीय सदस्य, भदोही और उन्नाव के पास ऐसा ही पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण मांगने का यह अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को कहां से प्राप्त है । चूंकि योजनाओं के उद्घाटन करने की परम्परा अधिकारियों द्वारा धीरे-धीरे बनती जा रही है वह चाहते हैं कि उनका नाम अखबारों में अच्छे ढंग से छपे और उद्घाटन करते हैं कि उनका फोटो और चित्र समाचार-पत्रों में छपे इस तरह से मान्यवर, चुने हुए जन प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और स्पष्टीकरण मांगा जाना, उनकी अवहेलना की जा रही है । ऐसे काम लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह हैं । इसे औचित्य के रूप में मैंने उठाकर मान्यवर, आपको इस पर व्यवस्था चाही है ।

[व्यवधान]

श्री अमर मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, इसी तरीके से जैसा माननीय शाही जी ने प्रश्न उठाया है । मान्यवर, हम लोगों को चुन कर आये हुए 11 महीने हो गये । मान्यवर, आज तक जनपद महराजगंज में जिला योजना की बैठक नहीं हुई । इसके बारे में बार-बार कहा भी गया है । वहां के 6 विधायक हैं । जिलाधिकारी को लिखकर दिया कि जिला योजना की बैठक बुलायें लेकिन वह कहते हैं कि जब तक मंत्री जी उसकी अध्यक्षता करने नहीं आयेंगे तब तक बैठक होना सम्भव नहीं है । तो मान्यवर, इस पर भी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जो जैसा कि शाही जो (व्यवधान) अब, मैं किसी को नहीं सुनूंगा । आपके इस सूचना पर हस्ताक्षर भी नहीं है । आप अलग से सूचना भेजियेगा । एक-एक व्यक्तिगत घटना का उल्लेख नहीं होगा । माननीय संसदीय

कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि माननीय शाही जी ने अपनी सूचना के साथ मुख्य विकास अधिकारी का पत्र भी संलग्न किया है । कृपया इसे दिखवा लें । विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है । विधायक उद्घाटन के लिए तब जाते होंगे या सांसद महोदय तब ही जाते होंगे जब सम्बन्धित विभाग का उस जनपद का उच्च अधिकारी उनसे निवेदन करता होगा कि उद्घाटन कर दें । इसको आप जरूर दिखवा लें । स्थिति दयनीय है, संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में लाते हुए इस सूचना को इस आधार पर निरस्त करता हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

दिनांक 30-7-97 को सदन की कार्यवाही रात्रि में लगभग 11.55 बजे तक चलने के कारण गेट बन्द होने तथा सुरक्षा आदि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

अगली सूचना डा0 अशोक बाजपेयी की है ।

* डा0 अशोक बाजपेई--

माननीय, कल यह सदन 11 बजकर 56 मिनट तक चला । माननीय विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा परिसर में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था; रहती है । कल रात्रि में माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही से बाहर निकले एक भी सुरक्षा कर्मी, पुलिस, हो गार्ड नहीं था । सुरक्षा अधिकारी भी नहीं थे आज की इस सरकार के युग में जन जीवन घरों के अन्दर भी सुरक्षित नहीं है, तो रात्रि के 12 बजे के सन्नाटे में मन्त्रियों की सुरक्षा पर भी प्रश्न लग जाता है । दूसरा रात में मोटर साइकिल, स्कूटर स्टैण्ड है वह बन्द कर दिया गया जो कर्मचारी इस कार्यक्रम में लगे थे, सदन की कार्यवाही में लगे थे उन्हें अपनी गाड़ी वाहन भी नहीं मिल सका । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक सदन चलता है इस परिसर में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय और इसके बाहर जो अन्य दुर्व्यवस्था है सुरक्षा, प्रकाश, आवागमन आदि की उन पर भी ध्यान दिया जाय । यह बजट सत्र है प्रायः देर तक चलेगा इसलिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी घटना घटित हो सकती है । इसलिए माान्यवर, मैंने इस विषय को जो कल की सदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित है औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इसको जरूर दिखवा लीजियेगा ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, निश्चित तौर से ।

श्री अध्यक्ष—

इसके साथ ही इस सूचना का मैं निस्तारण करता हूं ।

श्री बाबू लाल स० वि० स० को टेलीफोन पर धमकी दिये जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अगली सूचना बाबू लाल जी की है ।

श्री बाबू लाल—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधि होने के नाते सामाजिक जीवन में हमारा दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की समस्या को आपके माध्यम से उठाऊं ।

अभी पहले झगड़ा भाई कांड को लेकर हुआ ठाकुरों की जमीन पर जबरन कब्जा कराया गया और कहा गया कि बाबूलाल हरिजन विरोधी हैं । मान्यवर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कल दिनांक 30-7-97 को जब मैं रात्रि में 19.20 बजे घर पहुंचा मैं कपड़े उतार कर बैठा ही था कि मेरे फोन नं० 202055 पर किसी अजनबी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी उसने कहा बाबूलाल बोल रहे हैं इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि तुम आजकल जाटवों की ज्यादा खिलाफत कर रहे हो होश में आओ खिलाफत करना बन्द कर दो यह आगरा नहीं है मैंने कहा अपना नाम बताओ, उसने कहा नाम बताने की जरूरत नहीं है । जब अखबार में खबर निकलेगी और तुम्हारी तस्वीर छपेगी कि बाबूलाल को गोली मार दी गई, तब पता लग जायगा । मान्यवर, इस घटना की सूचना मैंने हजरतगंज थाने में और मुख्य सचिव गृह विभाग को लिखित दी है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तमाम घटनायें आगरे में हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात आ गई है ।

श्री बाबूलाल—

अम्बेदकर की मूर्ति को—कमल पुत्र भुजिया, मन्टोला में अपमानित कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

खत्म करें ।

श्री बाबूलाल--

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं यह हरिजनों की बात बरदाश्त करते हैं । कल अगर मेरे परिवार के साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई समाप्त करें ।

श्री बाबूलाल--

अम्बेदकर प्रतिमा को मान्यवर, तोड़ा गया इसको जाटव कमल पुत्र भुजिया ने तोड़ा और 6 सवर्णों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसमें जब प्रशासन को बताया तो कुछ कार्यवाही नहीं हुई, यह सत्ता के मद में लोगों को परेशान कर रहे हैं । खत्म करें ।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें ।

श्री बाबू लाल--

एक भाई कांड हुआ जबरन पट्टे दे दिए । दयाल बाग क्षेत्र में पट्टे दे दिए गए । प्रशासन ने जमीन पर कब्जा करा दिया । मंटोला में 20 तारीख को घटना घटित हुई, पूरे जाटवों ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ धावा बोल दिया । पांच-छः आदमी इस घटना से प्रभावित हुए ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी पूरी बात आ चुकी है, समाप्त करें ।

श्री बाबू लाल--

नगलाखंगर एतमादपुर तहसील में नल में लड़की पानी भर रही थी, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया । मान्यवर, अगर मेरे या मेरे परिवार वालों के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 में यह सूचना नहीं आती है ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)--

बहुत आरोप लगाए हैं, जो लिखित सूचना है, इसमें मन्टोला के बारे में कुछ नहीं दिया है । जो सूचना दी है इनकी सुरक्षा का इंतजाम कराया गया है

यदि इसके बाद भी माननीय सदस्य को कोई दिक्कत है तो उसके बारे में बता देंगे । इसको दिखवा लिया जाएगा । माननीय सदस्य ने सुरक्षा के बारे में सूचना दी है और जो बताया उसके बारे में सूचना नहीं दी है यही । माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने ला एण्ड आर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसमें कामयाब नहीं हो पाए ।

श्री अध्यक्ष--

बात आ गई है ।

श्री राम प्यारे, एवं श्री अफजाल अहमद

श्री पारसनाथ यादव दो माननीय सदस्यों के नाम अस्पष्ट हैं । इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं । डा0 सुरजीत सिंह डंग ने जो सूचना दी है, यह नियम 300 में नहीं आती है इसको अग्राह्य करता हूं । श्री लाखी राम जोशी की सूचना भी नियम 300 में नहीं आती है, इसको अग्राह्य करता हूं । श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सतीश शर्मा, श्री राधेश्याम सिंह जी ने जो सूचना दी है इस सूचना में जो विवरण लिखा है, वह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, दो मिनट सुन लें, फिर चाहे जो व्यवस्था दे दें .

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्य सहमत नहीं होंगे ।

दिनांक 23 जुलाई, 1997 की कार्य सूची में तत्वी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है इसी तरह का प्रश्न 28 जुलाई, को श्री श्याम देव राय चौधरी ने तारांकित प्रश्न 3 के माध्यम से किया था कि क्या मुख्यमन्त्री को जानकारी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई0 एस0 आई0 प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विध्वंसक कार्यवाही को अंजाम देने का प्रयास कर रही है । यदि हां, तो क्या सरकार उसको रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है । यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिसका जवाब आया था कि अभी तक प्रदेश में कोई आई0 एस0 आई0 का व्यक्ति चिन्हित नहीं किया गया है । न ही कोई आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां हैं । आज उत्तर

प्रदेश सरकार ने स्वयं अपने पत्रांक संख्या के0 जेड0 सी0 ए0 69, आई0 एस0 आई0 97, 11079 के माध्यम से डी0 आई0 जी0 लोगों को सूचना दी है कि केन्द्रीय खुफिया विभाग ने सूचना दी है कि प्रदेश के अन्दर आई0 एस0 आई0 के लोग आए हैं । इस आजादी की 50वीं स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, मुरादाबाद में उनकी योजना है कि कहीं बम विस्फोट की कार्यवाही करेंगे तथा कई महत्वपूर्ण नेताओं की हत्या करने की योजना बना रहे हैं । यह इसलिए भी गम्भीर है कि अभी कल ही पंजाब के डी0 जी0 ने प्रेस कांफेस में कहा है कि आई0 एस0 आई0 के कुछ लोग पकड़े गए हैं उन्होंने नाम दिए हैं जिन लोगों ने वहां के मुख्यमन्त्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या करने की योजना बनाई है । पाक ने प्रशिक्षित आई0 एस0 आई0 एजेंटों को इस कार्य के लिए भेजा है । अभी नेपाल में अमर टण्डन पकड़ा गया. उसने स्वीकार किया कि वह 10 पाक प्रशिक्षित लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से भेज रहा था । उसके पास चायनीज राइफल बरामद हुई । उत्तर प्रदेश में आई0 एस0 आई0 की गतिविधियां और भी हो सकती हैं । यह 50वीं स्वर्ण जयन्ती महत्वपूर्ण है, दुनियां देख रही है कि भारत अपनी आजादी की 50वीं स्वर्ण जयन्ती मना रहा है । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने तो कह दिया कि आई0 एस0 आई0 की कोई गतिविधियां नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा था कि अभी कोई चिन्हित नहीं किया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह विषय बहुत ही संवेदनशील है । यह देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है । आए दिन समाचार प्राप्त होता है कि नेपाल की सीमा से आई0 एस0 आई0 अपनी गतिविधियां संचालित कर रही है । मंत्री जी ने जवाब दिया कोई गतिविधियां नहीं हैं । मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है । इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने गलत सूचना दी । गलत सूचना देकर उन्होंने सदन की गरिमा को नष्ट करने का काम किया है तथा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है । उनको सही जानकारी देना चाहिए था । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण और संवेदनशील है । इस पर सरकार लीपापोती न कराये । क्या सरकार यह इन्तजार कर रही है कि कोई नेता मारा जाए या सार्वजनिक स्थल पर कोई दुर्घटना हो जाए जिससे निर्दोष लोगों की जानें चली जायें । सरकार जिस तरह का आचरण कर रही है वह दुखद और चिन्ताजनक है ।

श्री अध्यक्ष--

इस सूचना पर श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । इसलिए अग्राह्य की जाती है ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय प्रमोद तिवारी तथा पाल साहब जो सूचना सदन की संज्ञान में लाये हैं यह बहुत ही महत्व-पूर्ण है । हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि सोनौली में 30 किलोग्राम आर0 डी0 एक्स0 बरामद हुई, एक्सपर्ट कुत्ते ने भी इसकी पुष्टि की लेकिन सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहती है और उनकी मिलीभगत से लीपापोती करके सरकार की तरफ से यह बताया गया कि यह आर0 डी0 एक्स0 नहीं है बल्कि कोई पाउडर है । सोनौली नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और वहां पर आई0 एस0 आई0 ने एक मदरसे का भी शिलान्यास किया है तो मान्य-वर, इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना पर आप सरकार को निर्देश दें ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)--

मान्यवर, उस दिन भी मैंने इस विषय पर स्पष्ट शब्दों में कहा था और जो सच्चाई थी, जो जानकारी थी उससे सदन को अवगत कराया था, सदन को गुमराह करने की कोई कोशिश नहीं की थी । अभी तक आई0 एस0 आई0 का कोई एजेन्ट उत्तर प्रदेश में चिन्हित नहीं किया गया है, इस बारे में सरकार सचेष्ट है । प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नेपाल से उत्तर प्रदेश होकर आई0 एस0 आई0 के एजेन्ट दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में गये हैं, इस बात की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने उस दिन भी यही कहा था, दोहराने से कोई फायदा नहीं है, इससे समय बचेगा । इसकी गम्भीरता को ध्यान में रख कर सरकार ने सारी कार्यवाही की है और कर रही है । यह प्रदेश सरकार स्वतन्त्रता की 50 वीं सालगिरह मनाने जा रही है और जहां रंचमात्र भी सम्भावनायें नजर आती हैं उन सभी जगहों पर समुचित प्रबन्ध किया गया है और सतर्क किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई तोड़-फोड़ या विध्वंसक घटनायें न होने पाये उसके लिए हर दृष्टि से सरकार सजग और सचेष्ट है । मान्यवर, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य किया जाये ।

श्री विनोद मणि--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं । इस सूचना पर माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना है । सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है । समय से हम लोगों ने सूचना दे दी, यह सरकार इतनी अकर्मण्य है कि कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती । इस लिए सरकार के इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस पार्टी के हम सभी माननीय सदस्य सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(कांग्रेस के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

दिनांक 30 जुलाई 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी, आपकी सूचना भी प्रश्नों से सम्बन्धित है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने अतारांकित प्रश्न सं0 27 जो कि कार्यवृत्त के पृष्ठ-13 पर है सिंचाई मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चम्बल डाल परियोजना वाह, आगरा वर्ष, 1977 में आरम्भ की गयी, योजना के प्रारम्भ काल में अनुमानित आंकलन क्या था और आज अनुमानित आंकलन कितना है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि चम्बल डाल परियोजना वाह, आगरा का पम्प हाउस इतना नीचा बना है कि गत वर्ष बाढ़ के पानी में डूब गया और उसमें सिल्ट भर गयी ? उनका उत्तर आया कि जी हां, चम्बल डाल परियोजना वाह, आगरा का पम्प हाउस चम्बल नदी के अप्रत्याशित बाढ़ के कारण पम्पगृह के परि-कल्पना के संशोधन पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि योजना 1978 में बनी थी उसी

वक्त 6 करोड़ 67 लाख रुपये का परिव्यय तय किया गया था लेकिन उस पर 60 करोड़ 63 लाख रुपये का धन व्यय होने के बाद यह परियोजना अभी शुरू नहीं हो पायी है । जहां पम्प हाऊस बना है, बाढ़ आने पर वह डूब जाता है और मशीनें सिल्ट से भर जायेंगी तो फिर यह योजना सरकार शुरू करने वाली नहीं है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि चम्बल डाल परियोजना का काम कब पूरा करा दिया जायेगा तथा जिन तकनीशियनों द्वारा बाढ़ की परिकल्पना किये बिना इसको नीचा बनाकर अनावश्यक धन बरबाद किया गया है, उनके खिलाफ क्यों कार्यवाही करेंगे । मैं यह भी चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जो इस बात की जांच करें कि धन का दुरूपयोग क्यों किया गया और इसको अब तक चालू क्यों नहीं किया गया है ?

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)—

मान्यवर, यह योजना 1978 में शुरू हुई थी और चूंकि चम्बल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है, इसलिये सरकार को इन सरकारों से अनुमति की आवश्यकता थी लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने अनुमति नहीं दी, जिसके कारण इस योजना को आवश्यकतानुसार जो वित्त पोषण होना चाहिये था, वह नहीं हो सका । परन्तु आगरा जनपद की बाह तहसील के रहने वालों की बराबर इसको पूरा करने के लिये मांग रही है, उनकी मांग को ध्यान में रखकर सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना को पूरा कर लिया जाय, उसके लिये इस सरकार द्वारा नाबार्ड से ऋण लेकर योजना को पूरा करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । यह जो माननीय सदस्य की चिन्ता है कि जिधर वह पम्प हाउस लगाया गया, वह बाढ़ में डूब गया, सरकार को भी इसकी चिन्ता है, लेकिन मान्यवर, जब कोई डिजाइन बनता है तो वह पिछले 100 साल के बाढ़ के हाई फलड लेविल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है । डिजाइन उसी अनुसार की गई थी, लेकिन पिछले वर्ष 1996 में जो बाढ़ आई, उसने पिछले 100 साल के हाई फ्लड लेविल को भी पार कर दिया, जिससे पंम्प हाउस प्रभावित हुआ । यह सूचना नियम 300 में आती नहीं, इसलिये इसको अग्राह्य घोषित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुवर दयाल वर्मा को सुनने तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

मद संख्या 3, 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है ।

राज्य समन्वय समिति में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य समन्वय समिति में कार्य करने हेतु विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य समन्वय समिति में कार्य करने हेतु विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 31–7–97 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :—

समय को देखते हुए माननीय सदस्य छठी, सातवीं , आठवीं, नवीं, दशवीं सूचना के लिए कृपया आग्रह न करें सुनवाई के लिए पहली सूचना जो 311 में प्राप्त हुई थी, वह नियम 56 में परिवर्तित हुई है वह हैं श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री ओम प्रकाश, श्री बीरेन्द्र सिंह, श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव और श्री समर पाल सिंह जी की सम्पूर्ण प्रदेश में निजी एवं अन्य राज्यों की लाटरियों की पुनः बाजार में खुलेआम बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में निजी लाटरियों की अन्य राज्य की लाटरियों की बिक्री हो रही है, जिससे हजारों–हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं इसके बारे में इस संदर्भ में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की आज पूरे

प्रदेश के तमाम परिवारों के श्रमिक मेहनत कर लोग लाटरियों में सारा पैसा लगा रहे हैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करने वाले लोग अपने कमाई का पैसा अपने कार्य की जीविका चलाने में न लगाकर लाटरी खेलने में लगा रहे हैं, और आये दिन लोग आत्म हत्या करने को विवश हो रहे हैं, अच्छे घर की महिलायें, अच्छे घर की औरतें जैसे ही परिवारों के व्यक्ति काम पर चले जाते हैं वह लाटरियां खेलने निकल जाती हैं । स्कूलों के बच्चे किताब कापी बेच कर लाटरी खेलते हैं । इस प्रदेश में राज्य की सरकारी लाटरी आप ने बन्द कर दी इससे सरकार को कुछ आय हो सकती थी। प्रदेश सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा था वह बन्द कर दिया गया । माननीय मंत्री जी ने लाटरी पर इसी सदन में रोक लगाई थी एक नम्बर की, दो नम्बर की अनेक लाटरियां बन्द हुई हैं।

इस समय दो 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रंग नाथ मिश्र पीठासीन हुए ।)

लेकिन फिर लाटरियां शुरू कर दी गयीं । मान्यवर, पहले लिक्वर लाबी का दबाव कहा जाता था फिर कहा जाता था कि शुगर केन फैक्ट्री का दबाव है लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अगर कोई लाबी हो गयी है, सबसे मजबूत लाबी हो गयी है। जो सरकार को जेब में रख सकती है तो वह लाटरी लाबी हो गयी है मान्यवर आज प्रदेश के जो शराब के बड़े-बड़े सिंडीकेट है, आज वह सिंडीकेट जब उन्होंने देखा कि लाटरी के प्रचलन के कारण शराब की बिक्री बन्द हो जा रही है लोग उठते ही लाटरी में अपना धन लगा रहे हैं, लोग अपनी साइकिलें, मोटर साइकिलें बेचकर इसमें धन लगा रहे हैं, अब जो सिंडीकेट शराब के हैं उन्होंने भी लाटरी का काम शुरू कर दिया है या जो आपके लाटरियों के टिकट हैं या नम्बर से बिक रहे हैं आज करोड़ों रुपये का लाटरी टिकट बिना सरकार के संज्ञान के बिक रहा है, सैकड़ों नाम से लाटरियां चल रही हैं और इस तरह से चल रही है उसका नाम हमारे तमाम साथी लेंगे मैं बिस्तार से नहीं कहना चाहता कहीं गुडमार्निंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ तो शराब के सिंडीकेट लाटरी में प्रवेश कर गये हैं, सुबह पैसा देकर के शाम को लाटरी खुलवा रहे हैं और पूरे प्रदेश के लाखों लाख गरीब परिवार कंगाल हो रहे हैं आज पूरे प्रदेश में तमाम प्रदेश ने रोक लगायी है, दिल्ली में रोक लगायी जहां भाजपा की सरकार है । यहां तो भाजपा और बसपा की मिली जुली सरकार है । एक तरफ दिल्ली और तमाम राज्यों में इनके द्वारा शासित राज्यों में लाटरी पर रोक लगी हुई है लेकिन आज अपने प्रदेश में यह स्थिति है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है । कृपया इसके लिए कोई व्यवस्था करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कदाचित आपने भी समाचार पत्र पढ़ा होगा कुछ दिन पूर्व हमारे कानपुर में और हमारे नेता भी वहां गये थे; जहां एक ही परिवार के तीन बच्चों को मार डाला और स्वयं जहर खा लिया और अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि लाटरी खेलने के कारण उस पर बहुत खर्च हो गया है मैं सामाजिक प्रताड़ना से बचने के लिए अपना और अपने परिवार का जीवन समाप्त कर रहा हूं । यह एक घटना समाचार पत्रों की सुर्खियों में आयी थी । आज हर मोहल्ला हर गांव शहर में यह फैल गया है इस पर रोक लगायी जानी चाहिये । मान्यवर, बहुत से अपराध होते हैं रात के अंधेरे में होते हैं परन्तु यहां तो यह अपराध सरकार की नाक के नीचे और मैं यह कहूं कि सरकार के सहयोग से होता है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

(2 बजकर 30 मिनट)

आज स्थिति यह है कि जैसा कि हमारे साथी बता चुके हैं कि बड़े-बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में सवा करोड़ रुपये लाटरी वाले प्रति सप्ताह शासन के तमाम लोगों को देते हैं । यह बस सब शासन और शासन के अधिकारियों की मिली भगत से लाटरी का धन्धा यहां चल रहा है । मान्यवर, मैं जानता हूं कि इसका जवाब आयेगा कि हमने लाटरी पर रोक लगा दी है तो उत्तर से पहले ही मैं चुनौती मंत्री जी को देता हूं कि वह और हम दोनों लोग कार में बैठकर चलकर लखनऊ में देख लेते हैं कि लाटरी के टिकट यहां बिक रहे हैं कि नहीं । मान्यवर, पचासों ऐसे स्थान यहां मिलेंगे, जहां लाटरी का धंधा इस समय चल रहा है । सबसे दुखद पहलू यह है कि आज छोटे-छोटे बच्चे लाटरी के शिकार हो रहे हैं और वे अपनी किताबें बेंच-बेंचकर लाटरी के टिकट खरीद रहे हैं । इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है । दुखद है कि इसमें बेरोजगारों और गरीबों की भागीदारी बढ़ रही है । मान्यवर, नियम 56 किस लिए बना है ? इसकी तात्कालिकता है, इसलिए मैं सदन में बोल रहा हूं और इस सदन के बाहर लाटरी खिलाई जा रही है तो इससे अधिक तात्कालिकता क्या हो सकती है ? इससे ज्यादा लोक महत्व की बात क्या हो सकती है, जिससे समाज की अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो और लोग लाटरी खेल रहे हों । एक जुए के पीछे महाभारत हो गया, लेकिन यह सरकार हर जगह, हर गांव में लाटरी खिलवा रही है तो इस सरकार रूपी द्रोपदी से मैं जानना चाहता हूं कि लाटरी बन्द करने के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ? मान्यवर, मन्त्री जी जो लिखकर आया होगा वह जवाब नहीं देंगे बल्कि अपने जमीर से जवाब देंगे । यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वह स्वीकार करेंगे कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से लाटरी का व्यापार बढ़ रहा है ।

मान्यवर, मैं चाहता हूं सरकार लाटरी बन्द करे अन्यथा सरकार समाज को भय और अपराध मुक्त नहीं करा पाएंगे । पहले लाटरी से होने वाली आय अस्पतालों को सहायतार्थ भेजी जाती थी, लेकिन अब वह बन्द हो गई है । इसलिए मान्यवर, आप निर्देश देने के पहले संसदीय कार्य मन्त्री और मुझे बाहर भेजेंगे, जिससे मैं उन्हें दिखा दूंगा कि लाटरी का धन्धा कहां-कहां चल रहा है । इसलिए आप सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा कराएं ।

*श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) —

अधिष्ठाता महोदय, लाटरी इस गरीब प्रदेश के लिए सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है । आप देखें जहां हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात सरकार कह रही है, वहीं यह सरकार गरीबों को और बच्चों को लाटरी खिलाने के लिए वचनबद्ध है । मान्यवर, इस प्रदेश में लाटरी प्राइवेट सेक्टर के लोग चला रहे हैं ।

इसमें शराब व्यवसायी जुड़े हुए हैं और बड़े-बड़े धन्ना सेठ जो कहीं न कहीं सरकार को भी प्रभावित कर रहे हैं, उन सब की सह पर यह लाटरी चलाई जा रही है । जहां इस प्रदेश में गरीब लोग 43 प्रतिशत हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, उदास, हताश हैं वहां यह व्यवसाय फल-फूल रहा है । अभी प्रमोद जी ने कहा कि हम सदन के बाहर दिखा देंगे, मैं तो सदन के अन्दर ही दिखा देता हूं कि यह सरकार 6-6 महीने के लिए लाटरी खेल रही है; चर्चा करानें की मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दें ।

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें, मैं समर पाल सिंह जी को बुला रहा हूं ।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, पिछली बार जब मायावती जी मुख्य मंत्री थीं तो सदन के अन्दर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की थी । उत्तर प्रदेश की लाटरी तो बन्द हो गयी; लेकिन दूसरे प्रान्तों की लाटरी के नाम पर निजी लाटरियों का धन्धा अबाध रूप से फल-फूल रहा है । शहर में कहीं चले जाय लाटरी के स्टालों पर लोग सुबह से मक्खियों की तरह खड़े हो जाते हैं । हर आधा घण्टे पर ड्रा होता है जो पांडिचेरी, हरियाणा की लाटरी है, निजी आर्गनाइजर्स हैं, उनके द्वारा लाटरी के ड्रा आयोजित किये जाते हैं । ड्रा कैसे हो रहे हैं, टिकट कहां छप रहे ह किसी को पता नहीं है । उ0 प्र0 के अन्दर इसका एक सिंडिकेट बन गया है । इसमें माफिया, अधिकारी और सरकार में बैठे हुए लोग शामिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । हजारों परिवार इससे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । तमाम लोगों ने आत्म हत्या कर ली हैं । बच्चे महिलाएं अपने निजी खर्चे से लाटरी खेल रहे हैं । एक आई0 ए0 एस0, दो पी0 सी0 एस0 लाटरी की वजह से बर्बाद हो गये हैं । अगर लाटरी चलनी ही है तो मुख्य मंत्री जी को प्रदेश की लाटरी खुलवानी चाहिए और दूसरे प्रदेशों की लाटरी को बन्द करवाना चाहिए ताकि जो आमदनी हो वह प्रदेश के विकास में लग सके । करोड़ों रुपया रोज बाहर जा रहा है हमारे प्रदेश के काम वह नहीं आ रहा है और बाहर काले धन के रूप में इकट्ठा हो रहा है । इस पर विपक्ष सहमत है और सरकार इस पर पहले से ही सहमत है कि लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। इस पर कृपया चर्चा करा दें ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इस लाटरी के चलते दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर और गाजियाबाद का स्थानान्तरण हुआ । हर सप्ताह एक करोड़ पच्चीस लाख रुपया, पांच आदमियों का एक सिंडिकेट है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कहां व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ—

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

यह नहीं लिखा जायेगा । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आकर अपना जवाब दें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उ0 प्र0 की सरकार ने अपनी लाटरियों को बन्द करके दूसरे प्रदेशों की, जो 750 प्राइवेट लाटरियां हैं, उनको प्रदेश के अन्दर जुए के रूप में खिलवाकर, प्रदेश के गरीब लोगों को लूटने की छूट दे दी ह । यह चिन्ताजनक विषय है । इस जुए को खिलवाकर

नोट—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार अपने प्रदेश की जनता को तकदीर बाद और नियति वाद की तरफ ढकेलने का काम कर रही है । इसकी चपेट में आने वाले लोग कौन हैं ? यह वह लोग हैं जिनके प्रति प्रतिबद्धता राज्य सरकार घोषित करती हों । प्रदेश की 14 करोड़ जनता में 43 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं । लाटरी के प्रहार से आहत ज्यादातर लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं । पूर्वांचल के तमाम जिलों में ऐसे परिवार बर्बाद हो गये हैं जिनके मुखिया लाटरी खेलते-खेलते सम्पूर्ण दौलत गवां दिये । बर्बादी के बाद अनेक लोगों ने आत्म हत्या कर ली । मेरा सीधा आरोप है कि सूबे की सरकार ने अपने संरक्षण में लाटरी के माध्यस से जुआ खेलने की खुली छूट दे दी है । इस पर मान्यवर, कृपया चर्चा करा दें ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी0 आर0 वर्मा)—

मान्यवर, जिस लाटरी के कुप्रभाव के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची (1) की प्रविष्टि 40 में लिखा है । इसमें यह कहा गया है कि इसमें कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है । मान्यवर, मैं यह नहीं बोल रहा हूं यह भारत का संविधान बोल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें । उसके बाद बोल लीजियेगा :

श्री बी0 आर0 वर्मा—

जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार की दृढ़ इच्छा का सवाल है उत्तर प्रदेश की यह पहली सरकार थी जिसने 1995 में जब बहन मायावती मुख्य मंत्री थीं, तब इस पर रोक लगायी थी और दलों की सरकारों को भी इसमें मौका मिला था लेकिन किसी ने इस पर रोक नहीं लगायी । यह पहली सरकार है जिसने इस पर रोक लगायी थी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया शांत रहें । पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें । फिर उसके बाद बोल लेना ।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन के वैल पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में व्यवधान हो गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपने स्थान पर जायें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात तो सुन लें ।

*श्री राम स्वरूप--

(वेल में खड़े-खड़े कहा) आप इस पर 15 मिनट की चर्चा करवा दें और उसके बाद अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(व्यवधान व नारे लगाये जाते रहे)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

(3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

(व्यवधान)

*श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, इस प्रकरण पर माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य दें । इतना महत्वपूर्ण मसला है इस विधान सभा के चारों तरफ लाटरियां बिक रही हैं । उस पर माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य न दें पायें यह शर्म की बात है ।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट--

इस पर मान्यवर चर्चा करा दें ।

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से आग्रह है एक-एक करके बोलेंगे तो सुने भी सुनाई पड़ेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने पहले ही कहा कि इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यह हमारी मदद करेंगे। हमें जो कुछ उम्मीद है इसी पीठ से है आप से है आपने हमेशा संरक्षण देने का काम किया है। क्योंकि स्वयं में यह सरकार लाटरी में जा रही है। 6–6 महीने की सत्ता की लाटरी खेल रहे हैं। आप इस पर चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने तो कह दिया, यह केन्द्र का कानून है। हम लोगों के सामने मुख्य मंत्री जी इस लाटरी के माम्ले में घोषणा कर चुकी है। संसदीय कार्यमंत्री जी उसके विरोधाभाष में उत्तर दे रहे हैं दिल्ली में भारतीय जनतापार्टी की सरकार है उसने लाटरी पर रोक लगा दी है। आज जनता का शोषण लाटरियों द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी यहां आएं और नीतिगत घोषणा करें कि उनकी मंशा लाटरी बन्द करने की है या नहीं। मान्यवर, इससे ज्यादा कार्यस्थगन का विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता, इस पर चर्चा आप मंजूर कर लें क्योंकि इससे ज्यादा लोक महत्व और तात्कालिक विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता। इस विधान सभा से लेकर बलिया तक प्रदेश का सारा जनजीवन लाटरी से प्रभावित है।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, मैं पहले ही कह रहा था सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है हमने बड़े धैर्य से आप लोगों की बाते सुनी अब कृपा कर मेरी बात को भी सुन लें। इस सरकार का पहले भी यह दृढ़ निश्चय था और आज भी है और उसी के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी निवारण कानून इसी सरकार ने पारित किया। 1995 में इसी सरकार ने लाटरी के कुप्रभावों को देखते हुए रोक लगाई थी।

आज भी वह रोक लगी हुई है।

श्री कौकब हमीद—

रोक नहीं लगी है खुले आम लाटरियां बिक रही हैं।

(शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग स्थान ग्रहण करें अभी माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी अपनी बात रख रहे हैं उसके बाद मैं अपनी व्यवस्था दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार—

व्यवस्था देने के पहले मुझे सुन लीजिएगा ।

श्री अधिष्ठाता—

सुन लूंगा ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

आज भी राज्य के बाहर की या निजी लाटरियों के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबन्ध है परन्तु इसमें शिथिलता कहां से होती है इसको मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं । मान्यवर, उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा बनाम सुमन इन्टर प्राइजेज मुकदमें में उन्होंने निर्देश दिया और उनका आदेश है । कोई भी सरकार होगी चाहे इधर के बैठने वालों की हो या उधर के बैठने वालों की हो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा, सम्मान करना होगा । सरकार यह सम्मान कर रही है । इस आदेश में कुछ शर्तें हैं उन शर्तों की पूर्ति करने वाली जो लाटरीज हैं उन लाटरियों के संचालन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है वह संचालित रहेंगी । ऐसी लाटरीज जिन पर समाधान हो जाता है कि यह उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर रही हैं उन पर प्रतिबन्ध नही लगाया जा सकता है । माननीय सदस्य जानते हैं कि इसकी आड़ में तमाम अवैध लाटरियां चल रही हैं । उसके लिए सर्च करना; सीजर करना और छापा मारने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाती है सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि लाटरी पर रोक लगनी चाहिये । चाहे हमारे माननीय समाज वादी पार्टी के सदस्य हों, जनता दल के सदस्य हों या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, मैं कहना चाहता हूं कि यहीं चिन्ता और दुख और पीड़ा आप लोगों के नेताओं को हो जाती जो केन्द्र में बैठे हैं और जिनको इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है वह सीधे कोई कानून बनाकर सारे देश में लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगा दें तो सारा देश इस घृणित कार्य, दुःख और दोष से बच जाता । जब आप केन्द्र में सरकार चला रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं तो केन्द्र सरकार से कहने की हिम्मत क्यों नही है । हमने 100करोड़ रुपये का घाटा सह करके उत्तर प्रदेश में अपनी चलने वाली लाटरी को बन्द किया । जो हमारे अधिकार में था हमने रोक दिया इससे हमारी सरकार की सदाशयता स्पष्ट होती है । हम चाहते हैं कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, छोटे लोग हैं उनके घर और गरीब न उजड़े । जो हमारे माननीय सदस्य अपने उन नेताओं को सदबुद्धि दें जो केन्द्र में बैठे हैं वह कोई

कानून बनायें और सारे देश से एक साथ लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाने का काम करें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करें । तत्काल इस पर कार्यवाही होनी चाहिए इसलिये इसे ग्राह्य करने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, चार महीने से यह सरकार है । इन्होंने इतने समय में कोई छापा डलवाया है कि लाटरी चल रही है कि नहीं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी का बयान सच्चा नहीं है । अपनी व्यवस्था देने से पहले हम लोगों को भी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी आप इसको लिखकर दे दें । उस पर सदन में चर्चा करा दी जायेगी यदि वह संगत नियम में दी जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार—

अधिष्ठाता जी अभी आपने स्वयं कहा था कि माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद आपको अवसर दूंगा । हमने ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो बात रखी थी उसे या माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये या हम लोग समझा नहीं पाये । हमने आपसे कब कहा है कि उच्च न्यायालय के अधीन शर्तों का पालन करते हुए लाटरी खेली जा रही है । ऐसी मूर्खतापूर्ण बात रखने की आशा विपक्ष से नहीं होनी चाहिए । हाई कोर्ट से जिस पर स्थगन है उसका एक कोटेशन पढ़ लिया और उसके आधार पर कह दिया । सुमन वाले केस को पूरा विस्तार से पढ़िये अवैधानिक लाटरी खेली जा रही है । मान्यवर, एक पैरा नहीं पढ़ा जाता । ऊपर से नीचे तक पढ़कर तब उसके सन्दर्भ में कुछ कहते । हमारे सभी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि जो अनधिकृत लाटरियां चल रही हैं उनको बन्द किया जाय । यह सरकार अनधिकृत लाटरियों को चला रही है । हम आज आपको बधाई देते यदि यह संकल्प इस सदन के अन्दर रखा जाता कि सरकार यदि एक सप्ताह के अन्दर इस अनधिकृत लाटरी को बन्द नहीं करा देगी तो त्याग-पत्र दे देगी । मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप लाटरी वालों की तरफ से बोल रहे हैं और वह भी अनधिकृत लाटरी वालों की तरफ से ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है तिवारी जी, सब बात आ गई है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, अभी कहां आई हैं सब बातें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप केन्द्र सरकार से बन्द करा लीजिये । मान्यवर, जनता ने हमको चुनकर भेजा है इस विधान सभा में । हम अपनी बात विधान सभा में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे । लेकिन मान्यवर, यह ऐसी गूंगी बहरी सरकार है कि अगर हम कहते हैं कि डकैती पड़ रही है तो यह उसको रोकने को तैयार नहीं होते । लोक सभा की बात करते हैं । लोक सभा भारत सरकार नहीं कहती उत्तर प्रदेश की सरकार से कि अनधिकृत लाटरी खिलवाये उत्तर प्रदेश में । उत्तर प्रदेश में अनधिकृत लाटरी न चले इसके लिये आप यहां से प्रस्ताव पारित करते तो हम उसका समर्थन करते । आज एक करोड़ 525 लाख रुपये प्रति सप्ताह की दर से लाटरी खिलवाई जा रही है । माननीय अधिष्ठाता महोदय आप चलिये एक घंटे के लिये सदन स्थगित कर दीजिये । मंत्री जी चलें, मैं चलूं, दो–चार मंत्रीगण और चलें प्रतिभा टाकीज के सामने चलें, कैपिटल के सामने चलें अगर वहां अनधिकृत लाटरियां नहीं खिलवाई जा रही होंगी तो मैं दोबारा सदन में लौटकर नहीं आऊंगा और अगर खिलवाई जा रही होंगी तो माननीय मंत्री जी लौटकर नहीं आयेंगे ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा है निश्चित तौर पर जो हरियाणा राज्य बनाम सुमन इन्टरप्राइज के द्वारा उच्चतम न्यायालय की शर्तों के अधीन जो लाटरी आती है उसके अतिरिक्त अगर एक भी लाटरी तिवारी जी या और कोई सदस्य बता देंगे तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे गिरोह को . . .

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

इसी वक्त अभी चलिए और देख लीजिए (कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए)

श्री बी0 आर0 वर्मा—

एक भी लाटरी इन शर्तों को पूरा नहीं करती है । आपराधिक रूप से कोई भी लाटरी उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है । अगर माननीय सदस्य बताते हैं तो सरकार निश्चित रूप से एक भी उदाहरण अगर यह देंगे तो उसमें तुरन्त कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह नियम 56 में नहीं आती है । कृपया माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री अफरोज अली खां और सतीश शर्मा तथा अन्य कई सदस्य सदन के फ्लौर पर आ गये)।

कृपया अपने स्थान पर जाएं ।

(श्री प्रमोद कुमार के प्रयास पर सदस्य वापस अपने स्थान पर चले गए)

श्री बी० आर० वर्मा—

कोई भी ऐसा टिकट माननीय सदस्य के संज्ञान में हो जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई शर्तों के अधीन न हो, तो इसको दिखवाया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

यह लाटरी का पैसा बोल रहा है यह जो संसदीय कार्य मंत्री ऐसा कर रहे हैं इस विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार सदन त्यागकर चले गये)

श्री कौकब हमीद—

जो इन्होंने गलत बयानी की है इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद सदन त्याग कर चले गये)

*श्री रामजग—

जो संसदीय कार्यमंत्री ने कहा ह यह जनविरोधी है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रामजग सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव—

जो गलत बयानी हुई है इस विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदन त्याग कर चले गये)

श्री समरपाल सिंह--

व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैंने सूचित किया था कि अवैध लाटरी को जो बन्द पड़ी है प्रदेश में वह अबाध गति से चल रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह--

इस विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री समरपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता--

इसे आप संगत नियमों में लिखकर दे दें इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए विचार किया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)--

विचार किया जाएगा या चर्चा करायेंगे ।

(3 बज कर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता--

ओम प्रकाश जी सारी बातें हो गई । इस पीठ से यह बात आ गई है कि विचार किया जाएगा । चर्चा कराने पर विचार कर लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री ओम प्रकाश जी, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समरपाल सिंह जी को सुनने के बाद तथा संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है ।

अगली सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (गाजीपुर)--

किस दिन चर्चा होगी ।

श्री अधिष्ठाता--

दो तारीख को चर्चा होगी ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था कि कहीं अनधिकृत लाटरी नहीं खेली जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री तिवारी जी बैठ जाएं । आप तेज बोलेंगे तो इसका मतलब यह नहीं हम आपको सुन लेंगे । मैंने अगली सूचना ले ली है ।

श्री प्रमोद कुमार—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आपको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

श्री मित्रसेन यादव—

नियम 56 के अन्तर्गत अभी एक प्रश्न आपने आगे की तारीख को चर्चा के लिए स्वीकार किया । अभी लाटरी के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि कहीं नहीं अनधिकृत लाटरी खेली जा रही है । उसके जवाब में इस पक्ष की तरफ से लाटरी के टिकटों को सदन की सम्पत्ति बनाए जाने की बात कही गई है । तो आपको इनको सदन की सम्पत्ति बनाने की अनुमति देनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री मित्रसेन यादव जी जब यह तय हो गया कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराई जायेगी, समय भी निर्धारित हो गया है तो उस दिन आपको जो कहना हो वह कहिएगा । उस दिन जो सम्मति देनी हो दीजिएगा, आज इसका कोई औचित्य नहीं है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री बाबू राम यादव जी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाबू राम जी मैंने श्री विक्रमाजीत [मौर्य जी को बुला लिया है और आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया बैठ जायं । इस पर आपको जो कहना हो वह परसों कहियेगा ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री विक्रमाजीत मौर्य--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहित के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री राम बाबू यादव--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज एक विषम स्थिति पैदा हो गई है ।.

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, यह सदन नियमानुसार चलेगा या नियमों से हटकर चलेगा, जब कांग्रेस के माननीय सदस्य असन्तुष्ट होकर सदन त्याग कर चले गए तो फिर वही प्रश्न उठाने का क्या औचित्य है ? यह समय की हत्या हो रही है और यह मर्यादा और आचरण के विपरीत है ।

श्री अधिष्ठाता--

वर्मा जी आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूं ।

श्री बाबू राम यादव--

मान्यवर, लाटरी के विषय में नियम 56 में उठाया गया, मुझे उस पर नहीं बोलना है । आज सदन में एक विषम स्थिति पैदा हो गई है, आप नए सदस्य तो हैं नहीं, मैं स्वयं की जानकारी के अनुसार कहता हूं कि सदन में इतनी विषम स्थिति पैदा हो गई है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कोई भी अनधिकृत लाटरी नहीं चल रही है । जब कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि मैं अनधिकृत लाटरी के टिकट लाकर आपको दिखा सकता हूं और उसे सदन की सम्पत्ति बनाने की मांग की है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, जब आपकी व्यवस्था हो गई तो फिर आपकी व्यवस्था के ऊपर कौन सी व्यवस्था उठा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बाबूराम यादव जी, आपका अपने नेता के ऊपर विश्वास है या नहीं । आपके उप नेता जी ने अपनी बातें रखीं, उस पर व्यवस्था दे दी और प्रकरण वहीं समाप्त हो गया फिर यह व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ? आपको लाटरी के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहना है वह परसों कहिएगा, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य—

मान्यवर, प्रदेश के प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों व अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के जनहित के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत बहुत खराब है क्योंकि वहां डाक्टर नहीं रहते हैं और कहीं-कहीं तो यह स्थिति है कि एक-एक प्राथमिक केन्द्र में 3-3 डाक्टर नियुक्त हैं लेकिन वे दो-दो, तीन-तीन दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं आते हैं । यह हालत जनपद इलाहाबाद की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति हो गयी है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मेसिस्ट तीन डिब्बे लेकर बैठ जाते हैं और उन्हीं डिब्बों में से चाहे मरीज को बुखार हो, पेट में दर्द हो या अन्य कोई बीमारी हो दवाई देते हैं । कहने का मतलब हर मर्ज की एक ही दवा उन तीन डिब्बों में से मरीज को निकालकर दी जाती है ।

मान्यवर, मैं अपने जनपद इलाहाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि उनकी हालत बड़ी चिंताजनक है । मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जब कोई मरीज आता है तो डाक्टर उन्हें वहां नहीं देखते हैं बल्कि कहते हैं कि नर्सिंग होम में आयें । वहां के डाक्टर अपने नर्सिंग होम में चलाते हैं । जो मरीज इन केन्द्र में जाता है उससे 15-20 रुपये अवैध फीस के रूप में लेकर अपने नर्सिंग होम बुलाते हैं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत बहुत खराब है और वे नर्सिंग होम संपर्क केन्द्र बन गये हैं । मान्यवर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद 500-1000 रु0 बड़े-बड़े डाक्टरों से लेकर नर्सिंग होम चलवा रहे हैं । जब मरीज 10 से 15 रुपये अवैध फीस देने से मना करते हैं तो उनका इन केन्द्रों में कोई इलाज नहीं किया जाता है । मान्यवर, आज इलाहाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गयी है । इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है जिसे शासन के संज्ञान में लाया हूं और चाहता हूं कि सदन के सारे कार्य रोककर इस पर आप चर्चा करायें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय कार्य मंत्री जो अपना जवाब दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अमरमणि—

[× × × ×

(व्यवधान)

नोट--[×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है । आप अपना स्थान ग्रहण करें । आप जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा । आप जो कह रहे हैं उसमें व्यवस्था दे दिया है । शनिवार को जब चर्चा होगी तो उसमें [आप उसको रखें ।

(व्यवधान)

(श्री अमरमणि द्वारा बिना अनुमति बोले जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अमर मणि—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप नियम के जानकार हैं । तिवारी जी आपको लाटरी का टिकट थमाकर लौट गये । आप जो बोल रहे हैं वह कतई लिखा नहीं जायेगा । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी विक्रमाजीत मौर्य की सूचना पर कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री अमर मणि—

[× × ×]

श्री मुराद लारी—

इनके द्वारा यह लाटरी का टिकट बिकवाया जा रहा है ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, विक्रमाजीत मौर्य ने जिन बिन्दुओं की तरफ ध्यान दिलाया है, उन सभी बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारी से जांच कराई जायेगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विक्रमाजीत मौर्य तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात्, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री रामजग, श्री विनोदमणि तथा श्री रामकृपाल की है ।

श्री रामजग—

मान्यवर, आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है । आज हम 31 जुलाई, को विधान सभा के अन्दर बैठे हुए हैं । पहले शुरू—

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अन्त में कुछ बारिश हुई, इसके बाद बारिश बन्द हो गई । इस वजह से धान की रोपाई बन्द हो गई, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है । कभी एक घंटा बिजली मिल रही है, कभी आधा घंटा और कभी दो घंटा बिजली आ रही है । बीच में एक-एक सप्ताह के लिए बिजली गायब हो रही है । हालत यह है कि किसानों की धान की बेहन खराब हो रही है । यदि एक सप्ताह में धान की रोपाई नहीं हो पाई तो बेहन सूख जायेगी । खरीफ की फसल भी सूख रही है जैसे मक्का । इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा संकट छाया हुआ है, जनता इससे बहुत पीड़ित है, इसलिए हमारा यह कहना है कि सूखे का मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्यवाही करे और वहां 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिये, नहरों में पानी रहना चाहिये । और इस प्रकार से जैसा कि इस समय सूखे से गम्भीर हुई है उस तरह से हमारी उ0 प्र0की सरकार गम्भीर नहीं है । बिजली नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नही हैं, ऐसी हालत में यह अबिलम्बनीय लोक महत्व का मामला है, इससे पूरे पूर्वी उ0 प्र0 के 20 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं । ऐसी हालत में सूखे का मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है, इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री बिनोद मणि—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में पूर्वी उ0 प्र0 के 25 जनपदों में वर्षा न होने से जो सूखे की हालत पदा हुई है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको पूर्वांचल कहा जाता है, एक तो वैसे घनी आबादी और लम्बे चौड़े क्षेत्र में बसा हुआ है । मान्यवर, पानी न बरसने की वजह से किसानों के खेतों में धान की रोपाई नहीं हो पा रही है । मान्यवर, एक तरफ बरसात नहीं हुई और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए लोग जो किसान के हित की बात करते है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वान्चल के 80 फीसदी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं और बिजली की आपूर्ति एक दो घन्टे भी नहीं हो पा रही है, इसके अलावा नहरों में पानी नहीं है, जिससे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान अपनी धान की रोपाई का काम महीनों से नहीं कर पा रहा है । मैं, आपके माध्यम से संसदीय कार्यमन्त्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर समय रहते इस गम्भीर समस्या की तरफ शासन का ध्यान नहीं गया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में आ जायेगा, जिसका मुकाबला सरकार मे बैठे हुए लोग नहीं कर पायेंगे । मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह अति लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पूरे प्रदेश का किसान इससे प्रभावित हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्या को देखते हुए देहाती क्षेत्रों में बिजली की कटौती बन्द कर दे और दूसरा शहरों को पूरी क्षमता से चलायें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, जैसा कि पूर्वांचल में सूखे की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं । पूरे 20 जिलों की सूचना मेरे पास है, जिसमें माह जून और माह जुलाई में औसतन कितनी वर्षा होनी चाहिए थी और कितनी बरसात हुई है, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता । लगभग जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उससे थोड़ा ही कम वर्षा कहीं 76 प्रतिशत और कहीं 75 प्रतिशत हुई है ।

सभी जिलों में और कुछ जिलों में तो बाढ़ भी है । जहां तक बिजली की आपूर्ति का सवाल है, आज जो आवश्यकता है वर्षा से डिमांड कुछ घटी है । 105 मिलियन यूनिट बिजली के सापेक्ष में जलीय विद्युत 18.8 प्रतिशत, तापीय 45.9 प्रतिशत और आयातित बिजली 37.3 प्रतिशत कुल 100 मिलियन यूनिट बिजली आज उपलब्ध है 5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी है । जो स्थिति आई है अप्रैल से जून तक हमारे प्रयासों से आई है । अप्रैल 97 में जल विद्युत 9.1 थी, मई में 11.7 हुई, जून में 15.5 हुई तापीय विद्युत् 57.4 थी । पूरी बात सुन लें, शाम के समय जो पीक आवर होता है उसमें डिमांड ज्यादा हो जाती है उसमें करीब 800 से 1000 मेगावाट की कमी हो जाती है उसको कटौती करके पूरा किया जा सकता है । दूसरा कोई उपाय नहीं है । परन्तु मान्यवर, यह सरकार की कोशिश है कि 10 घण्टे प्रतिदिन विद्युत् की आपूर्ति हो क्षेत्र वाइज चार्ट बना दिया गया है कि किन-किन मण्डलों में कि कब से कब तक बिजली उपलब्ध होगी उसे एक सप्ताह बाद उलट दिया जाता है ।

(व्यवधान)

जहां तक सूखे का सवाल है वर्षा जितनी होनी चाहिए थी उसके करीब 80 प्रतिशत 74 प्रतिशत हुई है । प्रदेश के जिन जिलों जिक्र कर माननीय सदस्यों ने किया है सूखे की स्थिति से बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं । धान की रोपाई हो रही है बिजली उपलब्ध है इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है, यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

इसी मध्य श्री राम जग, श्री राम स्वरूप, श्री विनोद मणि सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है देहाती क्षेत्रों में बिजली की खपत को देखते हुए कटौती उतने दिन के लिए बन्द कर दी जाय जब तक धान की रोपाई का सीजन चल रहा है । नहरों में पूरा पानी छोड़ा जाय ।

श्री विनोद मणि—

मान्यवर, आज की समस्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की आपूर्ति 24 घंटे की जाय और जो 80 परसेन्ट ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं, उन्हें शीघ्र ठीक कराया जाय । यह मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं । जब रोपाई का सीजन चल रहा हो, अब तो खैर रोपाई समाप्ति की ओर है, सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि ट्यूबवेल्स ठीक रहे । फिर वैसे तो मान्यवर, यह सतत् प्रक्रिया है कि कहीं पर ट्यूबवेल्स आज खराब होगा और कहीं पर कल दूसरी जगह पर खराब होगा, किसी की मोटर जल जायेगी और किसी का पम्प खराब हो जायेगा । परन्तु जहां कहीं से भी सूचना मिलती है उसे तत्काल ठीक कराया जाता है और उस पर कार्यवाही होती है ।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है । इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का त्याग करके चले गये)

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मेरे पास एक-एक जिले की सूचना है । कहीं पर ग्यारह घंटे, कहीं पर साढ़े ग्यारह घंटे और कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां पर साढ़े बाइस घंटे बिजली दी जा रही । आज जो स्थिति है, विद्युत् क्षमता है, उसके हिसाब से 24 घंटे बिजली दे पाना सम्भव नहीं है ।

श्री राम जग—

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है । इसलिए मैं अपनी पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम जग अपने दल के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अब्दुल कलाम—

मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान बनारस की ओर ले जाना चाहता हूं। जिसका दूसरा नाम काशी भी है। काशी की अपनी एक अलग पहचान है, यह एक सांस्कृतिक नगरी है और उसकी एक गरिमा है। वहां इस समय डाइरिया का जबर्दस्त प्रकोप है। आये दिन बिजली का न होना, गन्दे पानी का सप्लाई होना, सीवर का जाम होना और जल-जमाव--ये सब डाइरिया होने के कारण हैं। चारों तरफ के अस्पताल भर चुके हैं। पांच बच्चों की जान जा चुकी है और अस्पतालों में सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हफ्तों बिजली गायब रहती है। ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कहते हैं कि स्टोर में ट्रांसफार्मर नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहता हूं कि क्या उन्हें इस डाइरिया की जानकारी है और वह बिजली की आपूर्ति, सीवर की सफाई, जल जमाव के निराकरण व गन्दे पानी की सफाई हेतु क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं इसे वह बताने का कष्ट करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि वाराणसी में डाइरिया का जबर्दस्त प्रकोप है जिससे हजारों की संख्या में लोग पीड़ित हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जबर्दस्त प्रकोप नहीं है बल्कि छुटफुट केस विभिन्न अस्पतालों में आए हैं और जो रोगी आये हैं उनका समुचित इलाज किया गया है वहां पर दवा की कोई कमी नहीं है। इस सरकार ने हर जिले को सचेष्ठ कर रखा है और दवा की कहीं कोई कमी नहीं है। जो पीड़ित लोग हैं उन्हें आवश्यकतानुसार दवाई दी जा रही है किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है तथा महामारी नहीं फैली है। अगर कहीं कोई केस होता है तो सरकार कार्य-वाही करती है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह इस नियम में नहीं आता है, अत: इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अब्दुल कलाम और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैंने सुना और सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 56 में नहीं आती है। इसलिए मैं अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री ओम प्रकाश पासवान व श्री राम प्यारे जी की है। चूंकि श्री ओम प्रकाश पासवान इससे पहले एक सूचना पर बोल चुके हैं अत: मैं श्री राम प्यारे जी को सुनाता हूं।

श्री राम प्यारे--

मान्यवर, पहले आप हमें सुन लें उसके बाद हमारे नेता जी भी बोल लेंगे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद आजमगढ़ व मऊ क्षेत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। वहां पर उसमानी अहमद जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। मान्यवर, किसी भी प्रदेश में शिक्षा बाधित हो तो उसी प्रदेश का विकास बाधित होता है और वहां के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है। इनको मऊ के अतिरिक्त आजमगढ़ का भी चार्ज मिला हुआ है। इन्होंने तमाम विद्यालयों में जो वरिष्ठतम अध्यापक रहे हैं, जो पद रिक्त हुए, वहां उनको न करके जो अति कनिष्ठ अध्यापक हैं, उनको उन्होंने चार्ज दिलवाया। कई जगह कोर्ट के आदेशों के बावजूद उनका पालन नहीं हुआ। यहां तक कि संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक तक के आदेशों को ताख पर रखकर पैसा लेने का काम किया क्योंकि वह उनके व्यवहार में शामिल है और उन्हें आजमगढ़ का चार्ज भी मिला हुआ है। वे चाहती हैं कि अधिक से अधिक पैसा बटोर लूं। जब वहां के लोगों ने इसको उठाया तो उनकी बात नहीं सुनी गयी जिससे वहां के लोग आंदोलित हो गये और अंत में तंग आकर दिनांक 7-7-97 को धरने और सत्याग्रह पर बैठ गये। मान्यवर, 18 तारीख से वह धरना आमरण अनशन में परिवर्तित हो गया। जिस जनपद के तीन-तीन मंत्री और दल के मुख्य मंत्री से सम्बन्धित हों, जिस जनपद से संसदीय कार्य मंत्री हों वहां पर ऐसा हो। आज एडमीशन या वर्ष की शुरूवात चल रही है, जिसमें अध्यापक आंदोलित हो गये हैं तो निश्चित ही शिक्षा का कार्य बाधित होगा और वर्ष के शुरुवात में कार्य बाधित होंगे तो निश्चित रूप से उसका पूरा भार बच्चों पर पड़ेगा और बच्चों का भविष्य खराब हो जायेगा।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में सबसे पहले तो जिला विद्यालय निरीक्षक की पोस्टिंग की जाये और उसकी जांच करायी जाये। आप कहेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री जी जबाब दें, वह सारी बातों को घुमाकर जवाब देते हैं। मैं आपकी पीठ से कहना चाहता हूं कि जो भी निर्णय लेना हो आप लें। आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी तत्काल जांच करायी जाये।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उनके सरस्वती पुत्र ने बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहने के बाद सचमुच ऐसा लगा कि शिक्षा में वह आमूल चूल परिवर्तन करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देंगे। मान्यवर, यह जनपद आपसे भी जुड़ा हुआ है और कमिशनरी हो गया

हैं । हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो संवेदनशील हैं, वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं और किसी को बख्शते भी नहीं हैं, तो क्या मान्यवर इस पर आपकी व्यवस्था आयेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, जिस जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में बात कही गयी है, तो आजमगढ़ और मऊ में दो अलग-अलग पद जिला विद्यालय निरीक्षक के सृजित हैं, परन्तु इस समय जो आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनका काम जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ देख रहे हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया का स्थानान्तरण आजमगढ़ के लिये किया गया था, परन्तु वहां के जिलाधिकारी और मण्डलायुक्त ने उन्हें कार्य से मुक्त नहीं किया और यह लिखा है कि इनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जाये, शासन शीघ्र निर्णय ले रहा है और निश्चित रूप से आजमगढ़ में किसी जिला विद्यालय निरीक्षक को जल्दी ही नियुक्त किया जायेगा । इस पर कोई हीला हवाली या डील नहीं होगी ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

जल्दी का माने बता दें 12 घंटे या 1 दिन ।

श्री बी० आर० वर्मा—

जल्दी से जल्दी जिला विद्यालय निरीक्षक वहां भेजे जायेंगे । किसी अधिकारी की समस्या है तो उस पर हम विचार कर रहे हैं । जल्दी से जल्दी भेजा जायेगा ।

जल्दी से जल्दी वहां नियुक्ति कर दी जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

मान्यवर, जैसे ही हाउस बन्द होगा इनका बेलगाम का घोड़ा चालू हो जाएगा । जल्दी से जल्दी इनका क्या मतलब है ? इनके निरंतर साफ नहीं दिखाई दे रही है ।

श्री बी० आर० वर्मा—

जल्दी से जल्दी का मतलब यथाशीघ्र ।

(व्यवधान)

श्री अभिषेक—

पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए ।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मेरी बात सुन लीजिए। मान्यवर, जहां तक धरने और प्रदर्शन का सवाल है, जिला विद्यालय निरीक्षक ने कुछ विद्यालयों में स्थानापन्न अध्यापकों की नियुक्तियां की। उन नियुक्तियो को लेकर यह हुआ है, संयुक्त निदेशक आजमगढ़ मण्डल को इसके बारे में कहा गया है। वह पूरे प्रकरण को देख रही हैं जल्दी से जल्दी यह धरना और प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। विस्तृत जांच की मांग यह कर रहे हैं, इनके कहने के पहले ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहां जांच हो रही है, जांच जैसे ही पूरी होगी, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

वर्तमान में जो कार्यरत जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। वह दो साल से इस तरह चल रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री अपने मुंह से कह दें, एक हप्ते दो हप्ते में जब भी हो चला जायेगा। आजमगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कितनी बिगड़ गई है, आप जानते हैं। नए जिला विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति कब तक कर देंगे।

श्री बी0 आर0 वर्मा0—

जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति कर दी जाएगी।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कितने दिन में कर देंगे, यह बता दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा—

मान्यवर, इसमें जो दुरुहता है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे ही एक जिला विद्यालय निरीक्षक का ट्रांसफर किया उन्होंने किन्हीं कारणों से अपनी दिक्कतें बताई और नहीं जा पाए। सरकार ने विचार किया और मामला टल गया। फिर अगर ट्रांन्सफर करेंगे वह भी किन्हीं कारणों से रोकना पड़ा, तो दिक्कत है। ये कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सकेगा हम जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त कर देंगे। इस पूरे प्रकरण की आख्या संयुक्त निदेशक से मांगी गई है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री ओम प्रकाश, श्री राम प्यारे एवं ससदीय कार्यमन्त्री को सुनने के बाद में इसे अस्वीकार करता हूं। यह नियम–56 में नहीं आता है।

अगली सूचना श्री कैलाश यादव, श्री प्रभू नारायण सिंह यादव की गाजीपुर जिले के सादात क्षेत्र में राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के भवन को

गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री समरपाल सिंह की प्रदेश के विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सीटें कम होने के कारण विद्यार्थियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों, उद्यमों, कम्पनियों एवं संस्थानों हेतु किसानों की गैर सिंचित भूमि का ही अधिग्रहण किये जाने तथा बाजार भाव पर मुआवजा एवं परिवार के व्यक्तियों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री राजधारी की बलिया जिले में कम वर्षा एवं नहरों तथा ट्यूबेलों की जर्जर स्थिति से किसानों के सम्मुख उत्पन्न गम्भीर सिंचाई संकट के सम्बन्ध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम–56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है अतः अस्वीकार की गई । श्री मित्रसेन यादव की नियम–56 में प्राप्त एतद्विषयक सूचना पर दिनांक 30–7–1997 को शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है ।

श्री अम्बरीश कुमार, श्री रामनक्षत्र, श्री सुबास चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अमरमणि, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह, श्री समर पाल सिंह, श्री अरूणवीर सिंह, श्री राम कृपाल, श्री धर्मज्ञ मिश्रा, डा0 वकार अहमद शाह, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री देवेन्द्र सिंह यादव, श्री रामेश्वर सिंह यादव, श्री रामवीर सिंह, श्री ओंकार सिंह यादव, श्री विनोदमणि, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री सुधाकर सिंह, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री राम आधार सिंह, श्री घनीराम वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री रामतेज यादव एडवोकेट श्री डा0 वकार अहमद शाह, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री गोपाल कृष्ण, श्री श्याम लाल रावत, श्री अमरमणि, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की सूचनाएं अस्वीकार की गई ।

(आय व्ययक की मांगों पर चर्चा के लिये श्रीमती प्रभा द्विवेदी को पुकारे जाने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा––

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मित्रसेन यादव—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । जब एक मद समाप्त हो चुकी हो और दूसरी मद पुकारी गयी हो तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ।

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की. . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आप कृपया बैठ जायं व्यवस्था का प्रश्न सुन लूं । मित्रसेन जी बतायें कौन सी अव्यवस्था हो गयी ।

श्री मित्रसेन यादव—

मान्यवर, जब कल आप पीठासीन थे और नियम 56 की सूचनाओं को लिया जा रहा था तो आपसे मैंने कहा था कि मेरी सूचना को कल के लिये स्थानान्तरित कर दीजिये और आज के लिये आपने स्थानान्तरित कर दिया था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप गलत बात कह रहे हैं ।

श्री मित्रसेन यादव—

मान्यवर, उसी के तहत लाटरी वाला प्रश्न स्थानान्तरित हो गया था। आज आप मेरा प्रश्न नहीं ले रहे हैं, इस पीठ से ऐसा आप न करें । मैं अनुशासित सदस्य हूं, बैठ जाता हूं लेकिन आपको मेरी सूचना लेनी चाहिये । बहुत बहुत शुक्रिया ।

श्री अधिष्ठाता—

जब कल दोनों पक्षों की बात आ गयी उस समय मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जो भी सूचनायें सुनने को शेष रह गयीं हैं, 2 सूचनायें सुनने को शेष रह गयीं थीं, उन पर शासन का ध्यान मैंने आकृष्ट कर दिया था और बाकी सूचनायें निरस्त कर दीं थी । आपकी सूचना पर कल ही ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । आप कार्यवाही देख लें आप बेकार इस पीठ पर आक्षेप न करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियम 56 के बारे में आप लाटरी निकालते हैं और लाटरी निकलने के बाद जिनकी सूचनायें आती हैं

नियमानुसार उनको सुनना चाहिये, यह परम्परा चली आ रही । कल आपने इस परम्परा का निर्वहन किया । आज आपने लाटरी निकालने के बाद नहीं सुना । जो सूचना मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है वह सारे प्रदेश के किसानों के जीवन से जुड़ी है । प्रदेश की सरकार आये दिन किसानों की जमीनें ले रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मुझे सुन तो लें । जब आपने नियम बनाया है लाटरी के जरिये सूचना निकालने का तो 50 सूचनाओं में से मैं लाटरी से निकल कर आया लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं और जो लोग हल्ला मचा लेते हैं जो संख्या बल पर अपनी बात कहना चाहते हैं आप उनको समय दे देते हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है समय की कमी का बहाना बनाकर आप टाल रहे हैं यह ठीक नहीं है ।

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी लाटरी से 10 सूचनाएं निकाली जाती हैं उसमें से 5 पर यहां सुना जाता है और पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । यह पहले से व्यवस्था है और नियमों के अन्तर्गत है । पांच सूचनाओं पर सुन लिया है और पांच पर ध्यान आकृष्ट करा दिया । इसमें कौन सी अव्यवस्था हो गई ।

[व्यवधान]

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपने कल 10 सूचनाओं पर सुना था जिसकी वजह से कल सदन 12-00 बजे तक चला ।

श्री अधिष्ठाता—

विशेष परिस्थितियों में सुना जा सकता है ।

[व्यवधान]

*श्री प्रभु नारायण सिंह यादव--

मान्यवर, हमारी एक सूचना थी हमको कल भी नहीं सुना । हमारी बात सुन लें । गाजीपुर में विद्यालय गिरा दिया गया है । कल हम वहां पर शान्तिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर रहे थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[व्यवधान]

श्री अधिष्ठाता—

शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है ।

(श्री कैलाश श्री प्रभु नारायण सिंह अपनी सूचना न सुने जाने के विरोध में सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर जोर से बोलने लगे । कुछ और सदस्य भी आ गये) ।

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, एक-एक मिनट सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं अगली मद ले रहा हूं । इनकी सूचना पर शासन का ध्यानाकर्षण करा दिया गया है । कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । ओम प्रकाश जी इनको समझाइये ।

श्री कैलाश —

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । उस विद्यालय को मान्यता प्राप्त थी । दस साल से चल रहा था । एक हजार बच्चे पढ़ रहे हैं ।

उसके बाद मामले में फंसाकर 14 लोगों को जेल भेज दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आसन ग्रहण करें शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । कार्यवाही होगी ।

श्री कैलाश—

मान्यवर, इस मामले की जांच कराई जाए मैं, इन्हीं शब्दो के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । (4 बजकर 30 मिनट)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री—(श्रीमती प्रभा द्विवेदी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76

श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 28,05,26,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ पांच लाख छब्बीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से एवं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या–77 श्रम में विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 57,42,50,000 (रुपये सत्तावन करोड़ बयालिस लाख पचास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माध्यम; श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकतायें हर प्रकार के श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने एवं सेवायोजकों की तथा शासन की सामर्थ्य सीमा को ध्यान में रखते हुये श्रमिकों से शोषण तथा अत्याचार से मुक्ति दिलाने से सम्बन्धित हैं, जहां एक ओर प्रदेश के सामान्य औद्योगिक विकास व आर्थिक प्रगति के व्यापक हित में सेवायोजकों तथा व्यवसायियों को अनावश्यक कठिनाई न होने देना शासन की प्रतिबद्धता है, वहीं असामाजिक विचारधारा वाले व्यापारियों तथा मिल मालिकों को अन्य कानूनों के साथ श्रम सम्बन्धी कानूनों की परिधि में अनुशासित रखना भी हमारे लिये अनिवार्य है ।

2––प्रदेश के शहरों के अधिकांश श्रमिक संगठित हैं और अपने संघों के माध्यम से अपनी सुविधाओं के लिए सजग रहते हैं, किन्तु श्रमिकों का एक बहुत बड़ा अंश असंगठित मजदूरों का है जो शहरों और रोशनी से दूर गांवों में विशेष रूप से खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं । इस वर्ष प्रदेश शासन द्वारा विशेष ध्यान देकर इनके कल्याण के लिये इनकी मजदूरी की दरें प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में रुपये 47.00 प्रतिदिन तथा पश्चिमी क्षेत्रों में रु0 49.00 प्रतिदिन निर्धारित कर दी गई हैं मजदूरी की इन दरों को जन–सहभागिता से दिया जाये इसके लिये पंचायतराज संस्था ग्राम की बैठकें करायी जा रही हैं जिनके द्वारा इनका प्रचार–प्रसार किया जा रहा है ।

3––शहर के विभिन्न 65 नियोजनों में हर पांच वर्ष पर मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण होता था । व्यापक श्रमिक हित में महंगाई की बढ़ती गति को देखते हुये अब यह पुनरीक्षण शासन स्तर पर हर दो वर्ष पर किये जाने का निर्णय हमने लिया है । इन संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में उक्त प्रकार से निर्धारित मजदूरी की देयता सुनिश्चित कराने के लिए विभाग के सुन्दरीकरण का प्रस्ताव है जिसमें हर जनपद एवं यथासम्भव तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर श्रम प्रवर्तन तन्त्र प्रभावी किया जाये ।

4—इस वर्ष में बन्धुआ मजदूरों के समूल समाप्ति के लिए अशासकीय संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में सर्वेक्षण कराया गया है और श्रम विभाग द्वारा भी पुनः इसकी पुष्टि करायी गयी है। गत दो दशकों से ज्ञात 27 बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के बाद भी इस वर्ष के प्रारम्भ में ज्ञात हुये प्रदेश में चिन्हित हुये 338 बन्धुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने की योजना है। इसी प्रकार बाल श्रमिकों की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सहयोग से विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें 24053 बाल श्रमिक चिन्हित हुये हैं। इनमें से 16380 बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों से निकाल कर इनका प्रवेश विद्यालयों में कराया जाना है, साथ ही उनके परिवार के एक बालिग को नौकरी दिलायी जानी है। इनके नियोजकों से मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 20 हजार प्रति बाल श्रमिक वसूल कर एक निधि की स्थापना की जा रही है जिसके ब्याज से बाल श्रमिकों को विद्यालयों में दाखिल कराकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी है। शासन की प्रतिबद्धता है इस वर्ष के अन्त तक यह समस्त कार्य पूरा कर लिया जाय। हम इस सम्भावना के प्रति जागरूक हैं कि केवल एक बार सर्वेक्षण कर लेने से ही बन्धुआ अथवा बाल श्रम की कुप्रथाओं का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, अतः यह सर्वेक्षण कार्य निरन्तर किया जाना एवं इसके लिये श्रम तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षणों तथा श्रम विभाग के इन्सपेक्टरों आदि के द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न न हो इसके लिए की गयी व्यवस्था से अपेक्षित परिणाम नहीं निकले, अतएव प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था पर समीक्षात्मक दृष्टि डालते हुए नई दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

5—प्रदेश में विभिन्न श्रम नीतियों के निर्धारण के पूर्व नियोजक, श्रमिक संगठनों तथा सरकारी कर्मचारियों तीनों पक्षों से विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने से श्रम कल्याण योजनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं और इनमें जन सहभागिता अत्यधिक रहती है। इसके लिए त्रिपक्षीय प्रदेश स्तरीय श्रम समिति का गठन प्रस्तावित है, जिसकी बैठकों में श्रम सम्बन्धी विषयों/समस्याओं के सभी महत्वपूर्ण आयामों का विस्तृत विवेचन किया जा सकेगा।

श्रम विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन प्रशिक्षण प्रखंड में दो योजनाय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना तथा शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एक्ट, 1961) संचालित की जा रही है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन वर्ष 1996-97 तक प्रदेश के संस्थानों में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित 24 दो वर्षीय इंजीनियरिंग, 11 एक वर्षीय इंजीनियरिंग तथा 15 एक वर्षीय

इंजीनियरिंग कुल 50 व्यवसायों में 42, 608 सीटों तथा ग्रामीण क्षेत्र मिला कर 53000 सीटों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है ।

प्रदेश के 14 जनपदों में महिलाओं के लिए अलग से संस्थान स्थापित किए गए हैं तथा अन्य जनपदों में युवक संस्थान के साथ महिला संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं ।

प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, देवरिया, सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच, बस्ती, गोण्डा, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद में इलेक्ट्रानिक्स एवं रिफ्रेजरेशन व्यवसायों में प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार किया गया है ।

प्रदेश की समस्त रा0 औ0 प्र0 संस्थानों में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन का कार्य एक स्वतन्त्र व्यावसायिक परीक्षा परिषद् स्थापित कर प्रवेश परीक्षा तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है । इन संस्थानों में प्रवेश के समय शासन की आरक्षित नीति का शत-प्रतिशत पालन किया जाता है ।

प्रशिक्षण प्रखंड के समस्त कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार एवं विकास हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए मैदानी क्षेत्र हेतु रु0 58.97 करोड़ तथा उत्तरांचल क्षेत्र के लिए रु0 33.80 करोड़ कुल रु0 92.77 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

प्रशिक्षण प्रखंड के कार्यक्रमों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए शासन द्वारा मैदानी क्षेत्र के लिए रु0 21.839 करोड़ (जिसमें रु0 6.47 करोड़ एम0 सी0 पी0/टी0 एस0 पी0 के लिए आरक्षित) तथा उत्तरांचल क्षेत्र के लिए रु0 3.5 करोड़ (जिसमें रु0 0.75 करोड़ एम0 सी0 सी0 पी0/टी0 एस0 पी0 के लिए) कुल रुपये 25.339 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

इस परिव्यय से केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित विश्व बैंक परियोजना के अधीन 38 संस्थानों में आधुनिक मशीनें, 41 संस्थानों में फर्नीचर तथा 40 संस्थानों में नवीन तकनीकी पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है । साथ ही 10 महिला एवं पुरुष संस्थानों में चल रहे व्यवसायों की द्वितीय पाली में प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लिए प्रदेश के 14 जनपदों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के लाभार्थ 14 संस्थान हाथरस, सिम्भावली, गजरौला, आनन्दपुर, जारखी, नजीबाबाद, शिरथू, कन्नौज, गोदलापऊ, अतरौली, पलिया, हरैया, लालगंज, सैदपुर, पवोइया प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक तैयारियां करने हेतु रुपये 5 करोड़ स्वीकृत किया जा रहा है । इन संस्थानों में 1 अगस्त, 1997 से प्रशिक्षण प्रारम्भ हो जायेगा ।

जिला योजना के माध्यम से ही 14 संस्थानों में आधुनिक एवं प्रचलित व्यवसायों की 21 यूनिट्स, का शुभारम्भ, 20 संस्थानों में मशीन, संयत्रों एवं उपकरणों की आपूर्ति, 32 संस्थानो में आंशिक भवन निर्माण कार्य तथा कुछ स्टाफ की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित हैं, जिससे प्रशिक्षण स्तर में गुणात्मक सुधार किया जा सके। साथ ही 18 जनपदों में अल्पकालीन स्वतः रोजगार परक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना भारत सरकार के शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रदेश को विभिन्न अधिष्ठानों में निर्धारित नियम एवं मानकों के अनुरूप चलायी जा रही है । इस योजना में 50,000 सीटों को सर्वेक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 27,654 स्थान उपलब्ध किये जा चुके हैं और 13,770 स्थान भरे जा चुके हैं । इस योजना के अधीन इस समय 1128 महिला, 2265 अनुसूचित जाति, 85 विकलांग तथा 140 कमजोर वर्ग के शिशिक्षु भी प्रशिक्षणरत है ।

केन्द्र पुरोनिधानित विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत विभाग के अधीन संचालित संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार कर आधुनिक तकनीकी विकास के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान पर रुपये 48.93 करोड़ लागत की विश्व बैंक परियोजना वर्ष 1987–88 से लागू की गई थी जिसकी अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 1996 निर्धारित थी । इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 1997 तक बढ़ाते हुये रु0 54.62 करोड़ का पुनरीक्षित परिव्यय निधारित किया गया है । इस वर्ष इस योजना के लिए लगभग रुपये 14.11 करोड़ स्वीकृत किया जा रहा है । सात क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों में शत प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान पर मीडिया इन्फोरमेशन सेन्टर्स की स्थापना इस कार्यक्रम के अधीन प्रस्तावित हैं । इस वर्ष 43 संस्थानों में रु0 12.88 करोड़ की आधुनिक मशीनों की आपूर्ति के साथ फर्नीचर तथा आधुनिक तकनीकी पुस्तकों की आपूर्ति भी की जा रही है ।

हम बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है तथा इस दिशा में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार विषयक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 87 सेवायोजन कार्यालय प्रदेश में कार्यरत हैं तथा 15 विश्व विद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र स्थापित किये गये । सेवायोजन कार्यालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीकृत किया जाता है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु उनके नामों का सम्प्रेषण किया जाता है । सेवायोजन कार्यालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराने हेतु उनके आवेदन–पत्र ऋण की स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थाओं को अग्रसारित किये जाते हैं एवं यह भी प्रयास किये जाते हैं कि उनको ऋण स्वीकृत हो सके।

सम्मानित सदन के सभी सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायोजन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह योजनाबद्ध ढंग से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र एवं संस्थाओं का भ्रमण करें तथा स्थल पर उनका पंजीयन भी करें।

वित्तीय वर्ष 1996-97 में विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान क के उद्देश्य से (7 संस्थान) रा, अइलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, मथुरा एवं अलीगढ़ में विशिष्ट सेवायोजन कार्यालयों की स्थापना की गयी है।

व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के प्रसार करने के उद्देश्य से पडरौना में व्यवसाय मार्ग निर्देशन इकाई की स्थापना की गयी। सेवायोजन कार्यालय, मुरादाबाद के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में 212.00 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया जिसमें जिला सेक्टर में 162.00 लाख का परिव्यय सम्मिलित है इस वर्ष नवसृजित 08 जनपदो कौशाम्बी, ज्योति वाफुले नगर, गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, क्षत्रपति शाहू जी महाराज नगर, चन्दौली, बलरामपुर तथा श्रीवस्ती में जिला सेवायोजन कार्यालय तथा नवसृजित तीन मण्डलों-सहारनपुर, मिर्जापुर तथा बस्ती में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित किय जायेंगे। कानपुर देहात, फिरोजाबाद, सीतापुर, पडरौना, सहारनपुर, सुल्तानपुर तथा महोबा जनपदों में सेवायोजन कार्यालयों के भवनों के निर्माण प्रतापगढ़ एवं मुरादाबाद जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने से सम्बन्धित कार्य सुनिश्चित कराये जायेंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन 24 फरवरी, 1952 को कानपुर नगर में इस योजना का शुभारम्भ हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत देय चिकित्सा हित लाभ, बोमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, आंगता हितलाभ, आश्रित हितलाभ एवं अन्तिम संस्कार हितलाभ में से आच्छादित श्रमिकों को चिकित्सा हितलाभ इत्यादि की उपलब्धि श्रम विभाग द्वारा सुनिश्चित कराई जाती है। वर्तमान में यह योजना 41 जनपदों में चल रही है तथा कुल 4,69,202 बीमांकित व्यक्ति इस योजना से सम्बद्ध हैं। इन्हें चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 122 एलोपैथिक, 11 होम्योपैथिक 11 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 15 चिकित्सालय कार्यरत हैं। जिन जनपदों में विभागीय चिकित्सालय कायरत नहीं हैं, वहां जनपदीय चिकित्सालयों में 125 शैय्यायें आच्छादित श्रमिक वर्ग के लिये आरक्षित कराई गई हैं। निर्धारित सीलिंग तक

चिकित्सा हितलाभ पर हुये व्यय का 7/8 कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा 1/8 भाग राज्य सरकार वहन करती है ।

वर्ष 1996–97 तक औषधि मद में 130 रुपया प्रति बीमांकित व्यक्ति प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित थी, जिसे 1–4–97 से बढ़ाकर 165 रुपया प्रति वर्ष करने का निर्णय हमने लिया है । दिनांक 1–1–97 से 6,500 रुपया प्रतिमास की सीमा तक वेतन पाने वाले कामगारों को आच्छादित किया गया है जबकि दिसम्बर, 1996 तक मात्र 3,000 रुपया प्रतिमाह वेतन पाने वाले कामगार ही इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित थे । इस निर्णय से आच्छादित वर्ग की संख्या में भी वृद्धि होगी और इन सुविधाओं का उपयोग क्षेत्र भी बढ़ेगा । वर्ष 1997–98 में श्रमिकों के लिये इन सुविधाओं की अभिवृद्धि करने का निर्णय हमने किया है और मुझे इस माननीय सदन को अवगत कराते हुये अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि इस हेतु 5 नये औषधालय जगदीशपुर, (सुल्तानपुर) दादरी (गाजियाबाद) चौबेपुर, (कानपुर देहात) बिन्दकी रोड, चौडगरा, फतेहपुर व शुक्लागंज, (उन्नाव) में खोले जायेंगे ।

मैंने अत्यन्त संक्षिप्त रूप से श्रमिक वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं से जुड़े श्रम विभाग व उसके अधीन संगठनों के 1997–98 के कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है । आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, जिसके लिये मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं । आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें और तत्पश्चात् श्रम विभाग के अधीन अनुदान संख्या 76 तथा 77 की अनुदान मांगों पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करें ताकि श्रम विभाग, श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को वर्ष 1997–98 में कार्यान्वित करने के लिये प्रोत्साहित हो सके, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम जग जी, कटौती प्रस्ताव रखें ।

श्री राम जग—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, यह बजट जो श्रम विभाग का माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पूर्णतः श्रमिक विरोधी है । इस बजट में 1997-98 के लिये जो प्राविधान किया गया है, यह श्रमिकों के हित, उनके विकास में नहीं है । यह बजट पूंजीपतियों और मालिकों के हित में बनाया गया है । आज श्रमिकों की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्पादन में उनकी क्या भागीदारी है, उनके प्रति सरकार का नजरिया क्या है, मजदूरों के प्रति सरकार का नजरिया क्या है ?

ईमानदारी से यहां की सरकार, जो उत्पादन में पूरा हिस्सा देते हैं जो मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, श्रमिक हैं उनके हितों की रक्षा यह सरकार नहीं कर पा रही है और हाल पूरे प्रदेश का यह है कि संगठित मजदूरों की संख्या एक करोड़ के आस-पास हैं आप देख लीजिये कानपुर जे0 के0 काटन मिल सहित जितनी भी सूती मिलें हैं उनमें 50 हजार से अधिक मजदूर नौकरी से बाहर बैठा दिया गया है । बी0 आई0 एफ0 आर0 है जिसमें सीमेन्ट, कताई मिलें, चीनी मिलें अपट्रान, कारपेन्टाइन आदि के लिए भी कारखाने हैं और वह बन्द होने के कगार में हैं । इसके बन्द हो जाने से करीब 25 हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे । इनके बन्द होनें या बीमार होने का कारण सरकार की गलत नीतियां रही है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि बन्द होने वाले कारखाने हैं उनको खोलकर मजदूरों की रक्षा करें । मान्यवर, इन कारखानों को सरकार औने-पौने मालिकों के हाथों बेचना चाहती हैं ।

मान्यवर, यू0 पी0 एफ0 आई0 डी0 सी0 है जिसमें मजदूरों की संख्या 15 हजार के करीब है और यह भी बन्दी के कगार पर है । इसी तरह से सहकारी क्षेत्र में 35 प्रतिष्ठानों तथा उनमें नियोजित लगभग 30 हजार मजदूर हैं, इन प्रतिष्ठानों को सरकार औने-पौने दामों में बेचना चाहती है या बन्द करना चाहती है । मान्यवर, सीमेन्ट कारखाने बन्द हो रहे हैं, अपट्रान को बन्द कर रहे हैं और कारपोरेशन की लगभग 30 मिलें सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचने जा रही हैं और इसके बाद बीमार मिलों के नाम पर मालिकों को श्रम कानून से छूट मिलेगी तथा बोनस आदि भी वे नहीं देंगे इस तरह से सरकार मालिकों को लाभ पहुंचाने जा रही है मान्यवर, इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और श्रम कानून का उल्लंघन उद्योगपति करते हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं है मान्यवर, इंजीनियरिंग उद्योग के जो मजदूर हैं इसमें पिछले 9 वर्षों से उनके वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त मोदी नगर के सभी कारखानें बन्द हैं सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते ताला बन्दी, छटनी, लेआफ के जरिये आज हजारों मजदूर बेकार हैं ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या एक करोड़ से ज्यादा है श्रम मन्त्री ने एक मई को एक सेमिनार में भाषण दिया था कि उ0 प्र0 के खेतिहर की मजदूरी 60 रुपया होगी, आपके प्रमुख सचिव ने भाषण दिया कि इसके बावजूद तय किया कि उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 47 रुपया होगी, यह उनके साथ अन्याय है । मान्यवर, बिजली विभाग का हाल यह है हमारी सरकार के ऊपर 11 हजार करोड़ रुपये का बकाया है जब कि सारे मजदूर और सारे अभियन्ता कहते हैं कि सरकार ईमानदारी से हमारा सहयोग करे तो पूरे प्रदेश में इतनी बिजली पैदा करेगें कि प्रदेश को भी देगें और बाहर भी बिजली देगें लेकिन सरकार की मन्सा सारे उद्योगों को प्राइवेट हाथों में देने की है ।

मान्यवर, जो भी बुनियादी सवाल है इनको हल करने की योजना सरकार के पास नहीं है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की तभी रक्षा हो सकेगी जब श्रम नियमों का पालन कराया जायेगा । मान्यवर, श्रम न्यायलय ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया लेकिन मिल मालिक हाईकोर्ट से स्टे ले आये तो श्रम विभाग की जिम्मेदारी बनती थी कि वह मजदूरों के पक्ष में पैरवी करता । श्रम कानून का पालन कराने में सरकार कहती लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि श्रम कानून का पालन कराने में सरकार की कतई मंशा नहीं है चूंकि वह मिल मालिकों से मिली है । इसलिए श्रम कानूनों का उल्लंघन कराने का काम श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और श्रम कानून को तोड़ने का काम सरकार स्वयं करती है ।

मान्यवर, जहां तक स्थानीय निकायों के मजदूर का सवाल है तो उनको मजदूरी नहीं मिल रही है और वह मारे जाते है । लेबर कालोनी टूट रही है जिससे उनके रहने की समस्या पैदा हो रही है । मजदूरों के लिए दवाइयों का कोई प्रबन्ध नहीं है और मजदूरों के पैसे को मिल मालिक हड़प करना चाहते हैं । मान्यवर, आज प्रदेश में कारखाने बन्द हो रहे हैं, कपड़ा उद्योग बन्द हो गया है और पब्लिक सेक्टर के जो भी उद्योग हैं वह बन्द हो रहे हैं लेकिन मजदूरों की रोजी-रोटी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है । मान्यवर, आज जो बजट पेश किया गया है उसमें मजदूरों को जो घर बैठा दिया गया है, बन्द मिलों को खोलने के सम्बन्ध में, मजदूरों की भलाई के लिए श्रम कानूनों के पालन के सम्बन्ध में और कारखानों के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत बजट में किसी योजना का प्रावधान नहीं किया गया है । मान्यवर, बाल श्रमिकों और बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने की बजट में कोई योजना नहीं है । इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में श्रम वर्ग जिसमें दलितों, गरीबों आदि की संख्या अधिक है, पर अन्याय में श्रमिकों की मेहनत को

सही मायने मे सरकार रक्षा करती तो हम इस सरकार को मजदूरों की हितैसी सरकार मानते, लेकिन आपकी नीतियां श्रमिक विरोधी और दलित विरोधी है तथा आपकी नितियां मालिक परस्त हैं। इसलिए इस बजट से किसी प्रकार से मजदूरों की रक्षा नहीं होती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

मद संख्या 9 (2) पर श्री मुन्ना चौहान आप कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री मुन्ना लाल चौहान--

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या 77 श्रम विभाग सेवायोजन के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, सरकारी तौर पर जो सेवायोजन का प्रयास है, उसे हमें ऐतिहासिक रूप से देखने की कोशिश करनी होगी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब बहुत सारे श्रमिक छटनी के रूप में आये तो एक सवाल इस मुल्क की सरकार के सामने उठा कि भारी पैमाने पर जो सोल्जर्स हैं उनकी नौकरी कैसे का क्या इन्तजाम किया जाय। एम0 पी0 सीवा राव साहब की चेयर मैनशिप में एक कमेटी गठित हुई उस कमेटी ने प्रशासनिक रूप देने की कोशिश की सेवायोजन को कि किस तरह से गुणवत्ता के रूप में शासन-प्रशासन में प्रयास शुरू से किये जाय निरन्तर प्रसार गुणवत्ता सुधार इस दौर से गुजरता चला गया। उ0 प्र0 में मान्यवर जहां हम लोग निवास करते हैं संक्षिप्त ब्यौरे को देखें तो उ0 प्र0 की पहली अक्तूबर, 1995 के हिसाब से जो अनुमानित आबादी है वह तकरीबन 15 करोड़ 7 लाख है। उसमें ग्रुप फारमेशन के हिसाब से देखें तो 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में तकरीबन 99 लाख की आबादी है, 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग में 86 लाख की आबादी है, 25 से लेकर 29 वर्ष के आयु वर्ग में 76-77 लाख की आबादी है, 30 से 39 वर्ष आयु वर्ग में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, जो निर्माण और सर्विस का ग्रुप होता है, इसमें तकरीबन 3 करोड़ से अधिक की आबादी इस दायरे में आती है, रेंज में आती है, जो भागदौड़ करती है सेवायोजन कार्यालयों या कोचिंग ट्रेनिंग सेन्टर्स का केरियर काउंसिलिंग, केरियर डेवलपमेंट सेन्टर इनमें वे लोग अवेदन करते हैं, कहीं ट्रेनिंग की बात करते हैं। 230 मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान (आई0 सी0 आई0) हैं, जिसमें प्रवेश क्षमता तकरीबन 50 हजार है, जो अनइम्पलायमेंट का सीनेरियो है ...

इस प्रदेश के अन्दर यदि हम उस नजरिये से देखें तो अलग-अलग वर्ग में अनइम्पलायमेंट की समस्या को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम आर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं जिसे हम उद्योग कह सकते हैं, कल कारखाने कह सकते हैं। परन्तु हमारे प्रदेश की स्थिति यह है कि वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, आबादी यहां की बहुत है। हमारे यहां 16 हजार छोटे-मोटे कल-कारखाने हैं। विभाग ने जो आंकड़े दिये हैं, यदि उसे आप देखें तो सीमा पर बैठा हुआ जो व्यक्ति रोजगार कर रहा है, जिसके पास महीने में 10 दिन रोजगार करने के लिए नहीं है, वह महीने में केवल दो दिन रोजगार करता है, उनका प्रतिशत 2.7 है। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो चौकाने वाले तथ्य सामने आयेगें। इसमें जो मार्जिनल काम करने वाले लोग हैं, जिन्हे प्रतिदिन दो घंटे का रोजगार मिलता है मतलब रेगुलर काम नहीं है इस तरह के लोग 2.7 प्रतिशत के अन्दर इसमें 4.87 प्रतिशत महिलायें हैं और 0.36 प्रतिशत पुरुष हैं। कहने का मतलब यह है कि आज भी महिलाओं को रोजगार नगण्य है। किसी भी स्तर पर यदि महिलायें काम कर रही हैं तो वह मीनियल जोब है, जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आज इस देश में बड़े पैमाने पर श्रम पर चर्चा हो रही है। क्योंकि श्रम व सेवायोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाइल्ड लेबर को एबोलिश करने की बात कही जा रही है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो चाइल्ड लेबर्स हैं, उनके भरण-पोषण के लिए, उनके इम्पालायमेन्ट के लिए उनके रिहैबिटिलेशन के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है। अभी उत्तर प्रदेश में एक सर्वे हुआ था और उसने 32 हजार चाइल्ड लेबर्स को आइडेन्टिफाइ किया है। जिससे मैं सहमत नहीं, हूं यह सर्वे त्रुटिपूर्ण है। मान्यवर, मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां पर इस फाक से पूरे प्रदेश की जनजाति की आबादी का 45 प्रतिशत हमारे क्षेत्र में रहती है। मैं देखता हूं कि छोटे-छोटे बच्चे जंगल से लकड़ी का गठरा बना-कर बाजार बेचते हैं और अपने पेट को भरते हैं और अपने परिवार के पेट को भरते हैं। वे न किसी कारखाने में काम करते हैं, किसी उद्योग में काम नहीं करते हैं और न ही किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में काम करते हैं। अगर वह करते मजदूरी ही है। यदि उन्होंने लकड़ी नहीं बेची तो उन्हे दो-जून की रोटी नसीब नहीं होती है। अब आप हमें बतायें कि इन बच्चों को आप किस वर्ग में रखेंगे यह एक ज्वलन्त सवाल है। आपके पास तकरीबन 105 इम्पालायमेन्ट एक्सचेन्जेज हैं। कुछ विशेष योजनाओं के लिए हैं और कुछ क्षेत्रीय सेवा-योजना कार्यालय हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हे आपने संघीय कार्यालय बना दिया है।

केन्द्र सरकार की जो रिक्विजीशन आती है जो डिमाण्ड आती है वह वहां पर पहुंचती है मान्यवर मैंने माननीय मंत्री जी के बजट भाषण में पढ़ा प्रथम

उददेश्य में पढ़ा कि सेवा योजन कार्यालय का उद्देश्य है कि सरकारी क्षेत्र में, सार्बजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उसको आइडेन्टिफाई करके रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ?

श्री अधिष्ठता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान—

वास्तव में सेवा योजन कार्यालय द्वारा जो प्राइवेट फैक्टरीज हैं, जो इण्ड-स्ट्रीज हैं, जो निजी क्षेत्र के उद्यम हैं उसमें इण्टरफेसिंग का काम कर पा रही है, रोजगार प्रदान करने के लिए कोई भूमिका निभा पा रही है, वास्तविकता यह है कि प्राइवेट सेक्टर में इम्पलालमेंट एक्सचेंज के थ्रू कोई रिक्रूटमेन्ट का काम नहीं किया जाता है तो मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि क्या वे इस बात के लिए कोई कानूनी पहल नहीं करेंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना सिह चौहान—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी कल कारखाने हैं चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, सार्वजनिक क्षेत्र में हो या प्राइवेट हों, उसमें जितने भर्ती के काम हों वह इम्प्लायमेंट एक्चेंज के थ्रू हों । एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मेरे क्षेत्र में पी0पी0सी0एल0 नामक एक कारखाना था जो पिछले चार पांच साल से बन्द हो गया है । बी0 आई0 एफ0 आर0 के आर्डर से उसमें कोई कम्पलसन हो सकता है सरकार का; 1 पावर शार्टेज की वजह से या अन्य कोई वजह से । लेकिन सरकार का यह दायित्व बनता है कि जो श्रमिक कारखाने से अलग किए गये हैं उनके समायोजन की कोई व्यवस्था होती वह भी नहीं की गयी, है, उसे किया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि सेवायोजन के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गयी है और यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसके अन्दर कोई ऐसी बात नहीं की गयी है, जिससे प्रदेश के लाखों अर्धशिक्षित, शिक्षित, कुशल या अकुशल नौजवान को संदेश दिया जा सकता कि सरकार के पास कोई ऐसा कार्यक्रम है, जिससे उनका भला हो सकता है । मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 1997-98 के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर जो माननीय सदस्य श्री राम जग और माननीय सदस्य श्री मुन्ना चौहान के द्वारा रखे गए हैं, पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी अपना बजट भाषण पढ़ रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था वह मजदूरों और श्रमिकों के बारे में कोई बात करेंगी । लेकिन इस श्रम अनुपूरक बजट को देखने से यह नहीं लगता है कि उन्होंने मजदूरों या श्रमिकों के हितों की बात को सोचकर यह बजट तैयार किया है । यह बजट उन अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है, जिनके हृदय में मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई भावना नहीं है । तमाम बातें रखीं गयीं । अधिकारियों की सुख सुविधाओं के लिए अनुदान मांगा गया । फर्नीचर आदि खरीदने के लिए पैसा मांगा गया । इससे मजदूरों या श्रमिकों का भला होने वाला नहीं है ।

इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने 15-20 साल तक मजदूर राजनीति किया है । मान्यवर, मजदूर दो प्रकार के होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं और दूसरे मजदूर वह हैं जो असंगठित हैं । 14 माह में एक भी मजदूर को इस सरकार से न्याय नहीं मिला है । मान्यवर, दूसरी समस्या बेरोजगारी की है । करोड़ो लोग इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है । बेरोजगार नवयुवक नौकरी न पाने वर शराबी हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न उनकी कोई सोच ही इस ओर है । अगर इस ओर सोच है तो समाजवादी पार्टी की सोच है । अगर माननीय मंत्री जी हम लोगों से राय ले लिया होता तो हम लोग बहुत अच्छी राय दे दिये होते । लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है अगर हमारी सरकार होती तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की थी कि हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी और कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहने पायेगा, लेकिन यह सरकार बेरोजगारों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ये सरकार और मूर्ति लगवाने में और पार्क बनवाने में सारा पैसा खर्च कर रही है अगर यह पैसा बेरोजगारों के कल्याण के लिए लगा दिया जाय तो यह अच्छी सरकार कही जा सकती है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं बात की तो शुरुआत ही कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहीं भी श्रमिक कल्याण के लिए कुछ नहीं कहा है। आज तमाम फैक्ट्रीज़ बन्द हैं और उनके मजदूर बेरोजगार हैं। बेरोज़गारी की हालत में बहुत से मजदूरों ने आत्म हत्या कर लिया है। मान्यवर, प्रतापगढ़ में आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड का कारखाना है वह बन्द हो गया है और वहां के मजदूर बेकार हैं। एक शासनादेश हुआ था कि वहां के मजदूरों को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जायेगी, लेकिन एक भी ऐसा मजदूर नहीं है, जिसको बिना रिश्वत के नौकरी दी गयी हो।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री चन्द्र नाथ सिंह--

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लोग 15.00 रु0 और 20.00 रु0 पर काम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए इस सरकार ने कोई विचार नहीं किया है। मान्यवर, अभी लाटरी के बारे में जिक्र हुआ था इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है क्योंकि लाटरी अधिकतर मजदूर ही खेलते हैं और उनकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह घर के गहने तक बेंच देते हैं लेकिन इस पर सरकार की कोई सोच नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इस पर विचार किया जाये, एक समिति बनाकर विचार किया जाये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, यह श्रम विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है। बाल श्रमिकों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बाल श्रमिक तीन प्रकार के हैं एक तो 9 से 15 वर्ष की आयु वाले, दूसरे 14 से 16 वर्ष की आयु वाले और तीसरे 17 वर्ष से ऊपर की आयु वाले। इन तीन में 9 से 13 वर्ष के बालकों से तो काम लिया ही नहीं जा सकता है।

14 साल से ऊपर वाले जो श्रमिक हैं, उनके काम के क्या तरीके होंगे और वयस्क तथा बाल श्रमिक के काम के क्या तरीके होंगे ? स्पष्ट नहीं है। आपने आंकड़े दिए हैं 32 हजार के, मैं नहीं समझता कि यह कैसे आंकड़े हैं। बाल श्रमिक के सम्बन्ध में जो जानकारी आपने दी है, उसकी आप किसी समाज-शास्त्रीय से जांच करवायें तब सही स्थिति सामने आती। आज भी कितने

बड़े अधिकारियों के घरों में काम करते हैं, वह भी देखने की बात है। सोसियों इकोनामिक परिस्थियों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति हो, जो उनकी परिस्थियों का अध्ययन करें। उनके परिवारों की स्थिति क्या है; उसे देखें। तभी उनकी स्थिति सुधरेगी। सोसियों इकोनामिक कंडीशन का सर्टिफिकेट लेखपाल और नगरपालिका वाले नहीं दे सकते। सोसियों इकोनामिक प्राब्लम को समझने की कोई रीति-नीति तय करनी होगी, उसके लिए जो वर्तमान में तरीका है उससे यह समस्या हल नहीं होगी। उसके लिए समाजशास्त्रीय और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनको 'इस काम के लिए प्रेरित करिए। वही सही आंकलन कर सकते हैं। तभी सही स्थिति सामने आएगी। फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी के कारखानों में काम करने के लिए डाक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। बिना उस सर्टिफिकेट के कोई फैक्ट्री में घुस नहीं सकता। 14 साल से 17 साल के बच्चे भी काम नहीं कर सकते हैं, इससे ऊपर वालों को भी बिना प्रमाण-पत्र के काम नहीं करने दिया जाता है तो इस काम के लिए समाजशास्त्रियों की टीम होती तो ज्यादा अच्छा रहता।

कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के बारे में सरकार का एक ही भाव प्रकट हो रहा है, वह है बच्चों को पढ़ने और उनके नास्ते का प्रबन्ध करना। तो माननीय यह कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। जो परित्यक्ता के बच्चे और जिनके मां-बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चे और उन परिवारों के बच्चे, जिनकी बहुत थोड़ी आमदनी है उनके आश्रितों के लिए कोई लाभकारी योजना नहीं चलाएंगे तो श्रम कल्याण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। 9 से 13 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह शिक्षा विभाग की तरफ से भी चलाया जा रहा है और दूसरे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वह भी निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम चला रही हैं। एक साल से सात साल तक के बच्चों को प्राइमरी पाठशालाओं में जाना अनिवार्य है। लेकिन जो आबादी के आंकड़े हैं, उससे भी ऊपर यह आंकड़े लाकर रख दिए हैं। हर एक को अपने मानक पूरे करने हैं, इस सम्बन्ध में मैंने आपके सचिव को भी पत्र लिखा था और सोसियों इकोनामिक कण्डीशन की स्टडी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ है कि जिनके यहां इस प्रकार के बच्चे सेवा करते हुए मिलेंगे, उन्हें बीस हजार रुपये का जुर्माना होगा। कोर्ट ने सरकार को भी माफ नहीं किया है। दोषी पाए जाने पर दण्डस्वरूप सरकार को भी पांच हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितना रुपया जुर्माने का जमा किया गया वह सारा चिट्ठा सामने आना चाहिये।

कल्याण कोष की स्थापना की बात आई, उसके क्या प्राविधान होंगे कैसे वह खर्च होगा, डी0 आर0 डी0 ए0 में भी मकान आदि बनाने के लिए पैसा दिया जाता है तो इन सब बातों का स्पष्टीकरण आना चाहिए। जब तक सेल्फ इम्प्लायमेन्ट योजना नहीं चलाएंगे, तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता है।

सबसे बड़ा सवाल बीमा योजना का है, उसका कोई प्रारूप नहीं है। (लाल बत्ती) यह बीमा योजना कौन चलाएगा। उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है। हमारे यहां 100 शय्याओं का अस्पताल खोलने के लिए सदन में आश्वासन दिया था।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो प्रश्न हैं सोसियो इकोनामिक उसकी स्टडी के लिए बच्चो के कल्याण के लिए इस योजना को विस्तार रूप दें। इसी तरह से बीमा योजना है कारखाने में काम करने वाले लोग काम करते समय मर जाते हैं कारखाने के मालिक 10 हजार रुपया देकर समझौता कर लेते हैं आपका विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है। हमारे यहां जो आपके अधिकारी हैं वह मृतक राशि पर पैसा लेकर समझौता करवा देते हैं आपकी बीमा योजना धरी रह जाती है। कारखाने के श्रमिकों के लिए जो आपने बीमा योजना लागू की है उसका विस्तार करना चाहिये। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस के जो कालीन गलीचा बनाने वाले श्रमिक हैं उनकी उंगलियां चली जाती हैं उनके लिए कोई व्यवस्था करायें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अधिकारियों पर निर्भर रहकर बाल कल्याण की योजना को नहीं चला सकती है इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं को आपने जोड़ा है इसलिए अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। इन सारी योजनाओं को समीक्षा यूनिवर्सिटी के प्राफेसर्स से कराकर इसका सीधा ताल्लुक जिला प्लान से करें और जिला प्लान में विधायक और सांसद बैठकर इसका संकलन करें तो अच्छा काम होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं। मान्यवर, सारा सदन गवाह है कि पहली बार माननीय मन्त्री जी ने अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने विभाग के कार्यों, कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया और जो विभाग के अधिकारियों का लिखित वक्तव्य आ गया केवल मन्त्री जी उसको पढ़ दिया। माननीय मन्त्री जी महिला है, नयी मन्त्री बनी हैं इसलिए इस मामले में हम लोगो ने टोकाटाकी नहीं की।

इससे यह परिलक्षित होता है कि श्रम जैसे बजट पर जिससे प्रदेश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का भविष्य जुड़ा है उस विभाग पर कैसे मन्त्री जी अंकुश लगायेंगी। आज पूरे प्रदेश में जो आपके उपश्रायुक्त कार्यालय हैं उनकी स्थिति दयनीय हैं। अगर किसी कारखाने में मैनेजमेंट और श्रमिकों में कोई विवाद होता है जिस पर कोई पंचाट या एवार्ड उप श्रमायुक्त द्वारा दिया जाता है उस निर्णय का कारखाने वाले कोई पालन नहीं करते हैं। आज कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल मगहर में 14 सौ मजदूरों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला है। गोरखपुर के उप श्रमायुक्त कार्यालय वेतन भुगतान के लिए वह निरन्तर संपर्क कर रहे हैं लेकिन वेतन नहीं दिलाया गया है। 54 मजदूरों को शो काज नोटिस दी गयी और बिना सुनवाई का अवसर दिये उनकी सेवाओं को टर्मिनेट कर दिया गया है माननीय मन्त्री जी बतायें कि किस तरह से वह इन मजदूरों को न्याय दिलायेंगे जो विभिन्न कारखानों में कार्यरत हैं।

आज उन श्रमिकों का शोषण हो रहा हैं। नौकरियों से बिना किसी दोष और कारण के निकाल दिया गया। आज इनके कार्यालय द्वारा भी उनको कोई न्याय व रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, आज प्रदेश में जो स्थिति बन गई है। विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को श्रेय मिल रहा हैं। प्रदेश में विगत दिनों सहायक कारखाना प्रबन्धक श्री गर्ग थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका ट्रान्सफर कर दिया गया था बाद में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया। इसी तरह सहायक श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र, श्री अनुराग, श्रीवास्तव, श्री राम आसरे तिवारी, श्री अतुल कुमार उनके विरुद्ध सांसद और श्रमिक संगठनों ने शिकायत की लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश मे वर्तमान समय में श्रम विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रदेश में श्रम विभाग में भ्रष्ट अधिकारी जिनका तबादला किये जाने के आदेश इसी सरकार ने मेरठ के करने के दिये गये थे लेकिन वह मंत्री जी के यहां से रोक दिया गया। आज इस प्रदेश में बाल श्रमिक चाहे फिरोजाबाद चूड़ी कारखाने के हों, मदोही के कालीन बनाने में लगे श्रमिक हों या प्रदेश में भट्ठों पर लगे हुए बाल श्रमिक का मामला हो आप बाल श्रमिक को बन्धुआ मजदूर को मुक्त कराने की बात करते हैं लेकिन उनको मुक्त नहीं करा पाये हैं। (5 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मैं बहुत नहीं कह रहा हूं। एक दो बात इस बजट के सम्बन्ध कहना चाहता हूं आज प्रदेश के अन्दर श्रमिकों का जिस पैमाने पर शोषण हो रहा है उसके लिये लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ देना या श्रम विभाग का

बजट प्रस्तुत कर देने से उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत कर दें तो भले ही उससे सदन के कुछ सदस्य सन्तुष्ट हो जायं, सरकार सन्तुष्ट हो जाय लेकिन उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों में, कारखानों में लगे श्रमिकों की आंख से आंसू नहीं पोंछे जा सकते ।

* श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करते हुए, क्योंकि बहुत कम समय आप निर्धारित कर रहे हैं, प्रमुख रूप से एक दो समस्याओं की ओर सरकार का और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा । सामने बैठे माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जहां पर भी यह सरकार में सम्मिलित हैं, जहां उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है और उनके द्वारा जो श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है उस ओर भी ध्यान जाय यह अपने नेताओं का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने का कष्ट करें । मान्यवर, दो वर्ष पूर्व जो प्रदेश में अपने को लोकप्रिय सरकार कहती थी उन्होंने उस श्रमिक कालोनी को जिससे यह रोज रोटी-रोजी कमाई कर रहे थे वहां मिल बन्द होती गयी और उन कालोनियों का रख-रखाव समाप्त होता गय । उन कालोनियो को बेचने का निर्णय लिया गया । उस समय यह भी आदेश चला गया कि सरकार द्वारा उसका रख-रखाव नहीं है जो कि दूर्भाग्य पूर्ण नीति थी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक उन कालोनियों का निस्तारण चाहे बेचने का हो या रख रखाव का न हो जाय तब तक जिस प्रकार पहले रख-रखाव किया जा रहा था वह चलता रहे । आज वह सरकीय स्थिति में रह रहे हैं । कानपुर महानगर में जो केन्द्र सरकार द्वारा बी० आई० सी० और अन्य मिलें थीं केन्द्र सरकार से गवर्न होती थी । केन्द्र सरकार ने उन्हें बन्द करने का निर्णय लिया जिसके मजदूरों के लिये रोजी रोटी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । उत्तर प्रदेश में कानपुर में हजारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं वह अपने परिवार को किस तरह से पालेंगे ।

हजारों मजदूरों को एक आर्डर के तहत एक आदेश के तहत सड़क पर लाने की योजना बनाई जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें :

श्री सतीश महाना--

मजदूरों के लिए हम चाहते हैं कि यह केन्द्र सरकार को लिखें कि उन मजदूरों की रोजी रोटी की समस्या हो गई है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें ।

---

* वक्ता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सतीश महाना—

वह मिल अच्छा कार्य कर रही थी वह मिल बन्द न करायें उस मिल को और अधिक पैसा दिया जाये ताकि उसको सुचारु रूप से चलाया जा सके ।

डा0 वेद प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा बजट हमारे सामने श्रम मंत्रालय का रखा । मैं समझता हूं कि समग्र रूप से श्रमिकों और मजदूरों के हित को ध्यान में रख कर यह बजट लाया गया है । मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रानिक आई0 टी0 आई0 खोले जाने हैं उनके प्रावधान के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । जो मेडिकल सुविधाएं श्रमिकों को अस्पतालों द्वारा दी गई हैं उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्योहारा में एक इलेक्ट्रानिक आई0 टी0 आई0 खुलवाया जाए इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं । मेरे क्षेत्र स्यौहारा में जो प्राइवेट शुगर मिल हैं, उसमें सात–आठ साल बाद तक अस्थाई रूप से कार्यरत रहने के बाद इस वर्ष अचानक बिना नोटिस दिये, कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया । उनके हितों को ध्यान में रखा जाय और उन्हें कार्य/रोजगार दिलाने के . . .

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

श्री वेद प्रकाश सिंह—

उनके लिए कोई ठोस कदम उठायें ।

दूसरे बिजनौर में लघु सिंचाई विभाग में 7 वर्षों से लिपिक पद पर कार्य कर शलका शर्मा को बिना नोटिस दिये निकाल दिया उसने हाईकोर्ट में अपील किया और हाईकोर्ट ने विभाग के खिलाफ डिग्री को पास किया शलका को मदद किया जाय । मान्यवर, मैं इसी के साथ में आपका धन्यवाद करते हुए आपकी बात समाप्त करता हूं ।

जिला उद्योग मुरादाबाद में रोटो के लगभग लाले पड़े हुए हैं । शलका शर्मा दैनिक वेतन पर सात साल से लघु सिंचाई विभाग, बिजनौर में कार्यरत थे उनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया । उसको हाईकोर्ट में अपील गई है ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

डा0 वेद प्रकाश सिंह—

इस तरह से किया जाता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अमर मणि—

माननीय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, महात्मा गांधी ने श्रम के बारे में कहा है—"श्रम ईश्वर की उपासना है ।" और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि—"बिना श्रम के कोई प्रगति नहीं कर सकता है ।" श्रम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय मंत्री जी ने बहुत सारगर्भित तर्क के से अपनी बात रखी । संभवतः यह बजट विभाग के विद्वान अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है । मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र की दो-चार समस्याएं हैं । तीन वर्षों में मान्यवर यहां वन में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है । राज्यपाल दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं जिनको दस-पन्द्रह हजार तनख्वाह मिलती होगी, अगर उनको एक दिन वेतन न दिया जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जायेगी लेकिन तीन वर्षों से इनको वेतन नहीं मिला है इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन भोगी के पद पर काम करने वाले लोगों को वेतन डेढ़-दो साल से नहीं मिला है इस तरह से शोषण हो रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । . . .

मैं मंत्री जी से इस बजट की तमाम सांगिक और प्रासंगिक बातों पर न जाकर माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे यहां वन कर्मियों का वेतन नहीं मिला है । यह केवल हमारे जनपद का ही सवाल नहीं है महाराजगंज, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में कहां वनकर्मी काम कर रहे हैं उनको 8 वर्ष से वेतन नहीं मिला है । वह लोग भुखमरी के कगार पर हैं उनको वेतन दिलाने की व्यवस्था करायें ।

श्री मित्रसेन यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह बड़े बुद्धिमान लोगो द्वारा तैयार किया गया है । श्रीमन् किसी देश की पूंजी श्रमशक्ति होती है यह श्रमशक्ति जब जनशक्ति में बदलती है तो क्रांति होती है । श्री अगर श्रमशक्ति का कार्य निरर्थक जाएगा तो देश की प्रगति नहीं हो सकती है । मंत्री जी के बजट में कोई दूरगामी योजना नहीं है । देश और प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई योजना इसमें नहीं है । अब हम शहरों में जाते हैं तो वहां चौराहों पर सुबह आप देखें, जानवर की तरह आदमी खड़े दिखाई देंगे ।

आपने जानवरों का बाजार सुना होगा, सामान का बाजार सुना होगा, लेकिन आदमियों का बाजार किसी दूसरे देश में नहीं सुना होगा लेकिन हमारे यहां पर शहरों में चौराहों पर सुबह आदमियों का बाजार लगता है । हजारों लोग बुरी हालत में फटे कपड़ो में, पावों में जूते नहीं, खड़े नजर आयेंगे । उनको कोई 10, 20 या 30 रुपये में दिन भर के लिए खरीद लें । उनकी श्रमशक्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है । ज्यों-ज्यों विदेशी कम्पनियां देश में फैलती जा रही हैं त्यों-त्यों हमारे देश के कुटीर उद्योग बन्द होते जा रहे हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है । कितनी ही हमारी फैक्ट्रियां बन्द हो चुकी हैं । बहुत सी स्पिनिंग मिलें बन्द हो गयी हैं । फैजाबाद के अम्बेदकर नगर में एक स्पिनिंग मिल है आज वह स्पिनिंग मिल बन्द हो गयी है । हजारों मजदूर उससे बेकार हो गए हैं । हमारे मसौधा में भरत लाल झुनझुनवाला ने एक कोर्ड बोड फैक्ट्री लगाई थी आज वह बन्द हो गयी है । उसके मालिक दिल्ली में बैठकर अखबारों में आर्टिकिल लिखते हैं । उन्होंने मजदूरों की मजदूरी नहीं दी । नियोजन आफिस है इनके मंत्री ने यह नहीं बताया कि हमारे यहां तो बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में सरकार ने क्या नीति बनाई है । हमारे यहां फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय है । उस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, झाड़ी, जंगल, सांप बिच्छू साफ कर रहे हैं वह 20 वर्षों से काम कर रहे हैं उनका स्थाईकरण नहीं किया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र से आजकल निजी क्षेत्र में परिवर्तन होता जा रहा है । निजी क्षेत्र के पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी समाज के लिए होती है । आप चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी समाज के लिए होता है । आप चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र खत्म हों इससे समाज का कल्याण नहीं होगा । निजी क्षेत्र की पूंजीपतियों के खजाने में जाती है । इसलिए पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की आप सूची बनवाएं उसी के आधार पर उनको रोजगार देने की व्यवस्था करें । आपने बजट को बुद्धिमान आदमियों से बनवा दिया उसको यहां पर पढ़ दिया । इसके लिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार.-

मान्यवर, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि समान कार्य के लिए समान वेतन । जब यह बजट प्रस्तुत हुआ था तो हम लोग इस बात की आशा कर रहे थे कि सरकार द्वारा इस निर्णय का पालन किया जाएगा लेकिन इस बजट में उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है । इस सरकार के विभिन्न विभागों में देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है । यह

प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है । स्थानीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा इसको उठाया जाता है तो अधिकारी अपनी असहाय स्थिति की बात करते हैं ।

तो माननीय, मंत्री जी इस पर गौर करें कि क्या कारण है । कोई काम डेली वेजेज करता है और रेगुलर जिसको उसी काम के लिए अधिक पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है लेकिन डेली वेजेज को एक निश्चित मजदूरी ही मिलती है क्या इससे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं हो रही है इस पर मंत्री जी को विचार करना चाहिए । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेण्ट्रल ट्रेड यूनियन के लिए कानून बने हैं । अन्य प्रदेशों में भी श्रमिक संघों के चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर के आधार पर होते हैं और जो श्रमिक संघ 10 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करते हैं उस श्रमिक संघ को मान्यता प्राप्त होती है लेकिन हमारे प्रदेश ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जिस कारण संस्थानों को जो विभिन्न ट्रेड यूनियन्स हैं राजनीति करते हैं और अधिकारी उनको बांटने का काम करते हैं और जो मजदूरों की मांगों को लेकर अधिकारियों से टकराने का काम करते हैं उसको 'तोड़ने का काम करते हैं । माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे दूसरे राज्यों में कानून बने हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कानून बने और सीक्रेट बैलेट के आधार पर मजदूर संघों को मान्यता मिले । तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट फैक्ट्री लगती है, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक फैसला किया था कि प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योग लगेंगे उनमें 27 प्रतिशत ओ० बी० सी० तथा अनुसूचित और अनुसूचित जन जाति को रिजर्वेशन देने का प्राविधान करेंगे ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधायें देंगे जिससे हम प्रदेश के पिछड़े लोगों को मेल स्ट्रीम में ला सकें ।

बाल-श्रमिकों की बात कही गयी बाल श्रमिकों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस संदर्भ में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है वह मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में एक औपचारिकता कहा है । आज आप कहीं भी देखें जितने भी ढाबे और होटल हैं उनमें सबमें बाल श्रमिक काम करते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें यह हमारे समाज से, मानवता से जुड़ी हुई समस्या है ।

इम्पलायमेंट एक्सचेंजों के बारे में अभी मुन्ना चौहान जी कह रहे थे कि उनमें भारी घपला मचा हुआ है । बेरोजगारों के नाम लिखने के लिए पैसा देना पड़ता है, वहां से नाम भिजवाने के लिए पैसा देना पड़ता है और नौकरी पाने के लिए पैसा देना पड़ता है माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ताकि इस व्यवस्था में सुधार हो । मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देना हूं ।

श्री ददद्दू प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्रम विभाग के अनुदान संख्या 76 व 77 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारी सरकार की जो श्रम नीति है वह बहुत पारदर्शी है और जो समाज का सबसे अन्तिम समूह है उस तक पहुंचाने के लिए बनायी गयी है । प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मजदूरों को रु0 47.00 न्यूनतम मजदूरी देने के लि हमारी सरकार वचनबद्ध है और जहां कहीं भी सरकारी विभागों में या दूसरे क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की शिकायतें आ रही है सरकार ने कठोर कदम उठाये हैं और चाहे अधिकारी हों या कर्मचारी हों उनको सस्पैंड किया गया है । मैं मऊ मानिकपुर क्षेत्र जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर से चुनकर आया हूं और वहां पर आदिवासियों की बहुत बड़ी आबादी है जिनको लम्बे समय से देश की आजादी के बाद भी उन कोल समूहों को गुलाम बनाकर रखा गया है ।

और हमारी सरकार ने उनको बंधुवा से मुक्त कराया है और पुर्नवासित किया है । अभी हाल ही में 60 बन्धुओं की पहचान की गई है, उन्हें भी पुर्नवासित किया गया है । अनुशासन में रहते हुए, चूंकि आपने लाल बत्ती जला दी है, उनको ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग की अनुदान संख्या 76 व 77 का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

*श्री जय प्रकाश निषाद——

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो आज माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर श्रम एवं सेवायोजन के माध्यम से पूरे प्रदेश में श्रमिकों की हितों की रक्षा और श्रमिकों के हितों के लिए गुणात्मक सुधार के लिए जो व्यवस्था इस बजट में की गई है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं । मान्यवर, प्रशिक्षण देने के लिए जो विद्यालय चलाये जाते हैं, उसके लिए मेरा एक सुझाव है । इसके लिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि देवरिया जनपद में मात्र एक आई0 टी0 आई0 विद्यालय है जिसमें छात्रों को प्रवेश लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्यों कि वहां सीटों की संख्या बहुत कम है । प्रवेश न होने के कारण अभ्यर्थियों का बड़ा शोषण होता है । मेरा एक सुझाव है प्रत्येक विकास खंड में एक आई0 टी0 आई0 का प्राविधान किया जाय और अगर उसमें सरकार का ज्यादाखर्च पड़ता है तो जो इण्टर कालेज चलते हैं, उन इण्टर कालेजों में इसको सम्बद्ध करके प्राविधान किया जाय, वहां भी यह शिक्षा दी जाय । मान्यवर, रोजगार के लिए यह जरूरी है कि जिस तरह से रोजगार करने वालों की संख्या बढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है, उस हिसाब से रोजगार की व्यवस्था नहीं ह, उसकी व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मैं अन्त में एक बार पुनः प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजेन्द्र आर्य—

माननीय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं भाषण तो देना नहीं चाहता लेकिन चन्द बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अभी हमारे मित्र जो कोने में बैठे हैं, सत्ता पक्ष के, उन्होंने अभी समाज के अन्तिम व्यक्तियों के हितों के प्रति चिन्ता जताई थी और उनके हितों के बारे में बात कर रहे थे। उसी सन्दर्भ में दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस सरकार को समाज के अन्तिम व्यक्ति की कितनी चिन्ता है और यह सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति के प्रति कितनी गम्भीर है, उसका एक जीता-जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में सफाई कर्मी जो समाज का अन्तिम व्यक्ति है, उसको मात्र 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी मिलता है। यह इस सरकार की समाज के अन्तिम व्यक्ति के प्रति गम्भीरता का प्रतीक है। कल रात भी मेरे बार-बार चिल्लाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने 50 रुपये को बढ़ाकर मात्र 150 रुपया प्रतिमाह करने की घोषणा की है, जो अपर्याप्त है। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि उनका कार्य समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी आखिर न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उनको कम से कम 500 रुपया प्रतिमाह मिलना चाहिये लेकिन मन्त्री जी ने इसकी अनदेखी करते हुए मात्र 150 रुपया देने की घोषणा की है, यह समाज के अन्तिम व्यक्ति के प्रति दलितों का ढोल पीटने वाली सरकार की चिन्ता का उदाहरण है। मान्यवर, मैं श्रम मंत्री द्वारा रखे गए बजट का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने की अनुज्ञा मांगने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें, अभी 4-4 विभागों की अनुदान मांगे हैं उन पर बुलवा देंगे।

* श्री राम विशुन आजाद—

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें। हमारे यहां जिला सेवायोजन कार्यालय गोण्डा में घोर भ्रष्टाचार है बिना पैसा लिये न तो रजिस्ट्रेशन होता है

* मंत्री ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और न ही नाम भेजा जाता है और कई-कई साल से अधिकारी वहीं जमे हुये हैं उनका स्थानान्तरण होना चाहिये। इसी तरह से लखनऊ सेवायोजन कार्यालय में अनुदेशक और कर्मचारी कई-कई साल से पड़े हुए हैं, उनको हटाया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

राम विशुन जी, आप परिवहन के बजट पर बोल लीजियेगा।

श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर मैं एक मिनट लूंगा। मान्यवर, स्वतः नियोजन में वर्ष 96-97 में लखनऊ जनपद में दूसरा स्थान प्राप्त किया है मैं चाहूंगा कि ऐसे सहायक सेवायोजन अधिकारी जिनके नेतृत्व में यह कार्य हुआ है उन्हें सम्मानित किया जाय। मान्यवर, हमारे यहां जनपद गोण्डा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है जबकि इसे मनकापुर में चलना चाहिये क्योंकि इसका भवन वहां बन चुका है, इसे वहां शिफ्ट किया जाय।

श्री दल बहादुर कोरी--

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर, बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत सरकार ने अभी तक कोई ऐसे कदम नहीं उठाये हैं जिससे बंधुवा मजदूरी समाप्त की जा सके। बाल श्रमिक चाय की दुकानों, होटलों तथा अधिकारियों के घर पर बाल श्रमिक काम करते हैं उन्हें पूरी मजदूरी न देकर कि उनका शोषण किया जाता है अभी तक सरकार ने न कोई मामला पकड़ा है और न ही कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाई है। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा 24 अक्तूबर, 1975 को एक अध्यादेश निर्गत किया गया था जिससे बंधुवा प्रथा को समाप्त किया। अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तो बंधुआ मजदूरी समाप्त हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

आजाद जी आप बैठें।

श्री राम विशुन आजाद--

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है मेरी बात को सुन लें मेरे यहां बलरामपुर जनपद में बलरामपुर शुगर मिल में 200 और नवाबगंज शुगर मिल में 300

मजदूरों को निकाल दिया गया है। जिससे उनका पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। मजदूर हताश, परेशान भटका घूम रहा है। उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी है। मैं मांग करता हूं कि इन मजदूरों को फिर से काम पर लिया जाय इसी के साथ ही मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बेचन राम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में रीमा गैस बननी है जिसमें काम करने वाले दो कर्मियों के हाथ कट गये हैं मैं चाहता हूं कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा दिलाये। मंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि इस फैक्ट्री के ऊपर श्रम कानूनों को सख्ती से पालन कराया जाय। मेरी जानकारी है कि वहां काम करने वाले श्रमिकों को 500 से 1000 रुपया ही दिया जाता है जो बहुत ही कम है, इसलिए मैं चाहूंगा रीमा गैस कम्पनी पर श्रम कानून लागू किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामजग—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे कटौती प्रस्ताव पर तमाम सदस्यों ने पक्ष में विचार रखे लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रखे हैं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपकी जहां सरकारें हैं वहां श्रमिकों के पक्ष में क्या किया है? तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल और केरल में जहां वामपंथी सरकारें हैं वहां मजदूरों के पक्ष में हमारी सरकार खड़ी है और वहां पुलिस ने एक भी मजदूर पर डण्डा नहीं बरसाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार का एक नमूना है कि विधान सभा चल रही थी और उसके बाहर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पर, जो अपनी जायज मांगे मजदूर मांग रहे थे, जायज मजदूरी पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। मान्यवर, हमारी सरकार और आपकी पार्टी की सरकार में इतना अंतर है।

मान्यवर, यह बजट मालिकों के पक्ष में पेश किया गया है। यह सरकार परिवर्तन चौक और अम्बेडकर उद्यान में बजट का अधिकतर धन खर्च कर रही है। इस सरकार के पास असंगठित मजदूरों के पक्ष में कोई नीति नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल जी ने अभी बताया था कि गोरखपुर में स्पिनिंग मिलों में 1500 मजदूर वेतन नहीं पा रहे हैं, वन विभाग के मजदूर पीड़ित हैं और उनको भी वेतन नहीं दिया जा रहा है जिससे यह मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं ।

पूरे प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने के बाद कुटीर उद्योग धन्धे नष्ट हो रहे हैं मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं ।

मान्यवर, नगर पालिकाओ में मजदूरों का प्रविडेन्ट फण्ड में पैसा जमा कराया गया यह पैसा उनके फण्ड में जमा नहीं है आखिर वह पैसा कहां गया दोषी लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया जाय और उन्हें जेल भेजा जाय । बाल श्रमिकों, बन्धुआ मजदूरों की हालत है कि इस सरकार ने किसी एक को भी मुक्त नहीं कराया । यह सरकार श्रमिक विरोधी है मालिकों के अधिकारों के पक्ष में है । मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान--

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर प्रतिपक्ष के और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने विचार रखे कुछ ने हमारे विचारों से सहमति जताई और कुछ ने असहमति । मान्यवर, मुझे इसी विधान पुस्तकालय समिति का सदस्य रहने का अवसर मिला । उसमें एक सन्दर्भ पद रहा था, विधान सभा के अन्दर 1952-53 का जब वार्षिक बजट प्रस्तुत हुआ था तो प्रखर समाजवादी नेता राज नारायण जी ने कहा "फ्रीडम इज दि रिक्ग्नीशन आफ नेसेसिटीज ।"

मान्यवर, जो रोजगार की जरूरतें है उसमें यह बात करने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार ने यह किया उस सरकार ने क्या किया । आज हम जिस मार्केट इकोनामी की बात कर रहे हैं उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो सरकारी क्षेत्र हैं उसमें रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं । जो आई0 टी0 आई0 हैं उनको इस तरह से इक्वीप और मार्डनाइज करने की जरूरत है ताकि जो स्टाफ निकले वह कम से कम स्वः रोजगार के क्षेत्र में बहुत विश्वास के साथ कदम रखे। इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्ट्रेशन रिन्युवल और नाम स्पांसर करवाइन तमाम बातों में बहुत विसंगति है मैं कम्पयूटराइजेसन करने का सुझाव मन्त्री जी को देना चाहता हूं ।

यदि उसको कंसीडर कर लें तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा । मेरे क्षेत्र में ही नही अपितु पूरे प्रदेश के अन्दर बान्डेड लेबर्स रिहैबिटिलेशन प्रोजेक्ट चालू किया गया था । इसके प्रथम चरण में जो काम हुआ बहुत नाकाफी था । इसलिए इसके द्वितीय चरण में उनको ज्यादा पैसा देकर रिहैबिटिलेशन का काम

किया जाय । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे दल के चुनावी घोषणा में था और इस सदन में भी उस पर चर्चा हुई । इस मुल्क में लगभग सभी पार्टियां समाजवादी विचारधारा की बात करती हैं, समता मूलक समाज बनाने की बात करती हैं परन्तु जो दुनियाकी कैपिटलिस्टस कंट्रीज हैं वहां पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है इसलिए यह बात मानते हुए कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं, फिर भी मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि यहां पर भी बेरोजगरों को बेरोजगारी भत्ता किसी न किसी स्तर पर आप देने की व्यवस्था करें, इससे हमारे जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने से बचाया जा सके । हमारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं और उनके द्वारा जो आई0 टी0 आई0 पास लोग हैं, चाहे वे सेमी स्किल्ड व स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको इण्डस्ट्रीज के साथ एक्सपोजर देना चाहिये । इस तरह के गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड प्रोग्राम होने चाहिये कि किस तरह से वह मार्केट वेन्चर कर सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये, इन सबका मैं समादर करती हूं । कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं बताना चाहती हूं कि वह शासन के मस्तिष्क में हैं । कुछ का सम्बन्ध हमारे आर्थिक संसाधनों से है, जिसकी कठिनाई की वजह से, हमारे जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं, उसके अनुरूप कार्य करने में कठिनाई आ रही है । फिर भी माननीय सदस्यों के सुझावों का समादर करते हुए मैंने उन सभी सुझावों को नोट किया ह । उन पर हम विचार करेंगे । जो कुछ भी सीमित संसाधनों के अन्तर्गत शासन की नीति के अनुरूप हो सकेगा, उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे । बजट में विशेष तौर पर यह ध्यान दिया गया है कि जो हमारे दलित, शोषित और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं और असंगठित क्षेत्रों में हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें इस बजट में शामिल किया गया है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करती हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इस बजट को पारित कराने में अपना सहयोग दें ।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या है, उनके शोषण को रोकने के लिए लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और

आगरा में त्रिदलीय बैठक हुई । उन बैटकों के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का विभाग क्या कर रहा ह ?

श्री अधिष्ठाता—

अब कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा । अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । माननीय राम जग जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहा हूं ।

श्री राम जग जी—

मान्यवर, मैं अपने कतौती का प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28, 05, 26, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुन्ना चौहान जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,42,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 92

सांस्कृतिक कार्य विभाग

संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री (श्री मारकण्डे चन्द)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वष में अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,28,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं इसे सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को सांस्कृतिक कार्य विभाग से पूर्ण रूप से परिचय कराना चाहता हूं । सांस्कृतिक कार्य विभाग उत्तर प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक कला, धरोहर के संरक्षण, परिवर्धन एवं उन्नयन के लिए कार्य करता है । मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत करा दूं कि सांस्कृतिक निदेशालय और पुरातत्व निदेशालय यह दो निदेशालय हैं । इनकी विभिन्न संस्थायें हैं ।

भातखण्डे महाविद्यालय, लखनऊ में हैं, इसकी इकाइयां अल्मोड़ा और देहरादून में हैं । इनका उद्देश्य 1500 विद्यार्थियों को संगीत नृत्य की शिक्षा प्रदान करना है । इनकी दो और इकाइयां प्रस्तावित हैं, वह हैं गाजियाबाद और आगरा मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि राजकीय संग्रहालय वर्तमान मे 11 हैं; लखनऊ, मथुरा, झांसी अल्मोड़ा, गोरखपुर, मेरठ, सुल्तानपुर, कुशीनगर, रामपुर, अम्बेदकर संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय लखनऊ । इसके अतिरिक्त राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ से है । इसका कार्य शासकीय व व्यक्तिगत स्रोतों से प्राप्त पुराने व अप्राचीन अभिलेखों का संरक्षण आधुनिक उपकरणों से दुर्लभ पान्डुलिपियों एवं प्रपत्रों पर शोध, शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान करना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम

के मूल अभिलेखों का संरक्षण करना है । इसके अतिरिक्त पंडित गोविन्द बल्लभ पंत लोक कला संस्थान, अल्मोड़ा में हैं । यहां पर पर्वतीय क्षेत्र की लोक संस्कृति के उन्नयन सम्वर्धन एवं विकास के लिए कार्य किया जाता हैं । इस संस्थान में रंग मंडल की भी स्थापना की गयी है । इसका उद्देश्य लोक कलाओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित व अभिलिखित करना है और पर्वतीय क्षेत्र के लोक नाट्य के विभिन्न रूपों के जीवित रखना है । उपरोक्त कार्यालयों के अतिरिक्त स्वायत्त शासी संस्थाओं जैसे भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ, संगीत नाट्य अकादमी, लखनऊ, ललित कला अकादमी, लखनऊ राष्ट्रीय कला तथा संस्थान लोक एवं जनजातीय कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ के माध्यम से संगीत नृत्य तथा गायन ललित कलाओं एवं लोक कलाओं के प्रोत्साहन का कार्य किया जा रहा है । उपरोक्त को इनकी गति विधियों के संचालन के लिए शासन द्वारा अनुदान दिया जाता हैं । मान्यवर संस्कृति विभाग के अन्तर्गत अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, आचार्य नरेन्द्र देव अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान लखनऊ में कार्यरत है जो सांस्कृतिक महत्व की परम्परागत एवं आधारभूत मान्यताओं मानवीय मूल्यों वास्तु कला अवशेषों तथा कलाओं आदि के सम्बन्ध में शोध कार्य अध्ययन एवं अभिलेख का कार्य करती है । इसके अतिरिक्त विभाग के प्रमुख कार्य हैं--विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत उभरते हुए प्रतिभाशाली 61 युवक युवतियों को छात्रवृत्तियां 267 वृद्ध व विपन्न कलाकारों को एक हजार रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन तथा 24 अध्येताओं को अध्ययन वृत्तियां प्रदान की जा रही है । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के 13 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को एक हजार रुपया प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन 26 युवक व युवतियों को छात्रवृत्तियां एवं तीन अध्येताओं को अध्ययन बृत्तियां दी जाती हैं । मान्यवर, कला एवं संस्कृति के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से 9 मण्डलीय मुख्यालय पर 9 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की गयी है आंचलिक कार्यक्रम तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के कार्यों का संचालन इनके द्वारा किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त संस्कृत विभाग द्वारा राष्ट्रीय महापुरुषों की मुर्तियां विभिन्न स्थानों पर जो लोक महत्व के स्थान हैं, वहां पर लगाई जाती हैं ।

इस समय संस्कृति विभाग द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जिसे जानकर प्रसन्नता होगी, पूरे भारत वर्ष में स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती स्वतन्त्रता की 50 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है । उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग इसका नोडल विभाग है । उ0 प्र0 के समस्त विभागों के समन्वय से पूरे वर्ष स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती विभिन्न अन्चलों में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित कर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कराया जायेगा। ऐसे कार्यक्रम सम्पूर्ण उ0 प्र0 में गांव के स्तर से लेकर नगरों तक आयोजित होंगे और लोगों को उन

शहीदों के बारे में जानकारी कराई जायेगी । यह भी बताया जायेगा कि स्वतन्त्रता के बाद इन 50 वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां है, वह उन शहीदों के बलिदान की देन है । तो उनके सम्मान में हम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आयोजन करेंगे और यह कार्यक्रम पूरे वर्ष चलेंगे । संस्कृति विभाग का प्रयास होगा कि सभी लोगों का सहयोग मिले । जिन स्थानों पर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जीवित है वहां उनका सम्मान किया जायेगा और जो जीवित नहीं हैं, उन लोगों को स्मरण किया जायेगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत आगरा में गौतम बुद्ध सांस्कृतिक केन्द्र भवन का निर्माण कार्य का प्राविधान है । इसमें लोक संस्कृति, प्राचीन ब्रज की विरासत तथा पर्यटन आदि को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक केन्द्र के लिए एक करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

रामपुर में अम्बेडकर संग्रहालय के निर्माण के लिए 47.40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें डा0 अम्बेडकर की विचारधारा को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

पिपरहवा (कपिलवस्तु) में बौद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जायेगा । इसमें बौद्ध संग्रहालय, प्रेक्षागृह विपस्सना केन्द्र हेरिटेज पार्क आदि के निर्माण एवं विकास के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

जनपद स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर का सर्वेक्षण जिला योजना के अन्तर्गत किया जाता है । जनपद स्तर पर सांस्कृति धरोहर की खोज, सांस्कृतिक गतिविधियों के उन्नयन के लिए इस वर्ष जिला योजना में भी 159.71 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त ललितकला अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी को प्रत्येक की 7.50 लाख रुपये देने के लिए कुल 15 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है ।

मातखंडे महाविद्यालय, लखनऊ को भवन निर्माण के लिए जिसमें छात्रा-वास आदि का निर्माण होगा उसके लिए 23 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

मूर्ति निर्माण के अन्तर्गत जो इस विभाग द्वारा बनाई जाती है उसके लिए 68 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । जिसमें महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जायेंगी ।

इसके अलावा कुछ कल्याणकारी योजनायें इस विभाग द्वारा की जाती है जिसके अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है जिसके लिए 2 करोड़ 40 लाख का प्राविधान

है इसी तरह अध्ययन वृत्ति के लिए 4 करोड़ 50 लाख और पेंशन के लिए 31.10 लाख का प्राविधान किया गया है ।

(6 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, स्पेशल कांपोनेंट प्लान के अन्तर्गत 8 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिए छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति व पेन्शन के लिए प्राविधान किया गया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन का जो हमारा विभाग है उसके मुख्य कार्य हैं सर्वेक्षण और उत्खनन । प्राचीन एवं सांस्कृति धरोहर का पता लगाने के लिए प्रदेश भर में केन्द्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पहले एतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण कराया जाता है और बाद में आवश्यकतानुसार उस स्थल का उत्खनन कराया जाता है ।

इस कार्य के लिए 5 लाख 50 हजार रुपये का प्राविधान रखा गया है । मान्यवर, एतिहासिक इमारतों एवं पुरास्थलों का संरक्षण कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है । एतिहासिक महत्व की इमारतों पुराने स्थलो के संरक्षण कार्य के लिए 135 पुरास्थल राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं और इसके रख रखाव के लिए 11 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । अन्त में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि शोध पत्रिका के प्रकाशन का कार्य भी संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है । प्रागधारा नाम की एक राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका भी निकाली जाती है । मान्यवर, संस्कृति विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उनको मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराया है । उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश की पुरानी संस्कृति, कला जगत के क्षेत्र में उसके पुराने स्वरूप को बनाये रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए उसके उन्नयन के लिए कार्य करता है । देश और प्रदेश की जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है उसके अनुरक्षण संवर्धीकरण का महत्वपूर्ण कार्य यह विभाग सुचारू रूप से कर रहा है । यह प्रयास किया जा रहा है कि इस विभाग के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको आपके सहयोग और सुझावों से सुचारू रूप से किया जाय । इस कार्य के लिए वह बजट आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया है । हमारा अनुरोध है कि इसको सहर्ष स्वीकार करके अमूल्य सुझाव देकर इस कार्य में आप हमारी सहायता करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

मान्यवर, संस्कृति एवं खेल कूद विभाग भी है ।

श्री अधिष्ठाता—

अनुदान संख्या 92 पर आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(श्री समरपाल सिंह द्वारा कटौती के प्रस्ताव को रखने के लिए खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ओम प्रकाश जी आप का नाम आया है । ठीक है, समरपाल जी आप कटौती का प्रस्ताव रखें ।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उददेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी बजट प्रस्तुत करते समय बोल रहे थे कि सांस्कृतिक विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसका काम है हमारी जो प्राचीन संस्कृति और कला है उस धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित रखना । हमारा प्रदेश संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही धनी रहा है । हमारे प्रदेश की संस्कृति धनी और प्राचीन है । यहां पर बहुत ही महान परम्पराएं रही हैं । एक से एक बढ़िया महान व्यक्ति, ऋषि, मुनि बुद्धिजीवियों ने उत्तर प्रदेश के अन्दर जन्म लिया और न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारत वर्ष का गौरव बड़ाया है । मान्यवर, आज मंत्री जी ने बताया कि हमारे सांस्कृतिक विभाग का काम हमारी संस्कृति और कला को संरक्षित और सुरक्षित रखना है लेकिन यह जो सरकार है उसकी नीति को देखकर ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे महान पूर्वजों की संस्कृति है, धरोहर है उसको सुरक्षित न रखकर यह कुछ लोगों की धरोहर ही सुरक्षित रखना चाहते हैं । मान्यवर, अभी मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि सांस्कृतिक विभाग कुछ महान पुरुषों की मूर्तियां बनवाकर उनको स्थापित करने का काम करेगा लेकिन मान्यवर, इन्होंने यह नहीं उल्लेख किया कि किन किन महापुरुषों की मूर्तियां बनवायेंगे । श्रीमन्, मैं आपको बता देना चाहता हूं डा0 भीमराव अम्बेदकर जी की मूर्ति का निर्माण सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हो रहा है, छत्रपति शाहू जी महाराज की मूर्ति का निर्माण सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हो रहा है । ज्योतिबा फूले की मूर्ति का निर्माण सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हो रहा है और भी न जाने ऐसे कितने महापुरुषों की मूर्ति का निर्माण हो रहा है जिनका उत्तर प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है । मैं किसी की श्रेष्ठता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं परन्तु मान्यवर, शाहू जी महाराज, ज्योतिबाफुले जो बहुत ही महापुरुष माने जाते हैं लेकिन मान्यवर, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में कोई योगदान नहीं रहा है । अगर हमारे सांस्कृतिक विभाग का उद्देश्य केवल शाहू जी, ज्योतिबाफुले, झलकारी देवी का प्रचार-प्रसार करना है जिनका हमारी संस्कृति से कोई सम्बन्ध

नहीं है तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस प्रदेश में पैदा होकर अपने कार्यों से प्रदेश का ही गौरव नहीं बढ़ाया बल्कि मानव जाति का विकास करने का काम किया उनको भी मूर्तियां बनवाकर लगाये । लेकिन यह जो सरकार है अपने बहुत ही छोटे संकुचित दायरे के अन्दर सरकारी कोष का दुरूपयोग कर रही है। अभी मेले का आयोजन सांस्कृतिक विभाग द्वारा लखनऊ में किया गया कानपुर के अन्दर शाहू जी महाराज मेले का आयोजन किया गया इस तरह के मेलों में सांस्कृतिक विभाग के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है । अभी एक महापुरुष को पुरस्कृत करने की बात है । अभी पुरस्कार घोषित किया गया है डा0 भीमराव अम्बेदकर गौरव के नाम से ।

उसमें जो व्यक्ति चयनित किया गया उसका उत्तर प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं था । आप अम्बेदकर गौरव से गौरान्वित करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जिसको आप यह गौरव प्रदान कर सकें । इससे बड़ा दुरुपयोग संस्कृति विभाग का और कहीं नहीं हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्यपाल ललित कला अकादमी लखनऊ के अन्दर है उसके प्रबन्ध की कोई व्यस्था नहीं है । उसमें कोई अध्यक्ष नहीं है । नाट्य कला केन्द्र है, उसमें पद खाली पड़े हैं । इसको दिखाएं इन पदों को भरने की आवश्यकता है । मान्यवर, आचार्य शोध संस्थान का गठन किया गया, उसमें शोध का कार्य होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है । वहां का प्रबन्ध तन्त्र सही होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह—

जैन शोध संस्थान में बिल्डिंग तक नहीं है, भवन नहीं हैं, शोध हो रहा है । इसको आप स्वयं समझ सकते हैं । मन्त्री जी ने कहा और शोध संस्थान खोलेंगे तो जब इनका ही रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है । 12 के बदले आप 4 संस्थान ही चलांएं, लेकिन उनका रख-रखाव ठीक से होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह—

आधी मिनट में एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, यह इतिहास में शोध के लिए पैसा देंगे तो सांस्कृतिक विभाग से कैसे इतिहास के लिए पैसा देंगे। हमारा अपना इतिहास है उत्तर प्रदेश ने इतिहास बनाने का काम किया है। इतिहास गलत लिखा गया हो तो शोध होना चाहिए। आपको इतिहासकारों की एक कमेटी बनाकर इसको परिवर्तित करना चाहिए। यह क्या कि कोई भी इतिहास लिख दे और सांस्कृतिक विभाग को बता दें कि लखनऊ शहर का निर्माण लखन पासी ने किया है। उसके आधार पर यह कर दिया जाए। इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय न करें।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह—

सांस्कृतिक विभाग, पुरातत्व की इमारतों को देख रहा है जनहित में इनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, बृज, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली आदि हमारी संस्कृत रही है इस संस्कृत को जिस तरह से पैरों तले रौंदा जा रहा है जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि विभाग महत्वपूर्ण है हम अपने पुरखों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, लोगों को जिन्होंने देश और समाज को गौरान्वित किया है उनको याद करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने, अपने कार्यों द्वारा जो पहचाने गये हमें आजादी में थे, पूर्व की सरकार ने रत्न भारती पुरस्कार देने का काम किया उत्तर प्रदेश के उन महान कलाकारों को जिनका नाम देश, दुनियां में था।

और जिनको सम्मान करके उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम किया गया था वह आज इस बजट में नही है। मैं कहना चाहूंगा संविधान सभा में केवल एक ही व्यक्ति ने संविधान नहीं बनाया था मैं उसके योगदान को नकार नहीं रहा हूं लेकिन संविधान तो अनेक व्यक्तियों के सहयोग से बना था। आज इस देश के इतिहास को मुट्ठी में कैद करने का काम किया जा रहा है गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है यह आगे आने वाली पीढ़ी और देश के हित में नहीं होगा। देश की आजादी में हम अम्बेदकर साहब के

योगदान को नकार नहीं सकते उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। लेकिन ऐसे भी महापुरुष रहे हैं जिन्होंने सूट पैण्ट उतारकर लगोटी लगा-कर देश और समाज की सेवा की। उन्होंने दुनिया में आजादी की अलख जगाने का कार्य किया उनकी कुर्बानियों को मिटाया जा रहा है मैं चाहूंगा कि इतिहास किसी एक परिवार व एक व्यक्ति का इतिहास न बनकर पूरे देश और समाज का इतिहास बने। हम शाहू जी के विरोधी नहीं हैं आप गले में उनकी मूर्ति की ताबीज पहने रहें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको याद करना हमारा कर्म और हमारा धर्म है। उत्तर प्रदेश में अनेक महान विभू-तियां हुई हैं बिस्मिल्ला खां बनारस की ठुमरी शास्त्रीय संगीत आदि का केन्द्र उत्तर प्रदेश रहा है। आज इसे रौंदा जा रहा। मैं चाहूंगा कि खेल मंत्री तो मंत्री जी हैं लेकिन कूद मंत्री नेता सदन हैं। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के सेना पति मैंगर सिंह के योगदान को याद किया जाए। जिनके आने वाले परिवार का चिराग गुल हो गया। उस परिवार को याद करें। यह हमारा कर्तव्य है। श्री विश्वनाथ सिंह जी जिनका 1942 में घर नष्ट कर दिया गया जो हमारे पूर्वांचल के शेर थे गनको याद किया जाता गलत इतिहास पढ़ाना इस देश और प्रदेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो यश भारतीय पुरस्कार हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था उसको उत्तर प्रदेश के पुरूखों को प्रदान करें जिससे आनें वाली पीढ़ी उनको जान सकें।

श्री अमरमणि—

यूनारों मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल साहब ने कहा था। हमारी सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियो में एक है। उत्तर प्रदेश जो राम और कृष्ण का प्रदेश है। गंगा यमुना का प्रदेश है इस महत्वपूर्ण और गरिमामय प्रदेश में जैसा कि समरपाल सिंह जी ने कहा मूर्तियां लगाई जा रही हैं जिनका इस प्रदेश से कोई वस्ता नहीं था। तथा उन महापुरुषों के योगदान को कम किया जा रहा है जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता के लिए काम किया है। राम और कृष्ण जिनका नाम लेकर आप उस कुर्सी पर बैठे हैं चुनाव जीत कर आये हैं। ऐसे महापुरुषों चिनू पाण्डे, मंगल पाण्डे तथा अन्य जिन के हो बन्धू सिंह थे उनको याद किया जाना चाहिए था। अवधारी देवी जो सिर्फ कुर्मी, शाहू जी महाराज। शाहू जी महाराज की एक मूर्ति मुख्यमन्त्री जी ने हजरतगंज में लगाई है। उस मूर्ति का लोकार्पण जिस दिन से हुआ है वहां के लोग आन्दोलित हैं आज भी पी0 ए0 सी0 को कमान पड़ी है। उनको रखने पर बीसों लाख रु0 खर्च हो रहा है। इस तरह से महापुरुषों का सम्मान किया जाएगा तो यह सम्मान

नहीं होगा । आप लोगों की भावनाएं भड़काकर अपने पक्ष में वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं । ' '

सांस्कृतिक विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है; सांस्कृतिक विभाग का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है । जहां हमारी इतनी लम्बी चौड़ी संस्कृति रही हैं और हमारे यहां महापुरुषों की खान है तो दूसरे प्रदेशों से लाकर प्रतिष्ठित करना उचित नहीं हैं । आजादी की सारी की सारी लड़ाई इसी गंगा-जमुना के मैदान पर लड़ी गयी है । अंग्रेजों को भगाने के काम में उत्तर प्रदेश ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, बहादुरी का इतिहास लिखा जायेगा तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे होगा ऐसे प्रदेश में अम्बेडकर गौरव पुरस्कार देने के लिए दूसरे प्रदेशों से आयात कर रहे हैं महापुरुष या वीर की हमारे प्रदेश में कमी नहीं है । इसी तरीके से सांस्कृतिक विभाग का दुरुपयोग करके मेले लगवाये जा रहे हैं, ऐसे काम किये जा रहे हैं जिससे समाज में जातीय भावना भड़क रही है, समाज में जातीय संघर्ष बढ़ रहा है । अभी महीने-दो महीने में आगरा, बनारस या गोरखपुर हों इन सभी जगहों पर जातीय दंगे और साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अमरमणि जी अब आप समाप्त करें ।

श्री अमरमणि—

अभी तो विषय पर आया ही नहीं हूँ, अभी तो भूमिका बना रहा हूं । माननीय मंत्री जी हमारे जनपद के हैं । अभी ओम प्रकाश भाई ने कहा कि खेलकूद मंत्री बना दिया गया, इतने बड़े फौज में कोई खिलाड़ी नहीं है । हमने तो इनको काम करते हुये देखा है सहकारिता आन्दोलन में इन्होंने काफी काम किया है तथा तमाम विषयों में इनको महारथ हासिल है लेकिन इनको सांस्कृतिक तथा खेलकूद विभाग दे दिया है । मैं बड़े आदर से दो शब्द कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी जानते हैं ऐसे जनपद से चुनकर आया हूं जहां पर भगवान बुद्ध न, निर्वाण प्राप्त किया, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ने शरीर त्याग किया और वहीं पर जन्में । आप दक्षिण में चले जाइये श्रीरंगापट्नम के छोटे से किले को देखने के लिये सौ-सौ बसें लग रही हैं और तमाम पर्यटक जुटे रहते हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में जिसको माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं भगवान बुद्ध का ननिहाल हैं और विश्व की सबसे बड़ी सम्पदा भगवान बुद्ध का अस्थि कलश है जिसको ह्वेनसांग और फाह्यान ने अपने विवरण में लिखा है, की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही हैं क्योंकि इनका ध्यान शाहू जी महराज और झलकारी बाई से नहीं हट रहा हैं ।

मैं मांग करता हूं कि हमारे जनपद में भगवान बुद्ध की ससुराल और ननिहाल दोनों हैं जो चिह्नित हो गये हैं उसकी खुदाई कराकर अस्थि कलश को लाने की कृपा करें । एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हैं उसको ज्यादा पैसा दिया जाये ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया, मैं बहुत आभारी हूं । मान्यवर, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि हमारा प्रदेश तमाम संस्कृतियों का, देश की आजादी के इतिहास का पुराना प्रदेश है । अगर मैं यह कहूं कि हमारा प्रदेश छोटा लघु भारत है तो गलत न होगा । आज इनके संकुचित दृष्टिकोण को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ । मान्यवर, आप जानते हैं कि श्रीमती सुचेता कृपलानी बाहर की रहने वाली थी, लेकिन हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया । हमारा प्रदेश गंगा–जमुना, राम व कृष्ण का प्रदेश तो हैं ही, साथ ही ब्रज भाषा, गढ़वाली भाषा, कुमाऊंनी, बुन्देलखंडी तथा वहां के जो लोकनृत्य लोकगीत एवं लोक कलाएं हैं, का प्रदेश हैं । जब हमारे यहां के लोकनर्तक कलाकार विदेशों में जाते हैं तो एक अच्छी छाप छोड़कर आते हैं । मैं माननीय नंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से वह मंत्री बने हैं, तब से पूरे प्रदेश में जगह–जगह मेले लगाकर सांस्कृतिक आयोजन करके प्रदेश को संगीतमय कर दिया । कहीं अम्बेदकर मेला, बनारस में कुछ मेला, कानपुर में शाहूजी मेला, ब्रज क्षेत्र में वृन्दावन मेला, इस प्रकार तमाम मेले लगाकर पूरे प्रदेश की जनता को आल्हादित कर दिया । हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है । आज हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे । मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर [XXV] तो उसकी भी मूर्ति चौराहे पर यहां लोग लगवा देते थे, जिनका कहीं कोई योगदान नहीं था, उनकी भी जहां देखा, मूर्ति लगा दी, चौक बनवा दिया । यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सामाजिक क्रान्ति आई हैं, शोषितों पीडितों में जागृति आ रहीं हैं, अब इनके पेट में क्यो दर्द हो रहा हैं । अब तो परिवर्तन की लहर आई हैं । जो दलित शोषित इतने दिनों तक उपेक्षित रहे हैं, अब वह शौचालय से सचिवालय की ओर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर कांग्रेसी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं । शाहू जी महराज कहीं के भी रहे हों, लेकिन वह सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत रहे थे डा0 भीमराव अम्वेदकर को सारी दुनिया मानती हैं, आपने उनकी युनिवर्सिटी लखनऊ में बनाई, लेकिन वोट बैंक खिसक गया तो जब अम्बेडकर

नोट [**] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के नाम से पेट में दर्द होने लगा है। तब पेट में दर्द नहीं हुआ, आज बड़ा अफसोस हो रहा है, जो एक-दो मूर्ति कहीं लग गई। भाई समरपाल जी से कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब की मूर्ति भी इसी संस्कृति विभाग ने लगाई थी; आप भी सत्ता में आइयेगा मूर्ति लगवा दीजियेगा, चौधरी साहब को हम लोग भी मानते हैं; लेकिन अब आपके नेता 5 स्टार होटल संस्कृति के हो गये हैं, अमेरिका कल्चर में आपके नेता आ गये हैं.....

(कांग्रेस पक्ष के तथा जनता दल सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

त्रिपाठी जी जब बोल रहे थे, सब लोगों ने शान्ति से सुना, अब सरदार सिंह जी बोल रहे हैं, उसको सुन लीजिये। उसके बाद उत्तर भाषण में बोल लीजियेगा।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर; मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ब्रज भाषा, बहुत ही धनी भाषा है, इसी तरह भोजपुरी, कुमाऊनी भाषायें हैं, इसी तरह जो वहां के लोकनृत्य हैं, उनकी अलग-अलग अकेडमी बना दी जायें। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जिले मथुरा में मूर्तियां बहुत प्रचुर मात्रा में हैं, जमीन के अन्दर, तस्करों द्वारा उनको खुदवाकर बाहर भेजा जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन बहुमुल्य मूर्तियों को बचाया जाय और संरक्षित किया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता जी किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है वह उसकी संस्कृति होती है। जिस तरह से किसी के शरीर के रीढ़ की हड्डी टूट जाने से सारा शरीर बेकार हो जाता है। निष्प्राण हो जाता है उसी तरह से यदि संस्कृति कहीं पर कोई कुठाराघात होता है, संस्कृति का ह्रास होता है तो वाह राष्ट्र खडा नहीं हो सकता। मान्यवर; माननीय त्रिपाठी जी ने जिस बात को कहा

"यूनान मिश्र रोमा, सब मिट गये जहां से,
पर अब तक मगर है नामों निशां हमारा"।

इतना ही नहीं जो महत्वपूर्ण पंक्ति आगे कही उसे गौर से सुनने की आवश्यकता है।

"कुछ बात है की हस्ती मिटती नहीं हमारी," ।

वह कोई हस्ती है तो इस देश की सांस्कृतिक एकता है मंत्री जी ने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया है । और इस देश में सांस्कृतिक क्रान्ति का आहवान किया है उसके लिए मैं उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं अभी जैसा माननीय मंत्री जी ने कल कहा था, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री रवीन्द्र शुक्ला ने कहा था—

" स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवः " ।

मान्यवर, यहां के व्यक्ति के चरित्र से तो सारी दूनिया के लोग प्रेरणा लेते थे शिक्षा ग्रहण करते किन्तु आज हम वहां यह सोचने विचारने का समय है इस सदन को वह चिन्ता का विषेय होना चाहिए कि मात्र एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके प्रदेश और देश का भला होने वाला नहीं । माननीय संस्कृति मंत्री जी अब सांस्कृतिक पहल की है मैं पूरे सदन की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, इस देश की सांस्कृतिक एकता और संस्कृति की ही महत्ता रही है कि देश पर शक, हूण, कुशाण, मुगल अंग्रेज न जाने कितने विदेशियों की आंखे ललचाई रही और वह इस देश पर आक्रमण कर इस देश को, इस समाज को विनष्ट करने का यत्न करते रहे किन्तु फिर भी हम जिन्दा रहे । दुनिया का कोई भी देश इतने लम्बे समय तक जीवित नही रहा । यहां तक्ष शिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं जहां सारी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे । यहां केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग नहीं आते थे बल्कि यहां के चरित्र, यहां के आचरण, यहां के व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहां आते थे । संस्कृति के अभाव में संवेदनहीनता पैदा हुई है और उसी संवेदनहीनता का परिणाम है कि आज यह तमाम समस्याऐं हर स्तर पर खड़ी हुई हैं ।

मान्यवर, इस बजट में संस्कृति विभाग ने कला एवं संस्कृति को केवल मनोरंजन का विषय नहीं बनाया अपितु सांस्कृतिक प्रतीको का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक जागरण करने का लक्ष्य रखा है । यह सरकार बधाई की पात्र है । कलात्मक निधि का संरक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, वृद्ध तथा विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन तथा आर्थिक सहायता देने की योजना भी स्वतागत योग्य है । माननीय मंत्री जी ने पूरे जनमानस से जोड़ने के लिए संस्कृति उत्सव, बद्री केदार उत्सव, मेघ मल्हार, वृन्दावन शरद उत्सव, भारतीय नाट्य समारोह, रामायण मेला, लखनऊ महोत्सव, गंगा महोत्सव जैसे तमाम उत्सवों को मनाकर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने का लक्ष्य रखा है, यह प्रेरणाप्रद है ।

मान्यवर, इतना ही नहीं जो विधा, बुन्देली, लोकगीत, ब्रज की लोक कलाओं के प्रकाशन का निर्णय भी महत्वपूर्ण है । शोध पत्रिका प्रकाशित की जा रही है । पंत साहित्य और गांधीवाद जैसे ग्रंथ का प्रकाशन इस मंत्रालय की विशेष उपलब्धि है । मेरा सुझाव माननीय विपक्षी सदस्यों से है कि वह कभी-कभी पढ़ भी लिया करें केवल टीका टिप्पणी न करें । सरकार ने स्वाधीनता की 50वीं जयन्ती पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाने का जो निर्णय लिया है वह भी कम स्वागत

योग्य नहीं है । बाल प्रथा युवा पीढ़ी में छिपी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हेतु छात्र वृत्ति का प्राविधान, वृद्ध कलाकारों का वृद्धावस्था पेंशन 9 मंडल मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, कलाकार शिविर, युवा चित्रकार, मूर्तिकार शिविरों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करना भी इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूं । समर्थन इसलिए करती हूं कि आज जब हमारी संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसे समय में हमारी सरकार ने यह बजट पेश किया है । ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने अपनी भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान दिया और उसे जीवित करने का प्रयास किया है इसलिए मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि आप सभी ऐसे बजट का समर्थन करें जिसने हमारी संस्कृति को जिलाने का काम किया गया है । मान्यवर, सबसे अधिक संस्कृति और सभ्यता की आवश्यकता आज हम सभी को है चूंकि उससे हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

*श्री राजधारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संस्कृति विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, अभी हमारे साथियों ने बताया है और यह सही है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं इस प्रदेश की धरती महान है जिसने कि रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध आदि ऐसे महान व्यक्तियों को पैदा किया इसकी जो परिपाटी है लोक कलाएं और संस्कृति वहां इस प्रदेश की पूंजी है । आज समाज को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि यहां लोक कलाएं और संस्कृति को जीवित रखे और उनका संरक्षण करें । आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस मय तकनीकी और टी0 वी0 की दुनिया में जो हमारी नई संस्कृति डेवलप हो रही है उससे लोक कलाओं और संस्कृति पर करारा प्रहार हो रहा है । मुझे प्रसन्नता है कि इस शासन ने इस ओर ध्यान दिया है और ग्रामीण अंचल में जो लोक कलाएं और संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक उपाय सरकार ने सोचे हैं । इसके लिए जरूरत है कि आकाश वाणी और दूरदर्शन में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोक कलाओं को महत्व दिया जाय ।

मान्यवर, हमारे बीच में कुंवर साहब, महात्मा बुद्ध, श्री राम मनोहर लोहिया जी ने प्रदेश में रामायण मेले की कल्पना की थी और चित्रकूट में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रामायण मेला लगाने की बात सोची थी। रामायण उत्तर और दक्षिण के लिए प्रतीक स्वरूप हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने अभी पिछले सदन में आचार्य राम मनोहर लोहिया की मूर्ति कार्यालयों और सारे सार्वजनिक स्थानों में लगाने की बात कहा है और लगाना शुरू कर दिया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कुंवर साहब 1857 के गदर में भाग लिया था। भोजपुरी, पूर्वी इलाके में किसानों को संगठित करके जो लड़ाई लड़ी थी वह भी प्रेरणा के स्रोत हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी मूर्ति भी सार्वजनिक स्थानों में लगाई जानी चाहिए। हमारा जिला बलिया है जहां से मंगल पाण्डे जी ने 1857 की लड़ाई शुरू किया था। उनकी मूर्ति भी सभी जगह लगाई जानी चाहिए चूंकि 1857 की लड़ाई के वह प्रणेता थे। मान्यवर, 1942 के आंदोलन में देश को आजाद कराने में श्री चित्तू पाण्डे और लोकनायक जयप्रकाश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बलिया इनकी जन्म स्थली रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन महापुरूषों की मूर्तियां भी लगाई जानी चाहिए। मान्यवर, भृगु मुनि की बात की जाती है। वह भी हमारे जनपद से रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि भृगु मुनि की याद के लिए देवकली गांव में कोई संतोषजनक कार्यवाही शासन को करना चाहिए। मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से इस दिशा में कोई ठोस काम किया जाय।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, माननीय सांस्कृतिक कार्य मन्त्री जी सुसंस्कृत हैं। मेरे पुराने मित्र हैं। लेकिन आपने जिस कल्चर की बात कही, सूरदास जी के ब्रज प्रदेश का वह कल्चर अब कहां है वह संस्कृति, कहां है जिसमें उन्होंने कहा था मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जो ब्रजभाषा के गांवों की बात कह रहे थे, हमारे साथी सरदार सिंह जी, हमें उम्मीद थी कि वे कम से कम मथुरा के विधायक होने के नाते प्रदेश की ब्रज भूमि की संस्कृति के विषय में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं यह तो नहीं कहता कि उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि पुराने साथी हैं लेकिन फिर भी उन्हें स्मरण दिलाता हूं कि अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना नौ रत्नों में से एक थे, जो रहीम के नाम से जाने गए वे संस्कृत के विद्वान थे, उनके इस श्लोक पर कालीदास के कई श्लोक भी न्यौछावर हैं। इस श्लोक को उ0 प्र0 की ब्रज भूमि के लिए सबसे बड़ा प्रमाण मानता हूं।

रत्नाकरोस्ति सदन, गृहणी च पदमा,
किं देयमस्तु भवते जगदीश्वराय।
राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं,
दतं मया निज मनस्त दिदे गृहाण॥

रत्नाकर ही जिसका घर हो और पदमा लक्ष्मी जैसी जिसकी पत्नी हों, है जगदीश्वर, तुम्हें मैं दे ही क्या सकता हूं। लेकिन राधा ने तुम्हारा मन चुरा लिया है और तुम्हारे पास मन नहीं है। मैं तुम्हें अपना मन देता हूं ताकि तुम भी मन वाले हो जाओ और मेरा मन भी तुम में लगा रहे। मान्यवर, इसी तरह से सन्त तुलसीदास की संस्कृति को हम कैसे भूल जायेंगे जिनमें उन्होंने चित्रकूट जो भगवान राम का वास था, जहां भगवान राम वर्षों रहे, जिनके लिए कहा गया था—

चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीड़,
तुलसीदास चन्दन घिसें तिलक देत रघुबीर।

आपने उस चित्रकूट को भी भुला दिया। मुझे किसी महान व्यक्ति साहू जी महराज पेरियार जी के नाम से कोई विरोध नहीं है, जो महान आदर्श पुरुष हैं; उनको याद किया जाना चाहिये, लेकिन आपको इस चित्रकूट की धरती को छोड़ दिया होता यदि उनके नाम से जिला बना दिया जाता तो वहां का गौरव और बढ़ जाता। आपने साहू जी महराज के नाम पर वह कर दिया उनकी संस्कृति के साथ कौन सा संदर्भ जुड़ा हुआ है, पूरा उ0 प्र0 पड़ा हुआ है कहीं और का नाम यह कर देते।

भगवान बुद्ध के कल्चर की बात की होती तो मैं आपकी सराहना करता उनका अमर संदेश दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुंचता। इस देश की कश्मीर से कन्या कुमारी और गुजरात से गुहाटी तक के भारत के मानचित्र से बाहर चला गया। उनके इस अमर संदेश की आपने बांत की होती तो कितना अच्छा रहता।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

यह अपना है, यह पराया है यह गणना तो छोटी बुद्धि वाले का काम है, उदार चरित्र वालों के लिए तो पृथ्वी मात्र ही कुटुम्ब है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गौरी शंकर जी एक मिनट कृपया बैठ जायें। अगर आप कृपया स्पीड कम करके बोलेंगे तो सदन के रिपोर्टर्स को लिखने में आसानी होगी वरना वे क्या लिख पायेंगे। कृपया धीरे बोलें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, आपकी यह लालबत्ती बहुत जल्दी जल जाती है, इस वजह से हमें अपनी बात कहने के लिए कम समय मिल पाता है। आप कृपा पूर्वक यह

लातबत्ती न जलाया करें, पूरी बात कहने का अवसर दे दिया करें। मान्यवर, मुझे अपनी गति का पता है। विधान सभा को अपनी गति का पता है।

मान्यवर, भगवान बुद्ध के, उनके इंसानियत भरे उस पैगाम की यदि चर्चा की गयी होती उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया गया होता तो कितना अच्छा होता जिसमें यह कहा गया था—

नूर बनके न चमके वह रोशनी क्या है।
अंधेरियां न मिटा दे वह फुलझड़ी क्या है॥
किसी के काम न आये वह जिन्दगी क्या है,
किसी का दर्द न जाए वह आदमी क्या है॥

चाहे वह बुन्देलखण्डी क्षेत्र हो, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो और चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, हम सब मिलकर इन क्षेत्रों के कल्चर को प्रणाम करें और उस कल्चर को आगे बढ़ाने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। आज हमारा यही शाश्वत धर्म है। अन्त म मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। श्रोतं श्रुतनव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्नतु कंकणेन। विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारैः न तु चन्दनेन। कान सुनने के लिये होते हैं कोई कुण्डल पहनने के लिये नहीं होते हैं। हाथ दान देने के लिए होते हैं न कि कंकण पहनने के लिए और शरीर दूसरों पर करुणा व परोपकार के लिए होती है न कि चन्दन लगाने के लिए। इसलिए मान्यवर, प्रदेश की जितनी कड़ियां हैं उनको हम प्यार व मुहब्बत में इस तरह से पिरोयें, जिससे समरसता का भाव पैदा हो सके और सामाजिक समरसता का भाव हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश को दे सकें। यह कहते हुए मान्यवर, मैं एक शेर और अर्ज करना चाहता हूं। जब एक कड़ी से बावस्ता, एक और कड़ी जुड़ जाती है। तो रस्मे मुहब्बत बढ़कर, जंजीर बड़ी हो जाती है। मिल जुलकर करें तामीरे वतन, ऐ दोस्त किहम तो इंसान हैं, पत्थर भी अगर हो जाये जमा, दीवार खड़ी हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ सांस्कृतिक विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह जो सांस्कृतिक विभाग है, यह दिलों को जोड़ने का माध्यम है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुरातत्व विभाग के जो ऐतिहासिक संग्रहालय हैं वह इन्सान को भाषा नहीं पहचान पाते हैं, कला के माध्यम से दिलों को जोड़

देते हैं तो यही काम इस सरकार ने किया है । यह अत्यन्त सराहनीय कार्य है । हमारे विरोध पक्ष के भाइयों ने इसका विरोध किया, जबकि वह खुद भी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं । चूंकि विरोध करना इन्होंने अपना धर्म समझ लिया है । इसलिए हर काम का यह विरोध करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोध गलत काम का किया जाना चाहिए । अच्छे काम का तो समर्थन करना चाहिए । मान्यवर, हमें पता है कि हमारे सम्मानित सदस्य गौरी शंकर जी, इटावा अजीतमल से 17, 18 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और इन्हें वहां पर गौरी शंकर जी जोकरी सी करते हैं, इसी नाम (कहावत) से जाना जाता था । वे वहां पर गांवों के नाम गिनाते थे । मान्यवर, मैं भी गांवों और जिलों के नाम गिना सकता हूं, जातियों, प्रदेशों व देशों के नाम गिना सकता हूं । (माननीय सदस्य ने प्रदेशों के जिलों के नाम गिनाए धारा प्रवाह होकर और कहा कि यह सदन कला प्रदर्शन का मंच नहीं है) मान्यवर, गौरी शंकर जी ने कहा है कि आदमी वही है जो दूसरे आदमी का दर्द जान सके । मगर इन्होंने तो दूसरे का दर्द नहीं समझा है । मान्यवर, इस देश में हजारों सालों से एक ऐसा तबका उसे व उसमें पैदा होने वाले महापुरुषों को गलत मानसिकता बस जान बूझकर सामाजिक व्यवस्था के कारण सम्मान नहीं दिया गया और न ही समाज में उनके नामों को समाज बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों व संघर्षों को उजागर नहीं किया । व उनके इतिहास तथा उनके द्वारा समता मूलक जिन नामों (राम कृष्ण) व हिन्दू धर्म के अन्य महापुरुषों के लिए कहा गया कि उनके लिए कुछ करना चाहिए था । हमारी सहयोगी पार्टी भा0 ज0 पा0 उन सभी महापुरुषों के लिए एक कार्यक्रम चला रही है, जो अन्य दलित व पिछड़े वर्गों में जन्में छिपे हुए लोग (महापुरुष) हैं उनको उजागर करने का काम ब0 स0 पा0 कर रही है । यह सर्वजन समाज व उनके महापुरुषों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है । यह भी कहा गया कि अम्बेदकर साहब, शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले पेरियार रामास्वामी जी नायकर, उ0प्र0 के बाहर के रहने वाले थे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि महापुरुषों की जाति या सीमा नहीं होती हैं वह दुनिया के किसी भी कोने में उनके विचार और सिद्धान्त फैलाये जा सकते हैं । विपक्ष के लोग अपनी संस्कृति व अपने महापुरूषो को पूरी दुनिया तक फैलाना चाहते हैं पर दलित पिछड़े समाज में पैदा होने वाले समता मुलक मानवता वादी महापुरुषों के बारे में उ0 प्र0 सरकार द्वारा सम्मान किये जाने पर बार-बार टिपण्णी करना इनकी संकुचित जाति वादी मानसिकता का परिचायक है । ब0 स0 पा0 की सरकार ने इन महापुरुषों म0 फुले शाहु महाराज डा0 अम्बेदकर व बुद्ध का नाम उजागर करने का बेहद सराहनीय काम किया है और इसे जनमानस के दिल व दिमाग तक फैलाया है । इसके लिए मैं इस सरकार व मा0 मंन्त्री जी को

धन्यवाद देता हूं । और मैं आपका धन्यवाद प्रकट करते हुए माननीय मंत्रीजी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी—

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको आभारी हूं । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं । मान्यवर, संस्कृति से ही किसी देश की पहचान होती है । संस्कृति केवल मनोरंजन का साधन न रहे इसके उन्नयन के लिए, इसके विकास के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है । ज्ञान अर्जन के माध्यम से, विभिन्न संग्रहालयों के माध्यम से इसका उन्नयन हो, इसका अनुश्रवण हो । हमारे एक सम्मानित सदस्य अभी संस्कृति के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से यह संस्कृति कायम की गयी । यह सभी जानते हैं कि हमारे देश में गंगा जमुना को मानने वाले, राम कृष्ण को मानने वाले गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं लेकिन यह संस्कृति कैसे कायम हो इसके लिए सोचना होगा । हमारे इतिहास में लिखा हुआ है भोजन और भजन एकान्त की चीजें हैं । मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि संस्कृति इतनी गिर गयी कि भोजन का रूप गिद्ध भोजन बन गया । जैसे जानवर जब मर जाता है तो गिद्ध मड़रा पड़ते हैं और वह नोच-नोच कर खाते हैं । यदि हमारी यह सरकार न आती तो यही भोजन स्वान भोजन बन गया होता ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

*श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सांस्कृतिक विभाग पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है । मान्यवर, बनारस एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक नगर है और वहां पर बड़ी-बड़ी विभूतियों ने जन्म लिया है, जैसे बिसमिल्ला खां उदई महराज, सितारा देवी, शिव शंकर आदि महान विभूतियां बनारस में पैदा हुई हैं, मान्यवर जिस जिले में इस तरह की विभूतियां हो गयें और वहां पर कोई ऐसी अकादमी न हो, यह आश्चर्य की बात है । जहां से पूरे देश में कला का प्रदर्शन हुआ हो, उनकी कला को जाना जाये, ऐसी जिले में इस प्रकार की कोई एकादमी की स्थापना नहीं की गयी है । इस बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका अभारी हूं । अभी माननीय सदस्या ने जो कहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संस्कृति जो है, उसका काम हमारी पहचान बनाना है । मान्यवर, हमारी पहचान राम से है, हमारी पहचान रहीम से है, हमारी पहचान कबीर से है और हमारी उन क्रान्तिकारियों से जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी । उन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया । रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्र शेखर आजाद, चित्तू पाण्डे,और मंगल पाण्डे जैसे क्रान्तिकारियों ने हमारे प्रदेश में जन्म लिया औरदेश की आजादी के लिए कुर्बानी दी लेकिन आज इस सरकार ने अपनी छोटी मानसिकता के तहत इनको भुलाने का काम कर रही है और हमारी संस्कृति को मिटाने का काम कर रही है, हमारे इतिहास को बदलने का काम कर रही है । मैं बहुत अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि इस बजट का जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, यह जनता के साथ (इस समय 7 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) विश्वासघात है । इस सरकार ने हमारे महापुरुषों को भुलाने का काम किया है । हमारा प्रदेश संस्कृति के मामले में सबसे धनी प्रदेश है, लेकिन दूसरों को अम्बेदकर पुरस्कार दिया जा रहा है, शाहू जी महाराज की प्रतिमा लगाई जा रही है, क्या हमारे प्रदेश में कोई महापुरूष नहीं है, क्या हमारे प्रदेश में महापुरूषों की कमी है । इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(7 बज कर 30 मिनट)

श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, आज इस सम्मानित सदन में संस्कृति विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से विशेषकर जो सदन में बैठे हैं उनसे महत्वपूर्ण सुझावों की अपेक्षा करता था हमारे वरिष्ठ साथी भाई समरपाल सिंह जिन्हें अपर हाउस की शोभा बढ़ाने का भी मौका मिला है उनके द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे प्रस्तुत करने के बाद जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं बड़ा चिन्तित हूं । भाई समरपाल सिंह जैसे सम्मानित सदस्य से मैं कदापि ऐसी आशा नहीं करता था जिन्होंने संस्कृति विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर अपनी सारी भावना प्रकट की उनसे मैं उपयोगी और संस्कृति की रक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझावों की अपेक्षा करता था, लेकिन उन्होंने सारा ध्यान डा0 अम्बेदकर की मूर्तियों और छत्रपति साहू जी की मूर्तियों पर केन्द्रित कर दिया । मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं जिस नेता को उन्होंने अपना प्रेरणा के स्रोत माना है । भारत के किसानों के और गरीबों के रहनुमा का एक बार भी मन में स्मरण कर लिया होता तो अच्छा रहता । उस महापुरुष की मूर्ति विधान सभा के सामने लगी है उसकी तरफ भी उनका ध्यान गया होता तो अच्छा रहता तब वह डा0 अम्बेदकर और छत्रपति साहू जी की मूर्तियां लगाने का विरोध नहीं करते मैं उनसे अपेक्षा करता था कि संस्कृति विभाग की उपलब्धियों के बारे में वे कुछ

कहेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव देंगे जिससे इस विभाग में उन्नति होगी लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा । मैं अपने पुराने साथी माननीय समरपाल जी को अवगत कराना चाहता हूं कि केवल डा0 अम्बेदकर और साहू जी की मूर्ति नहीं लगायी है ऐसे महापुरुष जो उनके आराध्य देव के रूप में हैं जिनका वह रोज स्मरण करते हैं तो हमने उन लक्ष्मण जी की और पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की और महात्मा गांधी जी की मूर्तियां भी लगायी हैं । हम किसी महापुरुष की मूर्ति लगाने के विरोधी नहीं हूं वह किसी महापुरुष का नाम बता दें जो उनके प्रेरणा स्रोत हैं । वह हमें नाम बता दें, उनकी मूर्ति लगाने के आदेश देंगे, उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और यह सदन भी स्वीकार करेगा ।

*श्री सरस्वती प्रताप सिंह—

महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगा दीजिये ।

मारकण्डेय चन्द—

सरस्वती प्रताप सिंह जी आप बैठिये । उनकी भी मूर्ति लगायी है । मान्यवर, अम्बेदकर गौरव पुरस्कार के सम्बन्ध में कहा गया तो किसी महापुरुष के गौरव के लिये जो पुरस्कार दिया जाता है उसके लिये उत्तर प्रदेश में जन्म लेना जरूरी नहीं है । भारत देश विशाल है । देश की संस्कृति और गौरव में अगर कोई पुरस्कार दिया गया तो ऐसे आदमी का सम्मान करना चाहिये । डा0 अम्बेडकर के आदर्शों का उन्होंने भारत में ही नहीं अमेरिका में जरसी सिटी में अम्बेदकर पार्क का नाम-करण करवाया । हमारे आदर्श को भारत में ही नहीं अमेरिका में भी सम्मान दिलाया । वह ऐसे महान हरदयाल सिंह जी को यह सम्मान दिया गया , उन्होंने महात्मा गांधी प्लाजा नाम से बाजार का निर्माण करवाया । उस हरदयाल सिंह का जिन्होंने जरसी सिटी में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया उसके बारे में गौरवा-न्वित होना चाहिये जो विदेशों में भी हमारे भारत के महापुरुषों का नामकरण कर रहे हैं । भाई समरपाल सिंह जी से मैं यह आशा नहीं करता था, उसके विपरीत उन्होंने बात कहीं है और अम्बेदकर और साहू जी की मूर्तियां लगाने पर क्षोभ व्यक्त किया है । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार कर लें ।

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि यदि वहीं उनके अनु-यायी हैं और उनकी मूर्ति लगाने के लिये कहा जायेगा तो आज ही उसकी स्वीकृति मान लीजिए। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाने को बात कही गयी तो मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गयी है । आप उस सम्बन्ध में जो सुझाव देंगे उन पर विचार किया जायेगा । मान्यवर, हमारे यहां के पुराने साथी जिनका मेरा 1980 से लम्बे अरसे से साथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, माननीय गौरीशंकर जी ने राम और कृष्ण की बात कही । मैं उनसे सहमत हूं लेकिन उनकी वाणी से गौतम बुद्ध का नाम अगर आता तो अच्छा होता ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैंने उनकी अमर वाणी के बारे में कहा है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मैं मानता हूं कि यह देश गौतम बुद्ध का भी देश है । भगवान बुद्ध को सारे संसार में स्वीकार किया गया है । उनके बारे में कहा गया है "बुद्धा द ग्रेट" उनको ग्रेट कहा गया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहूंगा कि आपने जो संस्कृत श्लोकों द्वारा संस्कृति का उपदेश दिया है, तो आप और हम बाबू जगजीवन राम की पार्टी से एक साथ चुनकर आये थे और बाबू जगजीवन राम के सिद्धान्तों और कार्यों जिन्होंने दलितों, शोषितों और पिछड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और वह बाबू जगजीवन राम, अम्बेदकर जी उनके आदर्शों का आदर करते थे । माननीय अमरमणि जी जो हमारे पुराने मित्र हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी ने ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाति या वर्ग नाम की चीज न हो तो वह भगवान बुद्ध थे । बुद्ध का दर्शन प्राणिमात्र के कल्याण के लिये था । वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की कल्पना डा0 अम्बेदकर ने भगवान बुद्ध के सिद्धान्तों पर चलकर की । आज भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के तमाम देश भगवान बुद्ध के चिन्तन और दर्शन के अनुयायी हैं और आज दुनियां के तमाम देशों के पर्यटकों को भगवान बुद्ध के दर्शन और चिन्तन ने आकर्षित किया है । भगवान बुद्ध ने हमारे देश की धरती पर जन्म लिया, यहां पर उन्होंने तपस्या की और यहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पर उन्होंने उपदेश दिया और यहीं उनका निर्वाण हुआ है । भगवान बुद्ध के प्रति बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के मन में अपार प्रेम था, हमदर्दी थी यदि ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का नाम आज लिया जाता है तो आपको क्यों कष्ट होता है । आपने कहा कि यहां पर भगवान बुद्ध का ननिहाल था । मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जो स्थान आप बता रहे हैं अभी वह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है कि वह स्थान भगवान बुद्ध का ननिहाल था अगर इतिहासकारों द्वारा यह चिन्हित किया जायेगा तो उसको उत्खनन कार्य में जरा भी विलम्ब नहीं होगा । गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्खनन का कार्य करता है और गोरखपुर विश्वद्यिालय द्वारा भारत सरकार से उत्खनन की अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है । लेकिन अभी तक उस स्थान की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुयी है ।

श्री अमरमाणं--

प्रेक्षा गृह के बारे में कृपया बता दें ।

श्री मारकण्डे चन्द्र--

प्रेक्षा गृह बन रहा है । वहां पर भूमि विवाद के कारण वह रुका पड़ा है और उस पर एक करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है ।

जैसे ही भूमि का विवाद हल हो जायेगा तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने बौद्ध संग्रहालय की बात की है । मान्यवर, गोरखपुर में इसकी स्थापना की गई है कुसीनगर में की गई है । जहां तक एक माननीय सदस्य ने जैन धर्म के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया है । मैं सादर अवगत कराना चाहता हूं कि 20-21 अप्रैल को जैन विद्या शोध संस्थान द्वारा जैन विद्या में रुचि रखने वाले लोगों को उनकी समस्यायों के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक विभाग ने किया है । मान्यवर, अंत में कुछ ऐसे हमारे माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि बहुत उपयोगी सुझाव नहीं आये हैं । सारे सुझाव बुद्ध और शाहू जी महराज पर ही रखे हैं । एक माननीय सदस्य ने चित्रकूट के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की है । मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि चित्रकूट के नाम पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । गौरी शंकर जी ने कहा था अभी-चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीर, तुलसी दास चन्दन घिसैं तिलक देत रघुवी ।

(व्यवधान)

आप धैर्य रखिये । आप सारगर्भित भाषण का श्रवण सब ने किया है । चित्रकूट के नाम पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । शाहू जी महराज जिले का नामकरण हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लें कृपया बैठ जायं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, यह तो परम्परा है कि मैं इसी के तहत माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मंत्री जी वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपा करके बैठेंगे तब भी पूछूंगा ।

श्री मारकन्डेय चन्द—

मैं आपकी ऐसी बातों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता।

(सदस्य व माननीय मंत्री जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मारकन्डेय चन्द—

श्री विश्व नाथ सिंह गहबर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूरे प्रदेश के लिए। अगर आप उनकी मूर्ति लगाने की बात करते तो मैं उसक स्वागत करता हूं। जिन व्यक्तियों ने स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया उनका हम सम्मान करते हैं। वर्ष भर में प्रदेश में देश में विभिन्न प्रकार के समारोह मनाये रहे हैं। गाजीपुर में बलिया में धूम धाम से सम्मानपूर्वक समारोह आयोजित किया जायेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इन व्यक्तियों को याद करें या उनके बारे में कुछ कार्य करें। अंत में मान्यवर मैं श्री मोहन सिंह, डा0 रामचन्द्र, श्री आर0 के0 सिंह, श्री दल बहादुर, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, आदि सदस्यों ने जो उपयोगी और बहूमूल्य सुझाव दिए हैं उनका मैं आदर करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सांस्कृतिक विभाग को अपने सीमित संसाधन के अन्दर उनको समाहित करने का प्रयास करेगा। उनके बहुमूल्य और उपयोगी सुझाव के लिए आभारी हूं।

मैं पुनः भाई समरपाल जी से अनुरोध करूंगा की वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और पुनः चिन्तन करके सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री समरपाल सिंह—

बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,28,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय–व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,66,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, परिवहन आयुक्त संगठन प्रदेश में विभिन्न मोटर वाहन अधिनियम नियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन एवं प्रवर्तन सुनिश्चित करता हैं। इसके लिए विभाग को 7 परिक्षेत्र, 17 सम्भाग एवं 61 उपसंभागीय प्रशासनिक इकाईयों में विभाजित किया गया है जो क्रमशः उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के नियंत्रण में कार्य करती हैं। विभाग में 71 सचल प्रवर्तन कार्यों का निष्पादन करते हैं।

परिवहन विभाग (नान–रोडवेज) हेतु वर्ष 1997–98 में कुल रुपया 22.71 करोड़ की धनराशि का प्राविधान रखा गया है जिसमें से रुपया 19.14 करोड़ की धनराशि आयोजनेत्तर (नान–प्लान) पक्ष में तथा रुपया 3.57 करोड़ आयोजनागत (प्लान) पक्ष में रखी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष––

कृपया पढ़ें नहीं आंकड़े देख लें।

श्री राम वीर उपाध्याय––

यूनओ, पार्लियामेन्ट में भी लिखा हुआ पढ़ा जाता है।

वर्ष 1996–97 में प्लान बजट के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र हेतु रुपया 238.64 लाख (इसमें रुपया 75 लाख जिला योजना का सम्मिलित है) तथा उत्तराखण्ड क्षेत्र हेतु रुपया 75.71 लाख का बजट प्राविधान रखा गया था। उक्त प्राविधान के विरूद्ध मदानी क्षेत्र में रुपया 188.90 लाख तथा उत्तराखण्ड क्षेत्र में रुपया 75.22 लाख का व्यय हुआ। यह धनराशि परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं

कक्षा कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण, भूमि का क्रय तथा भवनों का निर्माण ट्रैफिक रैगुलेशन प्रोजेक्ट तथा लखनऊ, कानपुर के रोड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग के अध्ययन पर व्यय की गयी । भूमि क्रय तथा भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन कार्यालय फैजाबाद तथा गाजियाबाद हेतु भूमि क्रय पर रुपया 44.07 लाख की धनराशि व्यय हुयी । उत्तराखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में सम्भागीय परिवहन काठगोदाम का भवन पूरा कराये जाने हेतु रुपया 67.28 लाख तथा सम्भागीय परिवहन कार्यालय देहरादून के भवन निर्माण हेतु रुपया 10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी । उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के बस–स्टेशनों पर पेयजल समस्या के निदान हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु रुपया 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

वर्ष 1997–98 में मैदानी क्षेत्र हेतु रुपया 254.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ जिसमें राज्य सेक्टर का रु0 110.00 लाख लक्ष्य था जिला सेक्टर का रु0 144 लाख शामिल है । इसके अतिरिक्त अन्तर्देशीय जल परिवहन हेतु 3.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ । राज्य सेक्टर में स्वीकृत परिव्यय के समक्ष मुख्य रूप से कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत उप सम्भागीय कार्यालय सहारनपुर का उच्चीकरण गौतमबुद्ध नगर के उप सम्भागीय कार्यालय व प्रवर्तन बल की स्थापना लखनऊ तथा कानपुर में अतिरिक्त उप सम्भागीय कार्यालय की स्थापना की जानी विचाराधीन है भूमि क्रय तथा भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत सम्भागीय कार्यालय, गाजियाबाद तथा फैजाबाद का भवन निर्माण किया जाएगा । इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में पैसेन्जर्स सेल्टर्स का निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रण की योजना तथा लखनऊ कानपुर की मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अध्ययन योजना शामिल है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा––

माननीय मन्त्री जी लिखित भाषण पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष––

मन्त्री जी आप मुख्य–मुख्य बातों को सदन के सामने रख दें ।

श्री राम वीर उपाध्याय––

नवसृजित जिलों/मण्डलों में उप सम्भागीय,/सम्भागीय कार्यालयों की स्थापना को दृष्टगत रखते हुए चूंकि स्वीकृत परिव्यय कम है, अतः परिव्यय में वृद्धि कर नवसृजित जनपद कौशाम्बी, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर, चन्दौली, श्रीवस्ती, शाहू जी महराज नगर तथा बलरामपुर में उप सम्भागीय कार्यालय तथा बस्ती व मिर्जापुर में सम्भागीय कार्यालय की स्थापना हेतु परिव्यय को बढ़ाकर बजट में प्राविधान कराया जा रहा है ।

उत्तराखंड क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में कुल रुपया 100.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत हो चुका है, जिसके अन्तर्गत परिवहन संघठन का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना पर रुपया 96.25 लाख तथा पैसेन्जर सेल्टर्स के निर्माण पर रुपया 3.75 लाख का व्यय अनुमानित है। आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत उप सम्भागीय कार्यालय तथा प्रवर्तन दल ऋषिकेश व अल्मोड़ा की स्थापना सम्भागीय कार्यालय, देहरादून का भवन निर्माण तथा सम्भागीय कार्यालय, काठगोदाम में कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु फर्नीचर, प्रदूषण मापी यन्त्र, फोटो स्टेट मशीन व जेनरेटर, वाटर कूलर तथा अन्य उपकरण व मशीनरी क्रय की जायेगी।

आयोजनेत्तर (नान प्लान) बजट

इसके अंतर्गत परिवहन विभाग (नान रोडवेज) के कार्यालयों के संचालन सम्बन्धी स्टाफ के वेतन व भत्ते यात्रा व्यय, टेलीफोन प्रकाशन, विद्युत व्यय, पेट्रोल का क्रय व वाहनों का अनुरक्षण तथा उपकरणों/संयन्त्रों इत्यादि से सम्बन्धित व्यय किये जाते हैं। वर्ष 1996-97 में रुपया 2787.54 लाख का बजट प्राविधान था जिसके विरुद्ध रुपया 2538.28 लाख का व्यय उपरोक्त मदों में हुआ। उक्त धनराशि में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को भुगतान की गई रुपया 995.77 लाख की धनराशि भी शामिल है।

वर्ष 1997-98 में रुपया 1914.47 लाख की धनराशि का प्राविधान रखा गया है जो वर्ष 1996-97 के प्राविधानित धनराशि (परिवहन निगम की स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त) की तुलना में 24.11 प्रतिशत अधिक है। उक्त प्राविधानित धनराशि के समक्ष लेखा अनुदान के रूप में 6 माह हेतु रुपया 957.66 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 1996-97 हेतु विभाग का राजस्व प्राप्तियों का लक्ष्य रुपया 389.00 करोड़ रखा गया। इसमें से रुपया 106.00 करोड़ की प्राप्तियां परिवहन निगम से यात्रीकर के रूप में एवं शेष 283.00 करोड़ मार्ग कर एवं मालकर एवं निजी क्षेत्र से यात्रीकर के रूप में निर्धारित था परिवहन निगम के लिये निर्धारित रुपया 106.00 करोड़ यात्री कर के लक्ष्य के समक्ष मात्र रुपया 44.04 करोड़ की प्राप्तियां हुई, जबकि निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य रुपया 283.00 करोड़ के विरुद्ध 313.47 करोड़ की उपलब्धि हुई। महानगरों में मोटर गाड़ियों द्वारा होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से एक कार्य योजना बनाई गई है तथा इसी योजना के अनुरूप वर्ष 1996-97 में लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा तथा देहरादून में अभियान चलाया गया जिसकी विभिन्न गैर सरकारी मान्यता

प्राप्त संगठनों ने प्रशंसा की है । उक्त अभियान को व्यापक बनाने हेतु वर्ष में 95 निजी प्रदूषण केन्द्रों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है । वाहनों को पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय पोल्युशन अण्डर कन्ट्रोल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध कराने के प्रशासनिक उपाय के रूप में योजना लागू की जा रही है । प्रदेश में संचालित यात्री मोटर वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को त्वरित राहत प्रदान करने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 में कुल रुपया 31,66,000 की सहायता धनराशि परिवहन आयुक्त द्वारा सम्बन्धित निगमित क्षेत्र द्वारा संचालित बस सेवाओं के यात्रियों हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस अड्डा, प्रतीक्षालय, शेड, पीने का पानी आदि की सुविधाएं निजी बसों के यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में एक बस अड्डा प्राधिकरण के गठन का निर्णय 1988 में लिया गया था । रुपय 10.00 लाख की प्रारम्भिक पूंजी अंशदान करके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि जापान सरकार के ओवरसीज इकोनामिक कन्सोरियम से कराने का एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है । प्राधिकरण के विधिक प्रारूप पर राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही आरम्भ हो जायेगी ।

कम्प्यूटरीकरण योजना--

प्रदेश के सभी उप संभागीय कार्यालयों तथा संभागीय कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने तथा उनके इंटरलिंक करने की योजना का अध्ययन सी0एम0सी0 नामक संस्था से कराया गया है तथा शासन द्वारा गठित कम्प्यूटर ग्रुप के समक्ष कन्सेप्ट प्लान प्रस्तुत करके विभागीय आवश्यकताओं का आकलन, क्रियान्वयन एवं अनुप्रयोग हेतु उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर रु0 2.17 करोड़ की योजना है जिसे चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जायगा । कम्प्यूटरीकरण कराये जाने के परिणामस्वरूप जहां कार्यालयों की दक्षता में अपार वृद्धि होगी वहीं डेटाबस संग्रह प्रशासनिक नियन्त्रण तथा जनता की शिकायतें कम करने में सहायक होंगी ।

ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण--

प्रदेश में वर्तमान में ब्राडमा इम्बोसिंग मशीन के द्वारा जारी किये जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया वर्ष 1986-87 में आरम्भ हुई थी । समय के साथ यह पद्धति अब पुरानी पड़ चुकी है और इस प्रकार जारी लाइसेंसों में टैम्परिंग की सम्भावना पायी गयी है । अतः पोलोराइड कैमरा लैमिनेशन (आई0 डी0 3) प्रणाली से लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया का आरम्भ किया जा रहा है ।

इस पद्धति द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु लाइसेंस प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनिवार्यता होने के कारण फर्जी लाइसेन्स जारी होने की सम्भावना शून्य हो जायेगी । इस हेतु निविदा आमंत्रण एवं इवैलुयशन की कार्यवाही पूर्ण करके तीन माह में इस पद्धति से लाइसेन्स जारी करने का कार्य आरम्भ हो जाने की सम्भावना है :

बस/पैसेन्जर शेल्टर्स का निर्माण--

उत्तराखण्ड क्षेत्र में यात्रियों को मौसम की प्रतिकूलता से बचाने हेतु शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था करने की दृष्टि से पैसेन्जर शेल्टर्स बनाने हेतु रु0 36.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जिससे चयनित 34 विभिन्न स्थानों पर पैसेन्जर शेल्टर्स का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष म पूर्ण कर लिया जायेगा ।

राज्य परिवहन अनुसंधान एवं नियोजन संस्था (स्ट्रैप) लखनऊ--

प्रदेश में परिवहन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के वैज्ञानिक पद्धति से निदान हेतु उनके अध्ययन, सर्वेक्षण विश्लेषण एवं शोध हेतु सक्षम कार्यदल तैयार करने एवं परिवहन क्षेत्र में पहले से कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरुप तैयार करने हेतु प्रशिक्षित करने की दृष्टि से रु0 25.00 लाख के आरम्भिक अंशदान से राज्य परिवहन अनुसंधान एवं नियोजन संस्थान (स्ट्रैप) का पंजीयन सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1960 के अन्तर्गत कराया गया । उक्त संस्थान का अस्थायी कार्यालय परिवहन आयुक्त उ0 प्र0 के मुख्यालय में स्थित है । स्ट्रैप की पूर्णकालिक स्थापना हेतु वांछित रु0 20.00 करोड़ की व्यवस्था जापान सरकार के ओवरसीज इकोनामिक कन्सो-र्टियम फण्ड से कराने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है ।

जल परिवहन शाखा में सम्पादित कार्यों का विवरण--

प्रदेश में बढ़ती हुयी जनसंख्या वृद्धि, परिवहन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव, राजमार्गों पर वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि तथा वाहन उत्सर्जित प्रदूषण की विकराल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1986 में राज्य की नदियों में जल परिवहन के कार्यों की सम्भावनाओं के आकलन एवं उन्हें विकसित करने हेतु योजनाओं का फिजोबिलिटी अध्ययन करने हेतु एक सेल का गठन किया गया है । सेल द्वारा निम्नलिखित चार योजनायें तैयार की गई--

1--गंगा नदी में इलाहाबाद से कानपुर तक कुल लम्बाई 2550 किमी० अनुमानित मूल्य रुपया 45.20 लाख ।

2—यमुना नदी–इलाहाबाद से मथुरा तक कुल लम्बाई लगभग 500 कि0 मी0 अनुमानित मूल्य रुपया 79.65 लाख ।

बाघरा नदी—फैजाबाद से गंगा संगम तक कुल लम्बाई लगभग 300 कि0 मी0 अनुमानित लागत रुपया 78.85 लाख ।

4—गोमती नदी–लखनऊ से ओड़हार तक कुल लम्बाई 300 कि0मी0 अनुमाति मूल्य रुपया 43.35 लाख ।

उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं । राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए घाघरा नदी की योजना की हाइड्रोग्राफिक सर्वे तथा टेक्नोइकानामिक फिजीबिलिटी अध्ययन कराया गया ।

उपरोक्त अध्ययन में की गयी संस्तुतियों के आधार पर एक विस्तृत परि–योजना तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गयी है जिसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रु0 30.00 करोड़ की लागत से प्रदेश में जल परिवहन से सम्बन्धित मूलभूत आवश्यकताओं का विकास किया जायेगा । वित्तीय प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जल परिवहन को विकसित करने तथा इससे सम्बन्धित अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक निदेशालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना भी विचाराधीन है ।

परिवहन निगम से सम्बन्धित विषय सामग्री—

1—परिवहन निगम प्रदेश की जनता को कुशल परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु अपनी स्थापना के वर्ष से ही सतत् प्रयत्नशील है । इस उद्देश्य की पूर्ति में निगम की बस सेवायें प्रदेश के 2302 मार्गों पर जनता को अनवरत सेवायें सुलभ करा रही हैं ।

(इस समय 7 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

वर्ष 1996–97 में परिवहन निगम के बेड़े में माध्यमतः 7570 बसें रहीं जबकि वर्ष 95–96 माध्यमतः 7753 बसें निगम के बेड़े में थी । वर्ष 1996–97 में इसके अतिरिक्त वर्ष के अन्त में 558 अनुबन्धित बसें निगम के नियंत्रण में संचालित थीं जिनमें से 341 बड़ी तथा 217 मिनी बसें हैं । अप्रैल–मई, 1997 में निगम के बस बेड़े में माध्यमतः 7557 बसें रहीं तथा 695 निजी बसें अनुबन्धन पर संचालित की गयी ।

2—वर्ष 1996–97 में 180 नयी बसें बेड़े में सम्मिलित की गयीं तथा 708 बसों का रेनोवेशन किया गया । अप्रैल–मई, 1997 में 142 नयी बसें बस बेड़े में सम्मिलित की गयी तथा 53 बसों का रेनोवेशन किया गया ।

मान्यवर, वर्ष 1996-97 में परिवहन निगम की बसों द्वारा 60.72 करोड़ रु पया अर्जित किया गया। इसी अवधि में निगम की सेवाओं से 31.54 करोड़ यात्रियों ने यात्रा लाभ किया तथा निगम द्वारा रुपये 536.09 करोड़ की आय अर्जित की गई जी गत वर्ष की इसी अवधि की आय रु0 505.91 करोड़ से रुपया 30.18 करोड़ अधिक है। वर्ष 1997-98 के प्रथम दो माहों में निगम द्वारा रुपये 105.64 करोड़ की आय अर्जित की गई तथा रु0 7.20 करोड़ का लाभार्जन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 3.47 करोड़ अधिक है।

मान्यवर, प्रदेश में चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय अंचलों में भी बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। इन सेवाओं मे वर्ष 1996-97 में रु0 5.41 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी। वर्ष 1996-97 में निगम द्वारा 36.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया। पूंजीगत व्यय में बस स्टेशनों एवं कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण, यात्रियों को सुविधाओं में वृद्धि करने के साथ-साथ 122 चेचिसों का क्रय भी सम्मिलित है। वर्ष 1996-97 में फतेहपुर जनपद में फतेहपुर डिपो कार्यशाला, जालौन जनपद में उरई डिपो कार्यशाला तथा बिजनौर जनपद में बिजनौर डिपो कार्यशाला का कार्य कराकर इन्हें कार्यशील किया गया।

निगम की आय में वृद्धि प्राप्त करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर निगम के उपलब्ध भूखण्डों के व्यावसायिक उपयोग का निर्णय लिया गया है। यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टेशनों पर आवश्यकतानुसार पंखे, सोडियम लाइट तथा इण्डिया पार्क-II एवं मुख्य बस स्टेशनों पर टेलीविजन सेट भी लगवाये गये है। मान्यवर, क्षेत्रीय डिपो कार्यशालाओं को सामयिक सामान की उपलब्धता एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भुगतान की व्यवस्था की गई जिससे समस्त कार्यशालाओ की कोई ओ0 ई0 मैन्युफैक्चर्स से प्राप्त कल पुर्जो की आपूर्ति समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिपो को 5 पैसा प्रति किमी0 के आधार पर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को क्रय का अधिकार दिये गये ताकि बसों को कल पुर्जे उपलब्ध कंराकर इन्हें आन रोड किया जा सके। परिवहन निगम में संचालन व्यय को नियन्त्रित एवं सम्पूर्ण प्रदेश में आवश्यकता अनुसार सुनियोजित ढंग से व्यय नियन्त्रण के उद्देश्य सम्पूर्ण आय एवं व्यय का केन्द्रीयकरण किया गया।]

मान्यवर, अब मैं वर्ष 1997-98 के प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। वर्ष 1997-98 की योजनाओं पर रुपया 67.45 करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत निगम के बस बेड़े को सुदृढ़ करने हेतु 700 नवीन बसों का क्रय किया जायेगा। जिस मद पर रु0 54.60 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इसी प्रकार पुरानी बसों के

इनोवेशन पर रु0 9.12 करोड़ तथा कार्यशालों के सुदृढ़ीकरण एवं भूमि तथा भवन पर रूपया 2.00 करोड़ यन्त्र संयत्र एवं कम्प्यूटराइजेशन पर रु0 1.73 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

दक्षता मानकों में सुधार की भी योजना बनाई गई । वर्ष 1997-98 में 93 प्रतिशत बसें आन रोड रखने, बस उपयोगिता 232 किमी0 तथा अकूपेशन अनुपात 72% का का लक्ष्य है ताकि निगम का संचालन प्रतिफल पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर हो सके । परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1997-98 के अन्त में अनुबन्धित बसों की संख्या 900 किये जाने की योजना है ।

मान्यवर, इसमें 96-97 के डेटाज हैं । वर्ष 1998 में हम क्या करने जा रहे हैं, यह बताया गया है । यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है । यह ऐसा विभाग है जो हर एक आदमी को सुविधा देता है, इसमें जानवरों तक को ले जाया जाता है ।

माननीय, आपके माध्यम से इन सामने बैठे माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रख रहे हैं, उनको धैर्य से सुने फिर अपनी बात कहें ।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, 50 वर्षों में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गयी थी ज्यादातर नागरिकों की यह शिकायत होने लगी थी कि जब वह आर0 टी0 ओ0 के पास जाते हैं तो उनकी बात को वह गम्भीरता से नहीं सुनते । बसों की स्थिति भी बहुत जर्जर थी, सीटें फटी हुई थीं, सीसे टूटे हुए थे और वह कहां खड़ी हो जाय इसका कुछ पता नहीं था । माननीय, बहन मायावती के नेतृत्व में बसपा, भाजपा की जो सरकार बनी है और उसमें परिवहन विभाग में हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आर0 टी0 ओ0, ए0 आर0 टी0 ओ0, पी0 टी0 ओ0, आर0 आई0 को सख्त निर्देश दिये हैं कि दस बजे से 12 बजे तक वह दफ्तर में बैठें और जनता के प्रार्थना-पत्र लेकर शाम तक उनका निस्तारण कर दें । इससे जनता को सुविधा हुई है ।

मान्यवर, यह भी हमने निर्देश दिया है कि आर0 टी0 ओ0 महीने में एक दिन बैठकर वहां के सम्मानित ट्रांसपोर्टरों से उनकी समस्याओं को सुनें

और उसका समाधान करें । मान्यवर, एम0 एच0 वी0 की धारा 207 का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा था हमने उसमें निर्देश दिया है कि उसका दुरुपयोग न किया जाय । भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये और आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए हमने एक विजिलेंस सेल का गठन किया जिसमें विभाग के चरित्रवान, कर्मठ, निष्ठावान और ईमानदार अधिकारियों का गठन किया है। जिस भी सम्भागीय कार्यालय से किसी को शिकायत हो तो वह विजिलेन्स के अधिकारी को रिपोर्ट करे और वह जांच करके कार्यवाही करेंगे । इसके अलावा मान्यवर, रीजनल ट्रांसपोर्ट एथारिटी का गठन किया गया पहले इसमें आर0 टी0 ओ0 सचिव हुआ करते थे और डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके मेम्बर हुआ करते थे और डिवीजन के कमिश्नर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे अब बहन मायावती ने इसका पुनर्गठन किया है और इसमें जनता का नुमाइन्दा रखा है । जो जनता की बात सुनेंगे और आवश्यकता के अनुसार अराष्ट्रीकृत मार्गों पर परमिट जारी करेंगे । मान्यवर, इसके साथ ही हमने स्टेट ट्रांन्सपोर्ट एथारिटी का भी पुनर्गठन किया है इसमें पहले पी0 डब्लू0 डी0 के चीफ इंजीनियर मेम्बर हुआ करते थे अब हमने इनकी जगह एक जनप्रतिनिधि को रखा है ताकि जनता को परेशानी न हो और अराष्ट्रीयत मार्गों पर परमिट जारी किया जा सके ।

इसके साथ ही साथ प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए स्वयं जाकर अपने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ चेकिंग किया, जो प्रदूषण करते वाहन पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही किया है ।

मान्यवर, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए बसों और ट्रकों में जो ओवर लोडिंग होती थी, उन पर हमने कंट्रोल किया है ।

मान्यवर, टाटा शुमो गाड़ियां पर्वतीय क्षेत्रों में जाती थीं उन्हें टैक्सियों का परमिट देने के लिए प्राविधान किया है । ज्यादातर एक्सीडेन्ट जो होते थे उन पर कंट्रोल करने के लिए हमने आर0 आई0 को और आर0 टी0 ओ0 को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं जाकर चेकिंग करें । इस दिशा में इलाहाबाद आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और बुलन्दशहर के कार्यालयों में जाकर गाड़ियों को हमने चेक किया है । मान्यवर, हमने स्वयं जाकर इन जिलों में गाड़ियों को चेक किया है ।

मान्यवर, परिवहन निगम जो जनहित का विभाग है उसमें हमने विशेष ध्यान दिया है । आम आदमी को रोडवेज की गाड़ियों की जरूरत पड़ती है । हमने यह किया है कि बसों में परिचालक जो अपनी सीट पर बैठकर टिकट देते थे, जिससे महिलाओं को बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए हमने सरकुलर

जारी किया है कि परिचालक प्रत्येक सीट पर जाकर यात्री को टिकट देगा जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो ।

हमने इस सम्बन्ध में भी सरकुलर जारी किया है कि गांवों में गाड़ियों को ड्राइवर खड़ी कर देते थे, हमने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई गांव में गाड़ी खड़ी पाई जाए तो तत्काल कार्यवाही की जाय । इस सम्बन्ध में हमने स्वयं गाड़ियों को चेक किया है और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही किया है ।

मान्यवर, जो गाड़ियां खराब हो जाती थीं जिन्हें वर्कशाप में काफी दिनों तक खड़ा कर दिया जाता था लेकिन अब हमने निर्देश दिए हैं और सरकुलर जारी किया है कि कोई भी गाड़ी 5 दिनों से अधिक वर्कशाप में नहीं खड़ी होनी चाहिये, यह हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ।

मान्यवर, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण काम किया है, वह यह है कि दिल्ली से हमारा पारस्परिक समझौता बस और ट्रक चलाने का जो हुआ था वह 1986 के बाद नहीं हुआ था, जिसके सम्बन्ध में हमने दिल्ली के परिवहन अधिकारियों से बात किया और अब 2/3 रेशियो के हिसाब से गाड़ियां दिल्ली से चलेंगी और यह समझौता 90 प्रतिशत फाइनल हो गया है और 10 प्रतिशत पर बात चल रही है ।

उसमें 650 गाड़ियों को हम दिल्ली से विभिन्न स्थानों पर चला सकेंगे । डी0टी0सी0 की गाडियां विभिन्न स्थानों पर चलेगी ।

मुझे विधायकों, सांसदों ने बताया कि डग्गामार गाड़ियां बहुत चल रही हैं । उसमें ज्वाइंट चेकिंग का अभियान चलाया उसमें ए0 आर0 टी0 ओ0, ए0 आर0एम0 दोनों मिलकर हफ्ते में 3 दिन चेकिंग करते हैं । इससे परिवहन डिपार्टमेंट और निगम को बहुत लाभ हुआ है । जहां बिना परमिट की गाड़ियां कम हुई है डग्गामार गाड़ियों की कमी हुई है इससे 25 करोड़ रु0 की अतिरिक्त आमदनी 3 महीने में हुई है 14 करोड़ कुछ का नेट प्राफिट हुआ है जो पिछले 50 सालों में ऐसा हो सका है । जो अनुबंधित गाड़ियां थी उनको लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन में 2 साल पुरानी गाड़ियों को अनुबंधित किया जा रहा था जब से यह सरकार बनी है 1997 माडल की गाड़ियों को अनुबंधित किया है निगम में इससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है । मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, देहरादून, हरिद्वार से रिपोर्ट मिली है लोगों ने कारों में चलना बन्द कर दिया है और इन गाड़ियों में जा रहे हैं । यह गाड़ियां आगरा से देहरादून के लिए, देहरादून से गाजियाबाद के लिए, लखनऊ से इटावा, कानपुर सुल्तानपुर के लिए आदि विभिन्न स्थानों में गाड़ियां अनुबंधित की हैं प्रदेश की जनता को इससे लाभ हो रहा है । मान्यवर, इन तीन महीने के दौरान अपने निजी संसाधनों

से 241 गाड़ियो हमने नई बनाई हैं जो पहली बार 50 वर्षों में ऐसा हुआ हैं। अभी तक परिवहन निगम में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवाओं से वंचित रखा गया था हमने पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय प्रबन्धकों की बैठक बुलाकर सभी जगह से रिपोर्ट ली है जिसमें बताया गया हैं कि निगम में परिचालकों चालकों की बहुत कमी हैं इससे निगम की सेवायें बांधित हो रही हैं। हमने सबका परीक्षण कराया तो पता चला कि 2 हजार से भी अधिक परिचालकों चालकों की आवश्यकता हैं उसमें अब तक जो भी नियुक्तियां की गयी उसमें इन जातियों के अभ्यर्थियों को नहीं रखा गया, दो हजार से अधिक सवर्णों को रख लिया गया। इस बसपा भाजपा गठबन्धन सरकार में हम 31 अगस्त तक 2 हजार के करीब चालकों, परिचालकों के चयन करने जा रहे हैं यह 50 वर्षों में पहली बार ऐसा होने जा रहा हैं।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसलिए जितना इसका विकास होगा, उतनी ही लोगों को सुविधायें मिलेंगी। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे इस बजट को पारित करने में अपना सहयोग दें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय परिवहन मन्त्री जी परिवहन के क्षेत्र में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं मैंने उनके भाषण को बहुत ही एकाग्र होकर सुनने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आद्योपान्त अपने उद्बोधन में उन्होंने क्या कहा और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का यह दस्तावेज परिवहन के क्षेत्र में क्या इंकलाब करने जा रहा है। हां, सम्बन्धित विभाग द्वारा बजट के सम्बन्ध में हमें जो साहित्य दिया गया है, उससे यह जानकारी मिली हैं कि परिवहन मन्त्री जी ने कुछ घोषणायें परिवहन के क्षेत्र में की हैं। मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता परिवहन सुविधा की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र का हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट दिया हैं वह केवल वेतन दिए जाने वाला बजट हैं। उसमें कोई गतिशीलता नहीं हैं। और न ही कोई गुणात्मक सुधार लाने का ही प्रयास किया गया है। सिवाय ढांचा खड़ा करने के, अधिकारियों के वेतन का इंतजाम करने के ऋण कहां से मिले, इसका इंतजाम

करने के संसाधन के नाम पर केवल यही बातें कही गई हैं । परिवहन के क्षेत्र में उन्होंने प्रदूषण नियन्त्रण की बात कही । सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज का इंसान अपने जीवन की सुख-सुविधाओं के जितने आधुनिक संयंत्र अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा कर रहा है, उतना ही वह विनाश को अपने निकट बुला रहा है ।

आज परिवहन विभाग के इस बजट पर माननीय मंत्री जी ने प्राइवेट गाड़ियों की बढ़ती संख्या का जिक्र किया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो परिवहन विभाग की देखरेख में बसें एवं गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों के ऊपर वह पर्यावरण को खतरा पैदा कर रही हैं प्रदूषण के मामले में । आपने जिक्र किया कि हिन्दुस्तान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने परिवहन विभाग को कुछ मशीनें उपलब्ध करायी हैं । गैस एनालाइजर व स्मोक डेन्सीमीटर का जिक्र किया है । मान्यवर, जिस सूबे की सरकार के आप मंत्री हैं उसमें 14 करोड़ की जनता रहती है । जो संख्या आप बता रहे हैं इतने सीमित यंत्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश में कोई वृहद अभियान चलाकर पर्यावरण को खतरा पैदा करने वाले जो वाहन हैं उनको ठीक कर सकें मुझे तो यह नहीं लगता है । आपने एक वाक्य भी ऐसा नहीं कहा कि आज ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों के जरिये जो सड़कों पर चलने वाले वाहनों का जो शोषण होता है उसको रोकेंगे । सिर्फ अफसरों की सुख-सुविधा को दृष्टि में रखते हुए समूचे मामले में आपने अपने बजट के दस्तावेजों में खड़ा करने का काम किया है । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित आंकड़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, इनके पास नौ हजार चार सौ तिरसठ बसें हैं । इन बसों में से दो हजार आठ सौ इक्तीस बसें बूढ़ी हो चुकी हैं, ओवर ऐज हो चुकी हैं और चार सौ सैंतालिस बसें नष्टप्रायोज्य हो गयी हैं उनको चलाने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है । आपने अपने विभाग के छपे हुए ग्रन्थों को तो पढ़ लिया होता । जो आंकड़ों और शब्दों का जाल प्रस्तुत किया है उसे आप देखें कहीं अर्थमेटिकल एरर तो इसमें नहीं रह गयी है । अगर इन बूढ़ी बसों तथा न चलने वाली बसों को संख्या घटा दी जाय तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को कुल चार हजार एक सौ पिचवासी बसें स्वस्थ मिलेंगी । 18 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश और इतनी कम बसों की संख्या, तो कैसे लोगों को आप परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे यह बड़ी ही विचित्र बात है । मान्यवर, जो वर्ष 1997 का वार्षिक लक्ष्य मा0 मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह 79 सौ बसों का है ....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्रीवास्तव जी कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूं ।

(8 बजकर 30 मिनट)

और जो बात यथार्थ है, आप अनुमति दें, उसको मैं कहूं । मान्यवर, 7200 बसों का लक्ष्य प्रदर्शित किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि 1996 में जहां 497 प्राइवेट बसें अनुबन्धित की गयीं वहीं माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष प्राइवेट बसों की संख्या निगम में 950 कर दी है । मान्यवर, बहुत तकलीफ हुई और बहुत दर्द हुआ, इस साहित्य को पढ़ कर । आज भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मेल से जो सरकार चल रही है, वह रोज कहती है कि गरीबों और दलितों की सरकार है । लेकिन न केवल इस प्रदेश में बल्कि देश में एक सुनियोजित साजिश हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला हो रहा है । मान्यवर, रोडवेज विभाग में एक बस पर 8 लोगों को नौकरी मिली हुई है । 8 वीं योजना में कबूल किया है कि कर्मचारियों का अनुपात 7–8 है । यानी कि एक बस के पीछे 7–8 लोगों को नौकरी मिली है । मान्यवर, इस सरकार द्वारा एक साजिश की जा रही है कि इस निगम को निजी मालिकों को बेच देने का कार्य करने जा रही है, इससे पीड़ा हुई है और दुख हुआ है । सरकार की देख–रेख में यह निगम बिकने जा रहा है और इसकी साजिश इस सरकार के लोग कर रहे हैं । मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने साहित्य उपलब्ध कराया है, उसी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें निर्मित की गयीं हैं उनकी लम्बाई 88, 200 किलोमीटर है और उसमें से 22, 323 किलोमीटर पर निगम की बसें दौड़ाई जा रही हैं, जिसमें अनुबन्धित बसें भी हैं । सम्पूर्ण निर्मित पक्की सड़कों को जिन्हे मोटरेबिल रोड कहा गया है, उसका यह प्रतिशत 25.3 है । आज आप सूबे के रोडवेज मिनिस्टर हैं । जहां की आबादी 14 करोड़ है और 43 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे निवास करती है । मान्यवर, यह निगम 1972 में बनाया गया था और इसके पहले 1947 में राजकीय परिवहन विभाग था तो इन 50 सालों में इस विभाग को उन्नति करना चाहिए था । तरक्की करना चाहिये था और जितनी तरक्की करना चाहिये था उतनी तरक्की नहीं कर पाया है । मान्यवर, निगम को इस संकल्प के साथ शुरु किया गया था, कि कम खर्च पर जन सामान्य को बढ़िया सेवा देगा, लेकिन आज वह उद्देश्य चौपट होता

जा रहा है इसलिये मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह झूठ का पुलिन्दा है, दिशाहीन बजट है और प्रतिगामी बजट है । इस बजट के जरिये जनता के हित के काम होने वाले नहीं हैं, इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री श्याम किशोर यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं परिवहन विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री ज. ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह झूठ का पुलिन्दा है । इस बजट में यह कहा गया है कि परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये तमाम योजनायें दी जा रही हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 14 करोड़ की जनता के हित की कोई बात इस बजट में नहीं कही गयी है। मान्यवर, परिवहन मंत्री जी द्वारा पेश किया गया बजट झूठ का पुलिन्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है । यहां पर जितने बस स्टेशन हैं उनमें सुविधा के नाम पर तमाम जिक्र इस साहित्य में किया गया है ।

पूरे उत्तर प्रदेश में 41.8 निगम के अपने स्टेशन हैं । सुख सुविधा के नाम पर सिर्फ 18 स्टेशनों में जनरेटरों की व्यवस्था है 20 स्टेशनों पर टी0वी0 लगे हैं जबकि यात्रियों को सुविधा देने के नाम पर टैक्स लगाया जाता है । यात्रियों को सुविधा देने की बात की जाती है 14 करोड़ जनता जिस प्रदेश में है वहां यह सुविधा क्या काफी है । इतने बड़े प्रदेश में जहां पर सिर्फ 418 स्टेशन हो उसमें निगम के अपने सिर्फ 244 स्टेशन भवन है बाकी 174 किराये के भवनों में चल रहे हैं । इनमें भी सुख सुविधा के नाम पर कहीं पर बाथरूम नहीं है तो कहीं पर शौचालय नहीं है और जो ह भी तो वह खराब स्थिति में है और कुल 49 सुलभ शौचालय बने हुए हैं यह बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिदा है इसमें सरकार की अकरमण्यता साफ-साफ नजर आती है । यह सरकार जनहित में कुछ नहीं कर रही है । इनका सारा पैसा साहू जी महाराज, राजा बिजली पासी का किला और अम्बेडकर मेला लगाने में खर्च हो रहा है । जो इनमें पैसा लग रहा है उसको अगर परिवहन निगम की बसें खरीदने में लगाते तो तमाम लोगों का लाभ मिलता । प्रदेश के गरीब किसानों की कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है इस मेले में सारी परिवहन निगम की बसों का लगाया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री श्याम किशोर यादव--

यहां पर नयी बसें चलाने की बात की जा रही है तो उसका क्या तरीका होगा । परमिट किसको दिया जायेंगा इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । परिवहन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, इसे समाप्त करने की कोई योजना नहीं है । यह बजट झूठ का पुलिन्दा हैं जो यहां पर पेश किया है । यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है ।

श्री धर्मराज निषाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं । माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें 93% बसों को ठीक करने की घोषणा की है और नयी बसें चलाने के लिए भी बात की है कि इसलिए मैं मा0 मन्त्री जी को बधाई देता हू जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पायीं उसको आज मन्त्री जी करने जा रहे हैं । यह हमारे लिए खुशी की बात है । हमारी सरकार नें राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने की घोषणा की है । 1997-98 में 900 सौ निजी बसें परिवहन निगम में अनुबन्धित की जायेंगी इससे प्रदेश की जनता को आने जाने में बहुत सुविधा मिलेगी । मैं मा0 मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो प्राइवेट बसें चल रही है उनको जो परमिट दिया जाता है उसमें जो पैसेन्जर की संख्या निर्धारित है उससे कई गुना ज्यादा वह लेकर जा रही है । उसको रोकने का काम मन्त्री जी अवश्य करें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री धर्मराज निषाद--

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं परिवहन के सम्बन्ध में हमारी बहुत समस्या है । हमारे यहां कादीपुर से दोस्तपुर होते हुए फैजाबाद को बसें चलती थी जो बन्द पड़ी है । मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इसको चलाया जाये जो नया जिला अम्बेडकर नगर बना है उससे सुल्तानपुर सिंहौड़ा भोटी होकर कोई बस नहीं है वहां बस चलायी जाये । इसी तरह भोटी ब्लाक में भी परिवहन की सुविधा नहीं है । यह बहुत ही पिछड़ा हुआ ब्लाक भोटी में बस स्टेशन बनाया जाय है उसमें अम्बेडकर नगर, महरूआ, भोटी, सुल्तानपुर होते हुये लखनऊ तक बस चलायी जाय और अम्बेडकर नगर, मिसौड़ा, तारुन मदरसा से फैजाबाद होते हुए लखनऊ तक बस चलाने की कृपा की जायें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह संतुलित और लोकहितकारी है । आपने पर्वतीय अंचल के लिये जो व्यवस्था की है वह बहुत सराहनीय है । आपने जो मरीजों के लाभ के लिये व्यवस्था की है वह प्रशंसनीय है । बसों की हालत सुधारने के लिये और आर0 टी0 ओ0 तथा अन्य अधिकारियों को जनता से सीधे सम्पर्क के लिये जनता की दिक्कतों को सुनने के लिये जो व्यवस्था की गयी है वह सराहनीय है । बसों में जो ओवरलोडिंग के लिये और चलने वाली गाड़ियों के लिये जो कानून थे उनमें सुधार किया गया है वह प्रशंसनीय है । माननीय मंत्री जी ने चालकों और परिचालकों की 2 हजार जो रिक्तियां थी उनको भरने के लिये जो व्यवस्था की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं । मैं आपका ध्यान अब अपने जनपद भदोही की ओर ले जाना चाहता हूं । वहां पर पहले 4 बसें चलती थीं । सीतामढ़ी से लेकर मुख्यालय तक जो बस चलती थी वह ज्ञानपुर मुख्यालय बन जाने के कारण बन्द हो गयी है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भदोही जनपद में पहले जो बसें चलतीं थीं उनको फिर से चलाया जाय और वहां पर सिटी बसें चलाने की व्यवस्था की जाय । हमारे जनपद में एक ऐतिहासिक स्थल सीतामढ़ी है उसको बस द्वारा जोड़ने की व्यवस्था की जाय । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आर0 टी0 ओ0 द्वारा जो ट्रक ड्राइवरों के साथ अन्याय किया जाता है और अवैध वसूली की जाती है उसके रोकने के लिये व्यवस्था की जाय और ऐसे कर्मचारी जो घांवली और लापरवाही करते हैं उनको दंडित करने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरमणि--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद । माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय परिवहन मंत्री जी, अन्य माननीय सदस्यों के काम रोक दें और माननीय सदस्य जो बात रख रहे हैं उसको गंभीरता से सुनें ताकि उत्तर भाषण में उनका जवाब दे सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अमरमणि—

मान्यवर, कुछ दिनों पहले एक असरकारी दिवस पर मेरा उनसे परिचय हुआ था, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं । आज परिवहन विभाग का बजट पेश किया गया है । अन्तरदेशीय जल परिवहन की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में और देश में में हवाई जहाजों में अत्यधिक भीड़ मची है ।

दिल्ली में दो-दो बार आमने-सामने हवाई जहाज टकरा गए। इतनी भीड़ वायुयान मार्गों पर है । उसी तरह से परिवहन के लिए सड़क मार्ग है । आज सड़कों पर कितनी भीड़ बढ़ गई है । अगर 10 मिनट अन्तरराष्ट्रीय मार्ग रुक जाय तो दो किलो मीटर जाम लग जाता है । इसी के लिए आज यह बजट प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर आज दुनियां के तमाम देशों को देखें । मैं इसलिए कहना चाहता हूं चूंकि आपने प्रदूषण के बारे में कहा । दुनिया में तमाम देशों में जो नगर नदियों के किनारे हैं, उन्होंने जल मार्ग में कितनी तरक्की कर ली है । आपका प्रदेश गंगा जमुना का प्रदेश है । नदियों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है प्रदेश में । हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है नदियों के किनारे नगर रहे हैं, बसाये भी गए हैं और गंगा जमुना के किनारे विशेष रूप से । हमने माननीय मन्त्री जी से संकल्प के माध्यम से कहा था कि जल-मार्ग का विस्तारीकरण करें तो इससे सुगमता होगी और कोई अधिक भार भी नहीं पड़ेगा । कम पैसे में अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे : दुनिया के तमाम देश आज इस रास्ते में आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण रुका है । नदियों के किनारे तमाम पिछड़ी जातियां निषाद, टुषाद और मल्लाह जो निर्भय होकर सदियों से अपना जीविकोपार्जन इसी के सहारे करके समृद्धशाली हो गए थे आज वह इस मार्ग की उपेक्षा होने के कारण पिछड़े हो गए हैं । हम सभ्य होने के बाद नदियों को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान देनें की कृपा करें । नदियों को भी जल मार्ग के रूप में प्रस्तुत करें । मान्यवर, आगे कहना चाहता हूं कि भारत नेपाल सीमा पर सोनौली के लिए सैकड़ों बसें जाती हैं । दिल्ली या आगे की तरफ जाएं सोनौली दिल्ली के लिए बसें दिखाई देंगी । मान्यवर, वहां पर यात्रियों के लिये खड़े होने के लिये, बैठने के लिये कोई सुविधा नहीं है । एक अन्तरराष्ट्रीय बस अड्डा प्रस्तावित है लेकिन भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण उसका निर्माण नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सौनौली में जो अन्तरराष्ट्रीय बस अड्डा प्रस्तावित है उसको जल्दी से जल्दी बनवायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राजधारी—

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन के बजट पर बोलने का अवसर दिया । हमारे परिवहन मंत्री जी ने अपने बजट में स्वीकार किया कि बसों की हालत बहुत खराब है । हम बड़े प्रसन्न थे कि हमारे नव जवान नेता हैं इन्होंने अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार किया लेकिन इन्होंने कोई संकल्प नहीं व्यक्त किया कि बसों की हालत खराब है या हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, उसको कैसे दूर करेंगे । माननीय, आज परिवहन का युग है । रोडवेज बसों का बड़ा महत्व है । सुबाष जी ने बटौती के प्रस्ताव में जैसा बताया कि हमारे प्रदेश की आबादी 14 करोड़ हो गई है लेकिन रोडवेज बसों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है । आपने अपने बजट भाषण में जो विवरण पुस्तिका प्रस्तुत की है उसमें जो प्रस्ताव रखा है उसको देखने से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी नीति नहीं है कि सुचारू रूप से चलाने के लिये रोडवेज की बसों को बढ़ाया जाय और प्राइवेट बसें अनुबन्ध पर ली जायं । रोडवेज की जो बसें हैं उनकी हालत यह है कि उसमें बैठो तो कोई निश्चित नहीं रहता है कि अपने प्रस्थान से हम गतव्य की ओर पहुंच सकेंगे । आप स्वयं पता कर लीजिये । लाखों रुपये की बस है लेकिन उसमें स्टेपनी और रिंच का इन्तजाम नहीं है । स्टेपनी और रिंच के अभाव में यात्रियों को यात्रा बीच ही में कही पर रोकनी पड़ती हैं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज परिवहन की बसें जो चलती हैं उनको उपकरण और साधारण चीजें जो हैं वह उपलब्ध करा दें दूसरी बात कहना चाहूंगा मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है । सुबाष जी ने कहा प्राइवेट बसों के संचालन की अनुमति नही दी गई ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

श्री राजधारी—

निजी बसों के संचालन को बढ़ावा देना चाहिए । मैं बलिया जनपद से आता हूं आने जाने के साधन सही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें ।

श्री राजधारी—

बलिया के लिए 20 नई बसों को व्यवस्था करा दें ।

श्री दया शंकर—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया जो स्थिति है 93–94 की उसको देखें, मान्यवर, भाजपा और बसपा को सरकार थी उस समय हमारे क्षेत्र में जो बसें चलाई गई थीं उसको बन्द कर दिया गया है । जहां तक विकास के ऊपर धन की बात है हमारे क्षेत्र को इससे वंचित रखा जा रहा है । मान्यवर जो बसें 1993–94 में चल रही थीं वह आज आधी बसें चल रही हैं । कोंच से बनारस तक की जो बसें चलती थीं वह बन्द कर दी गई हैं । दिल्ली की जो बसें चलती थीं उनको भी बन्द कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कृपया शान्ति बनाए रखें ।

श्री दया शंकर—

मान्यवर मेरा अनुरोध है कि कौंच में जहां आवागमन के साधन नहीं है उसकी उचित व्यवस्था की जाए जो पिछड़े क्षेत्र हैं माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें । माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाए रखें ।

श्री दया शंकर—

माननीय मंत्री जी पिछड़े क्षेत्रों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें । आप लोग शान्ति बनाए रखें । इस तरह से आप लोग बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी ।

श्री गोपाल कृष्ण—

मान्यवर माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो नान स्टाप बिदाउट गेयर भाषण दिया है, उनके द्वारा रखे गये बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्ति बनाए रखें आप ऐसे शोर करेंगे तो कैसे बात सुनी जा सकेगी ?

श्री गोपाल कृष्ण—

मान्यवर, आपने परिवहन के विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के इस बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर में दलित व गरीबों के लिए परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मान्यवर, मेरा ब्लाक बंडा व ब्लाक खुटार शाहजहांपुर जनपद में आते हैं यहां आवागमन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं । अम्बेदकर ग्राम किशनपुर, हरीपुर, नजीरगंज, कुरैया, फतेहपुर आदि सैकड़ों ग्रामवासी बस की व्यवस्था न होने के कारण गरीबों को न्याय हेतु शाहजहांपुर जाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ट्रक ट्रैक्टरों पर बैठकर जाते हैं नजीरगंज में कुरैया शाहजहांपुर बस चलती थी बरेली बायपास पूरनपुर तक वह बन्द है । इसको चलाया जाय । पूरनपुर, आसाम रोड पर नियमित, पूरनपुर से शाहजहांपुर तक कटैए चौड़ा, गढ़बा, कजरी, अम्बडेरा से रुकती हुई जनहित में बस चलाई जाय । परहित के लिए जो जीता है परहित के लिए जो मरता है उसका हर आंसू रामायण उसका हर कर्म ही गीता है । मान्यवर, तराई क्षेत्र मुइना से तराई धुरियावालिया की सड़क बनाकर बसे चलाई जायें । जिससे वहां के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके । पूरनपुर से पीलीभीत की बसें बहुत कम हैं और चलाई जाएं पूरनपुर से शाहजहांपुर तक की बसें बन्द हैं यहां पर बसों को चलाने की व्यवस्था करें । पूरनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा भगवान एकेश्वर नाथ का विशाल पौराणिक मंदिर है वहां पूरनपुर में अभी तक एक भी बस स्टैण्ड नहीं है । कृपया पूरनपुर में बस स्टैण्ड बनवाया जाये । मान्यवर, मैं शारदा ट्रान्सपोर के लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं । आजकल शारदा नदी का पैन्टून पुल टूट गया है । यातायात का कोई साधन नहीं है । पीलीभीत मुख्यालय हेतु 100 किमी0 का चक्कर लगाकर आते हैं । जल परिवहन हेतु वहां पर बनी स्टीमर चलाई जाए । एक बस घाटगंज से बाजारघाट होती हुई पीलीभीत तक चलाई जाए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती कृष्णा राज—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा परिवहन विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । इस बजट में हमारे मंत्री जी ने जो भी नई नीति बनाई है उसका मैं स्वागत करती हूं इसके

साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहती हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, मैं लखीमपुर जनपद के मुहम्मदी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूं। जो कि जिले से बहुत दूर हैं। हमारे यहां आवागमन के लिये बसों की सुविधा नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में जो भी जी0 टी0 रोड सीतापुर से शाहजहांपुर को चलती है। उसे हमारे क्षेत्र में जो कस्बे हैं उसका स्टाफ दिया जाय। जो लखीमपुर–शाहजहांपुर बसें चलती हैं वह शाहजहांपुर के अन्दर न जाकर सिटी के अन्दर न जाकर बाईपास से निकल जाती हैं। जिससे जो रात्रि में सवारी उतरती हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शहर के अन्दर तक जाने के लिए काफी पैसे किराये में खर्च करने पड़ जाते हैं तथा यात्रियों को असुविधा होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि आप हमारे सुझावों को ध्यान दें। तथा हमारे क्षेत्र में मुहम्मदी–पुवायां बस चलाई जाएं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। परिवहन विभाग का जो बजट आया है इसमें नई बसों को लगाने के अतिरिक्त 900 निजी बसों को अनुबन्धित करने का प्रावधान किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि परिवहन विभाग में जो अनुबंध की प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण किया जाए। अनुबन्ध की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि टेंडर आमन्त्रित किए जाते हैं और अधिकारियों द्वारा बहुत दिनों तक टेंडर निस्तारित नहीं किए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार होता है। इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि लखनऊ के बारे में निविदा संख्या 173, दिनांक 13 मार्च, 1997 बस मालिक श्री अजनी कुमार श्रीवास्तव, जिनका निस्तारण नहीं किया गया है। उन्होंने नई बस उपलब्ध करा दी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लखनऊ आज प्रदूषण से भर गया है और लखनऊ को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें परिवहन विभाग द्वारा चलाई जानी चाहिए। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि चारबाग के पास बस स्टेशन है, वहां पर इतनी भीड़ हो गई है कि आने–जाने वालों को अधिक असुविधा होती है, इसलिए उसको अन्यत्र स्थानान्तरित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने की आवश्यकता है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसी अनेक सड़कें हैं, जहां पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलती, वहां पर जो प्रभावशाली लोग हैं, माफिया लोग हैं उनकी डग्गामार बसें चल रही हैं, इसको अविलम्ब रोका जाना चाहिये, क्योंकि इससे परिवहन विभाग को काफी राजस्व की हानि होती है । अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*. श्री मुरलीधर—

मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत लोक कल्याणकारी बजट का समर्थन करता हूं । माननीय मन्त्री जी ने जो 900 निजी बसों को अनुबन्धित करने का प्रस्ताव लाये हैं वह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, मैं बड़े अदब से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके लिए रोड परमिट जारी करने का कष्ट करें और जो डग्गामारी बड़े पैमाने पर हो रही है, इलाहाबाद, कानपुर मार्ग में बहुत सी बसें नाजायज ढंग से चल रही हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस डग्गामारी को रोका जाय, माननीय मंत्री जी जब आप फतेहपुर में पधारे थे तो आपने 5 बसें देने का एलान किया था उसके लिए मैं फतेहपुर की तरफ से आपको बधाई देता हूं, किशनपुर धाता से लखनऊ तथा किशनपुर धाता से दिल्ली के लिए बस चल रही थीं उसको रोक दिया गया है उसको पुनः चालू करने का कष्ट करें । महेवघाट होते हुये कौशाम्बी साहू जी महराज नगर से जोड़ते हुये लखनऊ तक जोड़ने का काम करें यह लोकहित में बड़ा अच्छा कार्य होगा । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी—

मान्यवर मैं माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि दिल्ली से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने के लिये कश्मीरी गेट दिल्ली में बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की कोई बस शाम 6 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक उपलब्ध नहीं होती है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मेरठ से व्यवसायिक कार्यों मे लगे हुये लोग जो दिन में दिल्ली जाते हैं और रात में अपने स्थान पर वापस आना चाहते हैं इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यह बात सुनिश्चित करने की कृपा करें । दिल्ली रोडवेज बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को बस कश्मीरी गेट, दिल्ली में शाम के समय आवश्यक संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में उपलब्ध रहे ताकि व्यापारियों को सुविधा हो सके। मान्यवर, जो परिवहन माफिया हैं और नगर बस सेवा को प्रभावी बनाने के संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं की मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि परिवहन क्षेत्र के माफियाओं के विरुद्ध आप प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही यह भी चाहूंगा कि आप नगर बस सेवाओं को चलाने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मुझे जानकारी मिली हैं कि शहर में जो टैक्सियां चलती हैं, उन टैक्सियों से 760 रुपये के स्थान पर 8 हजार रुपये किराया किया गया हैं जबकि 400 रुपये रोड टैक्स देकर प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी में चलती हैं, इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही हैं, उनमें न ड्रेस, न बैज का प्रतिबंध हैं, न अन्य कोई नियमों का सवारियों का न लखनऊ आने का। इस वजह से 760 से 8 हजार किया जाना उन लोगों के विरूद्ध अन्याय है। एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में जब यह टैक्सी वाले जाते हैं तो हरियाना में 875 रुपये तिमाही, पंजाब में 125 रुपये राजस्थान में 900 रुपये तिमाही तथा हिमांचल में 260 रुपये तिमाही और महाराष्ट्र में 900 रुपया तिमाही टैक्स देना पड़ता हैं और 400 रुपया देने वाले पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी चले जायें, उन्हें केवल 400 ही देना पड़ता हैं, इस ओर ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता हैं, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

*श्री दलबीर सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार मेम्बर आफ पार्लियामेंट को रेलवे में सहवर्ती सुविधा मिली हुई हैं, उसी प्रकार प्रदेश सरकार ने इस बजट में भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 को सहवर्ती सुविधा प्रदान नहीं किया है, मेरा सुझाव है कि एक्स एम0 एल0 ए0 को एक सहवर्ती ले जाने की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गवाहना, सिकन्दराऊ और पिलावा आदि के जो बस स्टेशन हैं, वह बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में 20–20 वर्षों से पड़े हैं, इस बजट में उनके नये भवन बनवाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया हैं, उनके भवन बनवाये जाने की मैं मांग करता हूं। मान्यवर एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, जो लोग अपने विभिन्न साधनों से प्राइवेट साधनों आदि से कहीं जाते हैं, ऐसे वाहनों की चेकिंग करने का इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को कोई हक नहीं हैं। चेकिंग केवल धन वसूली के लिये की जाती हैं, जों अनुचित हैं। चेकिंग का कोई परिणाम भी नहीं निकलता जिससे कि सवारियों को ज्यादा बैठाने से रोका जा सके। मेरा सुझाव हैं कि जब तक प्रदेश सरकार पूरी तरह से जनसंख्या के हिसाब से साधन उपलब्ध न करा सकें, तब तक चेकिंग करने का सरकार को कोई नैतिक हक नहीं हैं कि आम जनता को विभिन्न सवारियों में चलने से रोका जाय। इसलिये मेरा सुझाव हैं कि यह चेकिंग समाप्त की जाय। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार (सीतापुर)—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर हमारे जनपद सीतापुर में परिवहन की बड़ी दुर्दशा हैं। हमारे जनपद में जो बसें लगी हुई हैं उन बसों की हालत जर्जर है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सत्तापक्ष में हमारे बड़े भाई बैठे हैं जो विसवां से विधायक हैं। मैं समझ रहा था कि इस प्रस्ताव में वह हमारा कुछ सहयोग करेंगे और सुझाव देंगे क्योंकि उनके विसवां में जो परिवहन की स्थिति ह उसकी जो बिल्डिंग बनी हैं और उसमें जो बाबू और कर्मचारी बैठते ह उसको माननीय मंत्री जी दिखवायें कहीं ऐसा न हो कि वह बिल्डिंग इसी बरसात में गिर जाय। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चहता हूं कि हमारे बेहटा विधान सभा क्षेत्र में तम्बौर कस्बा हैं जहां छोटे-मोटे उद्योग वाले लोग रहते हैं तम्बौर से लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा की मांग करता हूं तथा जहांगीराबाद जो विसवां विधान सभा क्षेत्र में पड़ता हैं जहांगीराबाद से लखनऊ के लिए एक सीधी बस सेवा चलाई जाय। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

कल कई मांगों पर चर्चा होगी, जो माननीय सदस्य रह गये हैं वह कल अपनी बात बोल लेंगे। जो माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रख पाये हैं वह लिखकर माननीय मंत्री जी को दे देंगे और उस पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी हरिद्वार मेला लगा हुआ था जहां जलाभिषेक के लिए बड़े पैमाने पर कांवरिया बस न उपलब्ध होने के कारण प्राइवेट वाहन चलाने वाले लोगों के हाथ लूट लिये गये ठीक उसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांवरिया बाबाधाम जलाभिषेक के लिए जाते हैं वहां भी सड़क परिवहन निगम की बसों

का कोई इंतजाम इन कांवरियों के लिए नहीं किया गया । अब पुनः कुम्भ हरिद्वार में लगने जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुम्भ मेले में जहां बड़े पैमाने पर लाखों लोग इकट्ठा होने वाले हैं क्या आपने उस पर विचार किया है कि इतने बड़े पैमाने पर जहां शैलाब उमड़ेगा वहां अतिरिक्त बस का इंतजाम करेंगे । मान्यवर, मैं जहां से जीतकर आता हूं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद है और वह सबसे ज्यादा उपेक्षित है । देवरिया डिपो से विगत अनेक वर्षों से बसों की संख्या कम की जा रही है वहां से बसें हटाई जा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली जो बस सेवा थी वह निरस्त कर दी गई हैं वहां वह बसें चलाई जायं । इसके साथ ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रामवीर उपाध्याय—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन के माननीय सदस्य श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव को बताना चाहता हूं कि जो वह कटौती के प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ देवरिया से गाड़ियां चलाने का अनुरोध कर रहे हैं तो जब बजट पास नहीं होगा तो गाड़ियां कहां से चलाई जायेंगी । इनके क्षेत्र के लोग गाड़ियों में कैसे चलेंगे ? मान्यवर, परिवहन निगम ही ऐसा विभाग है जो हर आदमी को सस्ती और सुलभ सेवा उपलब्ध कराता है ।

एक बात और माननीय सदस्य ने कहा है कि गाड़ियां कम हैं । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आठवीं योजना—1992–97 तक बसों को संख्या 7883 थीं और 2722 गाड़ियां खरीदी गई थीं । इस प्रकार से कुल 10605 बस हो गई थीं ।

मान्यवर, आपने एक बात और कहा था कि गाड़ियाँ बूढ़ी हो गई हैं । तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने तीन महीने में जवान गाड़ियां भी क्रय किया है और जो गाड़ियां बूढ़ी/पुरानी हो गई थीं उनको बाडी को नई बनवा कर चालू करवाया हैं ।

जहां तक माननीय सदस्य श्री श्याम किशोर यादव जी ने बात रखी हैं वह अच्छी हैं जिसके सम्बन्ध में मैंने अपने भाषण में कहा था कि 50 वर्षों में उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की गाड़ियों की हालत खस्ता और जर्जर हो गई हैं तथा भ्रष्टाचार बढ़ गया हैं । मान्यवर, 418 सब–स्टेशनों में से 244 निगम के हैं और 117 स्टेशन किराए के हैं । यह दशा इस विभाग की जो हुई है वह पूर्व सरकारों की देन हैं । लेकिन हम नए बस अड्डे बनाने के लिए डी0 टी0 ए0 की तरह यहां भी बस अड्डों की स्थापना करने जा रहे हैं । इसमें हमको 50%

भारत सरकार से अनुदान मिलेगा । इस सम्बन्ध में हमने प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है । मैं समझता हूं कि भारत सरकार से जब प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा तो प्रदेश में सब अड्डों की हालत अच्छी हो जायेगी ।

जहां तक माननीय सदस्य धनराज जी ने जो कहा है वह अच्छी बात कही है कि ओवर लोडिंग में कन्ट्रोल किया जाय । इसलिए हमने भी ओवर लोडिंग और डग्गामार गाड़ियों को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया है और कन्ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही बिना परमिट के जो गाड़ियां चलती हैं उनको बन्द करेंगे ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कादीपुर से गाड़ियां चलाने का अनुरोध किया है, यदि वह लिखकर भिजवा दें तो जहां भी उनके क्षेत्र में गाड़ियों की जरूरत होगी और जिस माननीय सदस्य को जरूरत होगी हम सर्वे करा कर उनके क्षेत्रों में गाड़ियां चलवाने का प्रयास करेंगे ।

श्री गोरख नाथ पांडेय ने मदोही से बसें लगाने का अनुरोध किया, सिटी बसों के लिये कहा । हमने सिटी बसों के लिये आर0 टी0 ए0 का गठन किया है उसमें दो जनप्रतिनिधि रखे हैं । अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का परमिट हमने दिया है प्रत्येक मण्डल में दो–दो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं परमिट की जो नीति है उसको मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1988 में उदार कर दिया गया है किसी भी अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर परमिट देने में बाधा नहीं है ।

जितने भी मा0 सदस्यों के सुझाव आये हैं उनका मैं सम्मान करता हूं । भाई अमरमणि त्रिपाठी जी ने जल परिवहन वाली बात कही, अच्छा सुझाव है 3–4 दिन पहले सदन में भी उन्होंने संकल्प के माध्यम से इस पर जानना चाहा था । हमने परिवहन निदेशालय का गठन कर दिया है, चार नदियों में उसका परीक्षण कराया जा रहा है । कल बनारस में एक शिप कोयला लेकर आ रहा है जो पहला बल डिपार्टमेन्ट का होगा (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी ने बस माफियाओं की बात कही जहां भी मान्यवर हमें शिकायत मिली है हमने कार्यवाही की है । भाई श्यामसुन्दर शर्मा जी बैठे हुए हैं जानते हैं उनके जनपद में जाकर जो गाड़ियां बिना परमिट के संचालित की जा रही थी जो बस अड्डे के पास से भेजी जाती थी दो बार जाकर बंद किया है सारी गाड़ियां इसी सम्मानित सदन के एक सम्मानित सदस्यगण की थी, दो बार जाकर थानों में बंद कराया, बिना परमिट चलना बन्द कराया ।

माननीय, श्री दलबीर सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है । मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को एक न एक दिन एक्स होना है । हर माननीय सदस्य को एक सहवर्ती या गार्ड की जरूरत होती है, हम इस पर गम्भीरता से

विचार करेंगे । विचार इसलिए करेंगे कि परिवहन निगम को जब हमने ओथ ली थी 427 करोड़ रुपये का घाटा था । जहां तक डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने टैक्सियों पर टेक्स बढ़ाने की बात कही है, हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया हैं । एक बात मैं अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब भी आन्दोलन होते हैं तो वह हमारे निगम की गाड़ियों की काफी तोड़-फोड़ करते हैं । इसलिए मेहरबानी करके वह ऐसा न करें । माननीय श्री प्रमोद कुमार जी इस समय यहां पर नहीं हैं परन्तु श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी यहां पर हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2 करोड़ 79 लाख रूपए बाकी है, उसे कृपा कर यह तुरन्त भुगतान कर दें ताकि हम उस पैसे से नई गाड़ियां खरीद सकें ।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा--

समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी पर कितना बकाया हैं इसे भी बता दें ।

श्री रामबोर उपाध्याय--

मैं बता देना चाहता हूं कि बी0 जे0 पी0 और बी0 एस0 पी0 पर निगम का एक भी पैसा नहीं है । मान्यवर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी रैलियां हुई हैं और जो भी मेले हुए हैं, उनमें हमारे निगम की गाड़ियों में बी0 एस0 पी0 का एक भी कार्यकर्ता कहीं से भी किसी भी गाड़ी में फ्री नहीं गया हैं ।.....

(9 बजकर 30 मिन्ट) और इसी के साथ मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से एवं माननीय श्री सुवास चन्द्र श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस जनहित के बजट को पास होने दें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय श्रीवास्तव जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री सुबास चन्द श्रीवास्तव--

मान्यवर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह हैं कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,66,47,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 31–7–97 को नियम–51 के अन्तर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसके साथ नियम–56 में प्राप्त एक सूचना को भी सम्मिलित किया गया है । इस प्रकार नियम–51 में कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इसमें पहली सूचना डा0 लक्ष्मी कांत वाजपेई जी की प्रदेश में लाटरी व्यवसाय पर तत्काल रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में हैं । इसे मैं वक्तव्य हेतु स्वीकार करता हूं । दूसरी सूचना डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" की जनपद गढ़वाल के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरसात से मोटर मार्गों क अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, इसे मैं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं । तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की सहकारी चीनी मिल औराई, जनपद भदोही के शेयर होल्डर किसानों को विगत पच्चीस वर्षों से कोई लाभांश न दिये जाने व घोटाले के कारण किसानों के आन्दोलित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं । इसे मैं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत करता हूं । चौथी सूचना जो कि नियम–56 में प्राप्त हुई तथा जिसे नियम–51 में परिवर्तित कर दिया है श्री मूल चन्द्र जी की जनपद बिजनौर की तहसील धीमपुर के ग्राम सलारावाद में अवैधानिक रूप से व्यक्तिगत भूमि पर डा0 अम्बेदकर की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध मे हैं इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । पांचवी सूचना श्री नवाब सिंह नागर जी की जनपद गौतमबुद्ध नगर की दादरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्व में आवासों के निर्मित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । छठी सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान जी की जनपद महामाया नगर के सिकन्दराराऊ निर्वाचन क्षेत्र की इलायन ब्लाक में पीने के पानी की अति गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । सातवीं सूचना डा0 रामबाबू हरित जी की प्रदेश की मलिन बस्तियों में निःशुल्क सुलभ शौचालयों तथा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में हैं इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

आठवीं सूचना श्री विजयपाल सिंह की आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा टर्मिनल तथा इरादत नगर माइनरों में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है। 9 वीं सूचना श्री सरवर अली खां की जनपद बाराबंकी की कतिपय प्रमुख सड़कों की पुलियां टूटे होने के कारण आवागमन में हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में है। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु स्वीकार किया गया है। 10वीं सूचना श्री रामदेव आचार्य की बाराबंकी जनपद के रुदौली क्षेत्र के अन्तर्गत घाघरा नदी की बाढ़ तथा चिर्रा बांध के टूटने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको अस्वीकृत किया गया है। सर्वश्री संजय सिंह महेन्द्र कुमार, दीप लाल भारती, अनिल कुमार, राजेन्द्र सिंह, तेजभान सिंह, अमरमणि, कृपा शंकर सिंह, हरि नारायण, मोहन सिंह रावत गांववासी, रघुवर दयाल वर्मा, बाबूलाल, शिव सिंह चक, श्रीमती कृष्णा राज और डा0 अरविन्द कुमार जैन की सूचनाओं को अस्वीकृत किया गया है।

जनपद--फिरोजाबाद में कांच उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याणार्थ एक सौ शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)--

कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत सरकार...

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित की जाती है। निगम द्वारा कर्मचारियों के वेतन] से 1.75 प्रतिशत तथा सेवायोजकों से 4.75 प्रतिशत धनराशि अंशदान के रूप में एकत्रित की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा श्रमिकों को बीमांकितों के रूप में आच्छादित किया जाता है।

2--10 या इससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों के ऐसे श्रमिक जिनकी अधिकतम वेतन सीमा रुपये 6500 प्रतिमाह है, योजना से आच्छादित होते हैं और इन्हें बीमांकित व्यक्ति कहा जाता है। योजनान्तर्गत विभिन्न हित [लाभों के प्रदान करने का दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा निगम का है तथा पूर्ण चिकित्सा उपचार की व्यवस्था किया जाना राज्य सरकार का दायित्व है। एतदर्थ निगम तथा प्रदेश सरकार द्वारा 8:1 के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता है।

3--फिरोजाबाद में स्थित कांच चूड़ी उद्योग खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में आता है और इस उद्योग में लगे हुए श्रमिक व्यावसायिक रोगों टी0बी0, चर्मरोग,

नेत्र रोग से ग्रसित होते रहते हैं और उन्हें फिरोजाबाद में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है परन्तु औषधालयों में विशेषज्ञों की देख रेख में उनके उपचार में कठिनाई महसूस होती है और उन्हें जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में आरक्षित शैयायों में गम्भीर रोगी के रूप में भर्ती कराया जाता है और यथा आवश्यकता कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, आगरा में भी सन्दर्भित करके उनका इलाज कराया जाता है । यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी इस कारण फिरोजाबाद में एक चिकित्सालय खोले जाने का प्रयास 1988–89 से ही किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में निगम की पूर्ण सहमति थी । सर्वप्रथम फिरोजाबाद में 50 शैयाओं का चिकित्सालय खोले जाने हेतु स्थल चयन के बारे में तत्समय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा 30डी 13–1992 को चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया था तथा 50 शैयाओं के चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि की संस्तुति प्रदान कर दी गई थी, किन्तु कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तत्समय फिरोजाबाद में उपलब्ध बीमांकितों की संख्या का सर्वेक्षण कराये जाने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा योजना के मानक के अनुसार 6000 बीमांकितों के लिए प्रति 1000 बीमांकितों पर 4 शैयाओं के मानक के आधार पर न्यूनतम 50 शैयाओं वाला चिकित्सालय खोले जाने के प्राविधान के अनुसार बीमांकितों की संख्या कम होने के आधार पर चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था तथा बीमांकितों को जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में शैयाओं को आरक्षित कराकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती रही ।

4––भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 1–1–97 से रुपये 3000/– प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले बीमांकितों की वेतन सीमा में 6500/– रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोत्तरी कर दिये जाने के कारण आच्छादित बीमांकितों की संख्या में वृद्धि हो गई है तथा कुछ नये क्षेत्र भी योजना में आच्छादित हो गए हैं । फिरोजाबाद केन्द्र में तथा उसके निकटतम् 2 केन्द्र माखनपुर एवं शिकोहाबाद को जोड़ते हुए बीमांकितों की संख्या लगभग 13807 हो जाने के कारण वर्तमान मानक के अनुसार जनपद फिरोजाबाद में 50 शैयाओं वाला चिकित्सालय खोले जाने का पूर्ण औचित्य पाया गया है जिस पर क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर द्वारा अनौपचारिक सहमति व्यक्त कर दी गई है ।

5––नये चिकित्सालयों की स्थापना सहित निर्माण एवं उनके सुसज्जीकरण का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा सम्पन्न कराया जाता है

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

और इस पर होने वाले व्यय भार के शत-प्रतिशत वहन का दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा निगम का है । यह भी अवगत कराना है कि फिरोजाबाद में पूर्व में प्रस्तावित चिकित्सालय हेतु पूर्व में चयनित फिरोजाबाद से 4 किलो मीटर की दूरी पर जलेसर रोड पर उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में 6·5 एकड़ भूमि वर्तमान में भी रिक्त है तथा प्रस्तावित चिकित्सालय हेतु आरक्षित/प्रस्तावित है । प्रस्तावित 50 शैयाओं वाला चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली को उनकी सहमति हेतु भेज दिया गया है । निगम की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में चिकित्सालय को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के स्तर पर लिया जाना है ।]

दिनांक 21 जुलाई, 1997 के ता0 प्र0 सं0 1 नश्थी (स) से सम्बन्धित आलू किसानों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*नेता विरोधी दल श्री घनीराम वर्मा--

मान्यवर, इस वर्ष आलू किसानों को जो लूट हुयी है और जो दुर्दशा हुई है वह शायद इतिहास में कभी नहीं हुयी होगी । ऐसा भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार के कारण हुआ है । इस सरकार द्वारा पूरी तरह से आलू किसानों की उपेक्षा की गयी है । पहले आलू किसानों से 45 रु0 के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज में चार्ज लिया जाता था लेकिन इस बार इस सरकार ने खुली छूट दे दी है और 100 रु0 प्रति बोरी के हिसाब से चार्ज किया गया है, तो इस छूट का क्या औचित्य था । मैं कहना चाहता हूं कि आलू किसानों से जो पैसा लूटा गया उसमें 2 रु0 प्रति बोरी के हिसाब से इस सरकार को मुख्य मंत्री ने लगभग 2 अरब रुपया सुविधा शुल्क के रूप में वसूला है । मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं आज जो आलू सड़ गया है वह कम से कम एक लाख और डेढ़ लाख कुन्टल होगा, कैसे यह आलू सड़ गया इसको मैं बताना चाहता हूं । आलू अत्यधिक मात्रा में भन्डारण हो गया । ज्यादा भन्डारण होने के कारण ठीक से गैस पास नहीं हुयी और आलू सड़ गया । कोल्ड स्टोरेज में जितना आलू था सब सड़ गया, 64 हजार टन से ज्यादा आलू सड़ गया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अगर सरकार ने जो डेढ़ करोड़ रुपया आलू खरीदने के लिए रखा था उससे आलू खरीद लिए होते तो किसानों को इस तरह से बुरी हालत नहीं होती । अब उस पैसे से जिन किसानों का आलू सड़ गया है उनको मुआवजा दिया जाय । जो आलू भंडारों में पड़ा हुआ है वह भी बिकने वाला नहीं है । कुछ किसानों ने घरों में बालू में या भूसे में आलू रखा है वह भी बिकने वाला नहीं है । शीतगृह में 70, 75 रुपया जो शुल्क देना पड़ेगा वह कौन देगा । किसानों को इस दयनीय स्थिति के लिए सरकार दोषी है । सरकार ने 135 रु0 क्विंटल पहले खरीदने के लिए तय किया है अब वह शीतगृह से निकलने के बाद 200 रु0 में पड़ेगा । तो यदि दो सौ रुपये क्विंटल खरीद लिया जाता है तो किसान को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी । अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर किसान को बहुत बड़ा घाटा होगा । यह सरकार किसान विरोधी है किसान के हित में किंचित मात्र भी इसके मन में हमदर्दी नहीं है उल्टा उस पर हंसती है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर मैं आपका आभारी हूं कि आपने आलू की इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया । आज उत्तर प्रदेश का किसान जो गन्ने की मार से दब चुका है और इस सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण आलू की मार से किसान मर चुका है । आज किसानों में हाहाकार है । श्रीमन् किसानों का आलू जो भण्डारण के लिए प्राइवेट शीतगृहों में है इसकी हालत बहुत खराब है । उत्तर प्रदेश में 33 सहकारी शीतगृह हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि सरकार की गलत नीति के कारण, किसान विरोधी होने के कारण किसी भी शीतगृह में आलू का एक दाना भी बगैर सड़े हुए नहीं बचा है । मेरे क्षेत्र सोहावल में सरकारी शीतगृह सुचितागंज खिरौनी है । वहां साढ़े अटठारह हजार बोरे आलू बुरी तरह से सड़ गया है । पहले आलू रखने के लिए पांच लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में लिया और दो लाख रुपया किसानों से लिया गया । शीतगृह बन्द पड़ा हुआ है, इसका जो टेम्प्रेचर है, उसकी क्षमता से ज्यादा आलू भर देने से सारा आलू सड़ गया है । वह जो सड़ा हुआ आलू है उसे निकालने के लिये 5 लाख रुपया लिया गया है, वह बाहर पड़ा है, उससे पूरे क्षेत्र में महामारी फैल चली है । मैंने एक प्रश्न के माध्यम से सदन में जानकारी चाही थी, और शासन का ध्यान आकर्षित किया था, उसकी जांच भी हुई, जांच अधिकारी ने उल्टी रिपोर्ट दे दी । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें । आधे घन्टे की चर्चा है, दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री अवधेश प्रसाद--

आलू की इस बुरी हालत के लिए किसानो को मुआवजा दिया जायें। और इसकी जांच की जाये। इसमें भृष्टाचार हुआ है।

डा0 वकार अहमद शाह--

मैं अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं जो इस चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मान्यवर, लाखों करोड़ों टन आलू किसानों का सड़ गया और वह नुकशान किसान का केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ। जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, मैं बहराइच के बारे मे बताना चाहता हूं कि वे उन कोल्ड स्टोरेजों ने छोटे किसानों का आलू नहीं रखा किसानों ने जो मेहनत से आलू पैदा किया था जब आलू पैदा हुआ तो आलू को लेकर किसानों ने जो सपने देखे थे वह सरकार की गलत नीतियों के कारण खत्म हो गये और कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने सेठों से साठ गांठ करके पीछे के दरवाजे से सेठों का आलू रख लिया और किसान का आलू बाहर पड़ा रहा। जब आलू रखा गया था तो 40-45 रुपये दाम थे और अब कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसान से 70-80 रुपये मांग रहे हैं। किसानों में हाहाकार मचा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अश्वासन चाहता हूं कि सरकार कोई नीति घोषित करे आज किसान के घर खाना नहीं पक रहा है बच्चे रो रहे हैं। जिस 45 रुपये के रेट पर आलू रखने की बात हुई थी रेट किसान को देना पड़ा। मैं मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह बहराइच जिले के लिए जो पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर 70-80 फीसदी किसान हैं वहां के किसानों के आंसू पोछने के लिए क्या कर रहे हैं। मान्यवर, आपने बोलने के लिए अवसर दिया इसका मैं आभारी हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। किसानों का जो आज कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा शोषण किया जा रहा है उसके लिए जिला स्तर के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनकी अदूरदर्शिता के कारण आलू किसान की दुर्दशा हुयी है। आज किसान की नकदी फसल आलू बरबाद हो गयी है। आलू किसान ने अपनी आलू कर्ज लेकर बोया था और अब जब अच्छी फसल हुयी तो उसको उसके आलू का दाम नहीं मिला जिसे वह अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। आज आलू किसान परेशान है कि अगले साल वह आलू बोये या नहीं। इस बार आलू की दुर्दशा का कारण जहां आलू की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अच्छी फसल रही और साथ ही आलू में रोग न लगना रहा वहीं पर आलू का भण्डारण न होने से उसकी दुर्दशा हुयी । इससे किसान की कमर टूट गयी है । शीतगृह के मालिक आलू की जगह गुड़ रख रहे हैं क्योंकि गुड़ रखने पर उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है । किसान का आलू व्यापारियों ने खरीद लिया और ऊंचे दाम देकर उन्होंने अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया इसके कारण लाखों किसानों का आलू सड़ गया । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नाफेड और यू0पी0 एग्रो ने आलू खरीदने का काम नहीं किया । केवल सरकारी घोषणा रह गयी अतः भविष्य के लिये मैं कहना चाहता हूं कि अपेक्षित मात्रा में शीतगृहों का निर्माण किया जाय । बाजार हस्तक्षेप की सरकारी योजना लागू की जाय । शीतगृहो के किराये पर अंकुश लगाया जाय, शीतगृहों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाय मेरे द्वारा दिये गये इन सुझावों पर कार्यवाही की जाय तो आगे चलकर किसानों के सामने यह समस्या नहीं आयेगी आलू पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन होना चाहिए, जब अंकल चिप्स कंपनी 2 रुपये किलो आलू खरीदती है और 200 रुपये किलो चिप्स बेच सकती है तो सरकार क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं करती जिससे किसानों को राहत मिल सके । आलू निर्यात की संभावनायें सरकार को खोजनी चाहिये । रूस में आलू से शराब बनाने का काम शुरू हो गया है । हमारे यहां भी आलू से अल्कोहल बनाने का काम शुरू करना चाहिये । इसके अलावा जो आलू किसानों के सरकार ऋण है उनकी वसूली को स्थगित किया जाना चाहिये । और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको सरकार शीतगृहों के मालिकों से मुआवजा दिलवाने तथा शीतगृहों को बीमा कम्पनी से मिलने वाला मुआवजा उनको न दिलाकर सीधे किसान को दिलाया जाये ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

माननीय अधिष्ठाता जी इस वर्ष वास्तव में प्रदेश में रिकार्ड आलू का उत्पादन हुआ जिसकी परिणति यह हुई कि शीतगृह में पूरे का पूरा आलू नहीं रखा जा सका । शीतगृह मालिकों ने जब इस रिकार्ड उत्पादन को देखा तो जैसा कि वह पहले से करते चले आये हैं कि अपने चैम्बर में फलों का भण्डारण कर लेते थे और आलू की तरफ पहले भी ध्यान नहीं देते थे । अब की बार जब रिकार्ड उत्पादन हुआ तो उन्हें मौका मिल गया और फलों का और गुड़ अपने शीतगृहों में भण्डारण कर लिया । इसकी परिणति यह हुई कि आलू किसान सड़कों पर हफ्तों तक खटिया और मचिया लगाकर इन्तजार करता रहा कि उसका आलू कब रखा जायेगा । व्यापरियों से समझौता हो गया उन्होंने आलू

खरीद लिया और खरीद कर ऊंचे दामों पर भी बेचने का काम किया और शीतगृहों में भी रखने का काम किया। कुछ गलतियां अवश्य हुई हैं। पहले सरकार ने घोषणा की थी कि आलू को परचेज करेंगे उसमें कहीं न कहीं कर्मचारियों ने शिथिलता बरती है क्या उनको आप दंडित करेंगे जिन्होंने सरकार की नीति का सन्दर्भ ध्यान में नहीं देखा और इसकी अवहेलना की। इस पर भी आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शीतगृह के मालिक हमेशा जैसा चाहते हैं अपने अनुसार भाव तय कर बैठे हैं। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। भण्डारण के समय 45 रुपया है और जब निकलता है तो सौ सवा सौ रुपया कर लेते हैं इसकी परिणति होती है कि बीज का सामान जो किसान लोग रखते हैं अपने खेत में बोने के लिये उसको महंगा खरीदना पड़ता है। इस तरह से वह दो तरफ से मार खाता है। इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि किसान के हित के लिये, उनके हित के संरक्षण के लिये निश्चित रूप से शीतगृह के मालिकों के साथ बैठकर कोई प्लान तैयार करना चाहिए ताकि खेत से निकले आलू को किसान रख सके और उसका लाभ उसे मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मुझे खेद है कि श्रीमन् आलू जैसे किसान का उत्पाद सरकार की गलत नीति के कारण भण्डारण की सुविधा नहीं पा सका। सरकार की तरफ से गलती हुई। भण्डारण करने का जो रेट था उसका नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता तो ठीक था। इसको शीतगृह मालिकों को देकर गलती की। उन्होंने मनमाने दाम लिये जिसका नतीजा यह हुआ कि किसान का आलू बाहर पड़ा रहा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी कि उन्होंने जो छूट दी थी जिससे शीतगृह मालिकों को मालिक बना दिया था क्या उस नीति को पुनः वापस लेगी, सरकार के हित में।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आधे घंटे की चर्चा है। अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आना है। इसके बाद एक और आधे घंटे की चर्चा है।

श्री समरपाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय इस बार आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ। पहले ही इस बात की शंका थी। आलू का बर्बादी न हो इसलिए सरकार को सचेत किया। इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया।

और इस बात से बहुत परेशानी हुई यह सरकार सत्ता में आने के तुरन्त बाद, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रेस कान्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि आलू किसानों के प्रति उनको चिन्ता है और कहा था कि 145 रुपये कुन्टल सभी किसानों का आलू खरीदेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई नई बात कहें ।

श्री समरपाल सिंह—

लेकिन मान्यवर, उसके बाद क्रय केन्द्र ही स्थापित हुए और न सरकार के द्वारा आलू खरीदा गया । शीतगृह के जरिये किसानों को लूटने की छूट दी गई । किसान दस-दस दिन तक पड़ा रहा लेकिन किसानों का आलू शीत गृह में नहीं रखा गया । कोआपरेटिव सेक्टर के शीतगृह को ठीक कराने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया । किसानों का करोड़ों रुपये का आलू सड़ गया ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह—

जिन किसानों का आलू सड़ा है मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनका सुआवजा देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत—

मान्यवर, मैं फर्रुखाबाद जिले से विधायक हूं और उत्तर प्रदेश का 1/4 भाग आलू का उत्पादन मेरे फर्रूखाबाद जिले में होता है । मान्यवर, मेरे जिले में 108 कोल्ड स्टोरेज हैं, इस वर्ष 100 कोल्ड स्टोरेज चालू रहे हैं । मेरे जिले में 14 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू पैदा हुआ है, और उसके भण्डारण फर्रूखाबाद में नहीं हो सका बहुत सा आलू कानपुर के कोल्ड स्टोरेज में लाया गया जिससे किसानों को परेशानी हुई है माननीय अधिष्ठाता जो जिस समय सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज मालिकों को अपने कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा तय करने की छूट दी गई थी उस समय 90 प्रति-शत कोल्ड स्टोरेज मेरे जिले के भर चुके थे । सरकार की मशा रही होगी कि

कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से किसानों को सुविधा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि सरकार ने तीन कोआपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज तथा दो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज चालू कराये जिनमें किसानों का रखा आलू पूर्ण रूप से सड़ गया मैं सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 सदस्य समाप्त करें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत—

मेरे जिले के किसानों ने पांच सौ रुपये कुंटल का आलू खेतों में रखा था इसके बावजूद जब कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का समय आया तो किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा न होने के कारण आलू सड़ गया। मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर जाती है।

श्री अधिष्ठाता समाप्त करें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि किसानों ने पूर्व वर्ष के कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा 44 रु0 की दर के हिसाब से आलू रखा था कोल्ड स्टोरेज भर जाने पर सरकार ने मिल मालिकों को भाड़ा तय करने की खुली छूट दे दी गई है, यह किसानों के साथ अन्याय किया गया 1 मिनट का समय और दे दें। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को खुली जो छूट दी गई है, यह सही नहीं है इसे समाप्त करने हेतु सरकार पुनर्विचार करे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे भविष्य में किसानों का अहित न हो। मान्यवर आपने बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री दल बहादुर कोरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दूसरे नम्बर पर आलू उत्पादन में मेरा क्षेत्र सलोन क्षेत्र है यह जनपद रायबरेली में है। पहले नम्बर पर फर्रुखाबाद है। वहां कोल्ड स्टोरेज में आलू जमा करने के लिए आलू बीसों दिन बाहर रहा। किसानों का आलू सड़ गया वह जमा नहीं हो पाया जहां किसानों का आलू जमा है दो कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर सबका आलू सड़ गया है मैं सरकार से मांग करता हूं जो किसान दोहरी मार खा गया है। उसका कम से कम बीमा के तहत चाहे कृषक बीमा के तहत किसी भी बीमा के तहत उनको मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करवाई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिशुपाल सिंह यादव--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आलू की फसल प्रमुखता से होती है। 45 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में होता है। पिछली सरकार ने जो इस समय चल रही है, गठबन्धन की सरकार ने आलू पर नियन्त्रण जो किराए का था वह हटा लिया था, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने आलू के दाम 200.00 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से लिया। जो आलू सड़ा उसका नुकसान किसानो को हुआ और सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। आने वाले समय जब आलू का और अधिक उत्पादन होगा तो उसको रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाने की नीति नहीं है। पुराने कोल्ड स्टोरेज को ठीक करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मन्त्री जी क्या किसानों को 200.00 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से रेट दिलाने की व्यवस्था करेंगे। मैं (यह) यही चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इसका आश्वासन दें।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा न कहकर केवल दो सुझाव देना चाहता हूं। इस वर्ष आलू की जो दयनीय स्थिति हुई, पूरा प्रदेश चिन्तित है। सदन में कई बार आलू की समस्या को उठाने का काम दोनों पक्षों की तरफ से किया गया है। अगर सरकार की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो अगले वर्ष प्रदेश में आलू का उत्पादन बहुत घट जाएगा। जो सरकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज हैं, वह लगभग बन्द पड़े हैं जो काम में अर्जर है कि उनके सम्बन्ध में सुधरने की कोई आशा नहीं की जा सकती है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि आलू के किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर शीतगृह के मालिकों ने उनसे मनमाना दाम वसूल किया है। किसान ने कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा बाकी 90 प्रतिशत आलू सड़ गया है। जो सहकारी कोल्ड स्टोरेज हैं, उनके रख-रखाव के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। आलू के भंडारण और उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार एक दीर्घकालिक नीति बनाए। आलू बोने में जिससे किसानों की रुचि कम न हो जाए।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह सरकार बड़ी सम्वेदनशील सरकार है। खुद मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 45 प्रतिशत आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन आलू के बारे में कोई नीति नहीं बनाई गई है। आपने पूरी की पूरी फसल को शीतगृह के मालिकों के हाथों में सौप दिया।

उन्होंनें अपनी मर्जी से जो दाम चाहा वह लगाया उसके बाद आपने घोषणा की कि, कोआपरेटिव के जितने शीतगृह हैं उन्हें चलाया जाये, जल्दी में चलाया गया, बिजली थी नहीं और सही तरीके से ठंडा नहीं हो पाया नतीजा यह हुआ कि लाखों का आलू सड़ गया और यह सरकार संवेदनशील है और गरीब की रक्षक है तो क्या उन आलू उत्पादकों को मुआवजा देगी ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)

श्री भोला शंकर मौर्य—

माननीय सदस्यों की इस विषय पर जो चिन्ता है उससे सरकार भी कम चिन्तित नहीं है । 21 मार्च 1997 को जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले उसने आलू की समस्या पर गम्भीरता से विचार किया । जो कोल्ड स्टोरेज उद्योग जर्जर हो गये थे जिसके चलने की कोई उम्मीद नहीं थी उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए, आलू किसानों की रक्षा करने के लिए हमने काम किया कोल्ड स्टोरेजों को प्राथमिकता के आधार पर चलाने का काम किया । जिस प्रदेश में मात्र 8.6 लाख हेक्टेयर में आलू होता था आज उस प्रदेश में इतना ज्यादा आलू हो रहा कि पूरे देश के अन्न उत्पादन का 45 प्रतिशत है । मान्यवर, इस वर्ष ऊपर वाले की मेहरबानी से आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ । यह एक रिकार्ड वर्ष है कि इससे ज्यादा आलू का उत्पादन इस प्रदेश में कभी नहीं हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि मान्यवर, हमारी जो क्षमता है कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की वह मात्र 50 प्रतिशत है 50 प्रतिशत आलू अधिक था । अब तक जो आलू उत्पादित होता था उसका 15% आलू मई तक कन्जयूम कर लिया जाता था, 10 प्रतिशत आलू सड़ाई से डिफैक्ट हो जाने से बेकार होता था इस प्रकार 25 प्रतिशत आलू हो जाता था । मान्यवर इस साल ट्रकों की हड़ताल हुई 1–4–97 से 10–4–97 तक चली इतनी बड़ी हड़ताल हुई कि इससे पड़ोसी प्रदेशों में आलू नहीं जा पाया वह एकदम से शीतगृह और रोड पर आ गया जिस कारण ला एण्ड आर्डर की भी कहीं–कहीं समस्या उत्पन्न हुई, इस समस्या के निदान के लिए स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों में मण्डारण की समुचित व्यवस्था करने के लिए टोकन सिस्टम तक लागू करना बिल्कुल गलत है, सत्य से परे है कि सरकार ने इसमें कोई रिश्वतखोरी की है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मंत्री जी यह बता दें कि आलू किसानों को मुआवजा देंगे या नहीं देंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

माननीय अधिष्ठाता जी, यह भी कहना गलत है कि हमने शीतगृह मालिकों को खुली छूट दी है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, कृषि मंत्री जी बैठे हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जवाब दें रहे हैं, यह कितनी संवेदनशील सरकार है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज ऐक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) में स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार को जब यह लगेगा कि उसका कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने आपाधापी की है, रीजनेबुल रेट नहीं निर्धारित किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबन्धन की सरकार हिचकेगी नहीं ।

श्री भोला शंकर मौर्य--

रीजनेबिल रेट तय करने में मैं आपके संज्ञान में ला दूं जब आपने यह प्रश्न उठाया था, उससे पहले ही सरकार ने कार्यवाही करने के लिए समुचित जांच कराई है, खास तौर से मैं फैजाबाद का उल्लेख करना चाहूंगा । माननीय अवधेश जी ने जो चिन्ता व्यक्त की, उसके पूर्व ही हमने उस पर जांच बिठा दी और जांच का जो परिणाम आया, उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया कि वहां महामारी फैल गई वह गलत पाया गया । हमने वहां के जिलाधिकारी और सी० एम० ओ० से रिपोर्ट मंगवाई, न वहां कोई महामारी फैली और न कोई पशु मरा है । यह लिखित में मेरे पास रिपोर्ट आयी है और मैं प्राप्त सूचना के आधार पर कह सकता हूं कि वहां कोई महामारी नहीं हुई ।

श्री घनीराम वर्मा--

अधिष्ठाता जी, तमाम बातें माननीय मंत्री जी ने अभी सदन के समक्ष रखी । लेकिन हम लोगों ने जो जिज्ञासा प्रकट की थी, उस सम्बन्ध में एक भी बात आपने अपने तमाम भाषण में नहीं कही । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ।

(1) सरकार ने समर्थन मूल्य जो घोषित किया, उसके आधार पर आलू खरीदा क्यों नहीं ?

(2) किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में तथा प्राइवेट गोदामों में सड़ा सके मुआवजे के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

(3) जो आलू किसी तरह से कोल्ड स्टोरेज पहुंच जायेगा; क्या सरकार उसको 200 रुपया प्रति कुन्टल की दर से खरीदेगी ? चौथी बात आलू के स्टोरेज के लिए नियंत्रण क्यों हटाया गया, इसके क्या कारण थे, यह बता दें ।

श्री भोला शंकर मौर्य—

अधिष्ठाता महोदय; नेता विरोधी दल ने जो जिज्ञासा जाहिर की है; उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू खरीदा गया लेकिन उस मात्रा में नहीं खरीदा गया जो मात्रा सरकार ने निर्धारित की थी। किन्तु इसके सापेक्ष में 844.815 टन आलू खरीदा गया यह आलू अलग-अलग 6 संस्थाओं द्वारा खरीदा गया, हमने इसमें केन्द्र खोले थे । यह सही है कि जब यह केन्द्र खुले तो इतनी गर्मी हो चुकी थी कि उसमें आलू का जो ग्रेडिंग के हिसाब से लेना था वह नहीं ले पाए। यह योजना हमारे समर्थन मूल्य की योजना कतई नहीं है । सरकार के पास इतना संसाधन भी नहीं है कि वह 200.00 रुपया प्रति क्विंटल आलू खरीद ले तो सरकारी शीतगृहों के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि आलू सड़ा, केवल 19 प्रतिशत आलू सड़ा है, यह उद्योग ज्यादातर निजी क्षेत्र में है । अब सरकार द्वारा शीतगृहों के निजीकरण का प्रस्ताव है ... ।

(इस पर समाजवादी पार्टी के श्री रामतेज यादव एडवोकेट; श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री सीताराम निषाद, सहित कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे; जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

(समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गए और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन म घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता—

यह गलत बात है, चर्चा थी चर्चा हो गई, अब आप लोग अपने-अपने स्थान पर जांय ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट (वेल से)—

मान्यवर, यह मंत्री जी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

(बेल में आए हुए माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री सरदार सिंह--

(× × × ×)

श्री अधिष्ठाता--

कोई बात नहीं लिखी जायेगी। अब मद समाप्त हो गई। मैंने 40 मिनट तक चर्चा करवाया है।

(शोर व्यवधान)

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

प्रदेश में भूमि के क्रय-विक्रय हेतु स्टाम्प दरों एवं अन्य दरों को बढ़ोत्तरी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)--

[श्री विक्रमाजीत मौर्य, विधायक, नवाबगंज, इलाहाबाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी गई है कि जनपद इलाहाबाद, में एवं प्रदेश के अन्य जनपदों में किसानों व गरीबों द्वारा क्रय-विक्रय की जाने वाली भूमि की तहसील में स्टाम्प शुल्क इतना ज्यादा बढ़ाकर लिया जा रहा है कि आम जनता परेशान है। पांच बिस्वा तक गावों एवं जंगल में खरीदी जाने वाली भूमि पर रु0 350.00 से रु0 450.00 प्रति वर्गमीटर की दर से स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है। इतना ज्यादा शुल्क शहर की जमीन का भी नहीं है। उनके अनुसार जनपद इलाहाबाद में जिलाधिकारी व अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मिलकर यह कार्य किया जा रहा है। मा0 विधायक ने अनुरोध किया है कि स्टाम्प शुल्क में कमी कराई जाय।

इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार भूमि के क्रय-विक्रय में जनपद इलाहाबाद में नियमानुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर ही स्टाम्प

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शुल्क अदा कराया जा रहा है । स्टाम्प शुल्क के लिए दरें स्टाम्प नियमावली के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में दिनांक 1-1-97 को जिलाधिकारी द्वारा औसत बाजार दरों के आधार पर पुनरीक्षित की गई थीं । उक्त नियमावली में प्रत्येक दो वर्षों बाद दरों के पुनरीक्षण का प्राविधान है । दरें निर्धारित करते समय प्रत्येक जनपद में यह बात ध्यान में रखी जाती है कि उस इलाके में किन दरों पर स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है । फिर भी इस कार्य को और अधिक सरल, युक्ति संगत एवं बाजार दरों के आस-पास होने के लिए एक नई नियमावली- 'उ0 प्र0 (सम्पत्तियों का मूल्यांकन) नियमावली, 1997" बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनपद में इस नियमावली के तहत भूमि के स्टाम्प शुल्क के लिए दरों को संशोधित करके दिनांक 30-8-97 को संशोधित न्यूनतम दर सूची जारी करें । मा0 विधायक द्वारा कोई मामले-विशेष, जिनमें कि गांव की जमीन की दरों, रु0 350.00 से रु0 450.00 प्रति वर्गमीटर के हिसाब से स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा हो, प्रकाश में नहीं लाये गये हैं जिन पर कि उत्तर दिया जा सके। अतः ऐसी स्थिति इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशिष्ट टिप्पणी सम्भव नहीं है ।]

जनपद पीलीभीत में शारदा नदी से हो रहे कटान से प्रभावित गांवों को बाढ़ की विभीषिका से बचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)--

[मा0 विधायकों ने अपने नोटिस में शारदा नदी से हजारों एकड़ भूमि कटने व भरतपुर, रामनगर, चन्द्रनगर, शास्त्रीनगर, बहरौथा, रमनगरा, गभिया सरकय, कुंतिया कबर, रौजलहा में कटान होने की सूचना दी है व अवगत कराया है कि क्षेत्रीय जनता के सहयोग से कार सेवा की जा रही है परन्तु शासन से इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र शारदा नदी के फ्लड प्लेन जोन में बसा हुआ है तथा शारदा नदी में 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने पर सम्पूर्ण क्षेत्र डूब जाता है । इस क्षेत्र की बाढ़ व नदी की कटान की समस्या का अध्ययन करने के लिये शासन स्तर से एक समिति

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 29 नवम्बर, 1990 को गठित की गयी थी । समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर व अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट शासन को दिनांक 21 अप्रैल, 1992 को दी गयी । समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि शारदा नदी "बैंडेड नेचर" की है इस कारण तकनीकी दृष्टि से कोई व्यवहारिक कटान निरोधक कार्य तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य सम्भव नहीं है । बाढ़ सुरक्षा के लिये यदि नदी के दोनों किनारों पर बांध बना दिया जाता है तो वह भी तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा । उनको एक निर्धारित दूरी पर ही बनाया जाना होगा जिससे प्रभावित होने वाले ग्रामों को सुरक्षा प्रदान नहीं हो पायेगी यह तथा वह योजना अत्यधिक लागत की होने के कारण साध्य भी नहीं होगी । अतः नदी के किनारे बसे हुए ग्रामों की भूमि के कटान को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई दीर्घ कालीन स्थाई योजना नहीं बनाई जा सकती है । जिन ग्रामों की आबादी का कटान हो रहा है उनको अन्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से बाहर सर्मापस्थ स्थल पर बसाया जाना होगा जिससे कि बाढ़ की समाप्ति होने पर वे अपने गांवों को लौट सकें व खेती बाड़ी कर सकें । दीर्घ कालीन योजना के अन्तर्गत सुरक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब शारदा नदी में आ रहे अत्यधिक सिल्ट चार्ज पर जलागम क्षेत्र में वनीकरण किया जाय तथा पर्वतीय क्षेत्र में पचेश्वर बांध व चमगाड़ बांध आदि का निर्माण कराया जाये आबादी को सुरक्षित स्थान पर बसाने की कार्यवाही जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा की जायेगी । शासन द्वारा समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गयी है । वर्तमान शासन की नीति भी बड़े-बड़े शहरों व घनी आबादी के ग्रामों को छोड़कर कटान से सुरक्षा प्रदान करने की नहीं है ।

शारदा नदी पर शारदा सागर बांध वर्ष 1956 में निर्मित हुआ है तथा शारदा नहर प्रणाली की जल की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करता है । वर्ष 1996 की बाढ़ के दौरान भारी कटान हुआ था और नदी के दायें किनारे से जलाशय के मार्जिनल बांध की दूरी मात्र 700 मीटर रह गयी है । उक्त स्थिति में शारदा सागर बांध व मार्जिनल बांध के सुरक्षा हेतु एक योजना तैयार की गयी है जिसकी लागत 210 लाख आंकी गई ह । यह योजना दिनांक 21-1-97 को तकनीकी समिति द्वारा संस्तुति की गयी है । योजना बाढ़ नियंत्रण परिषद्, पटना को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है ।

वर्ष 1996 की बाढ़ से शारदा नदी का दांया किनारा इस जलाशय की सुरक्षा के लिये बनाये गये मार्जिनल बांध की 45 मीटर की दूरी तक आ गया । उक्त स्थिति को देखते हुए एक सुरक्षा योजना बनाई गयी ह जिसके अन्तर्गत स्टण्ड 19 व 20 के मध्य 4 बोल्डर स्टड का निर्माण प्रस्तावित है जिसकी

लागत 66.27 लाख रुपये आंकी गयी है । इस योजना को तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 21-1-97 को बैठक में संस्तुति की गयी है ।

शारदा सागर बांध एवं मार्जिनल बांध की सुरक्षा हेतु निर्मित योजना से ग्राम रमनगरा को तथा मार्जिनल बांध की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित योजना से ग्राम गभिया सराय को सुरक्षा प्रदान होगी । यह ग्राम शारदा सागर बांध व मार्जिनल बांध के बीच में स्थित है ।

जहां तक क्षेत्रीय जनता द्वारा कार सेवा करने का प्रश्न है, इतनी बड़ी नदियों म कोई ऐसा कार्य माडल स्टडी व बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना की अनुमति के बाद कराया जा सकता है । क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है, उसका असर कहां पड़ेगा यह कहना सम्भव नहीं है । जो कार सेवा द्वारा कार्य किया जा रहा है वह बिना सिचाई विभाग की तकनीकी राय से कराया जा रहा ह । ऐसे कार्य के लिए सिचाई विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है ।]

सिचाई मंत्री ।

(मद संख्या 15 पुकारे जाने पर)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गए)

(घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान (वेल से)--

मान्यवर, चर्चा से क्या फायदा हुआ ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य अपने अपने स्थानों पर चले गये)

नेता, विरोधी दल-- (श्री धनी राम वर्मा)--

चूंकि यह सरकार किसान विरोधी है और आलू किसान की दुर्दशा पर हंसी मजाक उड़ाती है ऐसी स्थिति में मैं और मेरा दल समाजवादी पार्टी सदन का त्याग करता है ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

24 जुलाई, 97, ता0 प्र0 सं-3 मत्थी (ख) से सम्बन्धित भूमिहीन दलितों आदि की जीविकोपार्जन उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि सुधार एवं कृषि योग्य भूमि मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अमर मणि—

मान्यवर, लड़े हैं और लड़ेंगे हम अंधेरे से,
हमें तो जिद है यहां रोशनी उगाने की।"

मान्यवर, यह सरकार जब से सत्ता में आई है बार-बार उसने अनेक मंचों से, सारे मंचों से, विधान सभा के मंच से कहा कि यह सरकार दलितों की समर्थक है, यह सरकार दलितों का उत्थान चाहती है तो इस प्रकार के लुभावने नारे दिए। यहां तक की शाहूं जी महराज ओर कैसे कैसे मेले लगाये। कमजोर और अति पिछड़े की भावनाओं कों भड़का कर अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया है।

मान्यवर, बार-बार कहा कि हम दलितों के समर्थक हैं और उनको तहे-दिल से चाहते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े हों लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। मैं आप के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बारबार प्रश्नों के माध्यम से कहा कि यह सरकार पूरे मन से सीलिंग कानून, इसमें मैंने अपना संशोधन दिया था और कहा था कि, आप देख लें कहते तो हैं कि आवंटन जमीन का होगा और पट्टे दिये जायेंगे तथा कब्जा दिया जायेगा लेकिन 1980 से भूमिहीनों को जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं। मान्यवर, जिन भूमिहीनों को जमीन के पट्टे दिये जाते हैं उनको मंडलायुक्त पट्टे और कब्जे देते तो हैं लेकिन वास्तव में उन दलितों को कब्जा उस भूमि पर नहीं है। हमने यहां कहा था कि राजा सोहरतगढ़ जिसके पास दस हजार एकड़ भूमि है उन पर सीलिंग लागू किया जाय लेकिन उन पर सीलिंग का कानून लागू नहीं होता है। इसी तरह पुरुषोत्तम दास सेठ हैं जिनके पास 19 हजार एकड़ जमीन है लेकिन सीलिंग कानून के तहत उनसे जमीन नहीं ली जा सकी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्व में कौन सा सीलिंग कानून लग रहा है जिससे हम लोगों की थोड़ी-थोड़ी जमीन तो लेकर दलितों में बांट दी जाती है जिससे समस्या हल नहीं होने वाली है किन्तु राजा महाराजाओं की जमीन इस कानून के तहत सरकार नहीं ले सकी है। इससे साफ है कि वह सरकार राजा महाराजाओं के इशारे पर काम कर रही है और जिससे जमीन बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। मुझे

पता चला है कि आप सीलिंग का कानून और कड़ा करने एवं सीमा घटाने जा रहे हैं जिससे मुझे खुशी हुई है कि बड़े-बड़े जमीन चोरों से जमीन निकलेगी और गरीबों में बांटने का काम सरकार करेगी लेकिन आज तक एक-दशमलव तक जमीन राजा पुरुषोत्तमदास से आप नहीं निकाल सके हैं। जमीन तो निकाला है सोनार, कहार से किन्तु बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऊपर सीलिंग कानून का कोई असर नहीं पड़ा है और आप उनसे जमीन नहीं ले सके हैं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में रहरा, हरपुर पाठक, मनिकापुर, रघुनाथपुर, सिंहपुर, धोतियाहरवा, राजा साहेब सोहरतगढ़ ग्राम मोहाना, सिद्धार्थनगर आदि में भूमिहीन गरीब, दलितों को पट्टे तो सरकार से मिल गये लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला है और कब्जे के लिए मैंने यहां प्रश्नों के माध्यम से कहा, कमिश्नर से कहा, किन्तु वास्तव में उन लोगों को आज तक कब्जा नहीं मिला है। मान्यवर, मनिकापुर में बड़े-बड़े जमींदार हैं, रघुनाथपुर में राजा आजमगढ़ की हजारों एकड़ जमीन है जिसके सम्बन्ध में मंत्रियों और अधिकारियों से कई बार कहा कि उनकी जमीन सीलिंग में निकालकर पात्र व्यक्तियों में बांट दी जाए लेकिन जवाब मिला कि कोर्ट में मामला लम्बित है।

सरकार इच्छाशक्ति से जो कहे वह करे लेकिन इसका कथन और करने में अन्तर साफ है। जिन बातों को इंगित किया है उसको कराये और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय। ऐसा पुनः न हो इसका ख्याल रहे।

श्री राम जग—

मान्यवर, भूमि सुधार कानून सही ढंग से लागू करके पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों दलितों भूमिहीनों की गरीबी को दूर किया जा सकता है। जोत हदबंदी सीमा का जहां तक सवाल है अगर सीमा 18 एकड़ सिंचित भूमि से 12 एकड़ और असिंचित में 27 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ कर दी जाय तो करोड़ों एकड़ भूमि निकाली जा सकती है और गरीबों में बांटी जा सकती है। मान्यवर, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से फर्जी इन्द्राज के माध्यम से बड़े भू-स्वामियों ने जमीनों को छिपाया हुआ है चोर दरवाजे से सीलिंग से बचे हुए हैं। उन चोर दरवाजों को बन्द किया जाय और फालतू निकली जमीन को गरीबों में बांटा जाय। मान्यवर, ग्राम समाज की भूमि भी आज बड़े-बड़े भू-स्वामियों के हाथ में है जो जमीन जंगल विभाग के नाम से दी गयी है जिस पर पेड़ नहीं है न जंगल है उस जमीन को लेकर भूमिहीनों में बांटा जाय नदी, तालाब, पोखरों के नाम से ग्राम समाज की भूमि है' 132 के तहत जो

खेती योग्य भूमि है जो तालाब, नदी आदि के नाम से है उसमें फर्जी इंद्राज को ठीक किया जाय और गरीबों को पट्टे दिये जायें ।

श्री दलबीर सिंह--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मान्यवर, योजनाबद्ध तरीके से और षड्यंत्र के तहत पूरे उ0 प्र0 के गरीब भूमिहीन लोगों को इसका शिकार बनाया गया है । 26 जून को एक आदेश इस सरकार ने किया कि 30 जून तक पूरे उ0 प्र0 भर में पट्टे हो जाने चाहिए ।

(10 बजकर 30 मिनट) 26 जून के आदेश हो जाने के बाद 30 जून तक पट्टे हो जाने चाहिये थे, परन्तु मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रेवेन्यू ऐक्ट में यह स्पष्ट प्राविधान है कि एल0 एम0 सी0 की बैठक बुलाये जाने के लिए 8 दिन का समय चाहिए और खुले ग्राम समाज की बैठक में पात्र व्यक्तियों की सूची बननी चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में समय-समय पर अलीगढ़ के जिला प्रशासन को भी बताता रहा, लेकिन हमारे यहां तहसील खैर में पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार ने डेढ़-दो करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए । मैं सबूत पेश कर रहा हूं । मैंने जिलाधिकारी को अवगत कराया और उन्होंने मेरी सूचना को सही पाया । ए0 डी0 एम0 (आर) ने तहसील खैर से पत्रावलियां मंगवाई और पाया कि वास्तव में डेढ़-दो करोड़ लिए गए हैं । क्षेत्र की जनता ने तहसील को घेर लिया परन्तु पी0 ए0 सी0 बुला ली गयी, और पुलिस के संरक्षण में एक गाड़ी में नोट भरकर आगरा भाग गए एस0 डी0 एम0 । जब मैंने पूछा कि एस0 डी0 एम0 कैसे भागा तो तहसीलदार व एस0 डी0 एम0 का तबादला कर दिया गया और समस्त भू-लेख अपने पास रखवा लिए । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ जनपद में जो फर्जी पट्टे हुए हैं; जिसमें लोगों की भैंसे तक बिक गई, उन्हें निरस्त किया जाय और ग्राम समाज की खुली मीटिंग बुलाई जाय और पात्रता की सूची बनाई जाय । फिर जाके नये तरीके से पट्टे दिये जांय ।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही (राजस्व मन्त्री)

मान्यवर, श्री दलवीर सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में मेरी उनसे बात हो गई थी । इस पर जांच आगरा के मण्डलायुक्त से करायी जा रही है । जांच होने तक इसे स्टे कर दिया गया है । जब आयुक्त की रिपोर्ट आ जायेगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । जहां तक कथनी और करनी की बात कही गई है । 1-4-97 से लेकर 30-6-97 तक इस प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

31884.98 हेक्टेयर जमीन की 93344 लाभार्थियों में बांटा गया है । इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । जहां तक भू-माफियाओं की बात कही गई है, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि यदि उनके पास कोई ऐसी शिकायत हो तो वह मुझे लिखकर दें, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि चाहे कोई भू-माफिया हो, चाहे कितना ही बड़ा लम्बरदार हो, हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा यहीं पर समाप्त होती है अब हम उठत हैं । कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 10 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ

दिनांक 31 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 सं0 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

प्रश्न संख्या 25 का संलग्नक

क्रम सं0	पट्टेदार का नाम पिता का नाम	पट्टेदार के पास उपलब्ध भूमि	पिता के पास उपलब्ध भूमि	विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री होरा लाल पुत्र जगदेव	..	1–15–6	पट्टेदार पिता से अलग हैं
2	श्री उदयराज पुत्र जगदेव	..	1–15–6	तदेव
3	श्री राम समुझ पुत्र द्वारिका	..	2–10–11	पट्टेदार तीन भाई हैं ।
4	श्री नन्द लाल पुत्र सुखलाल	..	2–1–14	पट्टेदार तीन भाई हैं ।
5	श्री नाथ पुत्र रामपदारथ	..	1–17–0	पट्टेदार तीन भाई हैं ।
6	श्री इस्तियाक अहमद पुत्र नूर मो0	..	2–9–17	पट्टेदार तीन भाई हैं ।
7	श्रीमती धनपता पत्नी मुनेसर	..	1–16–19	पति के नाम
8	श्रीमती चन्द्रावती पत्नी शिवमंगल	..	2–17–3	पति के नाम
9	श्रीमती अमीना बेवा मोसिन	..	2–5–0	बालिग पुत्रों के नाम
10	श्री राम नारायन पुत्र श्री माता दीन	1–14–5	..	..

नत्थो "ख"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)

मा0 श्री मोहन सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे गुरुवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण—

प्रस्ताव संख्या 1—कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रस्ताव संख्या 2—कार्यवाही की जा चुकी है तथा क्षेत्रीय जनता कृत कार्यवाही से संतुष्ट है ।

प्रस्ताव संख्या 3—कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रस्ताव संख्या 4—बहेलाखाल में स्थित विभागीय भवनों की चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि के समक्ष निर्माण कार्य किया जा चुका है और उक्त भवन वर्ष 1995 में विभाग को हस्तान्तरित भी कर दिया गया है । अवशेष कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी से प्राक्कलन मांगा गया है, प्राप्त होने पर यथासमय आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

प्रस्ताव संख्या 5—निराकरण हो चुका है ।

प्रस्ताव संख्या 6—पशु सेवा केन्द्र, बसन्तपुर एवं दोन्दल जो विभाग को जलागम योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित किए गए थे । ऐसी स्थिति में भवन की त्रुटियां पूर्व से ही थी । विभाग उसमें कोई भी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था । चूंकि परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना के द्वारा केन्द्र बन्द होने के बाद बसन्तपुर एवं दोन्दल में स्थित भवन जिला प्रशासन द्वारा पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित किए गए थे । ऐसी स्थिति में भवन की त्रुटियों को दूर करना सम्भव नहीं था ।

प्रस्ताव संख्या 7—क्षेत्र समिति कोट की बैठक में अधिकारियों द्वारा भाग लिया जा रहा है ।

प्रस्ताव संख्या 8—पशुधन प्रसार अधिकारिणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रस्ताव संख्या 9—सांड़ उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रस्ताव संख्या 10—जामलाखाल के पुराने भवन का सामान जलागम द्वारा निर्मित भवन स्थानान्तरित किया गया ह तथा राजकीय सम्पत्ति की पूरी सुरक्षा दान कर दी गई है ।

प्रस्ताव संख्या 11--पशु सेवा केन्द्रों को "द" श्रेणी में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रस्ताव संख्या 12--पशु चिकित्सालय, कोट की चहारदीवारी के निर्माण के आंकलन बनवाए जा रहे हैं ।

प्रस्ताव संख्या 13--पशु चिकित्सालय कोट स्थित जलागम के भवन में पशु चिकित्सालय का सामान रखा हुआ है तथा पशु चिकित्सालय के उपयोग में लाया जा रहा है । चूंकि पशु चिकित्सालय कोट में अभी किसी पशु चिकित्सा अधिकारी की पद स्थापना नहीं हुई है । पशु चिकित्सा अधिकारी की पद स्थापना होने पर कार्यवाही कर दी जाएगी । विकास खंड कोट के अन्तर्गत विभागीय संस्थाएं, विभागीय भवनों/जलागम से हस्तान्तरित भवनों में स्थापित हैं ।

प्रस्ताव संख्या-14--पशु चिकित्सालय बड्ड की स्थापना शासनादेश के अनुसार स्व कृत स्थान पर ही स्थानाभाव के कारण तथा क्षेत्रीय जनता की सहमति से घुसगल्ली में स्थापित किया गया है तथा जनता को इसका पूर्ण लाभ मिल रहा है ।

प्रस्ताव संख्या-15--पशु चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है ।

प्रस्ताव संख्या-16--पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी समय-समय पर पशु चिकित्सालय कोट का कार्य भी देख रहे हैं ।

प्रस्ताव संख्या-17--नसर्गिक अभिजनन कार्यों के लिए सांड उपलब्ध करा दिया गया है तथा कृतिम गर्भाधान की भी सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

प्रस्ताव संख्या-18--जिला प्रशासन के आदेशानुसार ही सबदर खाल पशु सेवा केन्द्र के भवन का कब्जा राजस्व विभाग को दिया गया है एवं विभाग के पास पशु सेवा केन्द्र के लिए जलागम का भवन उपलब्ध है, जो कि केन्द्र के लिये पर्याप्त है ।

प्रस्ताव संख्या-19--वर्ष 97-98 की जिला योजना में उक्त स्थानों पर पशु सेवा केन्द्रों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।